

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

www.allahabadbank.in

विषय-सूची / contents

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

पृ. सं. / Page No.		पृ. सं. / Page No.	
● निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि की सूची	02	● समेकित वित्तीय विवरण	146-169
List of Directors', Auditors' etc		Consolidated Financial Statement	
● अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	03-06	● समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	170-171
Chairman & Managing		Auditors' Report on Consolidated	
Director's Message		Statement	
● वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, घोषणा पत्र, जीवन		● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट	172-174
वृत्त फार्म एवं नामांकन पत्र	07-32	Directors' Report of AllBank Finance Ltd.	
Notice of Annual General Meeting, Declaration		● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के वित्तीय विवरण	175-196
Form, Biodata Form & Nomination Form		Financial Statements of	
● बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट	33-81	AllBank Finance Ltd.	
Directors' Report of the Bank		● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	197-201
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट	82-103	Auditors' Report of AllBank Finance Ltd.	
Report on Corporate Governance		● उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र	202
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र		Attendance Slip cum Entry Pass	
Auditors' Certificate on	104	● सूचीबद्धता करार के खंड 49V के अनुसरण	203-204
Corporate Governance		में प्रमाणपत्र	
● बैंक के वित्तीय विवरण	105-143	Certificate Pursuant to clause 49V of the	
Financial Statements of the Bank		Listing Agreement	
● बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट		● परोक्षी फार्म	205-206
Auditors' Report of the Bank	144-145	Proxy Form	
		● ईसीएस मंडेट हेतु फार्म	207-208
		Form for ecs mandate	
महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तिथियाँ / IMPORTANT PROGRAMMES & DATES			
● लाभांश प्राप्त करने एवं चुनाव में भाग लेने के लिए		वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय व स्थान	
शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने की		Date, time & Venue of Annual	10.06.2010
अभिलिखित तारीख		General Meeting	प्रातः 10.30 A.M.
Cut off Date for ascertaining the	14.05.2010		
Shareholders eligibility to get dividend			
and participate in the election			
● नामांकन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर,	
Last date for submission of		भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर III,	
Nomination form	26.05.2010	सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106	
● प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी		Purbashree Auditorium Eastern Zonal Cultural Centre,	
परोक्षी फार्म एवं संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि		Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III,	
Last date for receipt of proxy form	05.06.2010	Salt Lake City, Kolkata-700106	
and resolutions for appointing			
authorized representatives			

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2010)

1. श्री जे. पी. दूआ SHRI J. P. DUA	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक <i>Chairman & Managing Director</i>
2. श्री डी. सरकार SHRI D. SARKAR	कार्यपालक निदेशक <i>Executive Director</i>
3. श्री एम. आर. नायक SHRI M. R. NAYAK	कार्यपालक निदेशक <i>Executive Director</i>
4. श्री मोहम्मद ताहिर SHRI MOHAMMAD TAHIR	निदेशक <i>Director</i>
5. श्रीमती सुकृति लिखि SMT. SUKRITI LIKHI	निदेशक <i>Director</i>
6. श्री के. के. डोगरा SHRI K. K. DOGRA	निदेशक <i>Director</i>
7. श्रीमती जोगिन्दर कौर SMT. JOGINDER KAUR	निदेशक <i>Director</i>
8. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी SHRI P. V. GUDIREDDY	निदेशक <i>Director</i>
9. डॉ. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी DR. SHAKEEL-UZ- ZAMAN ANSARI	निदेशक <i>Director</i>
10. श्री देवेश्वर कुमार कपिला SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA	निदेशक <i>Director</i>
11. डॉ. वसन्त बाबूराव कौजलगी DR. VASANT BABURAO KAUJALGI	निदेशक <i>Director</i>

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

1. मे० वेंकट एंड रंगा M/S VENKAT & RANGAA	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
2. मे० सुदित के. पारेख एंड कं. M/S SUDIT K. PAREKH & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
3. मे० पी. ए. एंड एसोसिएट्स M/S P. A. & ASSOCIATES	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
4. मे० एम. आर. नारायण एंड कं. M/S M. R. NARAIN & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
5. मे० एस घोष एंड कं. M/S S. GHOSE & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>
6. मे० के. एम. अग्रवाल एंड कं. M/S K M AGARWAL & CO.	सनदी लेखाकार <i>Chartered Accountants</i>

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट /REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मे. एमसीएस लिमिटेड (यूनिट-इलाहाबाद बैंक)
77/2A, हाजरा रोड
कोलकाता-700 029
टेलीफोन - 033 2454-1892/1893
फैक्स - 033-24541961
ई-मेल : mcscale@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcsdel.com

M/S MCS LTD. (Unit Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel : 033-2454-1892/1893
Fax : 033-24541961
Email : mcscale@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcsdel.com

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। समृद्ध विरासत और गरिमामय परम्परा वाली इस प्रतिष्ठित संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक अपनी बात इस दावे से शुरू करूंगा कि बीता हुआ वित्तीय वर्ष वैश्विक और घरेलू बाजारों में उथलपुथल के सबसे कठिन दौर का साक्षी रहा है जिसकी उत्पत्ति पहले ही, वर्ष 2008 के अंत में अमरीका के मोर्टगेज वित्तीय बाजार में हो चुकी थी। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो संकट के शुरुआती दौर में कुल मिलाकर अप्रभावित रही थी, विश्वस्तरीय आर्थिक मंदी से बच नहीं सकी और बैंकों को भी इसका प्रकोप झेलना पड़ा। व्यवसाय और लाभप्रदता दोनों में सतत वृद्धि करना हमारे समक्ष एक कठिन कार्य था। तथापि विविधिकृत ऋण संरचना, एक विस्तृत ग्राहक आधार और अत्यंत चौकस व सुविचारित नीतिगत योजना के चलते हम आसन्न संकट से पार पा सके और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे कि आपके बैंक ने 2009-10 के दौरान न केवल सभी महत्वपूर्ण परिचालनगत पैरामीटरों में सहायनीय कार्यनिष्पादन दर्शाया है अपितु बेहतर और समुत्थानशील भविष्य हेतु बैंक के तुलन पत्र में मूल्यवर्धन कर इसे मजबूत किया है। वर्तमान में, अर्थव्यवस्था के मंदी से उबरने और धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने के साथ ही हमने भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं जो हमारे तुलनपत्र में प्रतिबिंबित होता है। मैं, इस संबोधन में, स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में 2009-10 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ।

अर्थव्यवस्था में सु-संतुलित और विश्वसनीय वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के समुचित और सतत कार्यान्वयन तथा अद्यतन प्रौद्योगिकीय नवीनताओं के अंगीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतर विकास पथ पर ले जाने में निश्चित रूप से योगदान दिया है और 2009-10 के दौरान भारत को 7.2-7.5% (प्राक्कलित) वृद्धि के साथ विश्व की दूसरी सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की है। सतत वृद्धि का श्रेय गतिशील वाणिज्यिक क्षेत्र, सक्रिय पूंजी बाजार, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में तेजी, निर्यात में सुधार, औद्योगिक उत्पादन विशेषकर विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों में तेजी से सुधार, शेयर बाजार गतिविधियों में तेजी, पूंजी अंतर्वाह की शुरुआत और उन्नत लाभप्रदता और ऋण वृद्धि को दर्शाने वाले सकारात्मक कारपोरेट बिक्री के संकेतों आदि को दिया जा सकता है।

निम्न ब्याज दर परिदृश्य, पर्याप्त तरलता और बढ़ती मुद्रास्फीति का दबाव वर्ष 2009-10 की विशेषता रही। चूंकि घरेलू मुद्रास्फीति और जिन्स की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्ति दोनों ऊपर की ओर जा रही हैं, निवल पूंजी अंतर्वाह में तेजी आ रही है तथा निवेश लागत बढ़ रही है, ऐसी संभावना है कि वर्ष के अंत में ब्याज दरों में वृद्धि आरंभ हो सकती है। किंतु बैंकों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि नीतिगत दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि, ऋण उठाव को प्रभावित कर सकती है। अनुपयोज्य आस्ति प्रबंधन लगातार चिंता का क्षेत्र बना हुआ है जिसके संबंध में बैंक ने जोरदार प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में और तेजी आई है। बासेल-II दिशानिर्देशों के



Chairman and Managing Director's Message

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure in presenting before you the Annual Report of your Bank for the financial year 2009-10. As the Chairman & Managing Director of this prestigious institution with a rich heritage and glorious tradition, I am extremely delighted to have the opportunity to address you all. I would humbly begin with the assertion that the financial year,

which passed by, has seen the toughest turbulences in the global as well as domestic markets, the genesis of which dates back to the last part of 2008 in the US mortgage financing market. Indian economy, though more or less insulated from the crisis at the beginning, could not escape the world wide economic slowdown and banks, too, had to bear the brunt. It became a crucial task before us to sustain business growth & profitability of the Bank. However, with diversified credit pattern, a very large customer base and very cautious and well thought out policy strategies we have been able to overcome the impending crisis and I am sure, you will appreciate that your Bank has, not only shown commendable performance in all key operational parameters during 2009-10 but also added values and strengthened the Balance Sheet of the Bank for a better and resilient future. Presently, with the economy out of the slowdown process and steadily gaining momentum we, too, have paced forward which has been reflected in our balance sheet. In this address, I am, most candidly trying to place before you an analysis of performance of your Bank during 2009-10 along with a brief account of the Indian economic and banking scenario.

A well-balanced and reliant growth, proper and steady implementation of financial sector reform measures and absorption of latest technological innovations have unequivocally contributed towards Indian economy's journey towards a higher growth path and helped India emerge as world's second fastest growing economy with a growth of 7.2-7.5% (estimated) during 2009-10. The sustained growth may as well be attributed to dynamic commercial sector, active capital market, acceleration in GDP growth, turnaround in exports, strong recovery in industrial production especially in manufacturing, services sectors, revival of stock market activities, revival in capital inflows and indications of positive corporate sales leading to signs of improved profitability and credit growth etc.

The year 2009-10 is characterized by soft interest rate scenario, abundant liquidity and rising inflationary pressure. As domestic inflation and the global trend in commodity prices, both are on upward swing, net capital inflows picking up and input costs rising, it is likely that interest rates may start hardening by the year-end. But, banks are very cautious now because any hike in policy rates could affect credit off take. The non-performing asset management has become a constant area of concern and has got rigorous efforts from banks. Adoption of information technology gained further

अनुसार, भारतीय बैंक जोखिम प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को अपना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आपका बैंक भी बासेल-II का अनुपालक है। भारतीय बैंक वित्तीय रूप से मजबूत हुए हैं तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था बनने के लिए प्रयासरत हैं।

आपके बैंक ने न केवल सतत व्यवसाय वृद्धि और लाभप्रदता के क्षेत्रों में, अपितु अन्य के साथ-साथ वर्धित उत्पादकता, शेयरधारकों के मूल्य, वर्धित पहचान और छवि, प्रौद्योगिकी के तीव्र अंगीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सराहनीय कार्यनिष्पादन दर्शाया है। इन सबसे आपके बैंक के प्रति बाजार की अवधारणा में कई गुना सुधार हुआ है।

बैंक का व्यवसाय 31.03.2009 को यथास्थिति रु.1,44,415 करोड़ से 23.60% बढ़कर 31.03.2010 को यथास्थिति रु. 1,78,493 करोड़ तक पहुँच गया। कुल जमा राशियां 31.03.2009 को यथास्थिति रु. 84,972 करोड़ के सापेक्ष 24.81% बढ़ कर 31.03.2010 को यथास्थिति रु. 1,06,056 करोड़ हो गई। बैंक का सकल ऋण 31.03.2009 के रु. 59,443 करोड़ के सापेक्ष 21.86% बढ़ कर 31.03.2010 को यथास्थिति रु. 72,437 करोड़ हो गया। 31.03.2010 को यथास्थिति ऋण जमा अनुपात 68.93% रहा जबकि 31.03.2009 को यथास्थिति ऋण जमा अनुपात 70.93% रहा। बैंक ने उच्च लागत वाली जमा राशि जुटाने से दूर रहने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया और उच्च आय वाले अग्रिमों के पक्ष में पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित किया। इस प्रकार 2009-10 के दौरान कोर जमा राशि में 32.96% की वृद्धि हुई।

31.03.2010 को यथास्थिति बैंक की बचत बैंक जमा राशियां 24.14% बढ़ कर रु. 28,271 करोड़ हो गई। बैंक की चालू खाता जमा राशियां 31.03.2009 को यथास्थिति रु. 6,623 करोड़ से बढ़कर 31.03.2010 को यथास्थिति रु. 8,316 करोड़ तक पहुँच गई जो 25.55% की वृद्धि दर्शाती हैं। कुल जमा राशि में कासा जमा राशि का अंश 34.82% रहा।

31.03.2010 को यथास्थिति बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 18.81% बढ़ कर रु. 24,279 करोड़ हो गया जबकि कृषि ऋण 20.90% बढ़कर रु.11,567 करोड़ तक पहुँच गया। 31.03.2010 को यथास्थिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और कृषि ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के क्रमशः 41.29% और 18.68% थे। 2009-10 के दौरान रु.1336 करोड़ की राशि के नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए जिससे कुल कार्ड आधार 9.12 लाख हो गया जिसमें रु.4,848 करोड़ की राशि शामिल है। कमजोर वर्ग को ऋण निर्धारित 10% के मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 10.46 % था।

बैंक की जमा लागत 2008-09 के दौरान 6.62% के सापेक्ष 2009-10 के दौरान घटकर 5.97% रह गई जिससे इस अवधि के दौरान बैंक की समग्र निधि लागत 6.67% से घटकर 5.99% रह गई।

अग्रिमों पर आय 2008-09 के दौरान 10.88% के सापेक्ष 2009-10 के दौरान घटकर 10.57% रह गई जबकि निधियों पर आय पिछले समवर्ती वर्ष के 9.62% के सापेक्ष घटकर वर्ष 2009-10 में 8.68% रह गई। इस प्रकार जमा लागत में 65 आधार बिंदु की और अग्रिमों पर आय में 31 आधार बिंदु की कमी आई है।

ऊपर उल्लिखित लक्ष्य-आधारित जमा और ऋणवृद्धि लक्ष्य के परिणामस्वरूप जमा और अग्रिम का बाजार अंश 31.03.2009 को यथास्थिति क्रमशः 2.11% और 2.10% के सापेक्ष 31.03.2010 को बढ़कर क्रमशः 2.24% और 2.15% हो गया।

प्रति कर्मचारी व्यवसाय जो 31.03.2009 को यथास्थिति रु.7.06 करोड़ था 31.03.2010 को यथास्थिति बढ़कर रु.8.45 करोड़ हो गया। जबकि प्रतिशाखा व्यवसाय रु.63.90 करोड़ से बढ़कर रु. 77.62 करोड़ हो गया।

बैंक का परिचालन लाभ 34.05% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के रु.1901.15 करोड़ से बढ़ कर 2009-10 के दौरान रु. 2548.55 करोड़ हो गया। जनवरी-मार्च 2010 हेतु परिचालन लाभ 7.13% बढ़कर रु.657.95 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान ट्रेजरी(ट्रेडिंग) लाभ रु.572.70 करोड़ से बढ़कर

momentum during the year. In line with Basel II guidelines, Indian banks are adopting international standards of risk management. Notably, your Bank is Basel II compliant. Indian banks have enhanced financial strength and are geared up to become institutions of international standard.

Your Bank has depicted a commendable performance not only in the areas of sustained business growth with profitability but also in the key areas of increased productivity, stakeholders value, enhanced visibility and image, faster adoption of technology, among others. All these have helped in increasing market perception manifold for your Bank.

Business of the Bank went up by 23.60% to reach the level of Rs.1,78,493 crores as on 31.3.2010 from Rs.1,44,415 crores as on 31.3.2009. Total Deposits grew by 24.81% to Rs.1,06,056 crores as on 31.3.2010 from Rs.84,972 crores as on 31.3.2009. Gross credit of the Bank went up by 21.86% to Rs.72,437 crores as on 31.3.2010 from Rs.59,443 crores as on 31.3.09. Credit-deposit ratio stood at 68.93% as on 31.3.2010 as against 70.93% as on 31.3.2009. The bank consciously decided to be refrained from raising high cost deposit and rebalancing portfolio in favour of high yielding advances. Thus, core deposit went up by 32.96% during 2009-10.

Savings bank deposits of the Bank went up by 24.14% to Rs.28,271 crores as on 31.3.2010. Current account deposits of the Bank reached to Rs.8316 crores as on 31.3.10 from Rs.6,623 crores as on 31.3.09 showing a growth of 25.55%. The share of CASA deposits in Aggregate deposits was at 34.82%.

Priority sector credit of the Bank grew by 18.81% to Rs.24,279 crores as on 31.3.2010 while agriculture credit went up by 20.90% to Rs.11,567 crores. The priority sector credit and agriculture credit formed 41.29% and 18.68% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) respectively as on 31.3.2010. Fresh Kisan Credit Cards (KCC) involving an amount of Rs.1336 crore were issued to farmers during 2009-10 taking total card base to 9.12 lacs involving Rs.4848 crores. Credit to weaker section was 10.46% of ANBC as against stipulated norms of 10%.

Cost of deposits of the Bank decreased to 5.97 % during 2009-10 from 6.62% during 2008-09, reducing the overall cost of fund of the Bank to 5.99% from 6.67% during the period.

Yield on advances decreased to 10.57% during 2009-10 from 10.88% during 2008-09 the yield on funds decreased to 8.68% during 2009-10 from 9.62% of previous corresponding year. Thus cost of deposits reduced by 65 basis points and the yield on advances reduced by 31 basis points.

Market share of deposits and advances improved to 2.24% and 2.15% respectively as on 31.3.2010 from 2.11% and 2.10% as on 31.3.2009 as a result of object-oriented growth target of deposit and credit mentioned above.

Business per Employee augmented to Rs.8.45 crores as on 31.3.2010 from Rs.7.06 crores as on 31.3.2009 while business per branch went up to Rs.77.62 crores from Rs.63.90 crores.

Operating profit of the Bank went up to Rs.2548.55 crores during 2009-10 from Rs.1901.15 crores in the previous year, showing a growth of 34.05%. Operating profit for the quarter Jan-Mar'10 increased by 7.13% to Rs.657.95 crores. The

रु.576.55 करोड़ हो गया। बैंक का निवल लाभ 56.95% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के रु.768.60 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 के दौरान रु.1206.33 करोड़ हो गया।

प्रति शेयर आय 2008-09 के रु.17.21 से बढ़कर 2009-10 में रु. 27.01 हो गई जबकि इस अवधि के दौरान प्रति शेयर बही मूल्य रु.131.00 से बढ़कर रु.151.17 हो गया।

आस्तियों पर प्रतिफल 31.03.2009 को यथास्थिति 0.90% के सापेक्ष 31.03.2010 को बढ़कर 1.16% हो गया। प्रति कर्मचारी लाभ 2009-10 के दौरान रु. 3.76 लाख के सापेक्ष 2009-10 के दौरान बढ़कर रु.5.76 लाख हो गया।

2009-10 में उच्च आय वाले ऋणों के पक्ष में पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करते हुए चौकस ऋण वृद्धि से बैंक ने पिछले वर्ष के 2.88% के सापेक्ष निवल ब्याज मार्जिन 2.94% बनाए रखा।

बैंक ने व्यय पक्ष के पैरामीटरों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है। उच्चतर परिचालन दक्षता दिखाते हुए लागत आय अनुपात 2008-09 के 42.40% से घट कर 2009-10 को यथास्थिति 38.83% रह गया। कुल व्यय में स्थापना व्यय का अनुपात 2008-09 के 13.23% से बढ़ कर 2009-10 में 13.79% हो गया जबकि इस अवधि के दौरान कुल व्यय में अन्य परिचालन व्यय का अनुपात 7.96% से बढ़ कर 8.27% हो गया। औसत कार्यशील निधियों में परिचालन व्यय का अनुपात 1.65% से सुधरकर 1.55% हो गया।

बासल- II मानदंडों के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2009 को यथास्थिति 13.11% के सापेक्ष 31.03.2010 को यथास्थिति 13.62% रहा।

बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2009 को यथास्थिति सकल ऋण के 1.81% के सापेक्ष 31.03.2010 को घटकर 1.69% रह गई। निवल एनपीए 31.03.2009 के 0.72% के सापेक्ष 31.03.2010 को घटकर 0.66% रह गया। प्रावधान कवरेज अनुपात 78.95% रहा। स्लिपेज अनुपात 31.03.2009 के 1.72% से बढ़कर 31.03.2010 को यथास्थिति 1.98% हो गया। 31.03.2010 को यथास्थिति नकद वसूली (समझौता सहित) और एनपीए के कोटिउत्तरयन की राशि क्रमशः रु.241.44 करोड़ और रु.210.51 करोड़ थी। बैंक ने बट्टे खाते डाले गए ऋणों से रु.229.40 करोड़ की वसूली की।

बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आल बैंक फाइनेंस लि., जो सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत है, ने 2008-09 में रु.9.41 करोड़ के कर पश्चात लाभ (पीएटी) के सापेक्ष 2009-10 में रु.7.15 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में बैंक ने 27 नई शाखाएँ खोलीं जिससे शाखाओं की कुल संख्या 31.03.2009 के 2260 से बढ़ कर 31.03.2010 में 2287 हो गई। बैंक ने कारगर शाखा प्रबंधन हेतु बरहमपुर एवं भागलपुर में 2 नए मंडलीय कार्यालय भी खोले हैं। देश के संभावनापूर्ण 69 केन्द्रों पर और नई शाखाएँ खोलने हेतु बैंक के पास प्राधिकार हैं। बैंक उन स्थानों पर शाखाएँ खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहाँ पर हमारी उपस्थिति कम है।

बैंक ने शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए जीवन बीमा और साधारण बीमा क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः एलआईसीआई और यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी लि. (यूएसजीआईसीएल) के साथ टाईअप किया है। बैंक ने एक्सप्रेस मनी एवं मनीग्राम चैनल के माध्यम से आवक मुद्रा अंतरण प्रणाली हेतु मे. यूआई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमि. के साथ भी टाईअप किया है। म्युचुअल फंड व्यवसाय के संवर्धन हेतु बैंक का देश की पाँच अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों अर्थात: युटीआई, प्रिंसिपल पीएनबी, कोटक महिन्द्रा, फ्रैंकलिन टेम्पलटन और रिलायंस म्युचुअल फंड के साथ टाईअप है। सीबीएस में माइग्रेट होने के उपरांत और नए एप्लीकेशन साफ्टवेयर (cash@will) के लागू होने से नकदी प्रबंधन सेवाओं

treasury (trading) profit increased to Rs.576.55 crores from Rs.572.70 crores during the year. The net profit of the Bank showed a growth of 56.95% to reach Rs.1206.33 crores during 2009-10 from Rs.768.60 crores in the preceeding year.

Earnings per share went up to Rs.27.01 during 2009-10 from Rs.17.21 during 2008-09 while book value per share improved to Rs.151.17 from Rs.131.00 during the period.

Return on Assets went up to 1.16% as on 31.03.2010 from 0.90% as on 31.03.2009. Profit per Employee improved to Rs.5.76 lacs during 2009-10 from Rs.3.76 lacs during 2008-09.

With cautious credit growth along with rebalancing of portfolio in favour of high yielding loans in 2009-10, the Bank maintained NIM at 2.94% as against 2.88% in the previous year.

The Bank has shown marked improvement in expenditure side parameters. Exhibiting higher operational efficiency, the cost to income ratio declined to 38.83% in 2009-10 from 42.40% in 2008-09. The ratios of establishment expenses to total expenses increased to 13.79% in 2009-10 from 13.23% in 2008-09 while the ratio of other operating expenses to total expenses increased to 8.27% from 7.96% during the period. The ratio of operating expenses to average working funds improved to 1.55% from 1.65%.

Capital adequacy ratio of the Bank stood at 13.62% as on 31.3.2010 as against 13.11% as on 31.3.2009 as per Basel-II norms.

The gross non-performing assets of the Bank declined to 1.69% of gross bank credit as on 31.3.2010 as compared to 1.81% as on 31.3.2009. The net non-performing assets reduced to 0.66% as on 31.03.2010 as compared to 0.72% as on 31.3.2009. The provision coverage ratio stood at 78.95%. The slippage ratio increased to 1.98% as on 31.3.2010 from 1.72% as on 31.3.2009. The cash recoveries (inclusive of compromise) and upgradation of NPAs amounted to Rs.241.44 crore and Rs.210.51 crore respectively as on 31.3.2010. The Bank also recovered Rs.229.40 crore from written off debts.

All Bank Finance Ltd., a fully owned subsidiary of the Bank is registered with SEBI as category-I merchant bankers, earned a profit after tax (PAT) of Rs.7.15 crore in 2009-10 as compared to Rs.9.41 crores in 2008-09.

In order to create a pan-India presence, the bank has opened 27 new branches in 2009-10 with the total number of branches moving up to 2287 as on 31.3.2010 from 2260 as at 31.3.2009. The Bank has also opened two zonal offices at Berhampore & Bhagalpur for effective Branch Management. The Bank has authorization for opening 69 new branches in the potential centres of the country. The Bank is focusing on opening branches in the areas where we have less presence.

To improve fee-based income, the Bank is having tie up for Life Insurance and General Insurance respectively with LIC and Universal Sampo General Insurance Company Ltd ((USGICL). The Bank has also tied-up with M/S UAE Exchange & Financial Services Ltd. for Inward Money Transfer System through Xpress Money & MoneyGram Channels. For promotion of mutual-fund products the Bank has tied up with country's five leading AMC's namely UTI, Principal-PNB, Kotak Mahindra, Franklin Tempelton and Relaince Mutual Funds. Under Cash Management Services (CMS), new avenues have emerged post migration to CBS with introduction of new

(सीएमएस) के अंतर्गत नए अवसर सामने आए हैं और बैंक की योजना है कि विभिन्न प्रकार के नए सीएमएस उत्पाद लाकर मौके का भरपूर लाभ उठाया जाए। वर्तमान में बैंक के छह डीपी हैं और यह कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर इनका विस्तार करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने अवसर और व्यावसायिक संभावना का लाभ उठाते हुए स्वर्ण सिक्कों की बिक्री का व्यवसाय आरंभ किया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न भार वाले स्वर्ण सिक्कों की बिक्री कर रु.3.02 करोड़ की आय अर्जित की है।

बैंक ने मौसमी व्यवसाय के संवर्धन हेतु अनेक नए उत्पाद शुरू किए हैं। ऋण उत्पादों में बैंक ने व्यापारियों, ठेकेदारों, राइस शेल्स, नर्सिंग होम हेतु योजनाएं आरंभ की हैं। ऋण संस्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु बैंक ने 27 केन्द्रीयकृत रिटेल बैंकिंग बुटीक स्थापित किए हैं। बैंक ने कुछ नई योजनाएं आरंभ की हैं जैसे वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण हेतु "आल बैंक कामर्शियल व्हीकल फाइनेंस" एनआरआई/पीआईओ को आवास वित्त प्रदान करने हेतु "हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर एनआरआई/पीआईओ" तथा प्रतिष्ठित कंपनियों के आईपीओ/एफपीओ के वित्तपोषण की योजनाएं।

बैंक ने अपनी सभी शाखाओं और विस्तार पटलों को कंप्यूटरीकृत किया है। बैंक युद्ध स्तर पर केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन अभियान चला रहा है और बैंक का लक्ष्य दिसम्बर 2010 तक 100% सीबीएस कार्यान्वित करने का है। 896 शाखाओं में रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस) को लाइव किया गया है और 167 नामोद्विष्ट शाखाओं में ऑनलाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओलटास) को कार्यान्वित किया गया है।

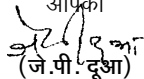
मानव पूँजी के विकास पर बल देते हुए, जिससे वे व्यवसाय का तीव्र विकास कर सकें, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का संचालन कर सकें और त्वरित निर्णय ले सकें, बैंक ने 2009-10 में पर्याप्त उत्तराधिकार योजना के साथ 13,383 कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है। वर्ष के दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को 'जागृति' नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अपनी शाखाओं में सीबीएस के तीव्र कार्यक्रम में सहायता हेतु बैंक ने टीसीएस, सिस्टम इंटीग्रेटर, के सहयोग से अपने समस्त कार्यबल को सीबीएस-एंड यूजर कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया है। एक नई पहल के रूप में बैंक स्केल-IV श्रेणी के कार्यपालकों में बासेल-III जागरूकता सहित प्रबंधकीय दक्षता पर केंद्रित कार्यक्रम संचालित कर रहा है। किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण, ऋण एवं बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने बांदा (उप्र.) तथा दुमका (झारखंड) में दो और कृषक एवं उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं जबकि हजारीबाग (रांची), रायबरेली (उप्र) और बोलपुर (पबं) एवं देबरा (पश्चिम मिदनापुर) में बैंक के ये संस्थान पहले से ही मौजूद हैं। सीमित संसाधन और कौशल वाले व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा एवं ऋण संबंधी परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने कोलकाता और बांदा (उप्र.) में 'समाधान' नामक वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोले हैं।

आपका बैंक अपनी सफल और सार्थक उपस्थिति का 146 वां वर्ष मना रहा है, ऐसे में मैं निष्ठापूर्वक बैंक के दूरदर्शी संस्थापकों को सलाम करता हूँ एवं इस महान संस्था के निर्माण में अनाम नायकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं अपने दायित्व निर्वाह से चूक जाऊंगा यदि मैं अपने पूर्ववर्ती श्री के. आर. कामत के सतत मार्गदर्शन के प्रति अपना आभार व्यक्त न करूँ।

अन्त में, मैं बैंक की ओर से और व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, स्टाफ सदस्यों, बोर्ड के निदेशकों, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत समर्थन और प्रोत्साहन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शुभचिन्तकों के सतत संरक्षण से आपका बैंक लाभप्रदता के विकासशील पथ पर अग्रसर होगा तथा भविष्य में और नई ऊँचाइयाँ छूएगा।

सादर

कोलकाता
30 अप्रैल, 2010

आपका

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Application Software (cash@will), the Bank has plans to fully exploit the situation with varied new CMS products. Currently Bank is having six D.P.s and is in the process of expanding it at few more strategic locations. The Bank started sale of gold coin business by tapping the opportunity and business potential. I am delighted to report that the Bank earned an income of Rs.3.02 crore during 2009-10 from sale of gold coins of various denominations.

The Bank launched a number of structured products for promoting seasonal business. Among the credit products the Bank has launched schemes for traders, contractors, rice shellers and nurshing homes. To streamline the process of speedy sanction, the Bank has established 27 Centralised Retail Banking Boutiques. The Bank has launched new schemes like "ALLBANK COMMERCIAL VEHICLE FINANCE" for financing of commercial vehicles, "HOUSING FINANCE SCHEME FOR NRI/PIO" for granting Housing Finance to NRI/PIO and schemes for financing IPO/FPO of reputed companies.

The Bank has computerized all its branches and extension counters. The Bank has taken up the Centralized Banking Solution exercise on war footing and aims at implementing 100% CBS by December 2010. Real Time Gross Settlement (RTGS) made live in 896 branches and Online Tax Accounting System (OLTAS) implemented in 167 designated branches.

Emphasizing on developing the human capital capable of fostering business expansion, handling international business & quick decision making with adequate succession plan, the Bank exposed 13,383 employees/officers to various training programmes during 2009-10. A training programme "Jagruti" was imparted to all the employees of the Bank during the year. To supplement Bank's efforts for speedy implementation of CBS at its branches, thrust has been given for imparting training on CBS-end users programme to its entire workforce in collaboration with TCS, the system integrator. As a new initiative the Bank has been conducting a focused programme on managerial effectiveness including Basel-II awareness among executives in Scale-IV grade. With an objective of providing training, credit and facilities of backward and forward linkage to farmers and rural entrepreneurs, the Bank has established two more Farmers and Entrepreneurs Training Institutes at Banda (U.P.) and Dumka (Jharkhand) in addition to those existing at Hazaribagh (Ranchi), Rae Bareilly (UP), Bolpur (WB) and Debra (West Midnapore). The Bank has opened Financial Literacy and Credit Counselling Centres christened "Samadhan" at Kolkata and Banda (UP) to provide financial education and credit counselling to people having limited resources and skills.

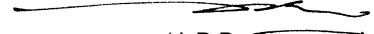
As your Bank is celebrating its 146th year of successful and meaningful existence, I salute the visionary founders and acknowledge the services rendered by many unsung heroes in building this edifice. I would be failing in my duty if I do not express my gratitude to my predecessor Shri K. R. Kamath for his valued contribution.

Finally, on behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank all share holders, customers, staff members, Board of Directors, Government of India and Reserve Bank of India for their continued support and encouragement at all times. I am confident that with patronage of well wishers, your Bank will continue to take strides on the profitable growth path and scale newer heights in future.

With warm regards,

Yours sincerely,

Kolkata
30th April 2010


(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

“एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 10 जून, 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीय कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106, में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी :

1. “यथास्थिति 31.03.2010 के बैंक के तुलन-पत्र तथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा, इस अवधि हेतु बैंक के कारोबार और गतिविधियों के सम्बन्ध में निदेशक मंडल के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण।”
2. इक्विटी शेयर पर लाभांश की घोषणा।
3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “योजना” कहा गया है) तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “विनियमन” कहा गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार महापात्र की डायरेक्टरशिप समाप्त होने के कारण रिक्त हुई आकस्मिक रिक्ति को बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से भरने हेतु एक शेयरधारक निदेशक को निर्वाचित करना तथा संशोधन सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

“यह संकल्प लिया जाता है कि श्री अशोक कुमार महापात्र की डायरेक्टरशिप समाप्त होने के कारण रिक्त हुई आकस्मिक रिक्ति के सापेक्ष शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से श्री _____ को बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाए और एतद्वारा निर्वाचित किया जाता है जो इस बैठक की तारीख के बाद की तारीख अर्थात् शुक्रवार 11 जून, 2010 से पद धारण करेंगे और 29 जून 2011 तक पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: कोलकाता

तारीख: 30.04.2010

(जे.पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, N.S.Road, Kolkata-700 001

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Thursday, the 10th June, 2010 at 10.30 A.M. at Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 to transact the following business (es) :-

1. “To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2010, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor’s Report on the Balance Sheet and Accounts.”
2. To Declare Dividend on Equity Shares.
3. To elect one Shareholders’ Director to fill the casual vacancy caused by the cessation of directorship of Shri Ashok Kumar Mohapatra, from amongst the shareholders of the Bank (other than Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the “Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act and to pass the following resolution with or without modification(s):-

“RESOLVED THAT Shri _____ be and is hereby elected as director of the Bank from amongst shareholders (other than Central Government) of the Bank against the casual vacancy caused by the cessation of directorship of Shri Ashok Kumar Mohapatra and to assume office from the date following the date of this meeting i.e. Friday, 11th June, 2010 and to hold office until 29th June 2011.

By order of the Board

Place : Kolkata

Date : 30-04-2010

(J. P. Dua)

Chairman & Managing Director

**महत्वपूर्ण तथ्यों को विनिर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण
(सूचना की मद सं. 3)**

मद सं.3

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ (संशोधन) कानून 2006 जो 25 सितम्बर 2006 से प्रभावी है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उन बैंकों के मामले में जहाँ शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से इतर) द्वारा धारित पूँजी चुकता पूँजी के 32 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक के शेयरधारक (केन्द्र सरकार से इतर) शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का निर्वाचन करेंगे। तदनुसार, योजना के अनुरूप शेयरधारक निदेशकों की तीन रिक्तियाँ 30 जून 2008 से श्री देवेश्वर कुमार कपिला, श्री अशोक कुमार महापात्र और श्री यशपाल महाजन को शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित कर तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 29 जून 2011 तक के लिए भरी गई। तदुपरांत, श्री यशपाल महाजन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नहीं रहे और श्री यशपाल महाजन की डायरेक्टरशिप समाप्त होने से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति पर डा. वसन्त बाबूराव कौजलगी को बैंक का निर्वाचित निदेशक माना गया। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सदस्य के रूप में नियुक्ति होने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार महापात्र ने बैंक की डायरेक्टरशिप से त्यागपत्र दे दिया और वे 26.06.2009 से बैंक के निदेशक के रूप में नहीं रहे। श्री अशोक कुमार महापात्र की डायरेक्टरशिप समाप्त हो जाने के कारण शेयरधारक निदेशक की एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है।

चूँकि बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी में केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों की होल्डिंग 44.77 प्रतिशत (अर्थात् 32% से अधिक) बनी हुई है, बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 23 मार्च, 2010 को आयोजित बैठक में शेयरधारक निदेशक की उपर्युक्त आकस्मिक रिक्ति को भरने का निर्णय लिया है।

इस आकस्मिक रिक्ति हेतु निर्वाचित निदेशक को इस वार्षिक आम बैठक की तिथि से अगली तिथि अर्थात् शुक्रवार 11 जून, 2010 से कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा और वे 29 जून 2011 तक पद पर बने रहेंगे।

नोट्स

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैंक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैंक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयर-धारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह बैंक के शेयर विभाग प्रधान कार्यालय, 2, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700 001 में बैठक की तिथि से **चार दिन** से अधिक विलम्ब से नहीं अर्थात् शनिवार, 05 जून, 2010 को कार्य समाप्ति या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बेटकें) विनियमन 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

**Explanatory Statements setting out the material facts
(Item No. 3)**

Item No. 3

The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking and Financial Institutions (Amendment) Laws 2006, which came into force w.e.f. 25th September 2006, inter alia provides that in case of Banks where the capital held by Shareholders (other than Central Government) is more than 32 per cent of the paid up capital, the shareholders of the Bank (other than the Central Government) would elect three Directors from amongst the shareholders. Accordingly, in terms of the Scheme, three vacancies in the post of Shareholders' Directors were filled effective from 30th June, 2008 by electing Shri. Deveshwar Kumar Kapila, Shri Ashok Kumar Mohapatra and Shri Yash Paul Mahajan as shareholders' directors for a term of three years i.e. upto 29 June 2011. Subsequently Shri Yash Paul Mahajan cease to be director of the Bank in terms of Banking Regulation Act, 1949 and Dr. Vasant Baburao Kaujalgı deemed to be elected director of the Bank in the casual vacancy caused by the ceassation of directorship of Shri Yash Paul Mahajan. Consequent upon his appointment as member Appellate Authority for Industrial & Financial Reconstruction (A.A.I.F.R), Ministry of Finance, Govt. of India, Shri A.K.Mohapatra resigned from the directorship of the Bank and ceased to be director of the Bank with effect from 26.6.2009. A casual vacancy of the shareholders' director has been caused due to ceassation of directorship of Shri Ashok Kumar Mohapatra.

As the holding of the shareholders other than the Central Government, in the total paid up share capital of the Bank continues to be 44.77 percent (i.e. above 32%), the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 23rd March, 2010 has decided to fill up the aforesaid casual vacancy of shareholders' director.

A Director so elected in the casual vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following the date of this Annual General Meeting i.e. from Friday, 11th June, 2010 and shall hold office until 29th June 2011.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e on or before the closing business hours of Saturday, 5th June, 2010. Please note that any employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैंक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति उस बैंक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता – 700001 में बैठक की तिथि से अधिकतम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 05 जून, 2010 को कार्यसमाप्ति या उससे पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैंक स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' का उल्लेख करें।

4. (क) शेयरधारकों के रजिस्टर का बन्द किया जाना :

आठवीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में और बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से बैंक के शेयर धारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण बहियाँ शनिवार, 15 मई, 2010 से बृहस्पतिवार, 10 जून 2010 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

(ख) निर्वाचन में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के अभिनिश्चय के प्रयोजनार्थ अभिलिखित तारीख

शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से ऐसे शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार होंगे जिनके नाम शुक्रवार, 14 मई, 2010 को कार्यसमाप्ति पर एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के हिताधिकारी स्वामी/शेयरधारकों के रजिस्टर में हैं।

5. लाभांश का भुगतान :

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

- शुक्रवार 14 मई, 2010 को यथास्थिति कार्य समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे शेयरों के संबंध में एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. द्वारा तैयार किए गए हिताधिकारी स्वामियों, की सूची में, या
- भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के सापेक्ष 14.05.2010 को कार्य समय की समाप्ति से पूर्व प्राप्त वैध अंतरण अनुरोध को प्रभावी करने के बाद शुक्रवार, 14 मई, 2010 को शेयरधारकों के रजिस्टर में होंगे।

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed had been deposited at the Head Office of the Bank with Share Department, Allahabad Bank, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e on or before the close of business hours on Saturday, 5th June, 2010. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum entry pass is annexed to the Annual Report; Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signature(s) at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representatives' as the case may be.

4. (a) CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain close from Saturday, 15th May, 2010 to Thursday, 10th June, 2010 (both days inclusive) in connection with the Eighth Annual General Meeting and for the purpose of determining the eligibility of the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

(b) RECORD DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL at the close of business hours on Friday 14th May, 2010 shall be entitled to participate in the election of Directors from amongst the shareholders (other than the Central Government).

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders whose names appear:

- as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, 14th May, 2010 as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form, or
- in the Register of shareholders as on Friday, 14th May, 2010 after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hour as on 14-05-2010.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट लाभांश घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात मे० एमसीएस लि. के माध्यम से उनके पंजीकृत पत्तों पर भेजे जाएंगे।

6. अदत्त/अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी धनराशि जब ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि हेतु अदत्त/अदावाकृत रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी(1) के अंतर्गत स्थापित “निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि” में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार वर्ष 2002-03 और उसके बाद के लाभांश इन्हें अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्षों के बाद “निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि” में अंतरित किए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2008-09 तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मै. एमसीएस लिमिटेड के पास वैध दावा(दावे) दाखिल करें।

7. लाभांश अथवा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस : (एनईसीएस) हेतु बैंक का अधिदेश

7.1 वारंटों के कपट-पूर्ण नकदीकरण से निवेशकों की रक्षा करने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है तो वे जहाँ पर नकदीकरण हेतु डिविडेन्ड वारंट जमा करना चाहते हैं वहाँ के बैंक खाता संख्या (चालू/बचत), बैंक का नाम और शाखा का उल्लेख करें।

इन विवरणों को लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से पर नाम के साथ-साथ मुद्रित किया जाएगा ताकि इन वारंटों को शेयर धारक से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न भुनाया जा सके।

उपरोक्त विवरण प्रथम / एकल धारक द्वारा सीधे कोलकाता स्थित शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किये जाएंगे जिसमें फोलियो संख्या, रखे गए शेयरों की संख्या, होल्डिंग का विवरण आदि दिया जाएगा।

7.2 बैंक इलेक्ट्रॉनिक विधि से लाभांश के भुगतान हेतु बैंक के शेयरधारकों को एनईसीएस सुविधा उपलब्ध करा रहा है। एनईसीएस के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में सीधे लाभांश जमा करने हेतु शेयरधारक का खाता केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा और एनईसीएस सुविधा वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे प्राप्त होने वाले लाभांश को अपने-अपने बैंक खाते में सीधे जमा करवाने हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) में अपने बैंक खाते को अद्यतन करा लें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने बैंक खाते में सीधे जमा द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ईसीएस मंडेट प्रस्तुत कर सकते हैं।

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through the Registrar and Share Transfer Agents viz. M/s. MCS Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to “Investor Education and Protection Fund” established under section 205C (1) of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the dividend for the year 2002-03 and onward will be transferred to “Investor Education and Protection Fund” after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2008-09 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent M/s MCS Ltd.

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

7.1 In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the members are requested to furnish their Bank Account Number (Current/Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever dividend is declared by the Bank.

These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholders, so that these warrants cannot be encashed by anyone other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Share Transfer Agents at Kolkata, quoting the folio number, number of Shares held, details of the holdings etc.

7.2 The Bank is offering the facility of NECS to the shareholders of the Bank for payment of dividend through electronic mode. For credit of dividend directly to the Bank account of the shareholders through NECS the Bank Account of the shareholder should be with a Centralized Banking Solution (CBS) and NECS enabled Branch of Bank.

The shareholders holding shares in electronic form are therefore requested to get their Bank Account updated with their Depository Participants (DPs) for receiving the dividend by direct credit in their Bank Account.

The shareholders holding shares in Physical form may submit the ECS mandate duly signed by the First/Sole holder for receiving the dividend by direct credit in their Bank Account.

8. शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

8.1 बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ

अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार किसी ऐसे उम्मीदवार को जो बैंक का शेयरधारक हो और जो बैंक का निदेशक होना चाहता हो-

(क) निम्नलिखित विषय में से किसी एक या अधिक से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, यथा:

कृषि एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, कोई अन्य विषय जिसमें विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है।

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए : या

(ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार किसी ऐसे उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक बनने की इच्छा करता हो, को, ईमानदारी एवं इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य मानदंड के आधार पर “पात्र एवं समुचित हैसियत” प्राप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र का विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

8.2 बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्हताएं

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक होने एवं निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा :

(क) यदि किसी भी समय वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा

(ख) यदि वह विकृत चित्त का पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(ग) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गस्त हो, अथवा

(घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) खंड (ड) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो एवं,

यदि वह, भारतीय रिज़र्व बैंक - डीपीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 एवं डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार “पात्र एवं समुचित” नहीं पाया जाता हो।

8. ELECTION OF SHAREHOLDERS' DIRECTOR

8.1 QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall:-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

agriculture and rural economy, Banking, Co-operation, Economics, Finance, Law, Small Scale Industry, any other matter the special knowledge and practical experience of which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'fit and proper status' based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

8.2 DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director :

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act 1959 except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and,

If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DPOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1.11.2007.

8.3 निदेशकों की पदावधि

इस योजना के खंड 11बी(2) के अनुसरण में आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचित निदेशक अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की असमाप्त अवधि तक पद धारण करेगा और तदनुसार इस बैंक में निर्वाचित निदेशक 29 जून, 2011 तक के लिए पदधारित करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए हकदार होगा।

परन्तु, यह कि ऐसे निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगातार पद धारित नहीं करेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3आ) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9(3अ) एवं 9(3अअ) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले निर्वाचित किसी निदेशक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन अपने पद से हटा सकता है।

8.4 निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) किसी निदेशक के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक-
- (क) वह एक ऐसा शेयरधारक है जो शुक्रवार 14 मई, 2010 यानी निर्वाचन में भाग लेने की अभिलिखित तारीख को बैंक के न्यूनतम 100 शेयर धारित नहीं करता है;
- (ख) शुक्रवार 14 मई, 2010 को वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के अधीन निदेशक बनने के लिए अनर्ह है;
- (ग) नामांकन लिखित रूप में नहीं है और उस पर कम से कम एक सौ ऐसे शेयरधारकों के हस्ताक्षर नहीं हैं जो इस अधिनियम के अधीन स्वयं या सम्यक रूप से नियत अपने अटर्नियों द्वारा निदेशकों का निर्वाचन करने के हकदार हैं, परन्तु यह कि यदि शेयरधारक कोई कंपनी हो तो उसके द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त संकल्प की एक ऐसी सत्य प्रति महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700 001 को संबोधित कर बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था तथा ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा,
- (घ) नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा संलग्न या अंतर्विष्ट नहीं है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन में खड़ा होने को इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या उक्त योजना या उक्त विनियम के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित उनका व्यक्तिगत विवरण (जीवनवृत्त) तथा इस संबंधी पुष्टीकरण, कि, प्रस्तुत किए गए विवरण उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं एवं साथ ही, एतद् संबंधी उनकी घोषणा कि वह जहां तक संभव है, ऐसी घोषणा के बाद भी दी हुई जानकारीयों के संबंध में बैंक को पूर्णतः सूचित करता रहेगा।

8.3 TENURE OF DIRECTOR

Pursuant to Clause 11B(2) of the Scheme, a Director elected to fill the casual vacancy shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor and accordingly the director elected in this meeting shall hold office upto 29th June 2011 and shall be eligible for re-election.

Provided that such Directors shall not hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and 9 (3AA) of the said Act.

8.4 NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless:
 - (a) He is a shareholder holding not less than 100 Shares of the Bank as on Friday, 14th May, 2010 being the cut off Date for participating in the election.
 - (b) As on Friday, 14th May, 2010 he is not disqualified to be Director under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 or under the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970;
 - (c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorneys, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/ deposited to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (F&A), Allahabad Bank, Share Department & Investors' Grievance Cell, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
 - (d) The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified under the said act or the said scheme or the said regulation from being a director. His/Her personal details (bio data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

8.5 शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को निर्वाचन लड़ने में समर्थ बनाने के लिए इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के विनियमन 64 में यथाउल्लिखित शेयरधारकों की एक सूची (इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी सीडी में) कोलकाता में इलाहाबाद बैंक के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट द्वारा रु.50,000/- का भुगतान करके शेयरधारकों द्वारा खरीदे जाने के लिए मंगलवार दिनांक 18 मई, 2010 से इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001 शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष में उपलब्ध रहेगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर निरीक्षण हेतु इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700 001 में सभी कार्य-दिवस को मंगलवार 18 मई, 2010 से खुले रहेंगे। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर या उसके किसी भाग की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की अपेक्षा करता है तो अपेक्षित प्रति के प्रत्येक 1000 शब्द या उसके भाग के लिए रु.5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर उसकी आपूर्ति उसे की जाएगी।

8.6 नामांकन फॉर्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्नक फॉर्मेट में अपने नामांकन फॉर्म (न्यूनतम 100) तथा घोषणा एवं संबंधित दस्तावेज अर्थात् शंसापत्र यथा - जीवनवृत्त, प्रमाणपत्र आदि महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), शेयर विभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700001 के पास असाधारण सामान्य बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी भी कार्य-दिवस को यानी, बुधवार, 26 मई, 2010 को या उसके पूर्व कार्य-समय की समाप्ति के पहले प्रस्तुत करने चाहिए। उक्त नामांकन फॉर्म सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और इस सूचना के साथ संलग्न फॉर्मेट न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा सम्यक् रूप से भरे जाने चाहिए तथा इसमें चूक होने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है।

8.7 नामांकन की संवीक्षा

- (i) नामांकन की संवीक्षा बृहस्पतिवार, 27 मई, 2010 को यानी नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो कारण अभिलिखित करने के बाद उसे रद्द कर दिया जाएगा।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 01 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए “फिट एंड प्रापर” मार्गनिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा नामांकनों की संवीक्षा भी की जाएगी।
- (iii) यदि निर्वाचन से भरी जाने वाली आकस्मिक रिक्ति हेतु केवल एक(1) वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा वशतः वह नामांकन वापस लेने के अंतिम तारिख तक अपना नामांकन वापस नहीं लेता है। इस स्थिति में निर्वाचित निदेशक का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा।

8.5 LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., C.D.) as mentioned in Regulation 64 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999 will be available at Share Department & Investors Grievance Cell, Head Office, Allahabad Bank 2, Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001 from Tuesday, 18th May, 2010 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- by demand draft in favour of Allahabad Bank payable at Kolkata.

The Register of Shareholders will remain open for inspection at the Allahabad Bank, Share Department & Investors' Grievance Cell, Head Office 2, Netaji Subhas Road Kolkata – 700 001 on all working days commencing from Tuesday, 18th May, 2010. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment of Rs. 5/- for every 1000 words or part thereof required to be copied/printed.

8.6 SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, (other than the Central Government) should submit their Nomination Forms (a minimum of 100) in the format annexed to this Notice along with the declaration form and connected documents such as testimonials viz., Bio data, certificates etc., to the General Manager (F&A), Allahabad Bank, Share Department & Investors Grievance Cell, Head Office, at 2, Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001 on any working day but not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the close of Business hours of the Bank on Wednesday, 26th May, 2010. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 shareholders in the format annexed to this notice, failing which, the nominations are liable to be rejected.

8.7 SCRUTINY OF NOMINATIONS

- (i) Nominations shall be scrutinized on Thursday, 27th May, 2010 the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- (ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 1st November 2007 issued by the Reserve Bank of India.
- (iii) If there is only one (1) valid nomination for the casual vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith provided he does not withdraw his nomination upto the last date fixed for withdrawal of the nomination. In such a case his name and address shall be published as so elected and there shall not be any election at the meeting.

- (iv) कोई निर्वाचन होने की दशा में अथवा यदि निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकन की संख्या अधिक हो तो उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत होगा, वे निर्वाचित होंगे।
- (v) निर्वाचित निदेशक के बारे में यह माना जाएगा कि उसने शुक्रवार, 11 जून, 2010 को पदग्रहण कर लिया है।
- (vi) कोई विवाद होने पर उसका निपटान इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के विनियमन 67 के अनुसार किया जाएगा।

8.8 नामांकन को वापस लिया जाना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बुधवार, 2 जून, 2010 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय ऐसा करने का हकदार होगा।

8.9 मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

8.10 प्रासंगिक अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि से उद्धरण

प्रासंगिक अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि से उद्धरण संलग्न किए गए हैं और इस सूचना का भाग हैं।

9. बैंक के शेयरों का लेनदेन अनिवार्यतः डिमैटीरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में किया जाना :

सेबी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में हमारे बैंक के शेयरों का लेनदेन डिमैट रूप में करना सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य है।

बैंक के शेयरों के डिमैटीरियलाइजेशन हेतु बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लि. (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी.डी.एस.एल.) के साथ जारीकर्ता कम्पनी के रूप में करार किया है।

डिमैटीरियलाइजेशन हेतु अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों को भेजे जा सकते हैं।

10. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

i) 01.04.2009 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	—	6686
ii) वर्ष 2009-10 के दौरान लाभार्थी के खाते में अंतरित शेयर	—	2225
iii) 31.03.2010 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	—	4461

बकाया/अदावी शेयरों के संबंध में मताधिकार पर जायज स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक रोक लगी रहेगी।

- (iv) In the event of an election being held or if valid nominations are more than the number of Director to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and the candidate polling the majority of the votes at the meeting shall be elected.
- (v) Director so elected shall be deemed to have assumed office from Friday, 11th June, 2010.
- (vi) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999.

8.8 WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so, at any time prior to close of Business hours of the Bank on Wednesday, 2nd June, 2010.

8.9. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

8.10 EXTRACT OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS

The extract of relevant Acts, Scheme, and Regulations are annexed to and form part of this Notice.

9. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors.

The bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

10. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

i) Shares outstanding/unclaimed as on 01-04-2009	-	6686
ii) Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2009-10	-	2225
iii) Shares outstanding/unclaimed as on 31-03-2010	-	4461

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

11. तुलनपत्र की प्रतियाँ :

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ अपने साथ लेकर आएँ जो उन्हें बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं।

12. शेयरधारकों की शंकाएँ :

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयर धारक समय रहते अपनी शंकाएँ प्रस्तुत करें ताकि बैंक को उनका प्रभावी उत्तर देने में आसानी हो।

13. शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण/ट्रांसमिशन हेतु अनुरोध करने और लाभांश भुगतान से संबंधित मामलों के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्न पते पर संपर्क करें।

मे० एमसीएस लिमिटेड (यूनिट-इलाहाबाद बैंक)

77/2ए, हाजरा रोड

कोलकाता - 700 029

दूरभाष : 033-2454-1892, 033-2454-1893

फैक्स : 033-2454-1961

ई-मेल : allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

14. ऑनलाइन जानकारी /शिकायतों के लिए बैंक के शेयर धारक मे० एमसीएस लिमिटेड की वेबसाइट www.mcsdel.com पर लॉग-इन कर सकते हैं तथा अपनी जानकारी /शिकायतों के पंजीकरण हेतु इन्वेस्टर सर्विसेस पर क्लिक कर सकते हैं।

15. शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, एन.एस.रोड, कोलकाता - 700 001
दूरभाष : 033-22420899
फैक्स : 033-22107424
ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in

The General Manager (F&A)
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata- 700 001
Telephone No. 033-22420899
Fax No. 033- 22107424
E-mail - gmfa@allahabadbank.in

11. COPIES OF BALANCE SHEET

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

12. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

13. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENT

Shareholders are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) and the matters related to payment of dividends at the following address:-

M/s. MCS Limited (Unit : Allahabad Bank)

77/2A, Hazra Road

Kolkata-700 029

Tel : 033-2454-1892, 033-2454-1893

Fax: 033-2454-1961

E-mail: allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

14. For on line queries/grievance, shareholders of the Bank may login on the website of M/s. MCS Limited i.e www.mcsdel.com and click on investor services to register their queries/grievance, if any.

15. In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

कंपनी सचिव
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय
2, एन.एस.रोड, कोलकाता - 700 001
दूरभाष : 033-22420878
फैक्स : 033-22107424
ई मेल - investors.grievance@allahabadbank.in

The Company Secretary
Share Deptt. & Investors' Grievance Cell
Head Office
2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001
Telephone No.033-22420878
Fax No. 033- 22107424
Email-investors.grievance@allahabadbank.in

16. अन्य सूचना :

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.04.2010

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

16. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board

Place : Kolkata
Date : 30-04-2010

(J.P. Dua)
Chairman & Managing Director

सुसंगत अधिनियमों, योजना एवं विनियमों आदि से उद्धरण-निदेशकों का निर्वाचन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप-धारा (2आ) के अधीन जारी पूंजी के परिमाण के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की सुसंगत धाराओं तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के सुसंगत विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के सुसंगत धाराएं

सामान्य निदेशकों का प्रतिषेध

धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक हो।

ऋण एवं अग्रिम पर निर्बंधन

धारा 20

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी -
 - (क) अपने शेयर की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या
 - (ख) निम्नलिखित को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई अभिबंधन नहीं करेगी -
 - i) अपने किसी निदेशक को,
 - ii) किसी ऐसी फर्म को जिसमें उसके किसी निदेशक का हित भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हो, या
 - iii) किसी ऐसी कंपनी को जो किसी बैंककारी कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी की अनुषंगी न हो या किसी ऐसी सरकारी कंपनी को (या धारक कंपनी की अनुषंगी को) जिसका कोई निदेशक किसी बैंककारी कंपनी का निदेशक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, अथवा
 - iv) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी बाबत इसका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।
- 2) यदि किसी बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया था उस तारीख को उप-धारा (1) का खंड (ख) प्रवृत्त रहता तो उक्त ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए अभिबंधन हुआ रहता (या बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ होने के बाद परंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिबंधन के अनुसरण में बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया जाता है तो बैंककारी कंपनी को देय उक्त ऋण या अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की, यदि कोई हो, वसूली ऋण या अग्रिम की मंजूरी के समय निर्धारित अवधि के भीतर या यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व करने के लिए कार्यवाई की जाएगी; परन्तु यह कि भारतीय रिजर्व बैंक को यदि बैंककारी कंपनी से लिखित रूप में इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होता है तो वह ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को एक

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant Sections of the Banking Regulations Act 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and the relevant Regulations of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

RELEVANT SECTIONS OF THE BANKING REGULATION ACT 1949

Prohibition of Common Directors

Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances

Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of -
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the

निश्चित तारीख तक बढ़ा सकेगा परंतु ऐसी तारीख उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से परे की कोई तारीख नहीं होगी और वह ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे:

परन्तु यह और कि यदि बैंकिंग कंपनी के संबंधित निदेशक का पद उसकी मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदत्याग के कारण या अन्यथा खाली होता है तो यह उप-धारा लागू नहीं होगी।

- 3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई विप्रेषण शून्य एवं अप्रभावी होगा।
- 4) जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा देय किसी ऋण या अग्रिम का भुगतान उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी को नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, यदि यह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक हो, उक्त तारीख को उसका पद रिक्त किया गया समझा जाएगा।

इस धारा से संबंधित स्पष्टीकरण

- (क) "ऋण या अग्रिम" पद में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक लेनदेन के स्वरूप को, उस अवधि को जिसके भीतर और उस रीति एवं परिस्थितियों को जिनमें लेनदेन के कारण देय किसी राशि की उगाही की जाने की संभावना हो तथा जमाकर्ताओं के हित एवं अन्य सुसंगत प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट न करें:
- (ख) "निदेशक" पद में प्रबंध के प्रयोजनार्थ या उसके सभी या किन्हीं मामलों में सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी बैंककारी कंपनी द्वारा गठित भारत में किसी बोर्ड या समिति का कोई सदस्य शामिल है।
- 5) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाएगा और तत्संबंधी उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, के सुसंगत धाराएं

मतदान अधिकार का निर्बन्धन

धारा 3(2ड०)

केन्द्र सरकार से भिन्न समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत समरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3)

यदि धारा 3 की उप-धारा (2आ) के खंड (ग) के अधीन जारी पूंजी-

- i) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अनधिक है तो एक निदेशक से अनधिक,
- ii) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अनधिक है तो दो निदेशक से अनधिक,

Banking Company in this behalf, extend the period of the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

2. RELEVANT SECTIONS OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E)

No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9(3)

Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than one Director,
- (ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, not more than two Directors,

- iii) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशक से अनधिक,

का निर्वाचन केन्द्र सरकार से भिन्न निदेशकों द्वारा अपने में से किया जाए।

परन्तु यह है कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 की शुरुआत को या उससे पूर्व समरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या, उप खंड (I) या उप खंड (II) या उप खंड (III), जैसा कि मामला हो, में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो तो ऐसी शुरुआत के पहले निर्वाचित अधिक संख्या के निदेशक योजना में यथानिर्धारित प्रकार के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे तथा वे कार्यालय अवधि से इस समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9(3अ)

उक्त खंड (i) के अधीन निर्वाचित निदेशक को -

(अ) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए यथा- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समरूप नये बैंक के लिए उपयोगी हो।

(आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करे : अथवा

(इ) कृषकों, कामगारों, एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करे।

धारा 9(3अअ)

उप धारा 3(अ) के बिना पूर्वाग्रह के एवं अधिनियम या वर्तमान में प्रचलित अन्य कानूनों में निहित किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार तब तक निदेशक के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकेगा जब तक वह अपने पूर्ववृत्त, सत्यनिष्ठा तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य मानदंड के आधार पर 'पात्र एवं समुचित हैसियत' प्राप्त व्यक्ति न हो।

धारा 9(3आ)

भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा (3अअ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'पात्र एवं समुचित हैसियत' निर्धारित करने के प्राधिकार, ऐसे प्राधिकार का स्वरूप, ऐसे प्राधिकार के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा अन्य ऐसे मामले जैसा कि आवश्यक समझे गए हों या उससे प्रासंगिक हों विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

धारा 9(3आ)

जब भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी समरूपी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को उसके पद से हटा सकता है और इस प्रकार उसे पद से हटाने के बाद उसके स्थान पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक के रूप में उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तब तक सहयोजित करेगा जब तक अगली वार्षिक सामान्य बैठक के समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक् रूप से निदेशक का निर्वाचन नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

- (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three Directors,

to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) & Financial institutions Laws (Amendment) Act 2006, in corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub clause (I) or sub clause (II), or sub clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of their term of office.

Section 9(3A)

The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely - agriculture and rural economy, Banking, Co-operation, Economics, Finance, Law, Small scale industry, Any other matter the special knowledge of, and practical experience of which would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9 (3AA)

Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other laws for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9 (3AB)

The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9 (3B)

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) of section (9) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में बाध्यता :

धारा 13(2)

प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा-परीक्षक, सलाहकार समरूपी नए बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कार्यभार संभालने के पूर्व तृतीय अनुसूची में उपवर्णित फॉर्म में विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970, के सुसंगत खंड

निर्वाचित निदेशक की पदावधि

खंड 9 (4) :

कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा और पुनर्निर्वाचित किए जाने का हकदार होगा : परन्तु ऐसा कोई निदेशक छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए लगातार पद धारित नहीं करेगा।

निदेशकों की अनर्हता :

खंड 10 :

कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अनर्ह होगा -

- (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता किया हो: अथवा
- (ख) यदि वह विकृत चित्त का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो: अथवा
- (ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गस्त हो:
- (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक, निदेशक, प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो।

निदेशक के पद का परित्याग

खंड 11 :

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन होता है या निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से अधिक में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है और तत्पश्चात् उसका पद खाली हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) अथवा खंड (घ) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा कोई पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है तथा सरकार द्वारा ऐसे पदत्याग को स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है, तथा कोई अन्य निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है और ऐसा पदत्याग केन्द्र सरकार द्वारा पदत्याग संबंधी पत्र की पावती पर प्रभावी होगा।

Obligation as to Fidelity and Secrecy

Section 13(2)

Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Adviser, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. RELEVANT CLAUSES OF THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME 1970

Terms of office of elected Director

Clause 9 (4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director :-

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. यदि निर्वाचित निदेशक से भिन्न किसी निदेशक का पद खाली होता है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खंड 11 अ :

केन्द्र सरकार के भिन्न आधे से अधिक शेयर पूंजी धारित करने वाले शेयरधारक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (1) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकते हैं और उक्त रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के खाली पद को भरा जाना

खंड 11 आ :

- (1) किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कोई रिक्ति होने पर उक्त रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि रिक्ति की अवधि छह माह से कम होने की संभावना है तो उक्त रिक्ति शेष निदेशकों से भरी जा सकती है।

- (2) उप-खंड (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के असमाप्त अंश के लिए पद धारित करेगा।

निदेशकों द्वारा अपने हित का प्रकटीकरण

खंड 12 (8) :

यदि कोई निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंध रखता है या उसमें उसका हित है तो सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के बाद यथासंभव शीघ्र वह अपने हित के स्वरूप का प्रकटीकरण निदेशक मंडल के समक्ष करेगा तथा वह निदेशक मंडल की उस बैठक में जिसमें ऐसी किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाता है, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक उससे जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा न की जाए तथा जिस निदेशक की उपस्थिति की इस प्रकार अपेक्षा की जाती है वह किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर अपना मत नहीं देगा परन्तु, यह कि इस उप-खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर लागू नहीं होगी यदि वह केवल :

- i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में दो प्रतिशत से अनधिक प्रदत्त पूंजी धारित करने वाला कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) हो जिसके साथ या जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, अथवा
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जो निदेशक (अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) या खंड (च) में यथाविनिर्दिष्ट) हो।

इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 1999 के सुसंगत विनियमन

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग करना/ सामान्य बैठकों में मतदान

3. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director

Clause 11B

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors

- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being :

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the nationalized Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

RELEVANT REGULATIONS OF ALLAHABAD BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 1999

Exercise of rights of joint holders / Voting at general meetings

विनियमन 10 :

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर हो तो जहाँ तक मतदान करना, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस जारी करना, बैंक से संबंधित किसी भी अन्य मामलों में, शेयरों के अंतरण को छोड़कर, रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाए।

सामान्य बैठकों में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक

विनियमन 63 :

- i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन किसी बैंक की सामान्य बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन केन्द्र सरकार से भिन्न ऐसे शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से किया जाएगा जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है।
- ii) यदि किसी सामान्य बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो तो उसकी सूचना बैठक के आयोजन संबंधी सूचना में शामिल की जाएगी, ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या एवं उन रिक्तियों के विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी बाबत निर्वाचन किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियमन 64 :

- i) इन विनियमों के विनियमन 63 के उप-विनियमन (i) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रजिस्टर में उल्लिखित ऐसे शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक निर्वाचित किया जाना है।
- ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्ट्रीकृत पते, उनके द्वारा धारित एवं द्योतित शेयरों की संख्या, शेयरों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और ऐसे मतों की संख्या अंतर्विष्ट रहेगी जिन्हें वे निर्वाचन के लिए नियत तारीख को बैठक में देने के हकदार होंगे तथा उक्त सूची की प्रतियाँ बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निदेशक मंडल या प्रबंध समिति द्वारा नियत मूल्य पर प्रधान कार्यालय में आवेदन पर विक्रय के लिए उपलब्ध होंगी।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियमन 65 :

- i) निदेशक के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि -
 - (क) वह बैंक के 100 शेयर धारित करने वाला कोई शेयरधारक न हो,
 - (ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को इस अधिनियम या इस योजना के अधीन निदेशक होने के लिए निरहित न होता हो :
 - (ग) उसने शेयर मांग की राशि के भुगतान के लिए नियत अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपने द्वारा धारित बैंक के शेयरों की बाबत शेयर मांग की सभी राशि का भुगतान अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से नहीं कर दिया है :
 - (घ) नामांकन लिखित रूप से नहीं है और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटर्नी के हस्ताक्षर नहीं है : परंतु यह कि यदि शेयर धारक कोई कंपनी हो तो उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में यह पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प

Regulation 10 :

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at General meeting

Regulation 63

- (i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (ii) Where any election of Directors to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the share are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65 :

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect the Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall

की एक सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी तथा उक्त प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा:

(ङ) किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का कोई घोषणा-पत्र नामांकन के साथ संलग्न नहीं किया जाता है या उसमें अंतर्विष्ट नहीं रहता है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा या तो इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने से अनर्ह नहीं है।

ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह सभी संबद्ध दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में किसी कार्य-दिवस को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो।

नामांकन की संवीक्षा

विनियमन 66

- i) नामांकन की संवीक्षा प्राप्ति के लिए नियत तारीख के प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई सूचना वैध नहीं पाई जाती है तो कारण अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी विशेष रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि बैठक एक मात्र उपर्युक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- ii) निर्वाचन होने की दशा में यदि वैध नामांकन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत पड़े हों उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उस तारीख के बाद की तारीख को पद ग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वह निर्वाचित किया जाता है या किया गया समझा जाता है।

निर्वाचन संबंधी विवाद

विनियमन 67 :

- i) यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित समझे गए या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार एवं हितबद्ध कोई उम्मीदवार या शेयरधारक ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से सात दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकेगा/सकेगी और उक्त सूचना में निर्वाचन की वैधता पर संदेह या विवाद करने के आधार पर पूरा ब्योरा देगा/देगी।
- ii) उप विनियम (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को एक ऐसी समिति को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा जो अध्यक्ष एवं प्रबंध

be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

(e) the nomination accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or Assurance or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66 :

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of nomination and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulation 67

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or

निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित किन्हीं दो निदेशक से मिलकर बनेगी।

- iii) उप विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, अथवा यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर नया निर्वाचन कराने सहित ऐसा आदेश पारित करेगी एवं ऐसे निदेश देगी जैसा उन परिस्थितियों में समिति को उचित लगे।

- iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश एवं निदेश निश्चायक होंगे।

अध्याय VI

शेयर धारकों के मत देने के अधिकार

मत देने के अधिकार का निर्धारण

विनियमन 68 :

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ड०) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन किसी सामान्य बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर बंद किए जाने की तारीख को ऐसे शेयरधारक को, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जाने वाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3 (2ड०) दिन के उपबंधों के अध्याधीन यथापूर्वोक्त रूप में मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक ऐसे शेयरधारक को, जो कंपनी न हो और व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी हो और सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो, उपविनियमन (i) में जैसा इसके ऊपर कथित है, हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जाने वाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- स्पष्टीकरण - इस अध्याय में “कंपनी” से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है**
- (iii) किसी सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान होने एवं मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर अपने परोक्षी के रूप में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह कोई शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक होगा परंतु इस प्रकार किसी परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियमन 69 :

- (i) कोई शेयरधारक चाहे वह केन्द्र सरकार या कोई कंपनी हो, संकल्प द्वारा यथास्थिति अपने किन्हीं अधिकारी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में “सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि” के रूप में विनिर्दिष्ट) केन्द्र सरकार या कंपनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार का प्राधिकार अनुकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है

in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of section 9 of the Act.

- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and given such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Chapter VI

Voting Rights of Shareholders

Determination of voting rights

Regulation 68 :

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provision in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulation 69

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government of the Company which he represents as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a

और ऐसी दशा में उनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार कंपनी के सम्यक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।

- ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा जब तक सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति संबंधी संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बैठक के लिए नियत तारीख से कम चार दिन पूर्व जमा न की गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं 46/29.39.001/2007-08 एवं डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007

भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नवत अधिसूचित किया है :-

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई नामांकन समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली “ फिट एंड प्रॉपर” हैसियत पत्र के बिना कोई भी नामांकन वैध नहीं होगा। नामांकन के उम्मीदवार से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा विशेषज्ञता क्षेत्र, पूर्ववृत्त व सत्यनिष्ठता संबंधी अतिरिक्त जानकारियाँ संलग्न की जानी चाहिए ताकि नामांकन समिति उम्मीदवार के “फिट एंड प्रॉपर” की हैसियत पर निर्णय ले सके। किसी भी प्राधिकारी / विनियामक एजेंसी की प्रतिकूल नोटिस या दिवालियापन या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण चुकौती में चूक, संबंधित उम्मीदवार को बोर्ड के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने में अयोग्य एवं अनुपयुक्त बना देंगे।

duly authorized representative of the Central Government /Company.

- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November 2007

The Reserve Bank of India has notified as under :-

No nomination shall be valid unless ‘Fit and Proper’ status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2 एन. एस. रोड, कोलकाता 700 001

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती

निवासी.....एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि,

- क. मैं दिनांक 14 मई, 2010 को (कार्यसमय की समाप्ति पर) यानी निर्वाचन में भाग लेने की अभिलिखित तारीख को बैंक के इक्विटी शेयर धारित करने वाला/वाली शेयर धारक हूँ, और
- ख. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, या का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3अ की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ जिसके प्रमाण स्वरूप एतद्वारा संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ और
- ग. मैं(संख्या) नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ तथा
- घ. मैं इलाहाबाद बैंक के निदेशक के निर्वाचन के लिए इच्छुक हूँ, एवं
- ङ. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1999 के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं हूँ
- च. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ और न ही उसका कोई कर्मचारी हूँ।
- छ. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता/करती हूँ जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं।
- ज. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं बैंक को उन घटनाओं से, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के तदनंतर घटित हों, जो यहाँ दी गई सूचनाओं तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन संबंधी प्रतिज्ञा-पत्र विलेख को निष्पादित करने हेतु संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करता रहूँगा / करती रहूँगी।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं हो)	
डी पी आईडी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
क्लाइंट आईडी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
स्थान	
तारीख	

* किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर (जो लागू न हो उसे काट दें।)

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई।

* दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं मुहर



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2 NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001

Declaration

I,son/daughter/wife of Shri/Smt.
.....resident of hereby confirm that :

- I am a shareholder holding.....equity shares of the Bank on 14th May, 2010 (close of Business Hours) i.e. the cut off date for participating in the elections, and
- "I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or.....(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- I accept the nominations numbering.....and
- I am willing to contest for the election of Director of Allahabad Bank, and
- I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations 1999.
- I neither hold any office of profit nor on an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959.
- I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

***Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Allahabad Bank or any Nationalized Bank.
(Delete whichever is not applicable.)**

The above declaration signed before me

***Signature & Seal with date**

उम्मीदवार के जीवनवृत्त हेतु प्रारूप

क्रम सं.	विवरण	
I	उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण	
1	उम्मीदवार का पूरा नाम	
2	पिता का पूरा नाम	
3	जन्म तिथि	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	टेलीफोन एवं फैक्स नंबर ई मेल आईडी	
7	स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा उस आयकर परिमंडल का नाम व पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणी दायर की जाती है (पैन एवं दायर की गई आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	शैक्षणिक योग्यताएँ (कृपया अर्हता के प्रमाणस्वरूप स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
9	संगत पृष्ठभूमि एवं अनुभव (कृपया पृष्ठभूमि / एवं अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
10	संगत ज्ञान एवं अनुभव (कृपया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम,1970) की धारा 9 (3-अ) का संदर्भ लें) कृपया ज्ञान एवं अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करें	
11	अन्य कोई सूचना, जो उम्मीदवार प्रस्तुत करना चाहता हो	
II	उम्मीदवार के संगत रिश्ते	
12	उम्मीदवार के उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची 1 ए के अनुसार)	
13	उन कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार रुचि रखता हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क); धारा 300 एवं बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 20 का संदर्भ लें)	
14	कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) की परिभाषा के अंतर्गत पर्याप्त रुचि धारित करता हो	
15	बैंक(कों) का नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है या रहा है (धारित पद की अवधि का विवरण दें)	
16	बैंक से उम्मीदवार द्वारा या उपर्युक्त कॉलम 12 व 13 में दी गई किसी कंपनी द्वारा वर्तमान में उपभुक्त निधि एवं गैर-निधि सुविधाएँ , यदि कोई हो	
17	ऐसे मामले , यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार या कॉलम 12 व 13 में दी गई कंपनियाँ, हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूककर्ता रहे हैं /चूककर्ता हैं	

FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

Sl. No.	Particulars	
I.	Personal Details of the Candidate	
1	Full Name of the Candidate	
2	Father's Name in Full	
3	Date of Birth	
4	Permanent Address	
5	Present Address	
6	Telephone & Fax Number Email id	
7	Permanent Account Number (PAN) and name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to be attached).	
8	Educational Qualifications (please attach self attested certificates evidencing the qualification).	
9	Relevant background and Experience (Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience).	
10	Relevant Knowledge and Experience (Please refer section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking Act, 1970) Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience).	
11	Any other information which the candidate desires to furnish	
II	Relevant Relationships of the Candidate	
12	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956).	
13	List of entities in which the candidate is considered as being interested (Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949.	
14	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act 1949.	
15	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held).	
16	Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank.	
17	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution.	

III	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
18	उम्मीदवार की व्यावसायिक योग्यताएँ	
IV	उम्मीदवार के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो	
19	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो कृपया उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित या शुरु की गई या पूर्व में दोषसिद्ध में परिणत अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण या क्या उम्मीदवार को कभी किसी व्यवसाय / रोजगार में प्रवेश लेने से रोका गया है ।	
20	आर्थिक विधि एवं विनियम का उल्लंघन करने हेतु उम्मीदवार के विरुद्ध एवं /या कॉलम 12 व 13 में दी गई कंपनियों में से किसी के विरुद्ध लंबित या शुरु किए गए या दोषसिद्ध में परिणत अभियोग,यदि कोई हो का विवरण	
21	निदेशक के विरुद्ध पूर्व में शुरु किए गए या लंबित या दोषसिद्ध में परिणत आपराधिक अभियोग का विवरण ।	
22	क्या उम्मीदवार को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य करार दिया जा सकता है	
23	क्या उम्मीदवार या उक्त कॉलम 12 व 13 में दी गई कंपनियों में से किसी के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर कोई जाँच की गई ?	
24	क्या उम्मीदवार कभी नियमों/ विनियमों / सीमा / उत्पाद/ आयकर/विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्राधिकारियों की वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें ।	
25	क्या उम्मीदवार या उक्त कॉलम 12 एवं 13 में उल्लिखित कंपनियों ने कभी सेबी,भारिबैंक,इरडा,एमसीए,फेमा इत्यादि जैसे रेगुलेटर से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त की है ?	
V	मद I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / सूचना एवं ऐसी अन्य जानकारी जो समुचित निर्णय लेने में संगत समझी जाती हो ।	

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

टिप्पणी - समस्त कॉलम अवश्य भरे जाएँ, ऐसा न करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

III	Records of professional achievements.	
18	Professional achievements of the candidate, if any.	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate.	
19	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
20	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
21	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past against the Director.	
22	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956.	
23	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
24	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
25	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, MCA FEMA etc.,	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.	

Place:

Date:

Signature :

Note : All the columns must be filled in failing which the candidature may be rejected



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2 एन. एस. रोड, कोलकाता 700 001

नामांकन फार्म

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इलाहाबाद बैंक,
2, एन. एस. रोड,
कोलकाता - 700 001
प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपकी सूचना दिनांक.....के संदर्भ में मैं,

इलाहाबाद बैंक का एक शेयरधारक, जो शुक्रवार, दिनांक 14 मई, 2010 यानी निर्वाचन में भाग लेने के लिए अभिलिखित तारीख को रु. 10/-प्रत्येकके इक्विटी शेयर धारित करता/करती हूँ, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी

को दिनांक 10 जून 2010 को आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की अष्टम वार्षिक सामान्य बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथाउपबंधित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु नामित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं हो)	
डीपी आई डी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
क्लाइंट आई डी सं. (यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणियाँ :

- 1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें यह पारित किया गया है।
- 2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।



ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE : 2 NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
Allahabad Bank,
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata-700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice Dated, I, a shareholder of Allahabad Bank holding equity shares of Rs. 10/- each as on Friday, the 14th May, 2010 (Close of Business Hours) i.e., the cut off Date for participating in the election, do hereby nominate.

Shri/Smt.....son/daughter./wife of Residing at for being elected as a Director of Allahabad Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 10th June 2010.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

इलाहाबाद बैंक
निदेशकों की रिपोर्ट
अप्रैल 2009 से मार्च 2010

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लेखापरीक्षित लेखाविवरणों सहित निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व की दूसरी सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है और इसने मुख्यतः दो कारणों से वैश्विक आर्थिक संकट से भी पार पा लिया है अर्थात् एक तो यह अर्थव्यवस्था संकट के केन्द्र में नहीं थी और दूसरे इसका विकास संतुलित था जिसका मुख्य कारण था: घरेलू संचालकों का आत्मविश्वास। हाल के रुझानों में कुछ उल्लेख करने लायक हैं जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में तेजी, निर्यात में तेजी, औद्योगिक उत्पादन में मजबूती, शेयर बाजार गतिविधियों का पुनरुत्थान, पूंजी अंतर्वाह की बहाली और बढ़ी हुई लाभप्रदता की ओर इशारा करने वाली कारपोरेट बिक्री के सकारात्मक संकेत तथा ऋण वृद्धि आदि। इन सबने मिलकर भारत के कदमों को मजबूती दी है जिससे यह लम्बी छलांग लगा सके।

20 अप्रैल 2010 को घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति के अनुसार 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.00% की वृद्धि का अनुमान है जो 2009-10 में 7.2% से 7.5% तक रही। फरवरी 2010 में औद्योगिक वृद्धि 15.1% रही जो वर्ष दर वर्ष आधार पर पूंजीगत माल (44.4%) और उपभोक्ता सामान (29.9%) के वर्ग में सराहनीय वृद्धि रही है। विनिर्माण, खनन एवं विद्युत क्षेत्रों ने फरवरी 2010 में क्रमशः 16.0%, 12.2% और 6.7% की वृद्धि दर्ज की।

अप्रैल-फरवरी 2009-10 अवधि हेतु छह उद्योगों की वृद्धि दर 5.3% थी जो 2008-09 के समरूप 11 महीनों के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार की 2.9% वृद्धि से बेहतर है।

बिजली का उत्पादन फरवरी में 7.3% बढ़ा (2009 के उसी महीने में 0.6% के सापेक्ष) जबकि कोयले के उत्पादन में 6.8% (6%), सीमेंट में 5.8% (8.3%), कच्चे पेट्रोलियम में 4% (-6.2%), परिष्कृत पेट्रो उत्पादों में 0.8% (0.5%) और तैयार स्टील में 0.9% (2.4%) की वृद्धि रही।

इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-फरवरी के दौरान देश ने 701,073.7 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जो 2008-09 के पहले 11 महीनों की 658,736.3 मिलियन यूनिट से 6.4% अधिक है।

इस वृद्धि का एक मुख्य कारण: उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि है। विशेषज्ञों के अनुसार 2009-10 से 2011-12 तक निजी उपभोग में सतत वृद्धि प्रत्याशित है।

भारत में कृषि क्षेत्र में 2009-10 के 1.4% की मामूली वृद्धि की तुलना में 2010-11 में 5.9% वृद्धि होने की संभावना है।

ALLAHABAD BANK
DIRECTORS' REPORT
APRIL 2009 TO MARCH 2010

The Board of Directors has immense pleasure in presenting the Directors' Report along with the audited Statement of Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2010.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ECONOMIC SCENE

Indian economy is now world's second fastest growing economy and has managed to pass through the global crisis mainly due to the twin reasons viz. it was not at the centre of the crisis and its growth was well-balanced reliant mostly on domestic drivers. Among the recent trends, worth mentioning are: acceleration in GDP growth, turnaround in exports, strong recovery in industrial production, revival of stock market activities, revival in capital inflows and indications of positive corporate sales leading to signs of improved profitability and credit growth etc. All these put together have strengthened India's feet to leap forward.

As per RBI's Annual Monetary and Credit policy, announced on 20th April, 2010, Indian economy is expected to grow by 8.00% in 2010-11, having grown by 7.2% to 7.5% in 2009-10. Industrial growth has posted a growth of 15.1% in February '10 riding on the commendable performance of Y-O-Y capital goods (44.4%) and consumer durables (29.9%) growth. Manufacturing, mining and electricity sectors recorded growth of 16.0%, 12.2% and 6.7% respectively in February 2010.

For the April-February 2009-10 period, the growth rate for the six industries was 5.3%, which was better than the 2.9% year-on-year increase during the corresponding 11 months of 2008-09.

Production of electricity rose by 7.3% in February (against 0.6% in the same month of 2009), while increasing by 6.8% (6%) for coal, 5.8% (8.3%) for cement, 4% (minus 6.2%) for crude petroleum, 0.8% (0.5%) for refined petro-products and 0.9% (2.4%) for finished steel.

During April-February this fiscal, the country generated 701,073.7 million units of electricity, a 6.4% jump over the 658,736.3 million units in the first 11 months of 2008-09.

The growth was mostly driven by a sharp rise in consumer durables production. Private consumption is anticipated to rise steadily in 2009-10 to 2011-12 period as per experts.

Agricultural sector in India is expected to grow by 5.9% in 2010-11 as compared to a mere 1.4% growth in 2009-10.

भारतीय निर्यात जनवरी 2009 के 12.86 बिलियन डालर की तुलना में माह-दर-माह आधार पर जनवरी 2010 में 14.36 बिलियन डालर तक पहुँच गया जो 11.5% अधिक है। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है और 2010 में भारतीय निर्यात लगभग 165 बिलियन डालर तक पहुँचने की संभावना है। विश्व के हालात को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्यातक रणनीतिक रूप से नई संभावनाएँ तलाश रहे हैं।

वैश्विक आर्थिक मंदी से उबरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और एक वर्ष के उतार के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाएँ बेहतर हुई हैं जो 2009 की 1.1% की वृद्धि के सापेक्ष 2010 में बढ़कर 3.1 % हो गई है। तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था के संकट-पूर्व के स्तर तक पहुँचने की संभावना है जिसमें 2010 के पश्चात 4 से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि प्रत्याशित है।

विकास की प्रक्रिया में भारत विश्व के उभरते और विकासशील देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है जिसके इस दिशा में केन्द्रीय भूमिका निभाने की पूरी संभावना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही 2009-10 हेतु चीन की वृद्धि दर पूर्वानुमान जुलाई के 8.5% के प्राक्कलन से संशोधित कर 9% की है और भारत की वृद्धि दर 2009-10 में 8% प्राक्कलित की गई है। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की स्थिति इसकी मौजूदा मुद्रास्फीति में वृद्धि होना है।

27 मार्च 2010 को समाप्त सप्ताह में खाद्य स्फिति में 17.7% की वृद्धि और समग्रतः मुद्रास्फीति 9.89% तथा फरवरी 2010 में विनिर्माण क्षेत्र में 7.4% की स्फिति यह संकेत देती है कि मुद्रास्फीति तेजी से एक बड़ी समस्या बनती जा रही है जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाना अपेक्षित है। भारत में मुख्यतः मुद्रास्फीति विनिर्माण क्षेत्र से आरंभ हुई और इस प्रकार समग्रतः मुद्रास्थिति में वृद्धि हुई। अतः ऐसी आशंका है कि वित्तीय वर्ष 2011 की प्रथम तिमाही में मुद्रास्फीति की दर 10-11% को छू सकती है जो भारतीय रिजर्व बैंक की 8.5% की सुखद दर से काफी अधिक है। ये बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

अतः, इस परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती ऐसे नीतिगत उपायों को अपनाने की है जो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के नियंत्रण और विकास तथा स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखे। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो एवं रिजर्व रेपो दर को बढ़ा कर क्रमशः 5.25% और 3.75% कर दिया जबकि 2010-11 हेतु हाल की वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति में सीआरआर में 25 आधार बिंदु की वृद्धि कर इसे 6% कर दिया। सीआरआर में वृद्धि जो 24 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुई बैंकिंग प्रणाली में रु.12,500 करोड़ की अतिरिक्त नकदी को खपाएगी और इसके मुद्रास्फीति दर को कम करने में मदद मिलेगी है। उभरते बाजारों में बढ़ती ब्याज दरें उन्नत अर्थव्यवस्था की तुलना में अपेक्षाकृत पहले बढ़ सकती हैं किंतु ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि को विशेषज्ञों द्वारा नकारा गया है।

बैंकिंग परिदृश्य

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के स्थिर रहने की संभावना से, बैंकिंग क्षेत्र में, वर्धित क्षमता उपयोग कारपोरेट क्षेत्र से उच्चतर निवेश को आकर्षित कर सकती है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि को समर्थन मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं। किंतु बैंकों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि नीतिगत दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि ऋण उठाव को प्रभावित कर सकती है जो अभी भी कम है। संभवतः भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अपनी बीपीएलआर दरें निम्न स्तर

Indian Exports reached \$14.36 billion in January 2010, compared to \$12.86 billion in January 2009 on a month-on-month basis, which is up by 11.5 %. This trend is most likely to continue and in 2010, Indian exports are likely to close roughly about \$165 billion. Considering the situation across the world Indian exporters are strategically finding new avenues.

The recovery process of global economic meltdown has started and after a year of being downbeat, prospects for the global economy is revised upwards from contracting by 1.1% in 2009 to growing by 3.1% in 2010. However, world economy is expected to return to its pre-crisis level, with an anticipated average annual growth of little more than 4% after 2010.

In this growth process, India, being one of the emerging and developing countries of the world, second only to China, is most likely to play the pivotal role. IMF has already revised up China's growth forecast for 2009-2010 to 9% from a July estimate of 8.5% and India's growth to touch 8% in 2009-2010. But the alarming feature for Indian economy, at present is rising inflation.

Hike in the food inflation to 17.7% for the week ended March 27, 2010 and the overall inflation to 9.89% and inflation in manufacturing to 7.4% in February, 2010 implies that inflation is fast becoming a demand-driven problem. The primary articles inflation in India has started spilling over to manufacturing inflation and thus overall inflation is going up. So, it is apprehended that inflation may touch 10-11% in first quarter of FY-11, much beyond the RBI's comfort factor of 8.5%. This may affect the market adversely.

Hence, at this juncture, the challenge before Indian economy is to adopt such policy measures which would strike a balance between controlling rising inflation and maintaining growth and stability. Keeping this in view, the Reserve Bank of India has hiked the repo, reverse repo to 5.25% and 3.75% respectively, while the CRR to 6% -raising the rates by 25 basis points in the recent Annual Monetary and Credit policy for 2010-11. The hike in CRR, which came into effect from April 24, 2010 is expected to absorb Rs 12,500-crore excess cash from the banking system and help lowering the rate of inflation. In emerging markets, raising interest rates could happen sooner than in advanced economies but still any immediate hike in interest rates is being ruled out by the experts.

BANKING SCENE

In the Banking sector, with the industrial production growth likely to stay, increased capacity utilization may attract higher investment by the corporate sector which is most likely to support public sector banks' credit growth. But, banks should be cautious now because any hike in policy rates could affect credit offtake, which is still low. The RBI is most likely to allow banks to keep their BPLR at low levels. But as domestic inflation

पर रखने की अनुमति दे सकता है। किंतु चूंकि घरेलू मुद्रास्फीति और जिन्स की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्ति दोनों ऊपर की ओर जा रही हैं, निवल पूंजी अंतर्वाह में तेजी आ रही है तथा निवेश लागत बढ़ रही है, ऐसी संभावना है कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष के अंत में ब्याज दरों में वृद्धि आरंभ कर सकता है क्योंकि तब तक ब्याज दरों पर और अधिक दबाव होगा।

मुद्रास्फीति की आसन्न चुनौतियों से निपटने और स्थिरता के साथ वृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से 2010-11 हेतु वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

क) फिलहाल अपनी नीतिगत प्राथमिकता वृद्धि के स्थान पर मुद्रास्फीति पर केंद्रित करना और क्षमता संबंधी बाधाओं को समाप्त करना है जो कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं।

ख) समष्टि अर्थव्यवस्था और मूल्य स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बढ़ती ब्याज दरों के संबंध में सावधानीपूर्वक उपाय करना।

ग) चूंकि अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष का दबाव स्पष्ट रूप से उभरा है, भारि.बैंक. का मध्यावधि उद्देश्य मुद्रास्फीति को 3% तक सीमित रखना है और समुत्थान प्रक्रिया के समर्थन हेतु नीति को अंशशोधित रूप में लागू किया जाएगा।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक ऋण 26 मार्च 2010 को समाप्त पक्ष में 16.7% अर्थात् 4,64,849 करोड़ बढ़ा, यह वित्तीय वर्ष 2010 हेतु भारिबैं द्वारा गैर-खाद्य ऋण वृद्धि के 16% के प्रक्षेपित लक्ष्य से अधिक है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों में 19.5% की वृद्धि हुई है, निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण मात्र 11.7% बढ़ा है और विदेशी बैंकों का ऋण पोर्टफोलियो 1.5% तक सीमित रहा। गैर खाद्य बैंक ऋण 473819 करोड़ से 32,49,369 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अप्रैल 2010 को जारी समष्टि आर्थिक और मौद्रिक विकास संबंधी रिपोर्ट के अनुसार समग्र बैंकिंग प्रणाली में 2009-10 में ऋण वृद्धि 2008-09 के 17.5% की तुलना में 17% रही। प्रमुख क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, सेवा और वैयक्तिक ऋण में ऋण वृद्धि में सुधार हुआ है। तथापि, भारिबैं द्वारा अक्तूबर 2009 में स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण के संबंध में जोखिम भारिता बढ़ाने के बाद स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण में तेजी से गिरावट आई है।

जमा राशियां भी रु. 83,630.57 करोड़ से बढ़कर रु.44,86,573.66 करोड़ हो गई। सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश 26 मार्च 2010 को समाप्त पक्ष में मामूली रूप से रु.4253.29 करोड़ घट कर रु.13,82,683.58 करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2010 में बैंक ऋण में 20% से अधिक वृद्धि की संभावना है। जमा वृद्धि भी 20-22% रहने की संभावना है।

आस्तियों और देयताओं का रखरखाव करना बैंकों के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारिबैं ने बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के अपने प्रयास में द्वितीय तिमाही की मौद्रिक नीति में सीआरआर में 75 आधार बिंदु की वृद्धि कर इसे 5.0% से 5.75% किया और वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति में इसमें 25 आधार बिंदु की वृद्धि की। सीआरआर की पहले की गई वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली में रु.36000 करोड़ की अतिरिक्त तरलता को खपाया गया और सीआरआर में दूसरी वृद्धि 24 अप्रैल 2010 से लागू हुई

and the global trend in commodity prices, both are upward rising, net capital inflows picking up and input costs rising, it is likely that RBI may start hiking interest rates by the year-end because by then there would be more pressure on interest rates.

In order to address the impending challenges of inflation and maintaining growth with stability, the Annual Monetary and Credit policy for 2010-11 has focused on:

a) Shifting its policy priority to inflation from growth, at the moment and do away with the capacity constraints which are likely to put additional pressure on prices.

b) taking cautious measures as regards raising interest rates keeping in view macroeconomic and price stability.

c) As demand side pressures have clearly emerged in the economy, RBI's medium-term objective is to contain the inflation at 3% and the policy will be tuned in a calibrated manner to support the recovery process.

On a year-on-year basis, bank credit grew by 16.7% or Rs 4,64, 849 crore, in the fortnight ending March 26, 2010, which is exceeding RBI's projected non-food credit growth target of 16% for FY2010. While advances by public sector banks grew at 19.5%, private sector banks grew credit by only 11.7% and the loan portfolio of foreign banks contracted by 1.5%. Non-food bank credit grew by Rs 4,73,819 crore to Rs 32,49,369 crore. For the whole banking system, credit grew by around 17% in 2009-10 as compared to the 17.5% growth in 2008-09 according to the report on macroeconomic and monetary developments for 2009-10 released by the RBI on 19th April, 2010. There was an improvement in credit growth to major sectors such as agriculture, industry, services and personal loans. However, after RBI has increased the risk weights on loans to the real estate sector in October, 2009, credit to the real estate has decelerated sharply.

Deposits also surged by Rs 83,630.57 crore to Rs 44,86,573.66 crore. Investments by banks in government securities and other approved securities dipped marginally by Rs 4,253.29 crore to Rs 13,82,683.58 crore in the fortnight ending March 26, 2010.

Bank credit is expected to grow at over 20% in FY11. Deposit growth is also expected at around 20-22%.

Maintaining assets and liabilities are an important challenge ahead of the Banks. RBI, in its bid to tame rising inflation, has hiked the CRR by 75 basis points from 5.0% to 5.75%, in two phases in the second quarter review of the Monetary Policy and hiked CRR by 25 bps in the annual monetary and credit policy. The former increase in CRR has sucked out Rs. 36,000 crore of excess liquidity from the system and the second hike in CRR, which has come into effect from April 24, 2010 is expected to absorb Rs 12,500-crore excess cash from the

है जिसमें बैंकिंग प्रणाली से रु.12500 करोड़ की अतिरिक्त नकदी को खपाया जाएगा। सीआरआर में वृद्धि के बाद भी बैंकिंग प्रणाली में तरलता सरकारी उधार को सुसाध्य बनाने और ऋण वृद्धि में योग के लिए पर्याप्त सीमा से अधिक होगी। केन्द्रीय बजट 2010-11 के अनुसार वर्ष 2010-11 हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रु.16500 की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई जाएगी। इससे बैंकों की व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धिशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

system. Even after the CRR hike, liquidity in the system would be more than adequate to facilitate government borrowing as well as add to loan growth. As per the Union Budget 2010-11, an additional sum of Rs.16,500 crore will be infused to the PSBs for the year 2010-11. This will ensure the business growth of banks as well as availability of growth capital for the economy.

इलाहाबाद बैंक का कार्यनिष्पादन / PERFORMANCE OF ALLAHABAD BANK

परिचालनगत परिणाम

मुख्य व्यवसाय मानदंडों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत है :

OPERATING RESULTS

Bank's performance in key business parameters is presented below.

	(रु. करोड़ में)			(Rs. in crores)	
मानदंड/Parameter	मार्च '08 Mar'08	मार्च '09 Mar'09	वृद्धि (%) Growth (%)	मार्च '10 Mar'10	वृद्धि (%) Growth (%)
निवल लाभ / Net Profit	974.74	768.60	-21.15	1206.33	56.95
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	1479.51	1901.15	28.50	2548.55	34.05
ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर परिचालन लाभ Operating Profit Ex. Trading Profit	1008.48	1328.45	31.73	1972.00	48.44
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	504.77	1132.55	124.37	1342.22	18.51
कुल आय/Total Income	7135.97	8506.65	19.21	9885.10	16.20
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर) Total Expenditure (Excl. Prov.)	5656.46	6605.50	16.78	7336.55	11.07
ब्याज स्प्रेड /Interest Spread	1672.34	2158.67	29.08	2650.48	22.78
कुल जमा राशियां/Total Deposits	71616.38	84971.79	18.65	106055.75	24.81
कुल अग्रिम/Total Advances	50312.16	59443.40	18.15	72437.31	21.86
कुल व्यवसाय/Total Business	121928.54	144415.19	18.44	178493.06	23.60
सकल निवेश/Gross Investments	23722.28	30081.35	26.81	38680.43	28.59

पूंजी एवं आरक्षित निधि

यथास्थिति 31.03.2010 को बैंक की प्रदत्त पूंजी रु. 446.70 करोड़ रही। वर्ष के अंत में आरक्षित निधि और अधिशेष यथास्थिति 31.03.2009 के रु. 5405.25 करोड़ से बढ़कर रु. 6306.25 करोड़ हो गए।

CAPITAL AND RESERVES

The paid-up capital of the Bank remained at Rs.446.70 crores as on 31.3.2010. The reserves & surplus went up to Rs.6306.25 crores as at end of this year from Rs.5405.25 crores as on 31.03.2009.

लाभप्रदता

परिचालनगत लाभ

बैंक का परिचालनगत लाभ विगत वर्ष के रु.1901.15 करोड़ से 34.05% बढ़कर 2009-10 के दौरान रु. 2548.55 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-10 के दौरान परिचालन लाभ में वृद्धि 28.50% थी।

PROFITABILITY

Operating Profit

The Operating Profit of the Bank grew by 34.05% to Rs.2548.55 crores during 2009-10 from Rs.1901.15 crores during the preceding year. During 2008-09, the growth in operating profit was to the tune of 28.50%.

निवल लाभ

बैंक का निवल लाभ विगत वर्ष के रु.768.60 करोड़ से 56.95% बढ़कर 2009-10 के दौरान रु.1206.33 करोड़ हो गया। बैंक की उच्चतर लाभप्रदता का श्रेय अग्रिमों से ब्याज आय की वर्धित मात्रा, वर्धित शुल्क आधारित आय, कम लागत की जमा राशि के बड़े अंश और थोक जमा राशि को कम करने के कारण निधियों की लागत में कमी और अपलेखित खातों में बेहतर वसूली को दिया जा सकता है।

Net Profit

The net profit of the Bank grew by 56.95% to Rs.1206.33 crores during 2009-10 from Rs.768.60 crores during the preceding year. Higher profitability of the Bank may be attributed to increased volume of interest income from advances, enhanced fee-based income, reduction in cost of fund due to larger share of low cost deposits and refraining from bulk deposits and better recovery in written off accounts.

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 2009-10 के दौरान इक्विटी के 55% की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। अर्थात् 10 रु. प्रत्येक के प्रति शेयर पर रु. 5.50 का लाभांश।

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से इक्विटी शेयरों का स्वैच्छिक असूचीकरण

पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार, बैंक का इक्विटी शेयर दिनांक 09.03.2010 से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से असूचीकृत हुआ।

वित्तीय परिणाम / FINANCIALS

बैंक के महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं / Important ratios of the Bank are depicted below;

मानदंड / Parameters	31.3.08	31.3.09	31.3.10
पूँजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%)	11.99	13.11	13.62
जिसमें से /Of which टियर I (%) / Tier I (%)	7.71	8.01	8.12
टियर II (%) / Tier II (%)	4.28	5.10	5.50
औसत कार्यशील निधियों में स्प्रेड (%)			
Spread to Average Working Fund (%)	2.26	2.54	2.54
जमाराशियों की औसत लागत (%)			
Average Cost of Funds (%)	6.66	6.67	5.99
निधियों पर औसत आय (%)			
Average Yield on Funds (%)	9.26	9.62	8.68
जमाराशियों की औसत लागत (%)			
Average Cost of Deposits (%)	6.67	6.62	5.97
अग्रिमों पर औसत आय (%)			
Average Yield on Advances (%)	10.76	10.88	10.57
प्रति शेयर अर्जन (रु.) / Earnings per Share (Rs.)	21.82	17.21	27.01
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) / Book Value per Share (Rs.)	116.88	131.00	151.17
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	1.32	0.90	1.16
औसत नेटवर्थ पर प्रतिफल (%)			
Return on Average Net Worth (%)	24.56	16.49	22.21
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)			
Provision Coverage Ratio (%)	75.62	76.45	78.95
निवल एनपीए / Net NPAs (%)	0.80	0.72	0.66
प्रति कर्मचारी लाभ (रु.लाख / Profit per Employee (Rs. in lacs)	4.85	3.76	5.76
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (रु.लाख में)			
Productivity per Employee (Rs. in lacs)	604	706	845

कार्यालय एवं शाखाएँ

बैंक ने 2009-10 के दौरान बैंक ने 27 नई शाखाएँ खोलीं जिससे यथास्थिति 31.03.2010 को शाखाओं की कुल संख्या 2287 हो गई जिनमें 976 ग्रामीण, 411 अर्ध-शहरी, 472 शहरी एवं 427 महानगरीय शाखाएँ और एक विदेशी शाखा है। 76 विशेषीकृत शाखाओं में 7 औद्योगिक वित्त शाखाएँ, 5 अन्तरराष्ट्रीय शाखाएँ, 1 औद्योगिक वित्त सह अंतरराष्ट्रीय शाखा, 1 एनआरआई शाखा, 2 विशेषीकृत व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएँ, 18 एसएमई वित्त शाखाएँ, 7 वसूली शाखाएँ, 1 सीएमएस हब, 1 विशेषीकृत बचत बैंक शाखा, 2 व्यापार वित्त शाखाएँ, 1 विशेषीकृत वाणिज्यिक कृषि वित्त शाखा, 4 कृषि वित्त शाखाएँ, 2 कृषि विकास शाखाएँ, 3 क्षेत्रीय

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend @ 55% i.e. Rs.5.50 per equity share of Rs.10 each.

Voluntary Delisting of Equity Share from The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE)

In terms of approval granted by shareholders in the last Annual General Meeting, the equity share of the Bank got delisted from the CSE with effect from 09.03.2010.

OFFICES & BRANCHES

The Bank opened 27 new branches during 2009-10, taking total branches to 2287 as on 31.3.2010, with 976 rural, 411 semi-urban, 472 urban, 427 metropolitan branches and 1 foreign branch. The specialized branches, numbering 76, including 7 Industrial Finance Branches, 5 International Branches, 1 Industrial Finance-cum-International Branch, 1 NRI Branch, 2 Specialized Personal Banking Branches, 18 SME Finance Branches, 7 Recovery Branches, 1 CMS Hub, 1 Specialized Savings Bank Branch, 2 Trading Finance Branches, 1 Specialized Commercial Agricultural Finance Branch, 4 Agriculture Finance Branches, 2 Agriculture

प्रोसेसिंग केन्द्र, 1 विदेशी विनिमय सह ट्रेजरी प्रबंधन शाखा और 20 सेवा शाखाएं शामिल हैं। यथास्थिति 31.03.2010 को विस्तार पटलों की संख्या 66 थी। बैंक ने कारगर प्रबंधन हेतु दो और मंडलीय कार्यालयों- बरहमपुर एवं भागलपुर का गठन किया। इसके अतिरिक्त एक मंडलीय कार्यालय को झांसी से आगरा अंतरित किया गया।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2010 को 24.81% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए रु.106056 करोड़ हो गई। कम लागतवाली जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2010 को 24.45% बढ़कर रु.36587 करोड़ हो गई जो एक वर्ष पूर्व की 35.08% की तुलना में कुल जमा राशियों का 34.99% हैं। इस अवधि के दौरान जमा राशियों की लागत 6.62% से घटकर 5.97% रह गई।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशानुरूप बैंक ने कम लागत जमा संग्रहण पर विशेष जोर दिया और वर्ष के दौरान बचत बैंक जमा और चालू खाता जमा संग्रहण अभियान चलाए गए। बचत बैंक जमा संग्रहण अभियान (17.08.09 से 31.12.09) के दौरान 10 मिलियन से अधिक नए बचत खाते खोले गए और खातों में रु. 424.86 करोड़ की जमा राशियाँ संग्रहीत हुईं। चालू खाता जमा अभियान (01.01.2010 से 31.01.2010) के दौरान 20393 खातों में रु. 322.49 करोड़ की जमा राशियाँ संग्रहीत की गईं।

ऋण अभिनियोजन

बैंक का कुल अग्रिम यथास्थिति 31.03.2010 को 21.86% बढ़कर रु.72437 करोड़ हो गया। ऋण - जमा अनुपात (सकल) विगत वर्ष के 70.93% के सापेक्ष 69.27% रहा। इस अवधि के दौरान बैंक ने प्रणाली में अपना बाजार अंश 2.00% से बढ़ा कर 2.15% कर दिया। बैंक की बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) 12.00% रही। सामान्य बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिमों पर आय 2008-09 के 10.88% के सापेक्ष 2009-10 के दौरान 10.57% रही।

अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन

बैंक ने अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली पर बल देना जारी रखा। प्रमुख क्षेत्रों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- ✓ सघन निगरानी एवं अन्य नियंत्रक उपायों द्वारा नया एनपीए पनपने से रोकना।
- ✓ सरफेसी अधिनियम और अन्य विधिक उपायों का सहारा लेकर एनपीए में कमी लाना।
- ✓ अपलेखित ऋण खातों में वसूली के माध्यम से डी-रेकग्नाइज्ड ब्याज द्वारा आय में बढ़ोत्तरी।
- ✓ ऋण जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।
- ✓ नए एनपीए खातों एवं पुनर्गठन/सीडीआर के अधीन खातों के उन्नयन पर बल देना।
- ✓ उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों यथा- लघु एवं सीमांत किसानों, सरकार द्वारा प्रायोजित ऋणों, कृषि ऋण इत्यादि हेतु समझौता योजना।
- ✓ लघु एवं क्लस्टर ऋणों (समझौता शिविरों/वसूली शिविरों एवं लोक अदालत के माध्यम से ऋणों का अपलेखन सहित) की वसूली।

Development Branch, 3 Regional Processing Centres, 1 Forex-cum-Treasury Management Branch and 20 Service Branches. Extension Counters numbered 66 as on 31.3.2010. The Bank constituted two more zonal offices- Berhampore & Bhagalpur for effective management. Moreover, one of the zonal offices was shifted from Jhansi to Agra.

DEPOSIT MOBILISATION

Total deposits of the Bank showed a significant growth of 24.81% to Rs.106056 crores as on 31.3.2010. Low cost deposits grew by 24.45% to Rs.36587 crores as on 31.3.2010, constituting 34.82% of aggregate deposits as compared to 35.08% a year ago. Cost of deposits decreased to 5.97% from 6.62% during the period.

In line with the directions from Ministry of Finance, the Bank emphasized on low cost deposits mobilization and observed saving deposits & current deposits mobilization campaign during the year. During the SB mobilisation campaign (from 17.08.09-31.12.09), over 10 million new saving accounts were opened and saving deposit mobilized to the tune of Rs.424.86 crores. During the Current Deposit Mobilisation campaign (from 01.01.10-31.03.10), Current deposits of Rs.322.49 crores were mobilized in 20,393 accounts.

CREDIT DEPLOYMENT

Total advances of the Bank went up by 21.86% to Rs.72,437 crores as on 31.3.2010. Credit-deposit ratio (gross) stood at 68.93% as against 70.93% last year. The Bank increase its market shares in the system to 2.15% from 2.00% during the period. The Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) of the Bank was at 12.00%. Yield on advances stood at 10.57% during 2009-10 as against 10.88% during 2008-09 in line with the general market scenario.

NON-PERFORMING ASSETS (NPAs) MANAGEMENT

The Bank continued its emphatic thrust on recovery of non-performing assets. The thrust areas included, among others;

- ✓ Arrest of Fresh addition of NPAs by ensuring close monitoring and other control measures,
- ✓ Reduction in NPA through invocation of SARFAESI Act and application of other legal measures for logical conclusion,
- ✓ Increase in income from derecognised interest through recovery in written-off debt accounts,
- ✓ Strengthening credit risk management,
- ✓ Thrust on upgradation of fresh NPAs A/cs and accounts under restructuring/CDR,
- ✓ Settlement scheme for different segment of borrowers like; small & marginal farmers, Govt. sponsored loans, agricultural credit etc,
- ✓ Recovery of small & cluster loans (including written off debts through settlement camps/recovery camps and Lokadalats),

बैंक की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31.03.2009 को यथास्थिति रु.1078.25 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2010 को बढ़कर रु.1221.80 करोड़ हो गई जबकि इस अवधि के दौरान निवल अनुपयोज्य आस्तियां रु.422.11 करोड़ से बढ़कर रु.470.15 करोड़ हो गई। सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत 1.81% से घटकर 1.69% रह गया। निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए का अनुपात 0.72% से घटकर 0.66% रह गया। इस अवधि के दौरान बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 76.45% की तुलना में 78.95% रहा जबकि स्लिपेज अनुपात 1.72% से बढ़ कर 1.98% हो गया।

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाएँ:

बैंक ने अनुमोदित नीति के अनुसार अपनी पूर्ववर्ती वसूली शाखाओं का आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाओं(एआरएमबी) के रूप में पुनर्गठन किया। नई निर्धारित नीति के अनुसार तीन मौजूदा वसूली शाखाओं कोलकाता, मुम्बई और नई दिल्ली ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। चौथी शाखा हाल ही में लखनऊ में खोली गई है। चेन्नई, इलाहाबाद और पटना में एआरएम शाखाएँ शीघ्र खोली जाएंगी। ये एआरएम शाखाएँ गैर-वाद दाखिल खातों सहित रु.10.00 लाख और अधिक के सभी एनपीए मामलों पर कार्यवाही करेंगी।

सामाजिक बैंकिंग:

प्राथमिकता क्षेत्रों एवं कमजोर क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण** 31.03.2009 को यथास्थिति रु.20435 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2010 को यथास्थिति **वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु. 3844 करोड़(18.81%)** की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु.24279 करोड़ हो गया। बैंक ने मार्च 2010 को यथास्थिति **41.29%** की प्राप्ति कर **एएनबीसी में प्राक्षेत्त के राष्ट्रीय लक्ष्य(40%)** को पार कर लिया।
- **कृषि ऋण बकाया** 31.03.2009 को यथास्थिति रु.9568 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2010 को यथास्थिति **वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु.1999 करोड़ (20.89%)** की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु.11567 करोड़ हो गया। बैंक ने मार्च 2010 को यथास्थिति **18.68%** की प्राप्ति कर **एएनबीसी में कृषि ऋण के राष्ट्रीय लक्ष्य(18.00%)** को पार कर लिया।
- **वर्तमान वर्ष 2009-10 के दौरान नए कृषि ऋण का वितरण रु.3615 करोड़ पहुँच गया।**

• किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

2009-10 के दौरान बैंक ने 2.23 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जिसमें रु.1335.97 करोड़ की ऋण राशि शामिल थी। यथास्थिति 31.03.2010 को कुल रु.4847.62 करोड़ की ऋण सीमा के साथ केसीसी की संचित संख्या 9.12 लाख थी।

• किसान शक्ति योजना(केएसवाई)

किसान शक्ति योजना के अंतर्गत बैंक ने 2009-10 के दौरान 1143 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रु.26.29 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की। 31.03.2010 को यथास्थिति योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संचयी संख्या 147935 थी जिसमें रु.1962.38 करोड़ की राशि शामिल है।

Gross Non-performing assets of the Bank increased to Rs.1221.80 crores as on 31.3.2010 from Rs.1078.25 crores as on 31.3.2009 while net non-performing assets increased to Rs.470.15 crores from Rs.422.11 crores during the period. The gross NPAs as percentage to gross advances declined to 1.69% from 1.81%. The ratio of net NPAs to net advances reduced to 0.66% from 0.72%. The provision coverage ratio of the Bank stood at 78.95% as compared to 76.45% while the slippage ratio increased to 1.98% from 1.72% during the period.

Asset Recovery Management Branches:

The Bank has reconstituted the erstwhile Recovery Branches as Asset Recovery Management Branches (ARMBs) in terms of policy approved. According to the newly laid down policy, three of the existing Recovery Branch Kolkata, Mumbai & New Delhi have started functioning. The fourth one is opened recently at Lucknow. The ARMBs at Chennai, Allahabad, & Patna are to be opened recently. These ARMBs are to deal with in all NPA cases of Rs 10.00 lacs & above including non-suit filed accounts.

SOCIAL BANKING:

Bank's performance under Priority Sectors and Weaker Sections is presented below:

- **Priority Sector Credit** grew from **Rs.20435 Crore** as on 31.03.2009 to **Rs.24279 Crore** as on 31.03.2010, registering an absolute **YOY growth of Rs.3844 Crore (18.81 %)**. Bank has exceeded the National Goal (40.00%) of **PSC to ANBC** by achieving **41.29%** as on Mar'10.
- **Agriculture Credit** outstanding increased from **Rs.9568 Crore** as on March 2009 to **Rs.11567 Crore** as on March 2010, registering an absolute **YOY growth of Rs.1999 Crore (20.90%)**. Bank has exceeded the National Goal (18.00%) of **Agriculture to ANBC** by achieving **18.68%** as on Mar'10.
- **Fresh Credit Disbursal in Agriculture Loans** reached **Rs.3615 Crore** during the current year 2009-2010.

• Kisan Credit Cards (KCC) :

The Bank issued 2.23 lacs Kisan Credit Cards involving a credit amount of Rs. 1335.97 crores during 2009-10. The cumulative KCC numbered 9.12.lacs with a credit line of Rs.4847.62crores as on 31.03.2010.

• Kisan Shakti Yojana (KSY) :

The Bank extended credit facility to farmers under KSY to 1143 Kisan Credit Card holders involving a credit limit of Rs. 26.29 Crores during 2009-10. Cumulative number of Kisan Credit card holders financed under KSY scheme was 147935 involving Rs. 1962.38 Crores as on 31.03.2010.

सारणी 1 : प्राथमिकता क्षेत्र ऋण / Table 1: Priority Sector Credit

क्षेत्र/योजनाएँ / Sector/Schemes	मार्च / March 2009		मार्च / March 2010	
	खातों की सं. (लाख में) Number of Accounts (in lacs)	राशि (रु.करोड़ में) Amount (Rs. crores)	खातों की सं. (लाख में) Number of Accounts (in lacs)	राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs. crores)
1. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector Credit	15.02	20435	18.16	24279
जिसमें से / Of Which				
a) कृषि / Agriculture	10.43	9568	12.76	11567
— प्रत्यक्ष / Direct	10.21	7306	12.47	8340
— अप्रत्यक्ष / Indirect	0.22	2262	0.29	3227
b) माइक्रो एवं लघु उद्यम (एमएसई) / Micro & Small Entp.(MSE)	1.80	4593	3.52	8188
जिसमें से / Of Which				
माइक्रो उद्यम / Micro Enterprises	1.65	2768	3.01	5091
अन्य प्रा. क्षे. ऋ / Other PSC	2.85	6275	1.88	4524
2. कमजोर वर्ग / Weaker Section.	9.25	5010	10.75	6150

सारणी 2 : अनुपात (प्रतिशत में) / Table 2: Ratios (in percentage)

महत्वपूर्ण अनुपात / Important Ratios	राष्ट्रीय लक्ष्य National Goal	मार्च / March 2009	मार्च / March 2010
समायोजित निवल बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण / PSC to Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	40	41.10	41.29
समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण / Agriculture Credit to Adjusted Net Bank Credit	18	19.20	18.68
कुल माइक्रो एवं लघु उद्यम में माइक्रो उद्यम / Micro Enterprises to Total Micro & Small Entp.	60	60.26	62.25
समायोजित निवल बैंक ऋण में कमजोर वर्ग को ऋण/Weaker Section Credit to Net Bank Credit	10	10.07	10.46

● **एमएसएमई क्षेत्र का वित्तपोषण**

माइक्रो एवं लघु उद्यम(एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण मार्च 2009 को यथास्थिति रु.4593 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2010 को यथास्थिति रु.8188 करोड़ हो गया जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु.3595 करोड़(78.27%) की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2010 को यथास्थिति कुल माइक्रो और लघु उद्यम में माइक्रो उद्यम क्षेत्र में 62.25% की उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्य (60%) को पार किया गया। माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम यथास्थिति 31.03.2010 को रु.9770.71 करोड़ हो गए, जो वर्ष 2009-10 के 77.39% की वृद्धि दर्शाते हैं।

● **शुरू किए गए नए उत्पाद/योजनाएँ**

बैंक ने कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन और कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग को समर्थन देने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत दो नई योजनाएँ आरम्भ की हैं।

(क) राइस शैलिंग उद्यमों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए **राइस शैलिंग यूनिटों के वित्तपोषण की योजना**।

(ख) किसानों को आगे ऋण देने हेतु आढ़तियों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए **आढ़तियों(कमीशन एजेंटों) हेतु आलबैंक लिक्विड स्कीम**

● **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)**

बैंक ने एसएलबीसी संयोजक के रूप में झारखंड राज्य के आर्थिक उत्थान

● **MSME Sector Financing:**

Credit to **Micro and Small Enterprises (MSE)** grew from **Rs. 4593 Crore** as on March 2009 to **Rs.8188 Crore** as on March 2010, registering an absolute **YOY growth of Rs.3595 Crore (78.27%)**. Share of Micro Enterprises to total **Micro & Small Enterprises** has exceeded the National Goal (60%) by achieving **62.25%** as on Mar'10. Credit to **Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)** increased to **Rs.9770.71crores** as on 31.03.2010, showing a **growth of 77.39%** during 2009-10.

● **New Products / Schemes launched:**

The Bank launched two new schemes under Priority Sector Credit to promote agro-based industries and support trading of farm produce.

(a) **Scheme for Financing to Rice Shelling Units** to meet the credit requirement of Rice Shelling Entrepreneurs.

(b) **Allbank Liquid Scheme for Artiyas (Commission Agents)** to meet the credit requirement of Artiyas for on lending to Farmers.

● **State Level Bankers' Committee (SLBC)**

The Bank as SLBC convenor, continued to thrust in co-

हेतु बैंकिंग प्रयासों के समन्वय पर बल देना जारी रखा। बैंक प्राथमिकता के आधार पर बैंक रहित और अल्प बैंक क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ खोलने और इसकी योजना बनाने हेतु राज्य में कार्यरत बैंकों के संगठन में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैंक ने झारखंड सरकार द्वारा घोषित सूखा राहत के विशेष पैकेज के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत एसएलबीसी संयोजक के रूप में बैंक ने राज्य में परिचालित अन्य बैंकों के सहयोग से 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप तैयार किया है। बैंक समय-समय पर एसएलबीसी की बैठकें आयोजित करता है और राज्य में एसएलबीसी ने राज्य के विकास हेतु बैंकिंग पहलों पर चर्चा और समीक्षा करने वाले एक सुदृढ़ मंच के रूप में खुद को साबित किया है।

● अग्रणी बैंक योजना

उत्तर प्रदेश में 13, झारखंड में 2 तथा मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में 1-1 जिले सहित 17 जिलों में अग्रणी बैंक के दायित्वों को निभाते हुए जिला ऋण योजना 2009-10 के अंतर्गत बैंक ने रु.1511.58 करोड़ का ऋण संवितरित किया जो लक्ष्य की 98.24% उपलब्धि है।

● क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सरकार ने प्रत्येक प्रायोजक बैंक हेतु “एक राज्य एक आरआरबी” की अवधारणा को अपनाया है। उपर्युक्त नीति के अनुसरण में उत्तर प्रदेश में हमारे दो प्रायोजित आरआरबी को एक बड़े आकार वाले सुदृढ़ आरबीबी के रूप में समामेलित किया गया है जिसका नाम है **इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, जिसकी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 480 शाखाएँ हैं।** इस प्रकार हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दो रह गई है एक उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में। इन दोनों आरआरबी ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार जारी रखा और 2008-09 के दौरान रु. 47.66 करोड़ के सकल लाभ के सापेक्ष 2009-10 के दौरान रु.77.9 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया।

वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2008-09 के रु.1033.02 करोड़ के सापेक्ष 2009-10 के दौरान रु.1308.67 करोड़ का ऋण संवितरित किया जो 101.44% की उपलब्धि है।

● कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008(एडीडब्ल्यूडीआर)

भारत सरकार द्वारा 23.05.2008 को कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 नामक योजना लागू की गई थी। योजना में 5 एकड़ तक की भूमि जोत वाले लघु एवं सीमांत किसानों को 31.12.2007 को यथास्थिति बकाया और 29.02.2008 तक अदत्त कृषि ऋण से छूट प्रदान की गई थी। पाँच एकड़ से अधिक भूमि जोत वाले किसानों को भी 31.12.2007 को यथास्थिति बकाया और 29.02.2008 तक अदत्त ऋण राशि में 25% तक की छूट इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि वे बकाया राशि का 75% 30.06.2010 तक अदा कर दें। **ऋण माफी हेतु बैंक का लेखापरीक्षित दावा रु.1041.80 करोड़ है जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अबतक रु.673.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई है।** ऋण राहत हेतु दावा जून 2010 के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

ordinating banking efforts for economic upliftment of State of Jharkhand. The Bank has been playing a lead role in organizing banks operating in the state to plan and open Bank branches in unbanked and underbanked areas on priority basis. Bank took necessary steps for implementation of special package for Drought Relief announced by the Government of Jharkhand. Under the directions of Government of India/Reserve Bank of India, our Bank, as SLBC convenor, in association with other banks operating in the state, drew roadmap for providing banking facilities to all villages having population over 2000. The Bank conducted meetings of SLBC timely and the SLBC in the state has proved to be a strong forum to discuss and review banking initiatives for the development of the state.

● Lead Bank Scheme:

Under Lead Bank responsibilities in 17 districts, 13 in Uttar Pradesh, 2 in Jharkhand and one each in Madhya Pradesh and West Bengal, the Bank disbursed Rs.1511.58 crores under District Credit Plan 2009-10 achieving 98.24% of the target.

● Regional Rural Banks:

Government of India adopted “One State One RRB” for each sponsor Bank. In pursuance to the above policy our two Sponsored RRBs in Uttar Pradesh were amalgamated into one large size and strong RRB, **Allahabad UP Gramin Bank, having 480 branches spread over 11 districts in Uttar Pradesh.** Thus the number of Regional Rural Banks sponsored by our Bank now remain two, one in Uttar Pradesh and another in Madhya Pradesh. These two RRBs continued to improve their performance with an aggregate profit of Rs.77.9 Crores during 2009-10 as against Rs. 47.66 Crores during 2008-09.

The Bank-sponsored RRBs disbursed Rs.1308.67 crores during 2009-10 under the Annual Credit Plan as against Rs.1033.02 Crores in 2008-09 achieving 101.44%.

● Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme, 2008(ADWDR)

A scheme in the name of Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008 was launched by the Government of India on 23.05.2008. The scheme provided waiver of agriculture loans of small and marginal farmers having land holding upto 5 acres for overdue loan amount as on 31.12.2007 and remaining unpaid upto 29.02.2008. The scheme also provided relief for farmers having land more than 5 acres upto an extent of 25% of overdue loan amount as on 31.12.2007 and remaining unpaid upto 29.02.2008 on the condition that eligible farmers pay 75% of the overdue amount by 30.06.2010. **The audited claim of the Bank for debt waiver is Rs.1041.80Crores, of which Rs.673.90 Crores has so far been reimbursed by the Reserve Bank of India.** The claim of debt relief will be submitted after June'2010.

- किसानों को रु.3 लाख तक का अल्पावधि उत्पादन ऋण 7% प्र.व. की दर से प्रदान करना।

भारत सरकार रु.3 लाख तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को 2% ब्याज अनुदान इस शर्त पर उपलब्ध करा रही है कि ऐसा अल्पकालिक ऋण 7% प्र.व. की दर से प्रदान किया जाता हो। इसके अतिरिक्त सरकार उन किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है जो अल्पावधि उत्पादन ऋण की अदायगी ऐसे ऋण के संवितरण के एक वर्ष के अंदर कर दें। बैंक इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है। **2009-10 के दौरान बैंक ने रु.22.36 करोड़ के ब्याज अनुदान का दावा किया और इसे प्राप्त किया।**

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ने एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में समाज के सतत विकास के लिए निम्नांकित कदम उठाए हैं, जो मानवाधिकार और पर्यावरण के प्रति इसकी चिंता को प्रदर्शित करते हैं।

● वित्तीय समावेशन

बैंक ने उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य के नौ अग्रणी जिलों में 100% वित्तीय समावेशन किया है। बैंक ने बिजनेस कार्रस्पोंडेंट के माध्यम से बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड सॉल्यूशन को अपनाते हुए आईसीटी सुविधायुक्त वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के जरिए वृहत्तर वित्तीय समावेशन हेतु कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने **2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में वित्तीय सुविधाएं** मुहैया कराने हेतु **“वित्तीय समावेशन योजना”** प्रस्तुत की है। बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान 1000 बैंकविहीन ग्रामों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है।

● वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र

वित्तीय लेनदेन की जटिलताओं के मद्देनजर बैंक ने सीमित संसाधन एवं कौशल वाले व्यक्तियों को एक ओर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने तथा दूसरी ओर ऋण परामर्श देने के लिए कोलकाता और बांदा (उ.प्र.) में **समाधान** के नाम से वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोले हैं।

ये केन्द्र इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास न्यास के तत्वावधान में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

ये केन्द्र गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किए गए हैं जिससे कि ऐसे लोग भी, जिनका इलाहाबाद बैंक में कोई वित्तीय लेनदेन नहीं है, वित्तीय प्रबंधन के संबंध में परामर्श की आवश्यकता पड़ने पर सलाह ले सकते हैं। ये सेवाएं परामर्शदाताओं द्वारा व्यक्तिशः आधार पर प्रदान की जाती हैं।

● कृषकों/बेरोजगार युवाओं हेतु प्रशिक्षण सुविधाएँ :

बैंक ने कौशल और उद्यमिता क्षमता में सुधार हेतु किसानों, बेरोजगार युवाओं, एनजीओ, एसएचजी आदि को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस वर्ष दो और **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)** स्थापित किए हैं। (एक बांदा जिला (उ.प्र.) में और दूसरा दुमका जिला (झारखंड) में) इस प्रकार वर्तमान में बैंक के निम्नलिखित केन्द्रों में छह आरएसईटीआई हैं:

- **Providing Short Term Production Credit to Farmers upto Rs.3lacs. at 7% p.a. interest.**

Government of India is providing interest subvention of 2% to Public Sector Banks in respect of short term production credit upto Rs.3lacs provided to farmers on the condition that such short term credit is provided at 7% p.a. at ground level. In addition Govt. is providing additional interest subvention of those prompt paying farmers who pay their short term production credit within one year of disbursement of such loans. The Bank is implementing the scheme. **During 2009-10 Bank has claimed and availed of interest subvention of Rs.22.36 Crores.**

Corporate Social Responsibility

The Bank, as a responsible corporate citizen, has initiated the following measures towards sustainable development of the society reflecting its concern for human rights and environment.

● Financial Inclusion:

Bank has achieved **100% Financial Inclusion in Nine Lead Districts** of the Bank in the State of **Uttar Pradesh and Jharkhand**. The Bank has taken steps for achieving greater financial inclusion through implementation of ICT Enabled Financial Inclusion by adopting Biometric Smart Card solution through Business Correspondents. As per directions of Reserve Bank of India, our Bank has submitted **“Financial Inclusion Plan”** for providing **Banking facilities to all Villages having a population over 2000**. The Bank has decided to bring 1000 unbanked villages in the fold of banking services during 2009-10.

● Financial Literacy and Credit Counselling Centres

In order to provide financial education on one hand and to offer credit counselling on the other to people having limited resources and skills to appreciate the complexities of financial dealings, the Bank has opened Financial Literacy and Credit Counselling Centres christened **Samadhan** at Kolkata and Banda (UP).

The Centres act independently on its own under the auspices of Allahabad Bank Rural Development Trust.

The Centers are nonprofit organizations established with a view to rendering assistance in the form of advice to all those who are in need of advice on financial management even though they do not have any financial dealings with Allahabad Bank. The services offered by the counsellors are on one to one basis.

● Training Facilities to Farmers / Unemployed Youths:

The Bank has established two more **Rural Self Employment Training Institutes (RSETI)** this year for imparting training to Farmers, unemployed youths, NGOs, SHGs etc. for improvement of skills and entrepreneurship ability. Thus the Bank has at present six RSETIs in the following centres :

1. रायबरेली, उ.प्र.,
2. हजारीबाग, झारखंड,
3. बोलपुर, प.बं.,
4. देबरा, प.बं.,
5. दुमका, झारखंड,
6. बांदा, उ.प्र.

प्रशिक्षण के प्रयोजन से लक्ष्य समूह निम्नांकित है :

लघु सीमांत काश्तकार किसान भूमिहीन मजदूर
मध्यम एवं बड़े किसान
पहली पीढ़ी के उद्यमी
स्थापित उद्यमी

31.03.2010 तक 636 कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें 17077 कृषकों/बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और 7376 प्रशिक्षणार्थियों को रु.49.29 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया

● वन्य पशुओं का कल्याण

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में बैंक ने वन विहार भोपाल के वन्य पशुओं को गोद लेने की पहल की, जो वन्य पशुओं के प्रति इसके प्रेम को प्रदर्शित करती है। बैंक ने निम्नांकित पशुओं को अप्रैल 2010 से एक वर्ष के लिए गोद लिया है।

1. बाघिन - 'बासनी'
2. चीता - 'अग्नि'
3. रीछ - 'कमल'

● रिटेल ऋण

बैंक ने सभी वर्गों की वैयक्तिक, उपभोक्ता और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण वृद्धि पर बल दिया है। देशभर में बैंक के 126 रिटेल बैंकिंग बुटीक (आरबीबी) हैं। पुनः बैंक ने सुदृढ़ परिचालनगत दिशानिर्देशों और दक्ष जनशक्ति के साथ रिटेल ऋण की प्रक्रिया और संवितरण को और सरल बनाने हेतु 27 केन्द्रीय रिटेल बैंकिंग बुटीक खोले हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष के रु.1795.60 करोड़ के सापेक्ष बैंक ने 75.37% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2009-10 के दौरान रु.3148.97 करोड़ का ऋण संवितरित किया है। मार्च 2009 को यथास्थिति रु.8400.59 करोड़ के बकाया के सापेक्ष मार्च 2010 में बकाया ऋण रु.10082.14 करोड़ रहा। यह वर्ष के दौरान 20.02% की वृद्धि दर्शाता है। रु.72437 करोड़ के सकल ऋण में रु.10082.14 करोड़ का रिटेल ऋण अंश 13.92% है।

रिटेल ऋण का संवितरण निम्नानुसार है:

1. Rae Bareilly, U.P.
2. Hazaribagh, Jharkhand
3. Bolpur, W.B.
4. Debra, W.B.
5. Dumka, Jharkhand
6. Banda(U. P.)

The target groups for training interventions are:

Small/Marginal/Tenant Farmers/Landless Labourers
Medium & Large Farmers
First Generation Entrepreneurs
Established Entrepreneurs

Up to 31.03.2010, 636 programmes were conducted and extended trainings to 17077 farmers / unemployed youths , out of which 7376 trainees were credit linked involving an amount of Rs.49.29 Crores.

● Welfare of Wild Animal

As a part of its CSR activities, the Bank has initiated adoption of wild animals at 'Van Vihar' Bhopal showing its love for wild animals. The Bank has adopted following animals for one year commencing from 1st April, 2010.

1. Tigress – 'BASANI'
2. Leopard – 'AGNI'
3. Sloth Bear – 'KAMAL'

Retail Credit

The Bank has emphasized to augment the loans under various retail loan schemes to cater to the personal, consumer & business needs of all sections of the society. The Bank has 126 Retail Banking Botiques (RRBs) all over the country. Again the Bank has opened 27 Central Retail Banking Botiques (CRBBs) to further the easy processing & disbursement of the of Retail loans with strong operational guidelines & efficient manpower.

Disbursement during the year 2009-10 was Rs. 3148.97 Crore as against Rs.1795.60 Crore during the last financial year registering a growth of 75.37%. Total outstanding as on Mar-2010 stood at Rs. 10082.14 Crore as against Rs. 8400.59 Crore as on Mar'2009. This shows an increase of 20.02% during the year. The share of Retail credit having outstanding of Rs.10082.14 Crore is 13.92% to Gross credit which is 72437 Crore.

Distribution of Retail Loans are as follows:

योजना /Scheme	बकाया / Outstanding	बकाया का % / % of Outstanding
गृह ऋण / HOUSING LOAN	3139.37	31.14%
संपत्ति / PROPERTY	1590.14	15.77%
किराया / RENT	1228.02	12.18%
सरल ऋण / SARAL LOAN	1218.37	12.08%
शिक्षा ऋण / EDUCATION	825.72	8.19%
आल बैंक ट्रेड / ALL BK TRADE	638.07	6.33%
कार ऋण / CAR LOAN	439.34	4.36%
अन्य / Other	1003.11	9.95%
कुल /Total	10082.14	100.00%

शुल्क आधारित आय

बैंक ने तृतीय पक्ष उत्पादों और अन्य शुल्क आधारित गतिविधियों के संवर्धन पर बल दिया। 2009-10 के दौरान टीपीपी व्यवसाय से कुल आय विगत वर्ष के रु.12.56 करोड़ से 39.88 % बढ़कर रु.17.57 करोड़ हो गई।

टीपीपी व्यवसाय के जीवन बीमा और साधारण बीमा क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ने एलआईसीआई और यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी लि. (यूएसजीआईसीएल) के साथ टाईअप किया है। म्युचुअल फंड व्यवसाय के अंतर्गत बैंक का देश की पाँच अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों अर्थात: युटीआई, प्रिंसिपल पीएनबी, कोटक महिन्द्रा, फ्रैंकलिन टेम्पलटन और रिलायंस म्युचुअल फंड के साथ बहुविध टाईअप है ताकि अपने ग्राहकों, जो अपनी अधिशेष निधि को म्युचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, को विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराये जा सकें। सीबीएस में माइग्रेट होने के उपरांत और नए एप्लीकेशन साफ्टवेयर (cash@will) के लागू होने से नकदी प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के अंतर्गत नए अवसर सामने आए हैं और बैंक की योजना है कि विभिन्न प्रकार के नए सीएमएस उत्पाद लाकर मौके का भरपूर लाभ उठाया जाए। सीएमएस के अंतर्गत आय बढ़ाने के उद्देश्य से भुगतान उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जैसे डीडीएफ ड्राइंग डिविडेड/ इंटररेस्ट वारंट और डायरेक्ट डेबिट/डायरेक्ट क्रेडिट (लिखत एवं अधिदेश आधारित)। वर्तमान में बैंक के छह डीपी हैं और यह कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर इनका विस्तार करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने आलबैंक गोल्ड के अंतर्गत स्वर्ण सिक्कों की खुदरा बिक्री शुरू की है और 2009-10 के दौरान 274.36 कि.ग्रा. कुल भार के 36760 स्वर्ण सिक्कों की बिक्री की है तथा रु.3.02 करोड़ की आय अर्जित की है।

निवेश

दिनांक 31.03.2010 को यथास्थिति बैंक का सकल निवेश रु. 38680 करोड़ था जबकि दिनांक 31.03.2009 को यथास्थिति यह रु. 30081 करोड़ था। निवेश पर आय 2008-09 के दौरान 7.57% से घटकर बाजार प्रवृत्ति के अनुरूप 2009-10 के दौरान 6.83% हो गई।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने बासेल-II मानदंडों को कार्यान्वित किया है और वर्ष 2009-10 हेतु पूजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) की गणना इस संबंध में भारिबैं के निर्धारण के अनुसार की गई है। भारिबैं के निर्देशानुरूप, बैंक ने ऋण जोखिम के तहत जोखिम भार की गणना के लिए मानक दृष्टिकोण प्रणाली, परिचालन जोखिम हेतु बेसिक इंडिकेटर एप्रोच और बाजार जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण - अवधि आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है। उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटी के अनुरूप बैंक ने एकीकृत और व्यापक रूप से ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के जोखिम कारकों की कारगर पहचान, उपाय और प्रबंधन के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार की है। बैंक ने व्यापक स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति वाली समुचित जोखिम प्रबंधन संरचना विकसित की है। इसके अतिरिक्त, बासेल-II के अंतर्गत एडवांस एप्रोच की तैयारी हेतु बैंक समस्त शाखाओं और कार्यालयों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिक आधारित एमआईएस प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

बासेल-II मानकों के अन्तर्गत प्रकटीकरण अनुबंध के रूप में अलग से दिए गए हैं (पृष्ठ. 54 - 81)

ग्राहक सेवा

“बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति” बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार का केन्द्रबिंदु है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित लोक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) के सुझावों के कार्यान्वयन

Fee Based Income

The Bank has put a thrust towards promotion of third party products and other fee based activities. The income from TPP business grew by 39.88% to reach at Rs.17.57 crores during 2009-10 from Rs.12.56 crores last year.

Under Life Insurance and General Insurance segment of TPP business, Bank is having respective tie up with LIC and Universal Sampo General Insurance Company Ltd. (USGICL). Under Mutual Fund business, the Bank is having Tie up arrangements with country's five leading Asset Management Companies viz. UTI, Principal PNB, Kotak Mahindra, Franklin Templeton & Reliance Mutual Fund for Providing wide range of products to its customers who intend to park their surplus fund in MFs. Under Cash Management Services (CMS), new avenues have emerged post migration to CBS and introduction of new Application Software (cash@will), the Bank has plans to fully exploit the situation with varied new CMS products. In order to augment income under CMS, Bank is focusing on Payment Products like DDF Drawing Dividend/ Interest Warrant and Direct Debit/ Direct Credit (Instrument and mandate based). Currently Bank is having six DPs and is in the process of expanding it at few more strategic locations. The Bank has launched retail selling of Gold Coins under “AllBank Gold” and sold as many as 36760 Gold Coins weighing 274.36 Kgs & booked an income of Rs.3.02 crore during 2009-10.

INVESTMENTS

Gross investments of the Bank were at Rs.38680 crores as on 31.3.2010 as against Rs.30081 crores as on 31.3.2009. The yield on investments declined to 6.83% during 2009-10 from 7.57% during 2008-09, in line with the market trend.

RISK MANAGEMENT

The Bank has implemented BASEL II norms and the calculation of Capital Adequacy Ratio (CRAR) for the year 2009-10 has been done as per the RBI prescription in this regard. In line with the RBI direction, the Bank has adopted Standardised Approach methodology for calculation of Risk weight under Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational risk and Standardised Approach-duration based approach for market risk. In line with the best practice in Industry, the Bank has set up a Comprehensive Risk Management Framework to effectively identify, measure and manage risk elements of Credit, Market and Operational Risks in an integrated and comprehensive manner. The Bank has evolved suitable Risk Management architecture comprising a Board Level Risk Management Committee. Further, towards preparedness for advance approach under BASEL II, the Bank is in the implementation process of a technology-based MIS system covering all the branches and offices.

Disclosures under BASEL - II norms is provided in a separate Annexure (Pg. No.54-81).

CUSTOMER SERVICE

The Bank's “Customer Service Committee of the Board” is pivoted on the improvement in customer service. The suggestions of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services (CPPAPS), constituted by Reserve

को बैंक द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। शाखा स्तर पर आयोजित ग्राहक सेवा लेखापरीक्षा किसी भी प्रकार की अनियमितता, यदि हो, के परिशोधन हेतु तत्काल ध्यान देती है। ग्राहक सेवा में सुधार के बारे में निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति को तिमाही आधार पर अवगत कराया जाता है। ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति को तीन लोक प्रतिष्ठित हस्तियों को गैर-कार्यपालक सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए पुनर्गठित किया गया है। समिति की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित होती हैं। शिकायत मुक्त परिवेश की आदर्श स्थिति बनाने के प्रयास और उसे हासिल करने के लिए बैंक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पर बल देता है। तथापि, जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके निवारण के लिए तत्काल उपचारी उपाय किए जाते हैं। शिकायतों को उनके स्वरूप और गंभीरता के आधार पर एबीसी विश्लेषण द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और शिकायत की श्रेणी हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर उसका निवारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिकायत निवारण और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति के सुझावों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

अपने ग्राहक को जानिए और एंटी मनी लाउन्डरिंग उपाय

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए/एंटी मनी लाउन्डरिंग मानदंडों से संबंधित विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश अपनाए हैं। पीएमएलए 2002 उपबंधों के अनुसार अनिवार्य विवरणियों अर्थात् नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और जाली मुद्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं तथा सभी शाखाओं/कार्यालयों को ये विवरणियां निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने हेतु सुग्राह्य बनाया गया है। बैंक ने वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत, भारत सरकार को मासिक सीटीआर प्रस्तुत करना जारी रखा। बैंक द्वारा खाता खोलते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाती है ताकि किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के साथ व्यवसाय करते समय जोखिम से बैंक की रक्षा की जा सके जिसकी पहचान निर्धारित नहीं की जा सकती या जो सूचना प्रदान करने से इंकार करता है अथवा जिसने ऐसी सूचना प्रदान की है जिसमें ऐसी असंगतियाँ हैं, जिन्हें उचित जाँच के बाद भी ठीक नहीं किया जा सकता।

सूचना प्रौद्योगिकी

शाखा कम्प्यूटरीकरण

बैंक ने यथास्थिति 31.03.2010 को अपनी समस्त 2286 शाखाओं (विदेशी शाखा सहित), 66 विस्तार पटलों एवं विभिन्न मंडलीय/क्षेत्र कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हासिल कर लिया है। बैंक ने अपनी समस्त मुद्रा तिजोरियों (41) को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया है।

केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

बैंक काफी तेज रफ्तार से सीबीएस को कार्यान्वित कर रहा है।

- 969 शाखाओं/ कार्यालयों को सीबीएस के दायरे में लाया जा चुका है जिनसे 81.68% बैंक व्यवसाय संचालित होता है।
- परियोजना की निगरानी हेतु वाशी, नवी मुम्बई में सीबीएस परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है।
- डीएकेसी, नवी मुम्बई में डाटा सेंटर स्थापित किया गया है।
- लखनऊ में डिजास्टर रिकवरी केंद्र (डीआरसी) स्थापित किया गया है।
- सीबीएस शाखाओं को सहायता प्रदान करने और दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में आने वाली दिक्कतों के समाधान हेतु सीबीएस परियोजना कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

इंटरनेट बैंकिंग

सीबीएस शाखाओं के ग्राहकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और ई-भुगतान सुविधाएं पूरी तरह परिचालन में हैं। सीबीएस

Bank of India, are accorded top priority for implementation in the Bank. Customer Service Audit, conducted at the branch level, receives immediate attention for rectification of irregularities, if any. The improvement in customer service is appraised to the Customer Service Committee of the Board of Directors' on quarterly basis. Besides, the Standing Committee on Customer Service has been reconstituted with the induction of three personalities of public eminence as non-executive members. The meeting of the committee are held on quarterly basis. The Bank lays emphasis on improving customer service par excellence to strive and achieve an ideal situation of complaint free environment. However, whenever the complaints are received, remedial measures are immediately taken to redress them. The complaints are categorized on the basis on the nature and gravity of the complaint by way of ABC analysis and it is ensured to redress these within the timeframe prescribed for the category. Besides, steps are taken as per suggestions of the Standing Committee on Customer Service towards grievance redressal and improvement of customer service.

Know Your Customer & Anti Money Laundering Measures

Bank has adopted the comprehensive policy guidelines on Know Your Customer/ Anti Money Laundering Norms in consonance with the Reserve Bank of India directives. The guidelines for submission of mandatory returns viz. Cash Transaction Reports (CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports as per the provisions of the PMLA, 2002 have been issued time-to-time and all branches/offices have been sensitized on submission of these return within the prescribed time limit. Bank continues to submit the monthly CTRs to Financial Intelligence Unit-India, Govt. of India. Adequate precautions are taken by the Bank while opening of accounts to protect the Bank from the risk of doing business with any individual or entity whose identity cannot be determined or refused to provide information, or who have provided information that contains significant inconsistencies which cannot be resolved after due investigation.

INFORMATION TECHNOLOGY

Branch Computerisation

The Bank has achieved 100% computerisation as on 31.03.2010 by computerising all its 2287 branches (including Foreign Branch), 66 Extension counters and various Zonal/ Field Offices. The Bank has also computerised all its Currency Chests (41).

Centralized Banking Solution (CBS)

The Bank has been implementing CBS at a very rapid pace.

- 969 branches/offices CBS covering 81.68% of Bank's business.
- The CBS Project Office has been established at Vashi, Navi Mumbai for monitoring the project.
- Data centre has been set up at DAKC, Navi Mumbai.
- Disaster Recovery Site (DRS) has been built at Lucknow.
- Help Desk has been set up at CBS Project Office for assisting the CBS branches and trouble shooting for daily operations.

Internet Banking

Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking and e-Payment facilities for customers of CBS branches are fully

शाखाओं के ग्राहक बैंक की निम्नांकित इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग और ई-भुगतान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं: <https://www.allahabadbank.in>. हमारे इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आनलाइन निधि अंतरण सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

वर्ष के दौरान ग्राहकों के लिए इंस्टेंट डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की गई है। बैंक ने 211 एटीएम स्थापित किये हैं और 892 शाखाओं को इनके नेटवर्क से जोड़ा है। अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और सेवा कवरेज को व्यापक बनाने हेतु बैंक ने 28 सदस्य बैंकों के साथ एटीएम नेटवर्क शेयर करने के लिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) को ज्वाइन किया है जो मैसर्स आईडीआरबीटी, हैदराबाद की परियोजना है। बैंक के ग्राहक 01.12.2008 से बिना किसी प्रभार के सभी प्रकार के लेनदेन हेतु देशभर में सभी वीसा और एन.एफ.एस.एटीएम का उपयोग कर सकते हैं।

बैंक ने एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने हेतु वीजा की प्रमुख सदस्यता प्राप्त की है और अपने ग्राहकों को 81 हजार इंस्टेंट एटीएम कार्ड सहित 6.46 लाख से अधिक एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी किये हैं।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान/निपटान प्रणाली

बैंक की 896 शाखाएँ भारिबैं द्वारा प्रायोजित आरटीजीएस लेनदेनों में सहभागिता कर रही हैं। अंतर बैंक लेनदेनों में आरटीजीएस हेतु अपेक्षित एसएफएमएस एप्लीकेशन को 896 शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है। आरटीजीएस हेतु डिजास्टर रिकवरी साइट डीआईटी, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में स्थापित किया गया है। एनडीएस/पीडीओ हेतु सर्वर भी परिचालन में है। एनईएफटी को 897 शाखाओं में लाइव बनाया गया है।

अप्रत्यक्ष करों हेतु उत्पाद एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक एकाउंटिंग (ईएसआईएसटी)

बैंक ने अपनी सभी 183 प्राधिकृत शाखाओं को उत्पाद एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक एकाउंटिंग (ईएसआईएसटी) में सहभागिता हेतु सक्षम बना दिया है। अप्रत्यक्ष करों (सीबीईसी-ईएसआईएसटी) के लिए करदाताओं हेतु ई-भुगतान सुविधा भी शुरू की जा चुकी है।

प्रत्यक्ष करों हेतु ऑनलाइन लेखा प्रणाली (ओएलटीएस)

बैंक ने अपनी 167 नामोद्दिष्ट शाखाओं को ओएलटीएस में सहभागिता हेतु सक्षम बना दिया गया है। प्रत्यक्ष करों (सीबीडीटी-ओएलटीएस) के लिए करदाताओं हे; ई-भुगतान सुविधा भी शुरू की जा चुकी है।

नेटवर्किंग

- सीबीएस हेतु देशभर में 39 नेप(नेटवर्क एग्रीगेशन प्वाइंट) स्थापित किए गए हैं।
- कारपोरेट मेल मेसेजिंग सिस्टम लोटस डोमिनो कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- एटीएम कनेक्टिविटी हेतु 271 वीसेट (ऑफसाइट और ऑनसाइट दोनों) स्थापित किए गए हैं।
- बैंक ने अपनी त्रिभाषिक वेबसाइट (www.allahabadbank.in) लांच की है जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्थानीय बंगला भाषा को भी जोड़ा गया है।
- इंटरनेट सर्वर को यूएसए से अंतरित कर भारत में पुणे में स्थापित किया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

निम्नलिखित 21 स्थलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को चालू किया गया है ताकि कार्यपालकों को बैठकें करने, समूह चर्चा और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में सुविधा हो सके।

operational. The customers of CBS branches can avail the facility of Internet Banking and e-payment facility through Bank's Internet Banking website <https://www.allahabadbank.in>. Online fund transfer through RTGS/NEFT provided to our Internet Banking Customers.

Automated Teller Machines (ATMs)

Instant debit card facility to the customers has started during the year. The Bank has installed 211 ATMs and added 892 branches on its network. In order to broaden the customer base and facilitate wider service coverage, Bank has joined National Financial Switch(NFS), a project by M/S IDRBT Hyderabad, an institute set up by RBI, for sharing ATM network across 28 member Banks. Our Bank customers can access all VISA & NFS ATM across the country for all sorts of transaction without any charges from 01.12.2008.

The Bank is also having principal membership of VISA for issue of ATM-cum-Debit card and has issued more than 6.46 lacs ATM-cum-Debit cards including 81 thousand Instant ATM cards to customers.

Electronic Payment/Settlement System

896 branches of the Bank are participating in RBI sponsored RTGS transactions. SFMS application required for doing the RTGS inter branch transactions has been implemented in 896 branches. The Disaster Recovery Site for RTGS has been set up at DIT, Head Office, Kolkata. Server for NDS/PDO is also operational. NEFT has been made live in 897 branches.

Electronic Accounting in Excise and Service Tax (EASIST) for Indirect Taxes

The Bank has made all of its 183 authorised branches enabled for participating in Electronic Accounting in Excise and Service Tax(EASIST). e-Payment facility for Indirect Taxes (CBEC-EASIST) has been launched for Tax payers.

Online Tax Accounting System(OLTAS) for Direct Taxes

The Bank has made all its 167 designated branches enabled for participating in OLTAS system. e-Payment facility for Direct Taxes(CBDT-OLTAS) has been launched for Tax payers.

Networking

- 39 NAPs (Network Aggregation Points) for CBS has been set up across the country.
- Corporate mail messaging system LOTUS DOMINO is in the process of implementation.
- 271 VSATs (both offsite & onsite) has been set up for ATM connectivity.
- Bank has launched its Tri-lingual website (www.allahabadbank.in) with the introduction of Vernacular language Bengali along with Hindi & English.
- The Internet Server has been shifted from USA to India and was set up at Pune.

Video Conferencing

Video Conferencing System has been installed at the following 21 locations facilitating Executives in holding meetings, group discussions, conducting training programmes etc. for officers/employees of the Bank.

SL No	स्थान/Location	SL No	स्थान/Location
1	प्रधान कार्यालय / Head Office	12	मं.का. चंडीगढ़ / ZO Chandigarh
2	एसटीसी कोलकाता / STC Kolkata	13	मं.का. लुधियाना/ ZO Ludhiana
3	एसटीसी लखनऊ / STC Lucknow	14	ट्रेजरी शाखा, मुंबई/ Treasury Branch, Mumbai
4	आईआरटी पंचकुला / IRT Panchkula	15	सीबीएस प्रोजेक्ट आफिस/ CBS Project Office
5	मं.का. मुंबई / ZO Mumbai	16	मं.का. हैदराबाद/ ZO Hyderabad
6	मं.का. कोलकाता मेट्रो / ZO Kolkata Metro	17	एसटीसी हैदराबाद/ STC Hyderabad
7	मं.का. नई दिल्ली / ZO New Delhi	18	एफजीएमओ बंगाल/ FGMO Bengal
8	मं.का. चेन्नई / ZO Chennai	19	एसटीसी भुवनेश्वर/ STC Bhubaneswar
9	मं.का. लखनऊ / ZO Lucknow	20	एसटीसी पटना/ STC Patna
10	मं.का. रांची / ZO Ranchi	21	एफजीएमओ कानपुर/ FGMO Kanpur
11	मं.का. अहमदाबाद / ZO Ahmedabad		

चेक ट्रंकेशन पद्धति

- बैंक ने भा.रि. बैंक की अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के अंतर्गत चेक ट्रंकेशन सिस्टम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैसर्स एनसीआर क्राफ्ट इंडिया प्रा.लि. मुंबई का चयन विक्रेता के रूप में किया गया है।
- शाखाएं आर बी आई सीटीएस प्रणाली के लाइव ऑपरेशन में सेवा शाखा नई दिल्ली के माध्यम से दिनांक 27.06.2008 से सहभागिता कर रही हैं।

सीटीएस रिपोर्ट

12 CHEQUE TRUNCATION

- The Bank has already initiated the process of implementation of Cheque truncation system under National Capital Region (NCR) of Delhi as per RBI requirement. M/s NCR Crop. India Pvt. Ltd. Mumbai was selected as vendor.
- Branches are participating in live operation of RBI CTS system from service Branch New Delhi since 27.06.2008.

CTS Report

क्र.सं. / SI No.		माह के दौरान क्लियरिंग विवरण Clearing Particulars during the Month			
		जनवरी 10 / Jan'10		फरवरी 10 / Feb'10	
		आवक / Inward	जावक / Outward	आवक / Inward	जावक / Outward
1	शाखाओं की कुल संख्या Total No. Branches	65		65	
2	सीबीएस में माइग्रेट हुई शाखाएँ Branched migrated to CBS	63		63	
3	सीटीएस में सहभागी शाखाएँ Branches Participating in CTS	62	62	62	62
4	प्रोसेस किए गए चेकों की सं. No. of Cheque Processed	176487	125926	160402	110844
5	सीटीएस के माध्यम से प्रोसेस किए गए चेकों की संख्या No. of Cheque Processed through CTS	176487	125926	160402	110844
6	प्रोसेस की गई राशि(करोड़ में) Amount Processed (in crores)	993.44	794.51	1221.37	885.83
7	सीटीएस के माध्यम से प्रोसेस की राशि Amount processed through CTS	993.44	794.51	1221.37	885.83
	सीटीएस के माध्यम से समाशोधित चेकों का (%) (%) of Cheques cleared through CTS		100%		100%

अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

अपने कर्मचारियों को उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास हेतु बैंक ने पंचकुला हरियाणा में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया है। बैंक ने कार्यान्वयन, रखरखाव और शाखाओं को सहायता प्रदान करने हेतु आईटी विशेषज्ञों की टीम गठित की है जो एचकेआई बैंक साफ्टवेयर के विकास और बग फिक्सिंग हेतु कार्य करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग :

बैंक अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय 53 प्राधिकृत/नामोद्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से संचालित करता है जिनमें 6 अंतरराष्ट्रीय शाखाएं एवं 1 अंतरराष्ट्रीय-सह-औद्योगिक वित्त शाखा शामिल है। 31.03.2010 को

Achievements in the Field of Research & Technology

The Bank has set up Institute for Research & Technology at Panchkula, Haryana to impart high quality technical education to its employees and to conduct research and development in banking technology. The bank has formed a team of IT specialists for implementation, maintenance and supporting branches for development and bug fixing of HKI Banksoft Software.

INTERNATIONAL BANKING

The Bank carries out its International business through its 53 authorised / designated branches, which includes 6 International branches and 1 International cum Industrial

यथास्थिति बैंक का निर्यात ऋण रु. 2345.61 करोड़ था। बैंक निर्यातकों को और अधिक ऋण प्रदान करने हेतु कदम उठा रहा है। विभिन्न केन्द्रों पर निर्यातकों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें उपलब्ध की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। बैंक विदेशों में प्रमुख बैंकों के साथ प्रतिनिधि संबंध बनाए रखता है और 15 विदेशी बैंकों के साथ विभिन्न मुद्राओं में मानक समाधान अनुदेशों को कार्यान्वित करता है। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से अनिवासी भारतीयों की जरूरतों का ख्याल रख रहा है। बैंक की एक एनआरआई शाखा जालंधर में है।

विदेश में उपस्थिति

बैंक की हांगकांग में एक विदेशी शाखा है जिसने वर्तमान वित्तीय वर्ष में निवल लाभ अर्जित किया है। शाखा पिछले दो वर्षों से परिचालन लाभ अर्जित कर रही है। बैंक का शेनझेन, चीन में एक प्रतिनिधि कार्यालय है जो एक पूर्ण शाखा के रूप में कोटिउन्नयन हेतु पात्र है।

निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा

निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रणाली में आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, ईडीपी/आईएस लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित लेखापरीक्षा और प्रणाली लेखापरीक्षा की जाती है। शाखाओं के नियमित निरीक्षण के साथ-साथ ईडीपी/आईएस लेखापरीक्षा, आरबीआईए, एचआर लेखापरीक्षा और प्रणाली लेखापरीक्षा की जाती है।

बड़ी शाखाओं, बहुत बड़ी शाखाओं, असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं, फोरेक्स कम ट्रेजरी शाखा और डीलिंग रूम आदि की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है अर्थात् सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म द्वारा “लेनदेनों की साथ-साथ जांच”।

वर्ष 2009-10 के दौरान 1649 शाखाओं, 42 करेंसी चेस्ट, 13 मंडलीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के 15 विभागों, 03 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों और 02 क्षेत्र निरीक्षण कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया गया। 32 मंडलीय कार्यालयों में प्रबंधन लेखापरीक्षा भी की गई जबकि 45 मंडलीय कार्यालयों, 8 एफआईओ और 06 एसटीसी में नियमित निरीक्षण (राजस्व भाग) किया गया।

आंतरिक नियंत्रण की कारगर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, अनियमितताओं के परिशोधन में हुई प्रगति, निरीक्षण रिपोर्ट फाइल बंद करने पर विचार करने हेतु मंडलीय कार्यालय स्तर पर मंडलीय निरीक्षण समिति (जेडआईसी) गठित हैं जिसमें मंडल प्रमुख समन्वयक तथा क्षेत्र निरीक्षण कार्यालय (एफआईओ) प्रमुख सदस्य होता है। मंडलीय निरीक्षण समिति की बैठकें द्विमासिक अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

सतर्कता

बैंक द्वारा अपनाई गई सतर्कता नीति केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुरूप है। विभिन्न निवारक उपायों के माध्यम से बैंक में कपट, जालसाजी, कदाचार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं। ऐसे मामलों की कार्यप्रणाली और इसके प्रेरणार्थक कारकों को नियमित रूप से परिपत्रों के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है ताकि उन्हें समुचित रूप से शिक्षित किया जा सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति

Finance branch. Export Credit of the Bank as on 31.03.2010 stood at Rs. 2345.61 crores. The Bank is taking steps to increase the credit flow to exporters. Exporters' meets are arranged at various centres to explain various facilities available to them. The bank maintains correspondent relationship with prime banks abroad and Standard Settlement instructions in various currencies with 15 foreign banks. The Bank is also catering to the need of Non-Resident Indians through its branches. The Bank is having one NRI branch at Jalandhar.

Overseas presence

Bank is having one overseas branch at Hong Kong which has earned net profit in the current financial year. The branch is earning operational profit during last two years. Branch is having a Representative Office at Shenzhen, China which is eligible for upgradation into a full fledged branch.

INSPECTION AND AUDIT

Bank has a comprehensive Inspection & Audit Policy for undertaking Internal Inspection, Concurrent Audit, Revenue Audit, EDP/IS Audit, Risk Based Internal Audit(RBIA), Management Audit, Human Resource (HR) Audit and System Audit. EDP/IS Audit, RBIA, HR Audit & System Audit are carried out concurrently with regular inspection of Branches.

Branches including Large, Very Large, Exceptionally Large, Forex-cum-Treasury Branch and Dealing Rooms etc. are subjected to Concurrent Audit, that is, “simultaneous checking of transactions”, by outside Chartered Accountant Firms.

During the year 2009-10, regular inspection was carried out at 1649 branches, 42 Currency Chests, 13 Zonal Offices, 15 Head Office Departments, 03 Staff Training Centres (STC) and 02 Field Inspection Offices(FIO). Management Audit was also conducted in 32 Zonal Offices whereas Regular Inspection (Revenue Part) was covered at the 45 Zonal Offices, 08 FIOs and 06 STCs.

At Zonal Office level, Zonal Inspection Committees (ZIC) are formed with Zonal Head as convener and FIO Head as member to ensure effective monitoring of Internal control system, progress in rectification and considering closure of inspection report files. The meetings of ZIC are conducted at bi-monthly interval.

VIGILANCE

The vigilance policy followed by the Bank is in consonance with the various guidelines/directives issued by the Central Vigilance Commission, Reserve Bank of India and Ministry of Finance from time to time. Requisite steps are taken to contain and control fraud, forgery, malpractice etc, in the Bank through various preventive measures. Modus operandi of such cases, as also causative factors leading to the same, are regularly communicated to the field functionaries through Circulars, so

को रोका जा सके। कमियों को दूर करने हेतु धोखाधड़ी की संभावना वाली शाखाओं का नियमित आधार पर आकस्मिक सतर्कता निरीक्षण किया जाता है। सतर्कता के शिक्षाप्रद उपायों के रूप में नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। छह दिन और अधिक के हर प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवारक सतर्कता से संबंधित एक या दो सत्र शामिल किए जाते हैं। आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार लाने हेतु जब कभी आवश्यक हो प्रणाली में सुधार किए जाते हैं। कार्यपालकों द्वारा क्षेत्र के दौरे के समय इन सभी पहलुओं को उजागर किया जाता है। तथापि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयों के माध्यम से दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो दूसरों के लिए चेतावनी का कार्य करता है। प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में आंतरिक नियंत्रण और निवारक सतर्कता शिक्षाप्रद उपायों पर भी बल दिया जाता है।

राजभाषा

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। तदनुसार, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत द्विभाषिक रूप में दस्तावेज जारी करने, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने, मैनुअल और कोड का द्विभाषिक प्रकाशन, लेखन सामग्री मर्दों के द्विभाषीकरण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किया गया। वर्ष के दौरान, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों में नामित किया गया। 86 हिन्दी कार्यशालाएं (1613 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया) एवं 78 डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम (695 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया) वर्ष के दौरान आयोजित किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 31.10.2009 को हमारे सतना मंडल के अंतर्गत पन्ना शाखा का हिन्दी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने दिनांक 21.10.2009 एवं 19.03.2010 को नराकास के माध्यम से क्रमशः मण्डलीय कार्यालय, हैदराबाद एवं मंडलीय कार्यालय, रायपुर के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम किया। समिति के सदस्यों ने बैंक द्वारा राजभाषा के प्रयोग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग शब्दावली स्थायी समिति की एक बैठक में हमारे महाप्रबंधक (राजभाषा) को बैंकिंग एवं विधि विशेषज्ञ के रूप में विधि शब्दों को अंतिम रूप देने के लिए आमंत्रित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.07.2009 को हमारे मण्डलीय कार्यालय, कानपुर, दिनांक 26.06.2009 को मण्डलीय कार्यालय, चण्डीगढ़ और दिनांक 06.06.2009 को मण्डलीय कार्यालय, कोलकाता (अर्बन) एवं कसबा शाखा का निरीक्षण किया और हमारे बैंक द्वारा राजभाषा प्रयोग के संबंध के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2010 को हमारे प्रधान कार्यालय का हिन्दी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया और हमारे बैंक द्वारा राजभाषा प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयासों को बहुत संतोषजनक पाया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) कोलकाता के उप निदेशक द्वारा हमारे मंडलीय कार्यालय, बेहाला का

as to educate them properly and avoid recurrence. Surprise Vigilance Inspection of fraud-prone Branches is to plug the loopholes. As measures of educative vigilance, training sessions and seminars are regularly conducted. In every training programme of duration 6 days & above, one or two sessions are incorporated on preventive vigilance. Systems improvement, whenever necessary, is taken up, to usher internal control mechanism. All these aspects are highlighted during field visits by the executives. However, punitive action is also taken against the erring officials through disciplinary proceedings, which acts as a deterrent to others. Stress is also given on measures of educative vigilance through training sessions, seminars & workshops.

Official Language

Compliance of various provisions under the Official Language Policy was ensured in order to achieve the targets stipulated in the Annual Programme. Accordingly, statutory requirements in regard to bilingual issuance of documents under Section 3 (3) of Official Language Act, reply of Hindi letters in Hindi, bilingual publication of manuals & codes, bilingualisation of stationery items was ensured. During the year, a large number of Officers & employees, not having working knowledge of Hindi, were nominated for various Hindi courses conducted by the Government of India. 86 Hindi workshops (1613 officers/employees participated) and 78 Desk Training programmes (695 officers/employees participated) were organized, during the year.

The Parliamentary Committee on Official Language conducted an inspection of our Panna Branch under Satna Zone on 31.10.2009 regarding use of Official Language.

The Drafting and Evidence sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held a discussion programme on 21.10.2009 and 19.03.2010 with Zonal Office, Hyderabad and Zonal Office, Raipur respectively through the Town Official Language Implementation Committee. The members of the Committee appreciated the efforts being made by our Bank in regard to use of Official Language.

Our General Manager (Official Language) was invited as a specialist of Banking and Law in a meeting of the Banking Glossary Standing Committee of Reserve Bank of India to finalise legal words.

The Reserve Bank of India inspected our Zonal Office, Kanpur on 29.07.2009, Zonal Office, Chandigarh on 26.06.2009 and Zonal Office, Kolkata (Urban) & Kasba Branch on 06.06.2009 and appreciated the efforts being made by our Bank in regard to use of Official Language.

Joint Director, Financial Services Department, Ministry of Finance, Government of India inspected our Head Office on 27.03.2010 and found the efforts being made by our Bank in regard to use of Official Language very satisfactory. The Deputy Director, Regional Implementation Office (Eastern Region), Kolkata, Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Deptt. inspected our Zonal Office, Behala on

दिनांक 04.12.2009 को हिन्दी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया और बैंक द्वारा हिन्दी प्रयोग की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

बैंक ने सितंबर माह को देशभर में “हिन्दी माह” के रूप में मनाया। इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु एक अपील के माध्यम से समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया। हिन्दी माह के दौरान “अखिल भारतीय हिन्दी निबंध लेखन” सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

बैंक ने हिन्दी प्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए- “रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता” 2007-08 हेतु बैंक ने भाषा क्षेत्र “क” में “तृतीय स्थान” प्राप्त किया। “रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता” 2008-09 के अंतर्गत भी बैंक को भाषा क्षेत्र “क” में “तृतीय स्थान” प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, मण्डलीय कार्यालय, कोलकाता (मेट्रो) को पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मण्डलीय कार्यालय गुवाहाटी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। मण्डलीय कार्यालय, मेरठ को उत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हमारे बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका “त्रिवेणी धारा” को वर्ष 2007-08 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच “प्रथम पुरस्कार” प्राप्त हुआ और वर्ष 2008-09 हेतु भी द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत “त्रिवेणी धारा” के लिए प्रथम पुरस्कार की घोषणा की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कारों के अंतर्गत राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय को ‘श्रेष्ठता प्रमाणपत्र’, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद को ‘प्रथम पुरस्कार’, मण्डलीय कार्यालय, देहरादून को ‘द्वितीय पुरस्कार’ तथा मण्डलीय कार्यालय, चेन्नै को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

वर्ष के दौरान हमारे मंडलीय कार्यालय राँची के संयोजकत्व में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), राँची की निर्धारित दो बैठकें बड़ी संख्या में पधारे सदस्यों की सहभागिता के साथ संपन्न हुईं।

मानव संसाधन विकास

विश्वस्तरीय बैंक के रूप में उभरने की कोशिश में बैंक द्वारा मानव पूंजी के विकास को विशेष महत्व दिया गया। मानव संसाधन की क्षमता के विकास हेतु विशेष पहल की गई है और महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में उनकी दक्षता को विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संभालने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है।

04.12.2010 and appreciated the efforts made by the Bank towards the use of Hindi.

The Bank observed the month of September as “Hindi Month” throughout the country. On this occasion, our Hon’ble Chairman & Managing Director called upon all the officers and employees for progressive use of Hindi, through an appeal. During the month, various competitions including “All India Essay Writing in Hindi” were organized.

The Bank received several national level prizes for outstanding performance in the area of implementation of official language; “Third Position” in linguistic region “A” under “Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition” for the year 2007-08. The Bank has also been awarded “Third Position” in linguistic region “A” for year 2008-09 under “Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition.” Also, Zonal Office, Kolkata (Metro) was awarded “First Prize” by Regional Implementation Office, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language under Regional Implementation Rajbhasha Puraskar Scheme in Eastern region. Zonal Office, Guwahati was awarded “Second Prize” by Regional Implementation Office, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language under Regional Implementation Rajbhasha Puraskar Scheme in North-East region. Zonal Office, Meerut was awarded “Third Prize” by Regional Implementation Office, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language under Regional Implementation Rajbhasha Puraskar Scheme in Northern region.

Our Bank’s bilingual House Magazine “Triveni Dhara” received “First Prize” by the Reserve Bank of India among all the public sector banks and financial institutions for the year 2007-08 and again the “First Prize” has been announced for “Triveni Dhara” for the year 2008-09 under bilingual House Magazine Competition.

Under the Town Official Language Implementation Committee prizes, Bank’s Head Office received the “Excellency Certificate”, Staff Training Centre, Hyderabad received the “First Prize”, Zonal Office Dehradun and Zonal Office, Chennai received the ‘Second Prize’ for excellent implementation of Official Language.

During the year, two meetings of Town Official Language Implementation Committee (Bank), Ranchi were organized in the convenorship of our Zonal Office, Ranchi with the participation of members in large number.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The Bank laid prime importance on developing human capital in tune with its quest to emerge a bank of global stature. Initiatives have been taken for capacity building of human resources by focusing their competencies and maximizing their potential in critical & vital functional areas, handling international business and adequate succession plan.

जनशक्ति

बैंक की जनशक्ति स्थिति निम्नानुसार प्रदर्शित है :

Manpower

The manpower complement of the Bank is depicted hereunder:

संवर्ग / Category	31.3.2009	31.3.2010
Officer	8,202	8,425
लिपिक / Clerk	7,631	8,249
Sub-staff	4,624	4,285
कुल स्टाफ / Total Staff	20,457	20,959
जिसमें से / Of which		
अनुसूचित जाति / Scheduled Castes	5,130	5,506
अनुसूचित जनजाति / Scheduled Tribes	1,041	1,194
अन्य पिछड़ी जाति / Other Backward Castes	700	1,207
महिलाएँ / Women	2,260	2,560
अन्य (असं, शावि, भूपूसै,) / Others (MC, PH, & XSM)	1,779	1,882

भर्ती एवं पदोन्नति

बैंक ने 2009-10 के दौरान 1000 अधिकारियों (विशेषज्ञ अधिकारियों सहित) और 1000 लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की। वर्ष के दौरान अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग से लेकर अधिकारी संवर्गों में उच्चतम स्तर तक सभी संवर्गों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई। पहली बार हमारे तीन महाप्रबंधक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए।

औद्योगिक संबंध

सौहार्दपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध परिवेश की पृष्ठभूमि में सामूहिक शिकायतों और पारस्परिक हितों के मुद्दे को समय-समय पर मान्यता प्राप्त अधिकारी एसोसिएशन और कर्मकार यूनियन के साथ द्विपक्षीय मंचों पर चर्चा कर निपटाया गया।

कल्याण

बैंक ने अपनी इस प्रतिबद्धता के अनुरूप कि मानव संसाधन संगठन की सर्वोत्तम संपत्ति है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जैसे i) समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु ग्रुप मेडिकलेम बीमा पालिसी, ii) 40 वर्ष से अधिक सभी पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके पति/पत्नी हेतु सामान्य स्वास्थ्य परीक्षा, iii) कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति, iv) मानसिक विकलांग बच्चों वाले कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु वित्तीय सहायता, v) सेवा के दौरान मृत कर्मचारी/अधिकारी के शोकसंतप्त परिवार को रु.1.00 लाख की अनुग्रह राशि और vi) सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके दंपति को रु.1.00 लाख के फ्लोटर कवरेज मेडिकलेम बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की अवधि 2009-10 तक बढ़ाई गई है।

आलबैंक फाइनेन्स लि.

आलबैंक फाइनेन्स लि. इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जिसका पूँजी आधार रु.15 करोड़ है। कंपनी सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकिंग और अंडरराइटर के रूप में पंजीकृत है। आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड कारपोरेट सलाहकार सेवा, परियोजना मूल्यांकन, इश्यू प्रबंधन,

Recruitment & Promotion

During 2009-10, the Bank undertook processes for recruitment of 1,000 Officers (including Specialist Officers) & 1000 clerical cadre employees. Promotion Processes were completed in all cadres during the year starting from the lowest rung in subordinate staff cadre to the highest rank in Officers' cadre. For the first time, three of our General Managers were elevated to the post of Executive Director in other Public Sector Banks.

Industrial Relations

In the backdrop of prevailing cordial & harmonious industrial relations climate scenario, the collective grievances and issues of mutual interest were discussed and settled in the bilateral forums with the recognized Officers' Association and Workmen Union.

Welfare

In tune with Bank's conviction that the Human Resources are the greatest asset of the organisation, Various welfare schemes such as i) Group Medilaim Insurance Policy for all the Employees/ Officers ii) General Health Check up for all eligible employees /officers above 40 years & their spouse iii) Scholarship to the Wards of the Employees/Officers IV) Financial assistance to the Employees/Officers having mentally challenged children v) Death exgratia of Rs 1.00 lakh to the bereaved family of the deceased employee/ Officer dying in harness and vi) Reimbursement of Medilaim Insurance premium to all retired employees and their spouse with a floater coverage for an amount of Rs. 1.00 lakh have been extended in the year 2009-10.

ALLBANK FINANCE LTD.

AllBank Finance Ltd. a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank with a capital base of Rs.15 crores. The company has obtained Category-I Merchant Banking and Underwriting registration from SEBI. AllBank Finance Ltd. engaged in

ऋण समूहन, डिबेंचर और ट्रस्टीशिप अंडरराइटिंग के काम में लगी हुई है। कंपनी ने 2008-09 के रु.9.41 करोड़ के लाभ के सापेक्ष 2009-10 के दौरान रु.7.28 करोड़ का लाभ दर्ज किया।

भावी योजनाएँ

- बैंक ने चालू वर्ष के दौरान लगभग 25% की दर से व्यवसाय वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- बैंक अपनी कोर बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ खुदरा व्यवसाय, ऋण सिंडिकेशन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, सीएमएस एवं बैंक एश्योरेंस पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- बैंक विदेशों में भी विस्तार की योजना बना रहा है और यह प्रक्रिया हांगकांग में शाखा एवं शेनझेन, चीन में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के साथ शुरू की जा चुकी है। भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बांग्लादेश सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत ढाका, बांग्लादेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का विचार है।
- सुविज्ञ मानव पूँजी का विकास करने हेतु बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल

2009-10 के दौरान निदेशक मंडल, बोर्ड की प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा समिति ने क्रमशः 12, 20 एवं 8 बैठकें कीं। 2009-10 के दौरान निदेशक पदोन्नति समिति, शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत (निवारण) समिति, सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, ग्राहक सेवा समिति, मानव संबंध समिति, परिलब्धि समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन समिति, शेयर अंतरण समिति ने क्रमशः 5, 2, 7, 3, 4, 4, 1 एवं 16 बैठकें कीं।

श्री डी. सरकार ने दिनांक 07.12.2009 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान नियुक्ति से पूर्व श्री सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के कारपोरेट कार्यालय मुम्बई में महाप्रबंधक (थोक बैंकिंग/ ऋण) थे। उन्होंने 27 वर्षों का बैंकिंग का अनुभव है। उन्होंने शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालय, मंडलीय कार्यालय और कारपोरेट/प्रधान कार्यालय में विभिन्न हैसियतों से कार्य किया है।

श्री एम. आर. नायक ने दिनांक 22.01.2010 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व श्री नायक कारपोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय, बंगलुरु में महाप्रबंधक थे। श्री नायक का 39 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। उन्होंने शाखाओं एवं कारपोरेट/प्रधान कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने बैंक द्वारा स्वर्ण बैंकिंग बुलियन आयात लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई जो भारत में बैंकिंग उद्योग में पहली बार हुआ।

डा. कौजलगी दिनांक 12.06.2010 से शेयरधारकों के प्रतिनिधि निदेशक के रूप में निर्वाचित माने गए। डा. कौजलगी ने आईआईटी मुम्बई से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एमटेक किया, केस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालोजी यूएसए से आपरेशन रिसर्च और कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस किया और 1974 में आईआईटी, मुम्बई से पीएचडी की। श्री कौजलगी 1975 से भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरु में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में उनके 40 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी रुचि के

Corporate Advisory Services, Project Appraisal, Issue Management, Loan Syndication Debenture and Trusteeship Underwriting. The subsidiary posted a profit of Rs.7.15 crores during 2009-10 as against Rs.9.41 crores during 2008-09.

FUTURE PLANS

- The Bank has projected a business growth of around 25% during the current year.
- The Bank will focus on Retail Business, Loan Syndication, Sale of Gold Coins CMS and Bancassurance etc. in addition to the core banking activities.
- The Bank is looking ahead to spread out overseas. The process has already been initiated with a branch at Hong Kong and representative office at Shenzhen, China. A representative office at Dhaka, Bangladesh is also being contemplated after receipt of approval from Reserve Bank of India and Government of Bangladesh.
- The Bank has initiated various steps to develop a pool of knowledgeable Human Capital.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors, the Management Committee and the Audit Committee of the Board met 12, 20 and 8 times respectively during 2009-10. The Director's Promotion Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, IT Sub-Committee, Fraud Monitoring Committee, Customer Service Committee, Remuneration Committee and Risk Management Committee, Nomination Committee, Share transfer Committee of the Board met 5, 2, 7, 3, 4, 4, 1 and 16 times during 2009-10.

Shri D. Sarkar has assumed the office of Executive Director of the Bank on 07.12.2009. Prior to his present appointment, Shri Sarkar was the General Manager (Wholesale Banking / Credit) of Bank of Baroda at Corporate Office, Mumbai. He has 27 years experience of Banking and had worked in various capacities and had worked in various capacities in Branches, Regional Office, Zonal Office and Corporate / Head Office.

Shri M.R. Nayak has assumed the office of Executive Director of the Bank on 22.01.2010. Prior to his present appointment Shri Nayak was the General Manager of Corporation Bank, Head Office, Bangalore. Shri Nayak has 39 years experience of Banking. He has worked in various capacities in Branches and Corporate / Head Office. He was instrumental in introducing gold banking import of bullion by the Bank, one of the first in banking industry in India.

Dr. Kaujalgi is deemed to be elected as Director representing shareholders with effect from 12.06.2010. Dr. Kaujalgi, an M.Tech in Production Engg. from IIT, Mumbai, M.S. in Operations Research and Computer Science from Case Institute of Technology, U.S.A. and Ph.D. from IIT, Mumbai, has been serving Indian Institute of Management, Bangalore since 1975. He has over 40 publications in National & International journal. His areas of interest include Computer

क्षेत्रों में, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रणाली, परिचालन अनुसंधान, सांख्यिकी और उत्पादन परिचालन प्रबंधन शामिल हैं। वे नवम्बर, 1995 से अक्टूबर, 1998 तक भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक थे। वे 25.10.2005 से 24.10.2008 तक बैंक आफ इंडिया के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक भी थे।

आभार

निदेशक मंडल बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों को उनके सतत समर्थन और संरक्षण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य नियामक एजेंसियों के प्रति उनकी बहुमूल्य एवं सामयिक सलाह, मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है एवं उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की कामना करता है। बैंक के प्रति ग्राहकों द्वारा व्यक्त किए गए सतत विश्वास और भरोसे के लिए निदेशक मंडल उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है।

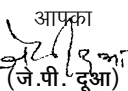
निदेशक मंडल सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और नए सदस्यों का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल बैंक कर्मियों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सहर्ष सराहना ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

सादर

कोलकाता
30 अप्रैल, 2010

आपका

(जे. पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Science, Information Systems, Operation Research, Statistics and Production / Operation Management. He was the Director, Central Board, State Bank of India from November 1995 to October 1998. Also, he was the Shareholder Director on the Board of Bank of India from 25.10.2005 to 24.10.2008.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors records its appreciation for continued support and patronage of the shareholders/investors of the Bank. The Board of Directors gratefully acknowledges the valuable and timely advice, guidance and support from the Reserve Bank of India, Government of India and other regulatory agencies and look forward to their continued support and co-operation. The Board of Directors is thankful to the customers for their continued trust and confidence on the Bank.


The Board records its appreciation for valuable contributions of the outgoing members and welcomes the new incumbents.

The Board of Directors is pleased to place on record their appreciation of the committed services of the Bank's employees.

For and on behalf of the Board of Directors,

Yours sincerely,

Kolkata
30th April 2010


(J. P. Duā)
Chairman & Managing Director

बासेल-II के अंतर्गत बाजार प्रकटीकरण यथास्थिति 31.03.2010 को नई पूँजी पर्याप्तता संरचना

जोखिम प्रबंधन

1. वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, दुनियां भर के बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के सामने विभिन्न प्रकार के जोखिम मौजूद हैं। बासेल-II समझौते के अस्तित्व में आने और दुनिया भर में इसकी बढ़ती प्रयोज्यता के चलते जोखिम प्रबंधन के बारे में सशक्त तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां बनाई हैं।
2. बैंक के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रमुखतः समुचित पहचान, मापन, निगरानी/ नियंत्रण और जोखिम उपशमन द्वारा प्रत्याशित आगम और संभावित जोखिमों के बीच समुचित सामन्जस्य बैठते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है।
3. बैंक ने अपने यहाँ जोखिम प्रबंधन का समुचित संगठनात्मक ढाँचा गठित किया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के मार्गदर्शी नोट के अनुसरण में “बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति” नामक एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक द्वारा सामना किए गए सभी जोखिमों का मूल्यांकन करती है और जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड समिति शीर्ष स्तर पर विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का समेकन करती है अर्थात् ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के माध्यम से समेकन।
4. महाप्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन) बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत रूप में जोखिम प्रबंधन के कार्य को देख रहे हैं, जो बैंक में उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवसाय विभागों से स्वतंत्र है।
5. भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने 31 मार्च, 2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बासेल-II) कार्यान्वित की है। यथासंदर्भित बासेल-II संरचना, तीन परस्पर संबद्ध स्तम्भों पर आधारित है। संशोधित संरचना का **स्तम्भ -1** ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम हेतु आवश्यक न्यूनतम पूँजी आवश्यकता की देखभाल करता है। **स्तम्भ -2** (पर्यवेक्षण समीक्षा प्रक्रिया) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या बैंक के पास उसके व्यवसाय से जुड़े समस्त जोखिमों हेतु जोखिम प्रोफाइल एवं नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप पर्याप्त पूँजी है। बैंक के पास यथापेक्षित, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।
6. **स्तम्भ-3 बाजार अनुशासन** से संबंधित है। भारिबैंक द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है, बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण (दोनों मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक) का एक सेट सारणी **डीएफ 1 से डीएफ 10 (संलग्न है)** तक प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागियों को क्रियान्वयन, पूँजी जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक के जोखिम प्रोफाइल एवं पूँजीकरण के स्तर आदि से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इससे बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदंडों पर बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में आवश्यक आंकड़े भी मिल सकेंगे।

MARKET DISCLOSURE UNDER BASEL-II NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK AS ON 31.03.2010

RISK MANAGEMENT

1. Consequent upon globalization, Banks and other financial institutions all over the world are exposed to different types of risks. The emergence of Basel-II accord and its increasing applicability throughout the world calls for sound practices in risk management. To cope with the challenges, the Bank has put in place various risk management practices and processes in line with the guidelines of the Reserve Bank of India issued from time to time.
2. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring / control and mitigation of the risks towards enhancing and maximizing the shareholders' value by addressing appropriate trade off between an expected reward and potential risk.
3. The Bank has set up appropriate risk management organization structure. Board Level Sub-Committee known as "Risk Management Committee" has been constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management System. The Committee evaluates overall risks faced by the Bank and put in place effective system to identify measure, monitor and control risk. The committee further integrates various risk management functions at committee level. i.e. integration through Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Committee (ALCO).
4. A General Manager (Integrated Risk Management) is looking after functioning of risk management aspect in integrated manner at bank's Head Office, who is independent of business departments, for implementing best risk management systems and practices in the Bank.
5. In line with the guidelines issued by the RBI, the bank has implemented New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from March 31, 2008. The Basel-II framework, as referred, is based on three mutually reinforcing pillars. While **Pillar-1** of the revised framework addresses minimum capital requirement for Credit, Market and Operational risk, **Pillar-2** (Supervisory Review Process) intends to ensure that the banks have adequate capital to address all the risks in their business commensurate with Bank's risk profile and control environment. As required, the bank has put in place a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
6. **Pillar-3** refers to **market discipline**. As directed by the RBI, a set of disclosures (both qualitative & quantitative) are published in **Tables DF 1 to DF 10 (annexed)** with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to access key information on the scope of application, capital risk exposures, risk assessment processes, bank's risk profile and level of capitalization etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.

सारणी डीएफ - 1

प्रयोज्यता

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण										
क) समूह में शीर्ष बैंक का नाम,जिस पर संरचना लागू है।	a) प्रकटीकरण का ढांचा इलाहाबाद बैंक पर प्रयोज्य है जो समूह में शीर्ष बैंक है।									
ख) लेखा एवं विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन आधार पर विसंगतियों की रूपरेखा, समूह के अंतर्गत कंपनियों का संक्षिप्त विवरण	b) बैंक की अनुषंगी/सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम निम्नानुसार हैं									
i) जो पूर्णतः समेकित हैं ;	अनुषंगी कंपनी: बैंक की एक निम्नलिखित अनुषंगी कंपनी है:									
ii) जो समानुपातिक आधार पर समेकित हैं ;	<table><tr><th>अनुषंगी कंपनी का नाम</th><th>देश में निगमन</th><th>स्वामित्व (%)</th></tr><tr><td>आल बैंक फाइनेन्स</td><td>भारत</td><td>100%</td></tr></table>	अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%			
अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)								
आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%								
iii) जो घटाई गई हैं ; था	सहायक संस्था: बैंक द्वारा निम्नलिखित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया जाता है।									
iv) जो न तो समेकित हैं न ही घटाई गई हैं (अर्थात जहाँ निवेश जोखिम आधारित है)	<table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>देश में निगमन</th><th>स्वामित्व (%)</th></tr><tr><td>इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*</td><td>भारत</td><td>35%</td></tr><tr><td>शारदा ग्रामीण बैंक</td><td>भारत</td><td>35%</td></tr></table>	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*	भारत	35%	शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)								
इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*	भारत	35%								
शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%								
	<p>* उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे दो पूर्ववर्ती क्षेत्राबैं अर्थात लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बंद कर एक नया समामेलित क्षेत्राबैं अर्थात इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक 02.03.2010 से अस्तित्व में आया।</p> <p>संयुक्त उद्यम : बैंक बीमा गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। तथापि, बैंक ने निम्नलिखित संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी में निवेश किया है:</p>									
	<table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>देश में निगमन</th><th>स्वामित्व (%)</th></tr><tr><td>मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</td><td>भारत</td><td>30%</td></tr></table>	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%			
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)								
मैसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%								
	अनुषंगी, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) के लेखा मानकों क्रमशः 21,23 और 27 के अनुसार लेखा विवरण में समेकित किया गया है।									
	बैंक की सीआरएआर की गणना हेतु अनुषंगी और सहायक कंपनी में किए गए निवेश को टियर-I और टियर-II पूँजी में से समान रूप से घटाया गया है और संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी में निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की मद मानते हुए भारित जोखिम माना गया है।									

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

1	समेकन में शामिल न की गई सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमी की कुल मात्रा अर्थात जो घटाई गई हैं और ऐसी अनुषंगियों के नाम।	किसी अनुषंगी के संबद्ध में पूँजी का कोई अभाव नहीं है।
2	बीमा कंपनियां जो जोखिम भारित है, के नाम के साथ-साथ उनमें बैंक के कुल निवेश की सकल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य), उनके निवास या निगमन का देश, मालिकाना हक का अंश और यदि भिन्न हो, तो इन कंपनियों में मताधिकार शक्ति का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती प्रणाली के सापेक्ष इस प्रणाली का प्रयोग करने पर विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव।	बैंक ने बीमा संयुक्त उद्यम अर्थात यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में निगमित है, में इक्विटी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से रु. 45.00 करोड़ की राशि निवेश की है जो इसकी कुल निर्गमित पूँजी का 30% है जिसे भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार जोखिम भार प्रदान किया गया है।

Table DF – 1

SCOPE OF APPLICATION

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures																						
<p>a) The name of the top Bank in the group to which the framework applies.</p> <p>b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group</p> <p>i) that are fully consolidated;</p> <p>ii) that are pro-rata consolidate;</p> <p>iii) that are given a deduction treatment; and</p> <p>iv) That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).</p>	<p>a) The framework of disclosures applies to Allahabad Bank, which is the top bank in the group.</p> <p>b) The Bank's subsidiary /Associates and Joint venture are as under :</p> <p>Subsidiary : The Bank has one subsidiary as under:</p> <table><tr><th>Name of Subsidiary</th><th>Country of Incorporation</th><th>Ownership (%)</th></tr><tr><td>All Bank Finance</td><td>India</td><td>100%</td></tr></table> <p>Associates: Two Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under.</p> <table><tr><th>Name of Banks</th><th>Country of Incorporation</th><th>Ownership (%)</th></tr><tr><td>Allahabad UP Gramin Bank*</td><td>India</td><td>35%</td></tr><tr><td>Sharda Gramin Bank</td><td>India</td><td>35%</td></tr></table> <p>* Our two erstwhile RRBs in the state of UP, namely Lucknow Kshetriya Gramin Bank and Triveni Kshetriya Gramin Bank have ceased to exist and a new amalgamated RRB, i.e., Allahabad UP Gramin Bank has come into existence w.e.f. 02.03.2010.</p> <p>Joint Venture: The Bank is not involved in the insurance activity. However, the bank has invested in Joint Venture Insurance company as under:</p> <table><tr><th>Name of Company</th><th>Country of Incorporation</th><th>Ownership (%)</th></tr><tr><td>M/S Universal Somp General insurance Company Limited</td><td>India</td><td>30%</td></tr></table> <p>The Subsidiary, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).</p> <p>For computation of CRAR of the Bank, investment in subsidiary and associates are deducted from Tier-I and Tier-II capital equally and investment in joint venture insurance company is risk weighted as per RBI guidelines, treating the same as an item of investment.</p>	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)	All Bank Finance	India	100%	Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)	Allahabad UP Gramin Bank*	India	35%	Sharda Gramin Bank	India	35%	Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)	M/S Universal Somp General insurance Company Limited	India	30%
Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)																				
All Bank Finance	India	100%																				
Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)																				
Allahabad UP Gramin Bank*	India	35%																				
Sharda Gramin Bank	India	35%																				
Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)																				
M/S Universal Somp General insurance Company Limited	India	30%																				

QUANTITATIVE DISCLOSURES

1	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the names of such subsidiaries.	There is no deficiency in respect of any subsidiary.
2	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and if different the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	The Bank has made investment amounting to Rs 45.00 Crores by way of equity subscription in an insurance joint venture i.e., Universal Somp General Insurance Company Limited, incorporated in India representing 30% of its total issued capital. Investment in joint venture insurance company is risk weighted as per RBI guidelines, treating the same as an item of investment.

सारणी डीएफ - 2

पूँजी संरचना

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
सभी पूँजी लिखतों विशेषकर, टियर-I या अपर टियर-II में शामिल होने के पात्र पूँजी लिखतों की मुख्य विशिष्टताओं के निबंधनों एवं शर्तों का सार	बैंक द्वारा समय-समय पर जारी टियर-I, टियर-II बांडों की शर्तें, इस संबंध में भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	निम्नलिखित के पृथक प्रकटीकरण के साथ टियर-I पूँजी की राशि :	6175.58
	1.1 प्रदत्त शेयर पूँजी;	446.70
	1.2 आरक्षितियाँ;	5450.19
	1.3 नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखत	300.00
	1.4 अन्य पूँजी लिखत;	0.00
	1.5 साख एवं निवेश सहित टियर-I पूँजी से कटौती की गई राशियाँ	21.31
2	टियर-I पूँजी की कुल राशि (टियर-II पूँजी से कटौती छोड़कर)	4189.60
3.	अपर टियर-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र ऋण पूँजी लिखत	
3.1	कुल बकाया राशि	1000.00
3.2	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	500.00
3.3	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि	1000.00
4.	लोअर टियर-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र गौण ऋण	
4.1	कुल बकाया राशि	2491.90
4.2	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	450.00
4.3	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि	2491.90
5.	पूँजी से अन्य कटौतियाँ यदि कोई हो	21.31
6.	कुल पात्र पूँजी (टियर-I + टियर-II)	10365.18

टियर-I के अंतर्गत पात्र नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	ब्याज भुगतान तिथि	सूची बद्ध	रेटिंग
1	30.03.2009	150.00	9.20%	शाश्वत	प्रतिवर्ष 30 मार्च	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
2	18.12.2009	150.00	9.08%	शाश्वत	प्रतिवर्ष 18 दिसंबर	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+

अपर टियर-II के अंतर्गत पात्र नवोन्मेष ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	ब्याज भुगतान तिथि	सूची बद्ध	रेटिंग
1	19.03.2009	500.00	9.28%	180 माह	प्रतिवर्ष 19 मार्च	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए
2	18.12.2009	500.00	8.58%	180 माह	प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+

लोअर टियर-II के अंतर्गत पात्र गौण ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	बांड राशि (बट्टाकृत) (करोड़ में)	ब्याज भुगतान तिथि	सूची बद्ध	रेटिंग
1	31.03.2003	100.00	7.00%	85 माह	0.00	31 मार्च वार्षिक	बीएसई	फिच- एए
2	31.03.2004	200.00	5.90%	99 माह	80.00	31 मार्च वार्षिक	बीएसई व एनएसई	केयर- एए+ फिच-एए
3	13.03.2006	500.00	8.00%	120 माह	500.00	13 मार्च और सितम्बर अर्ध वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
4	29.09.2006	561.90	8.85%	120 माह	561.90	29 सितम्बर वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
5	25.09.2007	500.00	10.00%	120 माह	500.00	31 मार्च वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
6	26.03.2009	400.00	9.23%	120 माह	400.00	26 मार्च वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
7	04.08.2009	450.00	8.45%	120 माह	450.00	4 अगस्त वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
	कुल	2711.90			2491.90			

Table DF – 2

CAPITAL STRUCTURE

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures	
Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.	The terms and conditions of Tier-I & Tier II Bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	The amount of Tier I capital, with separate disclosure of:	6175.58
	1.1 paid-up share capital;	446.70
	1.2 reserves;	5450.19
	1.3 innovative perpetual debt instruments;	300.00
	1.4 other capital instruments;	0.00
	1.5 amounts deducted from Tier I capital, including goodwill and investments.	21.31
2	The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	4189.60
3	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital	
	3.1 Total amount outstanding	1000.00
	3.2 Of which amount raised during the current year	500.00
	3.3 Amount eligible to be reckoned as capital funds	1000.00
4	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
	4.1 Total amount outstanding	2491.90
	4.2 Of which amount raised during the current year	450.00
	4.3 Amount eligible to be reckoned as Capital funds	2491.90
5	Other deductions from capital, if any.	21.31
6	Total eligible capital (Tier-I + Tier-II)	10365.18

Information about Innovative Perpetual Debt Instruments eligible under Tier-I:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (in Rs. Crores)	COUPON RATE	TENOR	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	30.03.2009	150.00	9.20%	Perpetual	30 th March every year	NSE	CARE-AA+ CRISIL-AA+
2	18.12.2009	150.00	9.08%	Perpetual	18 th December every year	NSE	CARE-AA CRISIL-AA+

Information about Innovative Instruments eligible under Upper Tier-II:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (In Rs. Crores)	COUPON RATE	TENOR	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	19.03.2009	500.00	9.28%	180 months	19 th March every year	NSE	CARE- AA+ CRISIL- AA
2	18.12.2009	500.00	8.58%	180 months	18 th December every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+

Information about Subordinated Debt Instruments eligible under Lower Tier-II:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (In Rs. Crores)	COUPON RATE	TENOR	BOND AMT. (Discounted) (in crores)	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	31.03.2003	100.00	7.00%	85 months	0.00	31 th March Annual	BSE	FITCH- AA
2	31.03.2004	200.00	5.90%	99 months	80.00	31 th March Annual	BSE & NSE	CARE- AA+ FITCH- AA
3	13.03.2006	500.00	8.00%	120 months	500.00	13 th March and Sept. Semi-Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL- AA+
4	29.09.2006	561.90	8.85%	120 months	561.90	29 th September Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL- AA+
5	25.09.2007	500.00	10.00%	120 months	500.00	31 th March Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL- AA+
6	26.03.2009	400.00	9.23%	120 months	400.00	26 th March Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL- AA+
7	04.08.2009	450.00	8.45%	120 months	450.00	04 th August Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL- AA+
	TOTAL	2711.90			2491.90			

सारणी डीएफ - 3

पूँजी पर्याप्तता

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

अपनी वर्तमान और भावी गतिविधियों के समर्थन हेतु अपनी पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण करने के बैंक के दृष्टिकोण पर चर्चा का सार

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1992 में भारत के बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता उपाय के रूप में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जिसमें ऋण जोखिम के घटक शामिल थे। तुलन पत्र आस्तियों, गैर निधिक मर्दों और अन्य तुलनपत्र बाह्य निवेशों को निर्धारित जोखिम भारिता समनुदेशित की जाती है और बैंक को सतत आधार पर सकल जोखिम भारित आस्तियों पर निर्धारित अनुपात के समतुल्य न्यूनतम अक्षुण्ण पूँजीगत निधियां बनाए रखनी होंगी। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश सहित सकल जोखिम भारित आस्तियों पर 31 मार्च 1993 तक पूँजी पर्याप्तता के 4% के न्यूनतम स्तर को और 31 मार्च 1996 तक 8% के न्यूनतम स्तर को बनाए रखें। तदनन्तर पूँजी पर्याप्तता अनुपात के न्यूनतम स्तर को 9% तक बढ़ाया गया। ये दिशानिर्देश बासेल- I दिशानिर्देश के रूप में जाने जाते हैं।
2. 27 अप्रैल, 2007 को भारिबैंक ने बासेल-II के अंतर्गत “नई पूँजी पर्याप्तता संरचना पर अंतिम दिशानिर्देश” जारी किए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय से संबंधित कुछ बातों के बारे में 31 मार्च 2008 को स्पष्टीकरण जारी किए हैं। कुछ आवधिक परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 08 फरवरी 2008 को पूँजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नई पूँजी पर्याप्तता संरचना के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में ऋण मार्केट और परिचालन जोखिम में स्पष्ट भेद किया गया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने दिनांक 31.03.2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना को अपना लिया है। बैंक ने लगातार एक्सपोजर का अनुसरण करते हुए बासेल-II संरचना की समानांतर प्रक्रिया को जारी रखा और विवेकपूर्ण धरातल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से त्रैमासिक आधार पर बैंक के सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन किया।
4. बासेल-II संरचना ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 31 मार्च 2008 और 2009 की भांति यथास्थिति 31 मार्च 2010 को पूँजी की संगणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा की संगणना हेतु 31 मार्च 2008 से मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। वस्तुतः, अब तक ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखने के अतिरिक्त, बैंक दिनांक 31.03.2008 से परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखता है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सतत आधार पर ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के संबंध में, बेसेल दस्तावेज में निर्धारित 8 प्रतिशत के सापेक्ष 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना निर्धारित किया है। बासेल-II दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) की तुलना में कुल पूँजी यथास्थिति 31.03.2010 को 13.62% प्रतिशत निकलती है। टियर I सीआरएआर भारिबैंक के 6.00% के निर्धारण के सापेक्ष 8.12% है। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में, बैंक ने प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आँकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रयोजन हेतु बैंक ने शाखा स्तर, मंडल स्तर तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर वांछित रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंतरिक अतिकल्पित प्ररूप विकसित किया है। जैसाकि मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारिबैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित है, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में ऋण जोखिम उपशमन का प्रयोग किया है। निर्धारित दृष्टिकोण के अनुसार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी बैंक के प्रधान कार्यालय में संगणित की गई है जिन्होंने बैंक की उपर्युक्त सीआरएआर स्थिति निकाली। पात्र पूँजी, जोखिम भारित आस्तियों और सीआरएआर का परिकलन करने के लिए बैंक ने भारिबैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन किया है।
6. बैंक निरन्तर अपनी पूँजी जरूरतों का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के पास टियर I और टियर II पूँजी संग्रहण के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य की गतिविधियों के लिए अपेक्षित सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूँजी संरचना का अतिरिक्त रूप में समर्थन करेगा।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)	
1	जोखिम प्रबंधन हेतु पूँजी आवश्यकताएँ		5694.58
	1.1 मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग	5694.58	
	1.2 प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य	
2	बाजार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण)		665.94
	2.1 ब्याज दर जोखिम	235.39	
	2.2 विदेश विनिमय जोखिम(स्वर्ण सहित)	26.82	
	2.3 इक्विटी जोखिम	403.73	
3	परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मूल संकेतक दृष्टिकोण)		486.40
4	कुल एवं टियर-I पूँजी अनुपात :		
	4.1 कुल सीआरएआर		13.62%
	4.2 टियर I सीआरएआर		8.12%

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures	
<p>A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. The Reserve Bank of India (RBI) introduced a Risk Asset Ratio System for banks in India as a capital adequacy measure covering the elements of Credit Risk in April 1992. The Balance sheet assets, non-funded items and other off-balance sheet exposures are assigned prescribed risk weights and banks have to maintain unimpaired minimum capital funds equivalent to the prescribed ratio on the aggregate of the risk weighted assets on an on going basis. Banks were advised to ensure capital adequacy at a minimum level of 4% on the aggregated risk weighted assets including both fund based and non-fund based exposures by 31st March-1993 and 8% by 31st March-1996. The Minimum level of Capital Adequacy was increased to 9% subsequently. These guidelines together are known as Basel-I guidelines. 2. On 27th April, 2007, the RBI released the "Final Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework" under Basel-II. In addition, the RBI issued clarifications on 31st March, 2008 on certain issues related to the subject. Incorporating some intermittent changes, the RBI released the master circular on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline- New Capital Adequacy Framework on Feb 08, 2010. These guidelines make clear distinction between Credit, Market and Operational risks. 3. In line with the RBI guidelines, the Bank migrated to the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008. The Bank continued the parallel run of Basel I norms and studied the impact on Bank's CRAR on quarterly basis with a view to ensuring compliance with the guidelines under "prudential floor". 4. Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. In accordance with the RBI's guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk, and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital as on 31st March, 2010 also like as on 31st March 2008 and 2009.. The Bank continues to apply the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks with effect from 31st March, 2008. As such, in addition to maintaining capital for credit risk and market risk as hitherto, the bank maintains capital for operational risk from 31.03.2008. 5. Reserve Bank of India prescribes Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 percent with regard to credit risk, market risk and operational risk on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel Documents. The total Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as per Basel – II guidelines works to 13.62% as on 31.03.2010. The Tier-I CRAR stands at 8.12% as against RBI's prescription of 6.00%. In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the data captured from each individual branch. For this purpose, the Bank has developed in-house designed format for generation of desired reports, at Branch, Zonal and Head Office level. The Bank has used the credit risk mitigants in computation of capital for credit risk, as prescribed in the RBI guidelines under Standardized Approach. The Capital for Credit Risk, Market risk and Operational Risk as per the prescribed approaches has been computed at the bank's Head Office to arrived at the bank's aforesaid CRAR position. The bank has followed the RBI guidelines in force, to arrive at the eligible capital, risk weighted assets and CRAR. 6. The Bank is continuously evaluating its capital requirement. The sufficient headroom available for the bank for mobilizing Tier I and Tier II capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities. 	

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)	
1	Capital requirements for Credit Risk:		5694.58
	1.1 portfolios subject to standardized approach	5694.58	
	1.2 securitization exposures	Nil	
2	Capital requirements for Market Risk(Standardize Duration Approach		665.94
	2.1 interest rate risk	235.39	
	2.2 foreign exchange risk(including gold)	26.82	
	2.3 equity risk	403.73	
3	Capital requirements for Operational Risk (Basic Indicator Approach)		486.40
4	Total and Tier-1 Capital Ratio:		
	4.1 Total CRAR		13.62%
	4.2 Tier-I CRAR		8.12%

सारणी डीएफ - 4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. ऋण जोखिम

- 1.1 उधार देने में कई तरह के जोखिम हैं। ऋण जोखिम उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से संबंधित हानि की संभावना है।
- 1.2 ऋण जोखिम या चूक जोखिम ग्राहक अथवा प्रतिपक्षी द्वारा उधार, ट्रेडिंग, हेजिंग, निपटान एवं अन्य वित्तीय लेनदेनों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अनिच्छा या अक्षमता के कारण होता है। ऋण जोखिम आमतौर पर लेनदेन जोखिम या चूक जोखिम एवं संविभाग जोखिम से उत्पन्न होता है।
- 1.3 ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण निवेश सीमा, उद्योग निवेश सीमा, ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, ऋण समीक्षा तंत्र और ऋण जोखिम शमन जैसे उपकरणों का प्रयोग बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऋण जोखिम को संपार्श्विक प्रतिभूति और गारंटियां प्राप्त करते हुए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में खंडीय निवेश सीमा, विवेकपूर्ण निवेश और पर्याप्त निवेश उच्चतम सीमा और जोखिम शमन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

2. ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ :

- 2.1 बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती है जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।
- 2.2 बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।
- 2.3 उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश, देश जोखिम प्रबंधन वसूली नीति आदि भी हैं जो ऋण जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग हैं। और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं विशेष रूप से भारिबैं/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में
- 2.4 इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं।

3. बैंक की संरचना एवं प्रणाली :

- 3.1 बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रकायों की विशेष निगरानी और समन्वय हेतु बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) नामक निदेशकों की उपसमिति का गठन किया गया है।
- 3.2 ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम कार्यनीतियां बनाने और इनके कार्यान्वयन हेतु तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी हेतु ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

4. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :

- 4.1 बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन हरेक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।
- 4.2 आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणमात्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह की रेटिंग में उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का मूल्यांकन करते समय विशिष्ट लेनदेन हेतु ऋण परिवर्धन विशिष्टताओं पर भी विचार किया जाता है। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।
- 4.3 प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की त्रिस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।
- 4.4 बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। नए/परिवर्धनशील प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्र महाप्रबंधक स्तरों पर क्रेडिट ग्रिड का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तर पर नया व्यवसाय समूह (एनबीजी) नामक संरचना का गठन किया गया है। बैंक के पास नए उत्पादों हेतु जोखिम प्रबंधन संरचना है जो नए उत्पादों के संबंध में उनके शुभारंभ से पूर्व न्यूनतम प्रक्रिया/मूल्यांकन मानदंडों को निर्धारित करती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

Bucketwise Position of Assets as on 31.03.2010											(राशि रु. करोड़ में)
	Next	From	From	From	From	Above	Above	Above	Above	Over	
विवरण	दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29दिन-3माह	3-6माह	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष	कुल
आस्तियां ASSETS	5819.97	6553.20	3662.22	3098.97	12784.41	9825.23	6403.08	27786.46	10283.92	35481.75	121699.21

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)	
1	कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर , निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग-अलग		
	1.1 निधि आधारित	72437.31	
	1.2 गैर-निधि आधारित	11618.83	
	2.एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण		
	2.1 विदेशी :		
	2.1.1 निधि आधारित	845.66	
	2.1.2 गैर निधि-आधारित	15.54	
	2.2 घरेलू :		
	2.2.1 निधि आधारित	71591.65	
	2.2.2 गैर निधि-आधारित	11603.29	
3	उद्योग स्वरूप के एक्सपोजर का वितरण		
	निधि आधारित		
	गैर-निधि आधारित	33695.00	
4	आस्तियों की अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता		
5	एनपीए की राशि (सकल)		1221.80
	5.1 अवमानक	662.80	
	5.2 संदिग्ध 1	147.63	
	5.3 संदिग्ध 2	199.64	
	5.4 संदिग्ध 3	160.78	
	5.5 हानिगत	50.95	
6	निवल एनपीए		470.15
7	एनपीए अनुपात		
	7.1 सकल अग्रिम में सकल एनपीए		1.69%
	7.2 निवल अग्रिम में निवल एनपीए		0.66%
8	एनपीए का संचलन (सकल)		
	8.1 अथ शेष		1078.25
	8.2 वृद्धि		1238.15
	8.3 कमी		1094.60
	8.4 इतिशेष		1221.80
9	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन	641.64	
	9.1 अथ शेष	830.21	
	9.2 इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	776.13	
	9.3 राइट ऑफ	55.93	
	9.4 अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	751.65	
	9.5 इतिशेष		
10	अनर्जक निवेश की राशि		
11	अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि		4.40
12	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन		
	12.1 अथ शेष	220.10	
	12.2 इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	31.70	
	12.3 राइट ऑफ	—	
	12.4 अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	—	
	12.5 इति शेष		251.80

Table DF – 4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures											
1. Credit Risk:											
1.1. Lending involves a number of risks. Credit Risk is broadly the probability of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.											
1.2. Credit Risk or default risk involves inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, hedging, settlement and other financial transactions. The Credit Risk is generally made up of transaction risk or default risk and portfolio risk.											
1.3. Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing, loan review mechanism and Credit Risk Mitigants are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit risk is controlled through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.											
2. Credit Risk Management Policies:											
2.1 The bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.											
2.2 Credit Risk is monitored by the bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.											
2.3 The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Credit Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Recovery Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.											
2.4 Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the bank is exposed.											
3. Architecture and Systems of the Bank:											
3.1 A Sub-Committee of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.											
3.2 The Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Risk Management functions on a regular basis.											
4. Credit Appraisal / Internal Rating:											
4.1 The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.											
4.2 The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. Besides, such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.											
4.3 The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a three tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level and two tier system at Zonal Office/ Branch level which includes validation of rating independent of credit department. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.											
4.4 The bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Credit Grid has been constituted at Head Office and Field General Manager's levels for considering fresh / enhancement proposals. A structure named New Business Group (NBG) headed by CMD has been constituted at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point. The bank has put in place a risk management framework for new products which lay down minimum processing / assessment norms to assess risk in a New Product prior to its introduction.											

Quantitative Disclosures

Bucketwise Position of Assets as on 31.03.2010											(Rs. in crores)
	Next	From	From	From	From	Above	Above	Above	Above	Over	
Particulars	day	2-7 ds	8-14 ds	15-28 ds	29ds-3mth	3-6mths	6-12 mths	1-3yrs	3-5yrs	5 years	Total
ASSETS	5819.97	6553.20	3662.22	3098.97	12784.41	9825.23	6403.08	27786.46	10283.92	35481.75	121699.21

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)	
1	Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.		
	1.1 Fund Based	72437.31	
	1.2 Non Fund Based	11618.83	
2	Geographic distribution of exposures		
	2.1 Overseas		
	2.1.1 Fund Based	845.66	
	2.1.2 Non Fund Based	15.54	
	2.2 Domestic		
	2.2.1 Fund Based	71591.65	
	2.2.2 Non Fund Based	11603.29	
3	Industry type distribution of exposures		
	Fund based	33695.00	
	Non Fund based		
4	Residual contractual maturity breakdown of assets,		
5	Amount of NPAs (Gross)		1221.80
	5.1 Substandard	662.80	
	5.2 Doubtful 1	147.63	
	5.3 Doubtful 2	199.64	
	5.4 Doubtful 3	160.78	
	5.5 Loss	50.95	
6	Net NPAs		470.15
7	NPA Ratios		
	7.1 Gross NPAs to gross advances		1.69%
	7.2 Net NPAs to net advances		0.66%
8	Movement of NPAs (Gross)		
	8.1 Opening balance		1078.25
	8.2 Additions		1238.15
	8.3 Reductions		1094.60
	8.4 Closing balance		1221.80
9	Movement of provisions for NPAs		
	9.1 Opening balance	641.64	
	9.2 Provisions made during the period	830.21	
	9.3 Write-off	776.13	
	9.4 Write-back of excess provisions	55.93	
	9.5 Closing Balance		751.65
10	Amount of Non-Performing Investments		
11	Amount of provisions held for non-performing investments		4.40
12	Movement of provisions for depreciation on investments		
	12.1 Opening balance	220.10	
	12.2 Provisions made during the period	31.70	
	12.3 Write-off	—	
	12.4 Write-back of excess provisions	—	
	12.5 Closing balance		251.80

सारणी डीएफ - 5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. सामान्य सिद्धांत :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुरूप, बैंक ने 31.03.2008 से ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है। पूँजी के परिकलन हेतु बैंक ने विभिन्न आस्ति वर्गों के लिए भारिबैंक द्वारा यथाप्रस्तावित जोखिम भार समनुदेशित किए हैं।

2. बाह्य क्रेडिट रेटिंग :

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे घरेलू निदेश की जोष में भारिता मारने हेतु निम्नलिखित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, नामतः (क) क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिसर्च लि. (केयर) (ख) क्रिसिल लि. (ग) फिच इंडिया लि. एवं (घ) इकरा लि. और अंतराष्ट्रीय निवेश हेतु (क) स्टैंडर्ड एंव पूअर (ख) मूडीज (ग) फिच रेटिंग का उपयोग करें। उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित “दावों की रेटिंग पर नीति” के अंतर्गत इन सभी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

2.2 बाह्य रेटिंग प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने और ग्राहकों को उनके एक्सपोजर हेतु बाह्य रेटिंग कराने के लिए बैंक ने इन चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। बैंक इन बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ताओं के किसी भी प्रकार के एक्सपोजर के लिए समनुदेशित रेटिंग को प्रयोग करेगा। पिछले 15 माह के दौरान नई समनुदेशित या समीक्षाकृत रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूँजी परिकलन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा। जिन मामलों में उधारकर्ता के पास बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक से अधिक रेटिंग है, पूँजी प्रथम के परिकलन हेतु जोखिम भार समनुदेशित करने के लिए भारिबैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाय। तदनुसार, बैंक ने 31.03.2010 को यथास्थिति कारपोरेट एवं पीएसई खंड के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए बैंक की अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ता के ऋण एक्सपोजर हेतु समनुदेशित रेटिंग पर विचार किया है।

2.3 कारपोरेट / पीएसई के विशेष इश्यु में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की उस खास इश्यु हेतु समनुदेशित रेटिंग को संज्ञान में लिया गया है और तदनुसार, भारिबैंक के दिशानिर्देशों में दिये गए रेटिंग स्केल से समरूप मैपिंग के उपरांत जोखिम भार आबंटित किया गया है।

2.4 बैंक बड़े कारपोरेट / पीएसई उधारकर्ताओं को ईसीआरए से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है और जहां रेटिंग उपलब्ध है वहां बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों की गणना हेतु इन रेटिंग का प्रयोग किया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम उपशमन के बाद राशियों के एक्सपोजर हेतु निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक का बकाया (निर्धारित एवं अनिर्धारित) साथ ही जो घटाए गए हैं।	
	1.1.(क) 100% जोखिम भारित से कम - (निधिक)	84438.71
	1.1.(ख) 100% जोखिम भारित से कम -(गैर- निधिक)	43844.14
	1.2.(क) 100% जोखिम भारित -(निधिक)	27150.21
	1.2 (ख) 100% जोखिम भारित- (गैर- निधिक)	9547.00
	1.3 (क) 100% जोखिम भारित से अधिक -(निधिक)	6996.08
	1.3 (ख) 100% जोखिम भारित से अधिक- (गैर-निधिक)	1263.19
	1.4 घटाया गया	—

Table DF – 5

CREDIT RISK : DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures	
1. General Principle:	In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk with effect from 31.03.2008. In computation of capital, the bank has assigned risk weights to different asset classes as prescribed by the RBI.
2. External Credit Ratings:	
2.1	The Reserve Bank of India has permitted Banks to use the external ratings of the following External Credit Rating Agencies (ECRAs) namely (a) Credit Analysis and Research Ltd. (CARE), (b) CRISIL Ltd., (c) FITCH India Ltd. and (d) ICRA Ltd for mapping of risk weights for domestic exposures and (a) Standard & Poor (b) Moody's (c) Fitch for international exposure. In consideration of the above guidelines, the bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs, under the Policy on Rating of Claims duly approved by the Board.
2.2	In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposures smoothly, the Bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four Credit Rating Agencies. The bank shall use the ratings assigned for any type of exposures by any of these ECRAs as accepted and provided by the borrowers. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months shall only be reckoned for capital charge computation by the bank. Wherever, a borrower possesses more than one rating from ECRAs, the guidelines prescribed by the RBI is followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital. Accordingly, the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure ratings assigned by bank's approved ECRAs, while computing capital for credit risk as on 31.03.2010 under segments namely Corporates and PSEs.
2.3	In case of bank's investment in particular issues of Corporate / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.
2.4	The bank encourages large corporate/ PSE borrowers to solicit ratings from ECRAs and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
1	For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of the bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
1.1 (a)	Below 100 % risk weight (Funded)	84438.71
1.1 (b)	Below 100 % risk weight (Non- Funded)	43844.14
1.2 (a)	100 % risk weight (Funded)	27150.21
1.2 (b)	100 % risk weight (Non- Funded)	9547.00
1.3 (a)	More than 100 % risk weight (Funded)	6996.08
1.3 (b)	More than 100 % risk weight (Non- Funded)	1263.19
1.4	Deducted	—

सारणी डीएफ - 6

ऋण जोखिम समापन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी के मूल्यन संबंधी एक व्यापक नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं।
2.	जोखिम शमन हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया उपयोग किए जाने वाले संपार्श्विकों में वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात् बैंक जमा राशि, सरकारी/डाक प्रतिभूति, जीवन बीमा पालिसियां, स्वर्ण आभूषण, म्यूचुअल फंड यूनिट आदि), विभिन्न श्रेणी की चल और अचल आस्तियां/भू संपत्ति आदि शामिल होती हैं।
3.	जहाँ व्यक्तिगत/कारपोरेट गारंटी अपेक्षित होती है, वहाँ उधारकर्ता कंपनी/कारपोरेट की फ्लैगशिप ग्रुप कंपनी में शेयर रखने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की गारंटी को वरीयता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी अनुमानित निवल संपत्ति उनके गारंटीकर्ता बनने के लिए पर्याप्त हो।
4.	विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन एवं ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक सुस्पष्ट नीति अपनाई है।
5.	भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत प्रतिभूतियों में निहित राशि तक निविष्ट राशि को प्रभावी रूप से कम करते हुए निविष्टियों के बदले प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं संपार्श्विक) को पूर्ण समंजन की अनुमति भी दी गई है। इस प्रकार ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन में ऋण निविष्टियों को कम करने हेतु पात्र वित्तीय निविष्टियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन विशिष्ट प्रतिभूतियों को अभिज्ञात किया है : (क) बैंक जमाराशियाँ (ख) जीवन बीमा पॉलिसियाँ (ग) एनएससी/केवीपी (घ) सरकारी प्रतिभूतियाँ।
6.	इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम समापन के अन्य अनुमोदित स्वरूप हैं : “ऑन बैलेंस शीट नेटिंग” और “पात्र गारंटियों” की उपलब्धता। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को दिये गये ऋण/ अग्रिम के सापेक्ष उपलब्ध जमाराशियों की सीमा (निविष्टि की सीमा तक) तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को अभिज्ञात किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समापन हेतु इन गारंटियों के स्वरूप को लिया जाता है : (क) केन्द्र सरकार की गारंटी (0%), (ख) राज्य सरकार (20%) (ग) सीजीटीएसआई (0%) (घ) ईसीजीसी (20%) (ङ.) साख पत्र के तहत क्रय किए गए/भुनाए गए बिल के रूप में गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के अनुसार)।
7.	समापन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्रतिभूतियों के रूप में आसानी से बदली जाती हैं। इस प्रकार बैंक द्वारा अभिज्ञात ऋण जोखिम समापक प्रक्रिया में संकेन्द्रण जोखिम के निराकरण हेतु कोई सीमा/उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
क.	पृथक रूप से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्सपोजर (जहां प्रयोज्य हो वहां ऑन अथवा ऑफ बैलेंस शीट की नेटिंग के पश्चात) जो कटौती के पश्चात, पात्र वित्तीय संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है	3105.11
ख.	पृथक रूप से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्सपोजर (जहां प्रयोज्य हो वहां ऑन अथवा ऑफ बैलेंस शीट की नेटिंग के पश्चात) जो गारंटी/क्रेडिट डिस्काउंटेड द्वारा सुरक्षित है (जब कभी भारिबैं द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है)	शून्य

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION : DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures
<ol style="list-style-type: none"> 1. A comprehensive policy on valuation of property, plant & machinery, has been approved by the Board. 2. The collaterals commonly used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e., bank deposits, govt./postal securities, life insurance policies, gold jewellery, units of mutual funds etc.), various categories of movable and immovable assets/landed properties etc. 3. Where personal/corporate guarantee is considered necessary, the guarantee is preferably that of the principal members of the group holding shares in the borrowing company/ flagship Group Company of corporate. It is ensured that their estimated net worth is substantial enough for them to stand as guarantors. 4. In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Credit Risk Mitigation and Collateral Management duly approved by the Bank's Board. 5. As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of eligible securities against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals have been used to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, the bank has recognised specific securities namely (a) Bank Deposits (b) Life Insurance Policies (c) NSCs/ KVPs (d) Government Securities, in line with the RBI guidelines on the matter. 6. Besides, other approved forms of credit risk mitigation are "On Balance Sheet Netting" and availability of "Eligible Guarantees". On balance sheet netting has been reckoned to the extent of the deposits available against the loans/ advances of the borrower (to the extent of exposure) as per the RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital, the types of guarantees recognized for taking mitigation, in line with RBI Guidelines are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTSL (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bank guarantee in form of bills purchased/discounted under Letter of Credit (20% or as per rating of foreign banks). 7. All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)
(b)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	3105.11
(c)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	Nil

सारणी डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण		
क.	<p>प्रतिभूति और उनके संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नलिखित पर चर्चा शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के उद्देश्य, उस सीमा तक जिसके तहत ये गतिविधियाँ प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के ऋण जोखिमों को बैंक से इतर हस्तियों में अंतरित करती हैं। अन्य जोखिम (अर्थात तरलता जोखिम) प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित हैं। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कार्रवाई में निभाई गई विभिन्न भूमिकाएं (अर्थात ओरिजनेटर, निवेशक, सर्विसर, ऋण वृद्धि प्रदाता, तरलता प्रदाता) और प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन की मानिट्रिंग करने वाली प्रक्रिया का विवरण (अर्थात पूर्वाधिकार आस्तियां किस प्रकार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर प्रभाव डालती है जैसा कि दिनांक 01.07.2009 के एनसीएएफ संबंधी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित है।) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के माध्यम से जोखिम के शमन हेतु ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का विवरण 	31.3.2010 को समाप्त वर्ष हेतु कोई प्रतिभूतिकरण नहीं।
ख.	<p>प्रतिभूतिकरण गतिविधियों हेतु बैंक की लेखा नीतियों का सार, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :</p> <ul style="list-style-type: none"> क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना जाता है। धारित अथवा क्रय की गई स्थितियों के मूल्यन हेतु प्रयोग में लाई गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान। पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख पूर्वानुमानों में परिवर्तन और इन परिवर्तनों का प्रभाव। प्रतिभूतिकृत आस्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने हेतु तुलनपत्र संबंधी देयताओं को अभिज्ञात करने की नीतियां 	शून्य
(ग)	<p>बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण हेतु प्रयुक्त ईसीआई नाम और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए अलग-अलग एजेंसियों को लगाया जाता है।</p>	अप्रयोज्य
क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही	(राशि रु. करोड़ में)
घ.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर	
ङ.	चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और एक्सपोजर के स्वरूप (अर्थात क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि)के अनुसार बैंक द्वारा अभिज्ञात हानियाँ।	
च.	वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकृत हेतु अभिप्रेत आस्तियों की राशि	
छ.	(ङ.) वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्तियों की राशि	
ज.	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) और एक्सपोजर स्वरूप की बिक्री पर अनभिज्ञात लाभ अथवा हानि	
झ.	<p>निम्नानुसार सकल राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए ऑन बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर। एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार ऑफ बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	
ञ.	<p>एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत धारित या क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि और निवेश के बीच तथा प्रत्येक नियामक पूंजीगत दृष्टिकोण हेतु विभिन्न जोखिम भारित बैंड में अतिरिक्त ब्रेक डाउन किए गए संबंधित पूंजी प्रभार</p> <ul style="list-style-type: none"> पूर्णतया टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धि वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) 	शून्य

क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही	(राशि रु. करोड़ में)
ट.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर धारित किया है और जो एक्सपोजर स्वरूप के अनुरूप प्रतिभूतिकरण बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अध्वधीन है।	शून्य
ठ.	निम्नानुसार सकल राशि <ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए ऑन बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर। एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार ऑफ बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	
ड.	प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि निम्नानुसार पृथक रूप से: <ul style="list-style-type: none"> विनिर्दिष्ट जोखिम हेतु व्यापक जोखिम उपाय के अध्वधीन प्रतिधारित अथवा क्रय किया गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर विभिन्न जोखिम भारिता बैंड में विनिर्दिष्ट जोखिम विश्लेषण हेतु प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्वधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	
ढ.	निम्नलिखित की सकल राशि <ul style="list-style-type: none"> पूंजी अपेक्षा हेतु प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, विभिन्न जोखिम भारिता बैंड में विश्लेषित प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्वधीन 	
	पूर्णतया टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धि वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार)	

Table DF-7

**SECURITIZATION : DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH
QUALITATIVE DISCLOSURES**

Position as on 31.03.2010

	Qualitative Disclosures	
(a)	<p>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none"> the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities; the nature of other risks (e.g., liquidity risk) inherent in securitized assets the various roles played by the Bank in the securitization process (e.g., originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider) and an indication of the extent of the Bank's involvement in each of them a description of the process in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (e.g., how the behavior of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated 01.07.2009) a description of the Bank's Policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures 	No Securitization during the year ended 31.03.2010
(b)	<p>Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> Whether the transactions are treated as sales or financings Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the Bank to provide financial support for securitised assets. 	Nil
(c)	In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	Not Applicable

SL No	Quantitative Disclosures : Banking Book	(Amount Rs in Crores)
(d)	The total amount of exposures securitised by the bank	Nil
(e)	For exposures securitized, losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type (e.g., credit cards, housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)	
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year	
(h)	Total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	
(i)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 	
(j)	<ul style="list-style-type: none"> Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	

SL No	Quantitative Disclosures : Trading Book	(Amount Rs in Crores)
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	Nil
(l)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; 	
	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 	
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for: <ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	
(n)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	

सारणी डीएफ - 8

बाजार जोखिम : व्यवसाय बही में बाजार जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बाजार जोखिम :

1. बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।

2. बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियाँ :

बैंक में बाजार जोखिम प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति कार्यरत है। अन्य नीतियाँ जो बाजार जोखिम प्रबंधन से भी संबंध रखती हैं वे हैं, निवेश नीति, विदेशी मुद्रा परिचालनों पर जोखिम प्रबंधन नीति, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश और व्युत्पन्न नीति। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु विविध जोखिम सीमाओं को तय करती है और सुनिश्चित करती है कि ये परिचालन उपयुक्त आस्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बाजार जोखिम के प्रतिफल की बैंक की प्रत्याशा के अनुरूप हैं। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्टिंग संरचना के रूप में भी कार्य करती है।

3. आस्ति देयता प्रबंधन नीति विशिष्ट रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के संबंध में भी कार्य करती है। तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम डाटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर आस्ति एवं देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता/व्यवहारगत पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने अल्पकालिक सशक्त तरलता प्रबंधन और समाश्रित निवेश योजना की प्रक्रिया अपनाई है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय वर्गों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की हैं। बैंक की लिक्विडिटी प्रोफाइल को विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है।
4. दर संवेदी आस्ति एवं देयताओं के जीएपी विश्लेषण के माध्यम से ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित किया जाता है और निर्धारित मानकीकृत सीमाओं के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्याज दर में प्रतिकूल संचलन (नीति में यथानिर्धारित) के सापेक्ष निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक जोखिम पर लाभार्जन और संशोधित अवधि अंतर को आवधिक आधार पर आकलित करता है।
5. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की निगरानी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और आस्ति देयता प्रबंधन नीति में निर्धारित उपायों के अनुरूप बाजार की स्थिति (चालू एवं प्रत्याशित) के सापेक्ष रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी में मिडिल ऑफिस ग्रुप भी निरंतर आधार पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि रु. करोड़ में)
1	बाजार जोखिम हेतु कुल पूँजी आवश्यकताएँ	665.94
	1.1 ब्याज दर जोखिम	235.39
	1.2 इक्विटी स्थिति जोखिम	26.82
	1.3 विदेशी विनिमय जोखिम	403.73

Table DF – 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures	
(a) Market Risk:	
<p>1. Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.</p>	
2. Policies for Management of Market Risk:	
<p>The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Investment policy, Policy on Risk Management of Foreign Exchange Operations, Policy Guidelines for Undertaking Trading in Forex Market and Policy on Derivatives. The policies set various risk limits for effective management of Market Risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of Market Risk.</p>	
<p>3. The ALM Policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities, on a daily basis based on best available data coverage, as prescribed by the RBI. The bank has put in place mechanism of Short Term Dynamic Liquidity Management and Contingent Funding Plan. Prudential (Tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios.</p>	
<p>4. Interest Rate Risk is managed through use of Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) periodically against adverse movements in interest rate (as prescribed in the policy) for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity (EVE) with a view to optimize shareholder value.</p>	
<p>5. The Asset Liability Management Committee (ALCO)/Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The Mid Office at the Treasury also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.</p>	

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount Rs in Crores)	
1	The total capital requirements for Market Risk		665.94
	1.1 Interest rate risk	235.39	
	1.2 Equity position risk	26.82	
	1.3 Foreign exchange risk	403.73	

सारणी डीएफ - 9

परिचालनगत जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
2.	बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य नीतियाँ हैं : (क) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (ख) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (घ) सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना।
3.	बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।
4.	भारि बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।
2.	दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के धनात्मक वार्षिक सकल आय के 15 प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार यथास्थिति 31.03.2010 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा रु.486.40 करोड़ है।

Table DF – 9
OPERATIONAL RISK

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures	
1.	Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
2.	The bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.
3.	The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.
4.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk.

SL No.	Quantitative Disclosures
1.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk.
2.	As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI. Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2010 is Rs. 486.40 Crores.

सरणी डीएफ - 10

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2010 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम :

1. ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों से चालू लाभार्जनों (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) के साथ ही बैंक की निवल मालियत (आर्थिक मूल्य पर्सपेक्टिव) पर भी प्रभाव पड़ता है। लाभार्जन के दृष्टिकोण से जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआईआई) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) के प्रभाव के रूप में मापा जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण से जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) में कमी के रूप में मापा जा सकता है।
2. बैंक ब्याजदरों में अल्पकालिक (लाभार्जन दृष्टिकोण) एवं दीर्घकालिक (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) परिवर्तनों से संबद्ध जोखिम की पहचान करता है। आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को बैंक की एएलएम पॉलिसी में निर्धारित रूप में 100 बीपीएस तक अनुमानिक दर लगाते हुए जीएपी विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है। लाभार्जन पर इसके प्रभाव के परिकलन हेतु परम्परागत अंतर को दर संवेदी विवरण से लिया जाता है और किसी खास मूल्यवर्ग के मध्य बिन्दु से शेष अवधि के आधार पर परिवर्तन के प्रभाव पर ब्याज दर में परिवर्तन को 100 बीपीएस तक आँका जाता है। इसकी रिपोर्टिंग आवधिक अंतराल पर दर संवेदी विवरण के साथ एएलसीओ एवं बोर्ड को की जाती है। विगत वर्ष के एनआईआई के आधार पर इन सीमाओं को निर्धारित किया जाता है।
3. बैंक द्वारा 200 बीपीएस के आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) पर प्रभाव को (प्रतिशत रूप में) आँकने के लिए परम्परागत जीएपी विश्लेषण के साथ ही साथ अवधिवार जीएपी विश्लेषण को अपनाया जाता है। बैंक द्वारा आवधिक जीएपी का विश्लेषण माह में एक बार किया जाता है (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के आंकड़ों के आधार पर) और इसकी सूचना एएलसीओ/बोर्ड को दी जाती है।
4. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की मॉनिटरिंग/समीक्षा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और बाजार की स्थितियों (चालू एवं प्रत्याशित) के आधार पर रणनीतियाँ तय की जाती हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण (राशि रु. करोड़ में)	
1.	ब्याज दर में परिवर्तन	जोखिम पर आगम
	1.00%	86.45
2.	ब्याज दर में परिवर्तन	आर्थिक मूल्य में परिवर्तन
	2.00%	3.32%

Table DF – 10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Position as on 31.03.2010

Qualitative Disclosures	
(a) Interest Rate Risk in the Banking Book:	
<p>1. Interest Rate Risk is the risk which affects the bank's financial condition due to changes in the market interest rates. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact in the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin (NIM). Similarly, the risk from economic value perspective can be measured in the Economic Value of Equity (EVE).</p> <p>2. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates in short term (Earnings perspective) and long term (Economic value perspective). The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Gap analysis by applying notional rate shock up to 100 bps as prescribed in bank's ALM Policy. For the calculation of impact on earnings, the Traditional Gap is taken from the Interest Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the midpoint of a particular bucket and the impact for change in interest rate up to 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO & Board along with the Interest Rate Sensitivity Statement periodically. The limits are fixed on the net worth.</p> <p>3. The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact on the Economic Value of Equity (Economic Value perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. The Duration Gap Analysis is calculated by the bank once in a month (based on the Last Reporting Friday data) and is reported to ALCO and Board.</p> <p>4. The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors/reviews adherence of prudential limits fixed by the bank and determine the strategy in light of the market condition (current and future).</p>	

SL No	Quantitative Disclosures	
	(Amount Rs in Crores)	
1.	Change in Interest Rate	Earning at Risk
	1.00%	86.45
2.	Change in Interest Rate	Change in Economic Value
	2.00%	3.32%

कारपोरेट गवरनेन्स पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट गवरनेन्स का दर्शन :

इलाहाबाद बैंक की कारपोरेट नीति, कारपोरेट गवरनेन्स के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है। यह अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कारपोरेट विकास के साथ ही साथ शेयरधारकों के महत्व को अत्यधिक मान देती है। बैंक अपनी समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों तथा शेयरधारकों के विश्वास की परम्परा हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कारपोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफसुथरी स्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :

- i) भारत सरकार
- ii) कामगार (फिलहाल पद रिक्त है)
- iii) अधिकारी कर्मचारी

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

(ग) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक (फिलहाल एक पद रिक्त है)

(घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक (फिलहाल पद रिक्त है)

(ङ) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

2.2. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नोक्तानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवरनेन्स प्रदान करती हैं एवं बैंक के मामलों का नियंत्रण करती हैं :

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy

Allahabad Bank's corporate policy is based on sound principles of Corporate Governance. It holds high the shareholder's value while catering also to the need of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in high standard of ethical values, transparencies and disciplined approach to achieve excellence in all fields of activities. It is also committed to comply with the best international practices coupled with openness and fairness, which will lead the Bank to enjoy from customers and shareholders a tradition of trust. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by .

- Upholding the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers and employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair justice to all sections of the society.

2. Board of Directors

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are three whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

(a) A representative each of

- i) Government of India (GOI)
- ii) Workmen (Presently lying vacant)
- iii) Officers Employees

(b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI

c) Three Independent Shareholders' Directors (One post presently lying vacant)

d) One Chartered Accountants Director appointed by Government of India. (Presently lying vacant)

e) Three part-time Non-Official Directors

2.2 Committees of Board

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder which provide specific and focused governance in the important functional areas and controls the affairs of the Bank:-

- ❑ बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओडी)
- ❑ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- ❑ जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- ❑ निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
- ❑ शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी)
- ❑ सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति (आईटीजीसी)
- ❑ धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
- ❑ ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- ❑ शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- ❑ पारिश्रमिक समिति (पारि.समि)
- ❑ नामांकन समिति (नामां. समि)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं।

2.4 यथास्थिति 31.03.2010 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नवत है :

- ❑ Management Committee of the Board (MCBOD)
- ❑ Audit Committee of the Board (ACB)
- ❑ Risk Management Committee (RMC)
- ❑ Directors' Promotion Committee (DPC)
- ❑ Shareholders'/ Investors' Grievances Committee (SIGC)
- ❑ Information Technology sub Committee (ITSC)
- ❑ Fraud Monitoring Committee (FMC)
- ❑ Customer Service Committee (CSC)
- ❑ Share Transfer Committee (STC)
- ❑ Remuneration Committee (Remu. Comm)
- ❑ Nomination Committee (Nom. Com)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meets at periodic intervals.

2.4 The composition of the Board of Directors as on 31-03-2010 was as under:

नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तिथि Date of appointment	अन्य बोर्ड समितियों की सदस्यता Membership of other Board & Committees	अन्य डाइरेक्टोरिशप की सं. No of other Directorship(s)
1. श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	04-12-2009*	9	2
2. श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	07-12-2009	8	1
3. श्री एम. आर. नायक Shri M.R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director	22-01-2010	7	—
4. श्री मोहम्मद ताहिर Shri Mohammad Tahir	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	27-02-2007	8	1
5. श्रीमती सुकृति लिखि Smt. Sukriti Likhi	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	10-06-2008	6	2
6. श्री कुलदीप कुमार डोगरा Shri Kuldeep Kumar Dogra	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officers Nominee Director	19-12-2007	3	—
7. श्रीमती जोगिन्दर कौर Smt Joginder Kaur	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	14-02-2008	3	—
8. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी Shri P.V.Gudireddy	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	28-04-2008	4	—
9. डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	08-05-2008	4	—
10. श्री देवेश्वर कुमार कपिला Shri Deveshwar Kumar Kapila	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	30-06-2008	10	—
11. डा. वसन्त बाबूराव कौजलगी Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	12-06-2009	2	—

श्री जे.पी. दूआ 07.11.2007 से 03.12.2009 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक थे

* Shri J.P. Dua was the Executive Director of the Bank from 07-11-2007 to 03-12-2009

नोट :

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।
- (ii) कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।
- (iii) श्री ए.के. महापात्र शेरधारकों(केन्द्र सरकार से भिन्न) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्होंने 30.06.2008 से पद धारण किया। सदस्य, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप श्री महापात्र 26.06.2009 से बैंक के निदेशक के रूप में नहीं रहे।

2.5 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/ निर्वाचित होकर कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का परिचय निम्नानुसार है:

2.5.1 श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री जे.पी. दूआ ने 04.12.2009 से बैंक के अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व श्री दूआ 07.11.2007 से इस बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री दूआ ने अपना बैंकिंग कैरियर 1978 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स में प्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर शुरू किया। श्री दूआ एक अनुभवी बैंकर हैं और बैंकिंग उद्योग में लगभग सभी कार्य क्षेत्रों में उनका अनुभव है। वे शाखाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स में अपने कार्यकाल के दौरान श्री दूआ ने कारपोरेट ऑफिस में विभिन्न विभागों के कार्यप्रमुख के रूप में कार्य किया जिनमें अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, निरीक्षण और नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त कारपोरेट क्रेडिट भी शामिल है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स में महाप्रबंधक(कारपोरेट क्रेडिट) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक नई पहल की जैसे एनबीजी, क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल, रिटेल क्रेडिट हब्स और कारपोरेट शाखाएँ, जिससे ऋण संविभाग के तीव्रतर विस्तार में मदद मिली।

श्री दूआ ने क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरडी आदि में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण में 1991 में हांगकांग में एसआईबीओएस, 1997 में लॉस एंजेलिस/सेन फ्रांसिसको में बैंकिंग कार्यक्रम, न्यूयार्क में क्रेडिट मैनेजमेंट जैसे कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं। वे एक बाजारोन्मुख बैंकर हैं जिनमें सुदृढ़ प्रशासनिक और नेतृत्व कौशल है इसके साथ ही वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु अपनी टीम के लिए एक योग्य प्रेरक हैं।

2.5.2 श्री देवव्रत सरकार

श्री देवव्रत सरकार ने दिनांक 07.12.2009 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान नियुक्ति से पूर्व श्री सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के कारपोरेट कार्यालय मुम्बई में महाप्रबंधक (थोक बैंकिंग/ऋण) थे।

श्री सरकार सनदी लेखाकार हैं और उनका 27 वर्षों का बैंकिंग का अनुभव है। श्री सरकार ने अपना बैंकिंग कैरियर 22.07.1982 को बैंक ऑफ बड़ौदा से आरम्भ किया। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालय, मंडलीय कार्यालय और कारपोरेट/ प्रधान कार्यालय में विभिन्न हैसियतों से कार्य किया। वे लगभग 4 वर्षों तक पोर्ट लुईस में बैंक के मारिशस परिचालन के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रभारी थे। वे लगभग 7 वर्षों तक विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, मुम्बई के प्रभारी रहे।

Note:

- (i) None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director.
- (ii) None of the Directors are relative of each other
- (iii) Shri A K. Mohapatra was elected as Director representing shareholders (other than Central Government) and assumed office with effect from 30-06-2008. Consequent upon his appointment as Member, Appellate Authority for Industrial & Financial Reconstruction (A.A.I.F.R.), Ministry of Finance, Govt. of India Shri Mohapatra has ceased to be the director of the Bank with effect from 26.6.2009.

2.5 The profile of the directors who were appointed/ elected on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2009-10 is furnished hereunder:

2.5.1 Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director

Shri J.P. Dua assumed the office of the Chairman & Managing Director of the Bank with effect from 04-12-2009. Prior to his present appointment Shri Dua was the Executive Director of the Bank since 07-11-2007.

Shri Dua started his Banking career by joining Oriental Bank of Commerce as Manager in October 1978. Shri Dua is an experienced Banker and has exposure to almost all the functions in Banking Industry. He has held important positions in branches and also worked as Regional Manager. Mr. Dua, during his career in Oriental Bank of Commerce has exposure as functional head of various departments at corporate office including International Banking Division, Inspection and control department besides corporate credit.

During his tenure as General Manager (Corporate Credit) in Oriental Bank of Commerce, many new initiatives such as NBG, Credit Processing Cell, Retail Credit hubs and corporate Branches were taken up, which helped faster expansion of credit portfolio.

Shri Dua got specialized training in credit administration, HRD etc. The international training include SIBOS in 1991 at Hong Kong, International Banking Programme in 1997 at Los Angeles/ San Fransisco, credit management in New York, to mention a few. He is a market oriented Banker with strong administrative and leadership skills and able motivator of his team to bring about best results.

2.5.2 Shri Debabrata Sarkar, Executive Director

Shri Sarkar has assumed the office of Executive Director of the Bank on 07-12-2009. Prior to his present appointment Shri Sarkar was the General Manager(Wholesale Banking/ Credit) of the Bank of Baroda at corporate office Mumbai.

Shri Sarkar is a Chartered Accountant and is having 27 years of Banking experience. Shri Sarkar started his Banking career by joining Bank of Baroda on 22-07-1982. Shri Sarker during his career in Bank of Baroda, had worked in various capacities in Branches, Regional Office, Zonal Office and Corporate/ Head Office. He was in charge of Internal Audit department of Bank's Mauritius Operations at Port Louis for about 4 years. He was in-charge of Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai for about 7 years.

2.5.3 श्री एम.आर. नायक, कार्यपालक निदेशक

श्री नायक ने दिनांक 22.01.2010 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व श्री नायक कारपोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक थे।

श्री नायक का 39 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। श्री नायक ने अपना बैंकिंग कैरियर 1971 में कारपोरेशन बैंक में कार्यभार ग्रहण कर आरम्भ किया। श्री नायक मैसूर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान (अब भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान) के एसोसिएट्स हैं। उन्होंने बंगलौर मुम्बई और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यवसाय से संबंधित शाखाओं सहित अन्य शाखाओं में परिचालन कार्य संचालित किया है। उन्होंने बैंक के ट्रेजरी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग के परिचालनों का संचालन किया है और उनके कार्यकाल में ट्रेजरी परिचालन को बैंक की घरेलू और विदेशी ट्रेजरियों को साथ लाकर एकीकृत किया गया। उन्होंने ट्रेजरी में नई पहल करने, इक्विटी बाजार में सक्रिय सहभागिता और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री आदि में केन्द्रीय भूमिका निभाई थी।

श्री नायक ने बैंक द्वारा स्वर्ण बैंकिंग बुलियन आयात लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई जो भारत में बैंकिंग उद्योग में पहली बार हुआ। वे विभिन्न मंडलों के प्रमुख रहे। बैंक के कारपोरेट ऑफिस में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऋण नीति और मॉनिटरिंग, रिटेल लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, एसएमई क्रेडिट, बैंकएश्योरेंस आदि को संचालित किया।

श्री नायक ने बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय के विशेष संदर्भ में व्यापक यात्राएं की हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिसमें चेयरमैन क्लब अवार्ड, सोजियन अवार्ड और कारपोरेशन बैंक का मिलेनियम अवार्ड शामिल है।

2.5.4 डा. वसन्त बाबुराव कौजलगी

डा. वसन्त बाबुराव कौजलगी ने 12.06.2009 से बैंक के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वह एक टेक्नोक्रेट हैं और उन्होंने आईआईटी मुम्बई से डाक्टरेट की डिग्री हासिल की है। उन्हें आईआईटी मुम्बई में परिचालन अनुसंधान और कंप्यूटर विज्ञान विषय पढ़ाने का 7 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे एमआईसीआर समिति, डाटा वेयरहाउस समिति और आरटीजीएस एक्सपर्ट समिति के सदस्य के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से संबद्ध रहे। वे नवम्बर 1995 से अक्तूबर 2001 तक भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक थे और नवम्बर 2005 से अक्तूबर 2008 तक बैंक आफ इंडिया के निदेशक भी थे।

3. 01.04.2009 से 31.03.2010 के बीच आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

3.1 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के सापेक्ष समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नोक्त तिथियों को 12 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं।

	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड में निदेशकों की संख्या No. of Directors on Board	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors attended
1	20-04-2009	13	10
2	04-05-2009	13	12
3	15-06-2009	14	11
4	18-07-2009	13	11
5	02-09-2009	12	10
6	10-10-2009	11	08
7	22-10-2009	10	08
8	16-11-2009	09	08
9	29-12-2009	10	09
10	22-01-2010	10	09
11	24-02-2010	11	11
12	23-03-2010	11	11

2.5.3 Shri M.R. Nayak Executive Director

Shri Nayak has assumed the office of Executive Director of the Bank on 22-01-2010. Prior to his present appointment Shri Nayak was the General Manager of Corporation Bank, at Head Office.

Shri Nayak has 39 years of experience of banking. Shri Nayak started his Banking career by joining Corporation Bank in 1971. Shri Nayak is a commerce graduate from University of Mysore and an Associate of Indian Institute of Bankers. (Now the Indian Institute of Banking and Finance). He has worked in various capacities in important locations such as Bangalore, Mumbai and New Delhi. He handled branch operations including those concentrated with foreign exchange business. He handled the Treasury and international banking division of the Bank and during his tenure the treasury operations were integrated into one bringing together the domestic and forex treasuries of the Bank. He had a pivotal role in taking up many new initiatives in the treasury, active participation in equity market & retailing in government securities, etc.

Shri Nayak was instrumental in introducing gold banking import of bullion by the Bank, one of the first in banking industry in India. He headed various Zones. During his tenure at the Corporate office of the Bank, he has handled Credit Policy and monitoring, Retail lending, Priority Sector Credit, SME Credit, Bancassurance etc.

Shri Nayak has travelled widely with particular reference to developing international banking business of the Bank. He has won a number of awards including Chairman's club Award, SOGian awards and the millennium award of Corporation Bank.

2.5.4 Dr. Vasant Baburao Kaujalgi, Shareholders' Director

Dr. Vasant Baburao Kaujalgi has assumed the office of director of the Bank from 12-06-2009. He is a technocrat and holds Doctorate degree from I.I.T. Bombay. He has more than 7 years of experience of teaching at I.I.T. Bombay in operation research and computer science. He has been associated with RBI as member MICR Committee, Data Warehouse Committee and RTGS expert Committee. He was Director, Central Board, in State Bank of India from November, 1995 to October 2001 and also director of Bank of India from November 2005 to October 2008.

3. Details of the Board meeting held between 01.04.2009 and 31.03.2010

3.1 During the period under review 12 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum 6 meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions), Scheme 1970

3.2 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण / Details of the meetings attended by Present and Past Directors.

S.N.	निदेशक का नाम Name of Director	बोर्ड BOARD	एम सी बी MCB	ए सी सी ACB	आर एम सी RMC	डी पी जीसी DPC	एसएच आई एससी SHIGC	आई टी सी ITSC	एफ एम सी FMC	सी एस सी CSC	एस टी STC	परिलब्धि समि. Remu. Com.	नामा समि. Nom Com
1	श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	11	19	6	4	2	1	6	3	4	15	—	—
2	श्री के. आर. कामत * Shri K. R. Kamath *	7	10	—	2	3	—	2	1	2	11	—	—
3	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	4	8	2	2	—	1	4	2	2	5	—	—
4	श्री एम.आर. नायक Shri M.R. Nayak	2	4	—	1	—	1	3	2	1	4	—	—
5	श्री के.के. अग्रवाल * Shri K. K. Agarwal *	3	4	2	1	—	—	1	—	1	6	—	—
6	श्री मोहम्मद ताहिर Shri Mohammad Tahir	12	19	8	4	5	—	—	—	4	—	1	1
7	श्रीमती सुकृति लिखि Smt Sukriti Likhi	7	—	4	—	5	—	3	—	—	—	1	—
8	के. के. डोगरा Shri K. K. Dogra	12	9	—	—	—	—	—	3	4	9	—	—
9	श्री अशोक जैन * Shri Ashok Jain *	6	8	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1
10	श्री वी. गुरुमूर्ति * Shri V Gurumurthy *	5	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—
11	श्री देवेश्वर कुमार कपिला Shri Deveshwer Kumar Kapila	10	9	7	1	—	2	6	3	—	—	—	—
12	श्रीमती जोगिन्दर कौर Smt. Joginder Kaur	6	5	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
13	श्री पी. वी. गुडिरेड्डी Shri P.V.Gudireddy	11	10	—	4	—	2	—	—	—	—	—	1
14	डॉ. शकील उज़ ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	11	6	—	1	—	2	—	—	3	—	1	1
15	श्री. ए. के. महापात्र * Shri A K. Mohapatra *	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	डा. वसन्त बाबूराव कौजलगी Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	9	11	—	3	—	—	6	—	—	—	—	—

*पिछले निदेशक / * Past directors

4. बोर्ड की समितियां

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड-13 के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

4.1.2 प्रबंधन समिति का संघटन

यथास्थिति 31.03.2010 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री पी.वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. डा. शकील उज्ज-जमान-अंसारी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
7. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.1.3 प्रबंधन समिति के कार्य

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/ बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

4.1.4 बैठक का विवरण

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को प्रबंधन समिति ने 20 बैठकें आयोजित कीं:

4. Committees of the Board

4.1.1 Management Committee of the Board

In pursuance of clause 13 of Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted.

4.1.2 Composition of the Management Committee

The members of the Management Committee of the Board as on 31-03-2010 were:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarka	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Shri P.V. Gudireddy	Part Time Non Official Director
6. Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	Part Time Non Official Director
7. Shri Deveshwar Kr. Kapila	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.1.3 Function of the Management Committee

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value proposal, compromise/write off, sanction of capital & revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman & Managing Director and the Executive Director(s). The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

4.1.4 Details of the meeting of the Committee

The Committee met 20 times during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 as detailed below

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं. No. of Directors on the Management Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
24-04-2009	8	6
04-05-2009	8	7
03-06-2009	8	7
23-06-2009	8	8
18-07-2009	8	7
04-08-2009	7	5
03-09-2009	7	6
22-09-2009	7	7
10-10-2009	6	6
22-10-2009	6	6
16-11-2009	5	5
07-12-2009	5	5
18-12-2009	6	4
29-12-2009	6	6
12-01-2010	6	6
22-01-2010	6	6
08-02-2010	7	7
24-02-2010	7	7
10-03-2010	7	7
23-03-2010	7	7

4.2.बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कारपोट गवर्नेन्स के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2010 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
2. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
3. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री देवेश्वर कुमार कपिला, शेयरधारक निदेशक, द्वारा की गई।

4.2.3 लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.2.4 बैठक का विवरण -

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं. No. of Directors on the Audited Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
13-04-2009	6	5
04-05-2009	6	5
18-07-2009	6	5
28-07-2009	6	6
29-09-2009	5	4
22-10-2009	4	3
12-01-2010	4	3
22-01-2010	4	3

4.2 Audit Committee of the Board (ACB)

4.2.1 In pursuance to the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.

4.2.2 Composition of the Audit Committee:

The member of the Audit Committee of the Board, as on 31-03-2010 were;

1. Shri D. Sarkar	Executive Director
2. Shri M.R. Nayak	Executive Director
3. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director

The committee is chaired by Shri Deveshwar Kumar Kapila, Shareholders' Director.

4.2.3 Function of Audit Committee:

The main function of Audit Committee is to assess and review the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the Statutory/ External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Central Statutory Auditors before finalization of Annual/ Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.2.4 Details of Meeting

During the period 01.04.2009 to 31.03.2010, 8 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below.

4.3 जोखिम प्रबंधन समिति :

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2010 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्रीमती जोगिन्दर कौर	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
7. डा. बसन्त बाबूराव कौजलगी	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

4.3.4 बैठक का विवरण -

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
23-06-2009	8	8
03-09-2009	6	5
29-12-2009	6	6
24-02-2010	7	7

4.4 निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) :

4.4.1 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति:

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग)के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.3 Risk Management Committee

4.3.1 Risk Management Committee of the Board:

In pursuance of the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was constituted on March 4, 2003 and it was reconstituted from time to time.

4.3.2 Composition of the Risk from Management Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31.03.2010 were

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M. R. Nayak	Executive Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Smt. Joginder Kaur	Part Time Non Official Director
6. Shri P.V. Gudireddy	Part Time Non Official Director
7. Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.3.3 Function of Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including Credit Market & Operational risk.

4.3.4 Details of the Meeting

The Committee met 4 times during the period 01-04-2009 to 31-03-2010 as detailed below.

Date of Meeting	No. of Directors on the Risk Management Committee of Board.	No. of Directors attended
23-06-2009	8	8
03-09-2009	6	5
29-12-2009	6	6
24-02-2010	7	7

4.4. Directors' Promotion Committee (DPC)

4.4.1 Directors promotion committee of the Board:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors promotion Committee and the same was reconstituted from time to time.

4.4.2 निदेशकों की पदोन्नति समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2010 को निदेशकों की पदोन्नति समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. श्री जे.पी. दूआ | : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2. श्रीमती सुकृति लिखि | : सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| 3. मोहम्मद ताहिर | : आरबीआई द्वारा नामित निदेशक |

समिति की अध्यक्षता, श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.4.3 निदेशकों की पदोन्नति समिति के कार्य :

निदेशकों की पदोन्नति समिति का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं करपोरेट गवर्नेन्स एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

4.4.4 बैठक का विवरण-

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति ने 5 बैठकें आयोजित कीं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	निदेशक पदोन्नति समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
23-06-2009	3	3
02-09-2009	3	3
15-09-2009	3	3
29-12-2009	3	3
23-03-2010	3	3

4.5 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

4.5.1 बैंक ने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के प्रयोजनार्थ मूलतः 04 मार्च, 2003 को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत (निवारण) समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

4.5.2 शेयर धारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का संघटन :

31.03.2010 को यथास्थिति समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. श्री डी. सरकार | कार्यपालक निदेशक |
| 2. श्री एम.आर. नायक | कार्यपालक निदेशक |
| 3. श्री पी.वी. गुडिरेड्डी | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक |
| 4. डा. शकील-उज्-ज़मान -अंसारी | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक |
| 5. श्री देवेश्वर कुमार कपिला | शेयरधारक निदेशक |

4.4.2 Composition of the Directors 'Promotion Committee:

The members of the Committee of Directors as on 31-03-2010 were

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Shri J.P. Dua, | Chairman & Managing Director |
| 2. Smt Sukriti Likhi | Govt. Nominee Director |
| 3. Shri Mohammad Tahir | RBI Nominee Director |

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director

4.4.3 Function of the Directors' Promotion Committee:

The Directors' Promotion Committee has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System

4.4.4 Details of the Meeting

The Committee held 5 meetings during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the Directors Promotion Committee	No. of Directors attended
23-06-2009	3	3
02-09-2009	3	3
15-09-2009	3	3
29-12-2009	3	3
23-03-2010	3	3

4.5 Shareholders'/ Investors' Grievances Committee

4.5.1 The Bank originally constituted the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee on March 4, 2003 with a purpose of redressal of shareholders and investors grievances / complaints. The committee was reconstituted from time to time.

4.5.2 Composition of the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee

The members of the Committee as on 31-03-2010 were as under:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Shri D. Sarkar | Executive Director |
| 2. Shri M.R. Nayak | Executive Director |
| 3. Shri P.V. Gudireddy | Part Time Non Official Director |
| 4. Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari | Part Time Non Official Director |
| 5. Shri Deveshwar Kumar Kapila | Shareholders' Director |

समिति की अध्यक्षता श्री देवेश्वर कुमार कपिला, शेयरधारक निदेशक द्वारा की जाती है श्री ए. बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

4.5.3 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के कार्य

समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शेयर प्रमाणपत्र स्थानान्तरण, सब डिवीजन समेकन, नवीकरण आदि हेतु आवेदन की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर जारी हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति निवेशकों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण की मॉनिटरिंग भी करती है। बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1809 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से सभी का निवारण निवेशकों की संतुष्टि के अनुरूप किया जा चुका है।

4.5.4 बैठक का विवरण

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान समिति ने 2 बैठकें आयोजित की।

बैठक की तिथि	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
03-09-2009	4	4
10-03-2010	5	5

4.6 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी उप-समिति) उप-समिति

4.6.1 बैंक की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी उप-समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.6.2 बोर्ड की आईटी उप-समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2010 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
6. श्री डा. वसन्त बाबूराव कौजलगी	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.6.3 बोर्ड की आईटी समिति के कार्य

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

The Committee is chaired by Shri Deveshwar Kumar Kapila, Shareholders' Director, Shri A.B.Bhattacharjee, General Manager; Finance & Accounts has been designated as Compliance Officer of the Bank.

4.5.3 Function of Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Committee ensures that all Share Certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The Bank received 1809 number of complaints during the year under review and all the complaints have been resolved to the satisfaction of investors.

4.5.4 Details of the Meeting

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the Shareholders' / Investors' Grievance Committee	No. of Directors attended
03-09-2009	4	4
10-03-2010	5	5

4.6 Information Technology Sub-Committee (IT Sub-Committee)

4.6.1 The Bank constituted the IT Sub-Committee on April 24, 2003 and it was further reconstituted time to time to monitor the implementation of various Information Technology projects of the Bank.

4.6.2 Composition of the IT Sub-Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31-03-2010 were:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M. R. Nayak	Executive Director
4. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
5. Shri Deveshwar Kr Kapila	Shareholders' Director
6. Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.6.3 Function of the IT Committee:

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

4.6.4 बैठक का विवरण -

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुई जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	बोर्ड की आईटी उप समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
20-04-2009	6	4
02-09-2009	5	4
07-12-2009	4	3
12-01-2010	5	4
08-02-2010	6	5
10-03-2010	6	5
31-03-2010	6	6

4.7 धोखाधड़ी निगरानी समिति

4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति

बैंक ने एक करोड़ रुपए और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का संघटन

यथास्थिति 31.03.2010 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. श्री जे.पी. दूआ | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2. श्री के.के. डोगरा | अधिकारी नामित निदेशक |
| 3. श्री देवेश्वर कुमार कपिला | शेयरधारक निदेशक |

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.7.3 धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मानिट्रिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

4.7.4 बैठक का विवरण

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की 3 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है।

बैठक की तिथि	बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
22-09-2009	6	5
24-02-2010	5	5
23-03-2010	5	5

4.6.4 Details of the Meeting

This Committee held 7 meetings during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the IT Sub-Committee of Board	No. of Directors attended
20-04-2009	6	4
02-09-2009	5	4
07-12-2009	4	3
12-01-2010	5	4
08-02-2010	6	5
10-03-2010	6	5
31-03-2010	6	6

4.7. Fraud Monitoring Committee

4.7.1 Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of Rupees One crore and above.

4.7.2 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31-03-2010 were :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Shri J.P. Dua | Chairman & Managing Director |
| 2. Shri K.K. Dogra | Officers' Nominee Director |
| 3. Shri Deveshwar Kumar Kapila | Shareholders' Director. |

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.7.3 Function of the Fraud Monitoring Committee

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, review and follow up cases of frauds involving amount of Rs. One Crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

4.7.4 Details of the Meeting

The Fraud Monitoring Committee held 3 meetings during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 as detailed below

Date of meeting	No. of Directors on the Fraud Monitoring Committee of Board	No. of Directors attended
22-09-2009	6	5
24-02-2010	5	5
23-03-2010	5	5

4.8 ग्राहक सेवा समिति

4.8.1 निदेशक मंडल ने 9 सितम्बर 2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया। और समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

4.8.2 ग्राहक सेवा समिति का संघटन

31.03.2010 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित निदेशक थे।

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री के. के. डोगरा	अधिकारी नामित निदेशक
6. डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.8.3 ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

4.8.4 बैठक का विवरण

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	ग्राहक सेवा समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
15-06-2009	7	6
03-09-2009	6	6
29-12-2009	5	5
24-02-2010	6	6

4.9 परिलब्धि समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बैंचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- "परिलब्धि समिति" द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.9.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया।

4.8 Customer Service Committee

4.8.1 In compliance with RBI letter dated August 14, 2004, the Board of Directors at its meeting held on September 9, 2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

4.8.2 Composition of Customer Service Committee:

The Customer Service Committee comprises the following Directors as on 31-03-2010.

1. Shri J P Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
5. Shri K K Dogra	Officers' Nominee Director
6. Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	Part Time Non Official Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.8.3 Function of the Customer Service Committee

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

4.8.4 Details of the Meeting

This Committee held 4 meetings during the period 01.04.2009 to 31.03.2010 as detailed below

Date of meeting	No. of Directors on Customer Service Committee	No. of Directors attended
15-06-2009	7	6
03-09-2009	6	6
29-12-2009	5	5
24-02-2010	6	6

4.9 Remuneration Committee

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 9th March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled to Performance linked incentives, subject to achievement of Broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the statement of intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.9.1 The Board of Directors in its meeting dated 23-03-2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.9.2. परिलब्धि समिति का गठन यथास्थिति

31.03.2010 को यथास्थिति समिति का संघटन निम्नानुसार थी :

1. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
3. श्रीमती जोगिन्दर कौर	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

एक सदस्य का पद रिक्त है।

समिति की अध्यक्षता श्रीमती सुकृति लिखि, सरकार द्वारा नामित निदेशक द्वारा की जाती है।

4.9.3. परिलब्धि समिति के कार्य

कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

4.10.4. बैठक का विवरण

01.04.2009 से 31.03.2010 तक समिति की 1 बैठक हुई-

बैठक की तिथि	बोर्ड की परिलब्धि समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
23-06-2009	4	4

4.10 नामांकन समिति

4.10.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया।

4.10.2 नामांकन समिति का गठन

31.03.2010 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था :

1. श्री मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
2. श्रीमती जोगिन्दर कौर	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
3. डा. शकील-उज्ज-ज़मान अंसारी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
4. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री मोहम्मद ताहिर, आरबीआई नामित निदेशक द्वारा की जाती है।

4.10.3 नामांकन समिति के कार्य

नामांकन समिति को अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “योग्य एवं उचित” स्तर का समुचित सतर्कता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

4.10.4 बैठक का विवरण

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
03-06-2009	4	4

4.9.2 Composition of Remuneration Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2010 is as under:

1. Smt Sukriti Likhi	Govt. Nominee Director
2. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
3. Smt. Joginder Kaur	Part time Non Official Director

One member position is lying vacant

The Committee is chaired by Smt. Sukriti Likhi, Government Nominee Director

4.9.3 Function of Remuneration Committee

To evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives.

4.9.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2009 to 31.03.2010

Date of meeting	No. of Directors on the Remuneration Committee of Board	No. of Directors attended
23-06-2009	4	4

4.10 Nomination Committee

4.10.1 In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated Nov. 1, 2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 21-04-2008 and reconstituted from time to time.

4.10.2 Composition of Nomination Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2010 are as under :

1. Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
2. Smt. Joginder Kaur	Part Time Non Official Director
3. Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari	Part Time Non Official Director
4. Shri P.V. Gudireddy	Part Time Non Official Director

The Committee is chaired by Shri Mohammad Tahir, RBI Nominee Director

4.10.3 Function of Nomination Committee

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the “Fit & Proper” status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Act.

4.10.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2009 to 31.03.2010

Date of meeting	No. of Directors on the Nomination Committee of Board	No. of Directors attended
03-06-2009	4	4

4.11 शेयर अंतरण समिति

4.11.1 बैंक ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके प्रयोजन में इक्विटी शेयरों का अंतरण/ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट शेयर जारी करना शामिल है किंतु यह इसी कार्य तक सीमित नहीं है। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.11.2 शेयर अंतरण समिति का संघटन

31.03.2010 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री के.के. डोगरा	अधिकारी नामिति निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है

4.11.3 शेयर अंतरण समिति के कार्य

समिति को बैंक के शेयरों के अंतरण, प्रेषण, अस्वीकृति, सबडिवीजन, समेकन के अनुमोदन और गुम हुए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाण पत्रों के बदले अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है और वह इसके लिए प्राधिकृत है। समिति को वह सब कार्य करने का भी अधिकार है जो शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि हेतु आवश्यक और प्रासंगिक होते हैं।

4.11.4 बैठक का विवरण:-

समिति द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

4.11 Share Transfer Committee

4.11.1 The Bank has constituted Share Transfer Committee for the purpose including but not limited to transfer/transmission of equity shares, issue of duplicate shares. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.11.2 Composition of Share Transfer Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2010 are as under :

1. Shri J P Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri K.K.. Dogra	Officers' Nominee Director

The Committee is chaired by Shri J P Dua, Chairman & Managing Director

4.11.3 Function of Share Transfer Committee

The Committee is empowered and authorized to approve transfer, transmission, rejection, subdivision, consolidation of the shares of the Bank and issue of duplicate share certificates against lost or destroyed share certificates after observing requisite formalities. The Committee is also empowered to do all such acts, things or deeds as may be necessary or incidental to the exercise of transfer, transmission, issue of duplicate share certificates etc.

4.11.4 Details of the Meeting

The details of the meetings held by the committee are as under *:

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के निदेशकों की संख्या No. of Directors on the Share Transfer Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
03-04-2009	5	3
20-04-2009	5	4
04-05-2009	5	4
22-05-2009	5	3
30-06-2009	5	3
15-07-2009	5	3
30-07-2009	5	3
02-09-2009	4	4
22-09-2009	3	3
10-10-2009	3	3
22-10-2009	3	3
22-01-2010	3	3
08-02-2010	4	3
24-02-2010	4	4
08-03-2010	4	3
23-03-2010	4	4

अगस्त, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर माह के दौरान शेयर अंतरण। प्रेषण के अनुरोध को भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

5. निदेशकों की परिलब्धियाँ

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

5.1 वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

* During the month of August, October, November and December the Share Transfer/transmission request has also been approved by the Board.

5. Remuneration to the Directors:

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non- Executive Directors is paid as decided by the Government of India /RBI guidelines.

5.1 The details of salary including incentives paid to the whole-time Directors of the Bank past and present, i.e Chairman & Managing Director and Executive Director during the year 2009-10 are as under:

क्रम सं	नाम	मूल	मंहगाई भत्ता		बकाया	प्रोत्साहन	कुल
SI No.	Name	Basic	DA Pay	Dearness Allowance	Arrear	Incentives	Total
मौजूदा निदेशक / Existing Directors							
1.	श्री जे.पी. दूआ (अ.प्र.नि.) Shri J.P. Dua (CMD)	750292.90	55000.00	192235.08	522277.80	650000.00	2169805.78
2.	श्री डी. सरकार (का.नि.) Shri D. Sarkar (ED)	195000.00	0.00	52650.00	0.00	0.00	247650.00
3.	श्री एम.आर. नायक (का.नि.) Shri M. R. Nayak (ED)	150967.74	0.00	40761.29	0.00	0.00	191729.03
भूतपूर्व निदेशक / Ex-Directors							
4.	श्री के. आर. कामत (भू.पूर्व अ.प्र.नि.) Shri K R Kamath (EX- CMD)	542972.42	0.00	113606.00	395434.63	716666.00	1768679.05
5.	श्री ए.सी. महाजन (भू.पूर्व अ.प्र.नि.) Shri A C Mahajan (EX-CMD)	0.00	0.00	0.00	468808.40	200000.00	668808.40
6.	श्री ओ.एन. सिंह (भू.पूर्व अ.प्र.नि.) Shri O N Singh (EX CMD)	0.00	0.00	0.00	136525.05	0.00	136525.05
7.	श्री के.के. अग्रवाल, (भू.पू. कार्यपालक निदेशक) Shri K K,Agarwal (EX-ED)	190950.00	44000.00	44693.00	501063.60	650000.00	1430706.60
8.	श्री एस.के. गोयल (भू.पू. कार्यपालक निदेशक) Shri S K Goel (Ex. ED)	0.00	0.00	0.00	352680.89	0.00	352680.89
कुल / TOTAL		1830183.06	99000.00	443945.37	2376790.37	2216666.00	6966584.80

वर्तमान में अपने निदेशकों हेतु बैंक का स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

At present the Bank does not have stock option plan for its directors.

5.2 गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु रु.5000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु रु. 2500/- का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और आरबीआई तथा सरकार नामित निदेशकों, जो कि सरकारी अधिकारी हैं, को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता।

5.2 The Non-Executive Directors are being paid sitting fee of Rs. 5000/- for attending each Board Meetings and Rs.2500/- for Committee Meetings. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank and Government Nominee Directors.

6. जनरल बॉडी बैठकें:

6. General Body Meetings:

6.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

6.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	बैठक की तारीख Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
पाँचवी वार्षिक साधारण बैठक	बुधवार 20 जून 2007 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106	31.03.2007 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखों एवं तुलन पत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना
Fifth Annual General Meeting	Wednesday, 20th June, 2007, 10.30 A.M	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2007, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2007, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report and to Declare Dividend on Equity shares.
छठी वार्षिक साधारण बैठक	सोमवार 16 जून 2008 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106	31.03.2008 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखों एवं तुलन पत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना
Sixth Annual General Meeting	Monday, 16 th June, 2008, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2008, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2008, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report and to Declare Dividend on Equity shares
सप्तम वार्षिक साधारण बैठक	सोमवार 15 जून 2009 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106	31.03.2009 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण, इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध करने और आकस्मिक रिक्ति पर एक शेयरधारक निदेशक को निवारित करने का अनुमोदन।
Seventh Annual General Meeting	Monday, 15 th June, 2009, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2009, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2009, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report, to declare dividend on Equity shares, to approve voluntarily delisting of equity shares of the Bank from the Calcutta Stock Exchange Ltd. and to elect one shareholders' director in casual vacancy.

6.2 कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध करने का विशेष संकल्प सातवीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित किया गया था।

शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसार 09.03.2010 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों का स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है।

6.3 15.06.2009 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

श्री के.आर. कामत *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के.के. अग्रवाल *	कार्यपालक निदेशक
श्री जे.पी. दूआ	कार्यपालक निदेशक
श्री मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री अशोक जैन *	सरकारी नामिती, स. ले. निदेशक
डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
श्री अशोक कुमार महापात्र *	शेयरधारक निदेशक
श्री के. के. डोगरा	अधिकारी नामिती निदेशक
श्री वी. गुरुमूर्ति *	कामगार नामिति निदेशक

* पिछले निदेशक

7. प्रकटीकरण

बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशक, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

वर्ष 2009-10 हेतु कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) अर्थात् लिस्टिंग करार के खंड 49 में यथा निर्धारित मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में वित्तीय कार्यों के प्रमुख व्यक्ति से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का अंश है।

7.1 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्नानुसार है

6.2 One Special Resolution for the Voluntary Delisting of equity shares of the Bank from the Calcutta Stock Exchange Ltd. was passed in the Seventh Annual General Meetings.

As per the Approval of the shareholders the equity shares of the Bank has been voluntarily delisted from the Calcutta Stock Exchange Ltd. with effect from 09-03-2010.

6.3 The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 15-06-2009

Shri K.R. Kamath*	Chairman & Managing Director
Shri K.K.Agarwal*	Executive Director
Shri J. P. Dua	Executive Director
Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
Shri Ashok Jain*	Government Nominee C A Director
Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari	Part Time Non Official Director
Shri P V Gudireddy	Part Time Non Official Director
Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director.
Shri Ashok Kumar Mohapatra*	Shareholders' Director.
Shri K.K. Dogra	Officers' Nominee Director
Shri V. Gurumurthy*	Workmen Nominee Director

* past directors

7. Disclosures:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank complied with all the requirements regarding capital market and has not been imposed with any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI or by any Statutory / Regulatory Authority during the last three years.

A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the year 2009-10 is annexed to this report.

A Certificate from the Chairman and Managing Director and General Manager (Finance & Accounts) i.e. the person heading the finance function in his capacity as Chief Finance Officer (CFO), as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement, has been placed before the Board and is annexed to this Annual Report.

Management discussion and analysis report forms a part of the Director's Report .

7.1 Non-Mandatory Requirements

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder

अपेक्षा REQUIREMENT	अनुपालन COMPLIANCE																
<p>कंपनी बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय पैरामीटरों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशक के रूप में उत्तरदायित्वों और उन्हें बेहतर ढंग से निभाने के बारे में प्रशिक्षित करें</p> <p>Company may train Board members in the Business model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them</p>	<p>आईबीए/बीटीसी/एनआईबीएम तथा अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।</p> <p>The Directors are nominated for training programs as and when organized by IBA/BTC/NIBM and other accredited institutions.</p>																
<p>8. संप्रेषण के माध्यम</p> <p>बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक उन समस्त स्टॉक एक्सचेंजों को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इन्हें सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2009-2010 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणाम “फाइनेन्शियल एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) “आजकल” (बंगला) सहित अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।</p>	<p>8. Means of Communication</p> <p>The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognized the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are informed to all the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. These are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the year 2009-10, the quarterly financial results were published in leading newspapers “Financial Express”(English) and “Aaj Kaal”(Bengali). The results are also displayed on the web site of the Bank www.allahabadbank.in</p>																
<p>9. शेयरधारकों हेतु साधारण सूचना</p>	<p>9. General Shareholders Information:</p>																
<p>9.1 आठवीं वार्षिक साधारण बैठक का विवरण</p>	<p>9.1 Particulars of Eighth Annual General Meeting</p>																
<p>दिन और तारीख Day & Date समय Time स्थान Venue</p>	<p>बृहस्पतिवार, 10 जून, 2010 Thursday, 10th June, 2010 पूर्वाह्न 10.30 10.30 A.M. ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, आई बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106</p>																
<p>9.2 वित्तीय कलेंडर और परिणामों का प्रकाशन (अनंतिम)</p> <p>बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है। निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन</p> <table> <tr> <td>30 जून, 2010</td><td>- जुलाई, 2010 का अंत</td></tr> <tr> <td>30 सितम्बर 2010</td><td>- अक्तूबर, 2010 का अंत</td></tr> <tr> <td>31 दिसम्बर 2010</td><td>- जनवरी 2011 का अंत</td></tr> <tr> <td>31 मार्च 2011</td><td>- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल- मई 2011</td></tr> </table>	30 जून, 2010	- जुलाई, 2010 का अंत	30 सितम्बर 2010	- अक्तूबर, 2010 का अंत	31 दिसम्बर 2010	- जनवरी 2011 का अंत	31 मार्च 2011	- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल- मई 2011	<p>9.2 Financial Calendar & Publication of Results (Tentative)</p> <p>The Financial Year of the Bank is April to March</p> <p>Approval of quarterly results for the period ending</p> <table> <tr> <td>June 30, 2010</td><td>- End of July, 2010</td></tr> <tr> <td>September 30, 2010</td><td>- End of October, 2010</td></tr> <tr> <td>December 31, 2010</td><td>- End of January, 2011</td></tr> <tr> <td>March 31, 2011</td><td>- Audited Annual Accounts- April- May, 2011</td></tr> </table>	June 30, 2010	- End of July, 2010	September 30, 2010	- End of October, 2010	December 31, 2010	- End of January, 2011	March 31, 2011	- Audited Annual Accounts- April- May, 2011
30 जून, 2010	- जुलाई, 2010 का अंत																
30 सितम्बर 2010	- अक्तूबर, 2010 का अंत																
31 दिसम्बर 2010	- जनवरी 2011 का अंत																
31 मार्च 2011	- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल- मई 2011																
June 30, 2010	- End of July, 2010																
September 30, 2010	- End of October, 2010																
December 31, 2010	- End of January, 2011																
March 31, 2011	- Audited Annual Accounts- April- May, 2011																
<p>9.3 बुक क्लोजर की तारीख (लाभांश एवं एजीएम)</p> <p>बुक क्लोजर - शनिवार 15 मई, 2010 से बृहस्पतिवार 10 जून 2010 (दोनों दिन शामिल हैं)</p>	<p>9.3 Date of Book Closure (Dividend & AGM)</p> <p>Book closure- Saturday 15th May, 2010 to Thursday, 10th June, 2010 (Both days inclusive)</p>																
<p>9.4 लाभांश भुगतान की तिथि: सोमवार, 28 जून 2010</p>	<p>9.4 Dividend Payment Date: Monday, 28th June, 2010.</p>																

9.5 लिस्टिंग

9.5 Listing

9.5.1 स्टॉक एक्सचेंज में

9.5.1 Listing on Stock Exchanges *

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) National Stock Exchange (NSE)	एएलबीके ALBK	27.11.2002
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) Bombay Stock Exchange (BSE)	532480	27.11.2002

वित्त वर्ष 2010-11 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

The annual listing fee for the financial year 2010-11 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

*सीएसई में हमारे इक्विटी शेयरों को 09.03.2010 से स्वेच्छा से असूचीबद्ध किया गया है।

* The equity shares of the Bank has been voluntarily delisted from the Calcutta Stock Exchange Ltd. with effect from 09-03-2010.

9.5.2 अनुपालन अधिकारी

9.5.2 Compliance Officer

श्री ए.बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) को सेबी के विभिन्न प्रावधानों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार का अनुपालन करने हेतु अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

Shri A.B. Bhattacharjee General Manager (F&A) has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of SEBI, other statutory authorities and Listing Agreements with Stock Exchanges.

9.5.3 शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण

9.5.3 Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance

बैंक ने मे. एमसीएस लि. को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों का अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

The Bank has appointed M/s MCS Ltd. as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders, requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Head Office in Kolkata.

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो रजिस्ट्रार के पास अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:

The investors may lodge their requests/complaints either with the Registrar or with the Bank at the following address:-

मे० एमसीएस लि.
77/2ए, हाजरा रोड,
कोलकाता-700029
टेली: 033-24541893 / 033-24541892
फैक्स: 033-24541961, 24747674
ईमेल: allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

कंपनी सचिव
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001
टेली: 033-22420878
फैक्स: 033-22107424
ईमेल: investors.grievance@allahabadbank.in

M/s MCS Ltd. (Unit : Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel; 033-24541893 / 033-24541892
Fax : 033-24541961,24747674
Email: mcscal@cal2.vsnl.net.in OR
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

The Company Secretary
Share Deptt.& Investors' Grievance Cell
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road
Kolkata-700 001
Tele: 033-22420878
Fax: 033-22107424
Email: investors.grievance@allahabadbank.in

9.6 शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकगण एक साथ शेयरों के अंतरण-सह-डिमेटरियाइजेशन की सुविधा अपना सकते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के बाद रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट हस्तांतरिती को हस्तांतरण की सूचना भेजेगा। हस्तांतरितियों को यह अवगत कराया जाता है कि वे इसे डिमेटरियाइजेशन हेतु अपने अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें। डिमेट हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों को डिमेटरियाइज कर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर डिमेट हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र हस्तांतरिती को भौतिक रूप में भेज दिया जाता है।

9.7 शेयर धारण का स्वरूप (31.03.2010 को यथास्थिति)

विवरण Description	धारकों की संख्या No. of Holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % to equity
भारत सरकार Government of India	1	246700000	55.23
जीवन बीमा निगम कंपनियाँ Life Insurance Company	1	47530474	10.64
अन्य बीमा कंपनियाँ Other Insurance Companies	13	3260574	0.73
भारतीय म्युचुअल फंड Indian Mutual Funds	70	18230678	4.08
वित्तीय संस्थाएँ / बैंक Financial Institutions/Banks	09	535063	0.12
विदेशी संस्थागत निवेशक (विदेशी वित्तीय संस्थाएँ) Foreign Institutional Investors (Foreign Financial Institutions)	107	58194109	13.03
निगमित निकाय Bodies Corporate	1340	17716653	3.97
अनिवासी भारतीय Non Resident Indians	805	379505	0.08
कर्मचारियों सहित निवासी व्यक्ति Resident Individuals including Employee	174549	54152944	12.12
कुल / TOTAL	176895	446700000	100.00

9.6 Share Transfer System.

As per SEBI guidelines, investors can avail the facility of simultaneous transfer-cum-dematerialization of shares. Registrar and Transfer Agent, on transfer of shares, would be sending the intimation of transfer to the transferee. Transferees are apprised to submit their request for de-materialization to their Depository Participant. On receipt of Demat request, the shares are dematerialized. If the demat request is not received within a period of 30 days, the transferred share certificate is dispatched to the transferee in physical form.

9.7 Shareholding Pattern (as on 31.03.2010)

9.8 31.03.2010 को शेयरधारिता का वितरण

9.8 Distribution of shareholding as on 31-03-2010

श्रेणी Category	शेयर की संख्या No of shares	धारक संख्या No of holders	शेयर का प्रतिशत Percentage of Shares	धारक का प्रतिशत Percent of holders
1 to 500	29095523	155365	6.51	87.83
501 to 1000	11177471	15980	2.50	9.03
1001 to 2000	4946631	3460	1.11	1.96
2001 to 3000	2057822	843	0.46	0.48
3001 to 4000	1239567	349	0.28	0.20
4001 to 5000	842194	181	0.19	0.10
5001-10000	2204955	298	0.49	0.17
10001-50000	5078846	234	1.14	0.13
50001-100000	3926926	52	0.88	0.03
100001 and above	386130065	133	86.44	0.07
कुल / TOTAL	446700000	176895	100.00	100.00

9.9 शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

व्यापार हेतु बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से डिमेट फॉर्म में उपलब्ध हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों आईएसआईएन कोड है **INE428A01015**.

31.03.2010 को यथास्थिति बैंक के 427735329 शेयर, डिमैटरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 95.75% है।

31.03.2010 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डिमेट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है।

	शेयरधारकों की संख्या No of shareholders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
फिजिकल / PHYSICAL	59862	18964671	4.25
डिमेट / DEMAT			
एनएसडीएल / NSDL	90465	173506343	38.84
सीडीएसएल / CDSL			
भारत सरकार / Govt. of India	1	246700000	55.23
अन्य / Others	26567	7528986	1.68
कुल /TOTAL	176895	446700000	100.00

9.10 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट बकाया नहीं है।

9.11 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) लाभांश के भुगतान की एक नई विधि है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक की केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

ईसीएस मन्डेट फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे फिजिकल शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाए। डिमैटरियलाइज रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक ईसीएस मन्डेट हेतु अपने डिपोजीटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। शेयरधारक के कहने पर एनईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प समाप्त किया जा सकता है।

9.12 बाजार मूल्य डाटा/बैंक शेयरों का मूल्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन का विवरण निम्नवत रहा:

9.9 Dematerialization of shares

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE428A01015**.

As on 31-03-2010, 427735329 shares constituting 95.75% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31-03-2009 are as under:

9.10 There are no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

9.11 National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of Dividend, where the amount to the investors can directly be credited to his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Centralized Banking Solution(CBS) Branch of the Bank.

The ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Share Transfer Agent by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participant for their ECS mandate. The option to receive dividend through NECS may be discontinued at any time at the instance of the shareholders.

9.12 Market Price Data/ Price performance of Bank's shares.

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) during the Financial year 2009-10 were as follows:

माह / Month		एनएसई / NSE		मात्रा Volume (No) (Total)	उच्च High (Rs)	बीएसई / BSE	
		उच्च High (Rs)	निम्न Low (Rs)			निम्न Low (Rs)	मात्रा Volume (No)
अप्रैल	April 09	56.70	38.80	26826171	57.00	38.70	7952344
मई	May 09	87.85	53.65	39475694	89.95	53.60	10017380
जून	June 09	91.50	73.25	21644462	90.90	73.30	4941217
जुलाई	July 09	94.90	68.20	25323877	90.50	68.10	5879687
अगस्त	Aug 09	92.80	76.00	16403604	92.75	78.60	3871087
सितम्बर	Sep 09	129.95	87.10	41646702	121.00	87.00	11471640
अक्तूबर	Oct 09	133.00	104.80	44208340	135.00	104.40	9060063
नवम्बर	Nov 09	142.50	111.10	31061071	143.80	111.05	6167291
दिसम्बर	Dec 09	142.10	120.05	18464554	142.15	121.25	3315031
जनवरी	Jan 10	144.90	125.55	22903432	144.90	125.60	4435903
फरवरी	Feb 10	143.55	127.10	9044863	143.70	126.55	1802350
मार्च	Mar 10	148.85	133.50	15988314	148.80	134.05	3488883

9.13 एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यानिष्ठादन निम्नवत है:

9.13 Performance of Bank's share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown hereunder:

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का क्लोजिंग मूल्य Closing Share Price of Bank at NSE (Rs)	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S & P CNX Nifty
01-04-2009	39.65	3060.35
04-05-2009	56.90	3654.00
01-06-2009	90.00	4529.90
01-07-2009	78.10	4340.90
03-08-2009	89.50	4711.40
01-09-2009	87.90	4625.35
01-10-2009	114.15	5083.40
03-11-2009	112.25	4563.90
01-12-2009	135.10	5122.00
04-01-2010	128.45	5232.20
01-02-2010	141.55	4899.70
31-03-2010	142.85	5249.10

9.14 आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

घोषणा

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी डाला है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

9.14 Code of Conduct

The Bank has framed the “Code of Conduct” applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17-10-2005 and the same is available on the Bank's website viz. www.allahabadbank.in

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Chairman and Managing director, forms part of this report.

Declaration

The Bank has laid down Code of Conduct for all the Board members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the Bank's website.

The Board members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For and on behalf of the Board of Directors

दिनांक : 30-04-2010
स्थान: कोलकाता

(श्री जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Date: 30-04-2010
Place: Kolkata

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक की सूचीबद्धता करार के खंड 49 में यथानिर्धारित के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु इलाहाबाद बैंक, कोलकाता के कारपोरेट गवर्नेंस की स्थितियों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

Auditors' Certificate

To The Shareholders of Allahabad Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Allahabad Bank, Kolkata for the year ended on 31st March 2010, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements of the Bank with Stock Exchange(s).

The compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements; to the extent these do not violate RBI guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Bank.

कृते मे.वेंकट एंड रंगा

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 004597S
For M/S VENKAT & RANGAA
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regd. No. 004597S

(एस. मणिशेखरन)

पार्टनर

सदस्यता सं. 26400

(S Manisekaran)

Partner

Membership No 26400

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 110512W
For M/S SUDIT K PAREKH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regd No 110512W

(श्रीकान्त वी. जिल्ला)

पार्टनर

सदस्यता सं. 39461

(Srikant Jilla)

Partner

Membership No. 39461

कृते मे. पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
For M/S P.A. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regd. No. 313085E

(पी.एस.पाण्डा)

पार्टनर

सदस्यता सं. 51092

(P. S. Panda)

Partner

Membership No. 51092

कृते मे. एम.आर. नारायण एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002330S
For M/S M.R. NARAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regd. No. 002330S

(एम.एन. वेंकटेश)

पार्टनर

सदस्यता सं. 22993

(M. N. Venkatesan)

Partner

Membership No 22993

कृते मे. एस.घोष एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 302184 E
For M/S S. GHOSE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regd.No 302184 E

(चंदन चट्टोपाध्याय)

पार्टनर

सदस्यता सं. 51254

(Chandan Chattopodhay)

Partner

Membership No. 51254

कृते मे. के.एम. अग्रवाल एंड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 853 N
For M/S K M AGARWAL & Co
Chartered accountants
Firm CA Regd No 853 N

(मीनाक्षी गुप्ता)

पार्टनर

सदस्यता सं. 92834

(Meenaksi Gupta)

Partner

Membership No.92834

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2010 को यथास्थिति तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2010

पूंजी और देयताएं CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	As on यथास्थिति 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	As on यथास्थिति 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
पूंजी / Capital	1	4,467,000	4,467,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	63,062,524	54,052,496
जमा राशियाँ / Deposits	3	1,060,557,540	849,717,887
उधार / Borrowings	4	54,354,751	38,489,367
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	34,550,315	29,753,328
कुल / Total:		1,216,992,130	976,480,078
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India			
	6	71,837,784	51,153,786
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice			
	7	19,844,466	15,213,848
विनिधान / Investments	8	384,286,239	296,510,497
अग्रिम / Advances	9	716,048,718	588,017,634
स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets	10	11,182,746	11,097,519
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	13,792,177	14,486,794
कुल / Total:		1,216,992,130	976,480,078
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities	12	490,807,906	468,597,298
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		29,443,736	17,265,336

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI
श्री मोहम्मद ताहिर / SHRI MOHAMMAD TAHIR
श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA
श्री डी के कपिला / SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA
डॉ. वी. बी. कौजलगी / DR. VASANT BABURAO KAUJALGI
श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR
श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY
डॉ. शकील-उज़्ज़मान अंसारी / DR. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI

जे. पी. दुआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(J. P. DUA)
Chairman & Managing Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
(D. SARKAR)
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा)
(A. B. BHATTACHARJEE)
General Manager
(Finance & Account)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा)
(S. L. JAIN)
Assistant General Manager
(Finance & Account)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

कृते मे. वेंकट एंड रंगा सनदी लेखाकार For M/S. Venkat & Rangaa Chartered Accountants	कृते मे. सुदित के पारेख एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. Sudit K Parekh & Co. Chartered Accountants	कृते मे. पी ए एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार For M/S. PA & Associates Chartered Accountants	कृते मे. एम. आर. नारायण एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. M. R. Narain & Co. Chartered Accountants	कृते मे. एस. घोष एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. S. Ghosh & Co. Chartered Accountants	कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं. सनदी लेखाकार For M/S. K.M. Agarwal & Co. Chartered Accountants
(सीए एस मणिशेखरन) पार्टनर सदस्यता सं. 26400 (CA S. Manisekaran) Partner Membership No. 26400	(सीए श्रीकान्त जिल्ला) पार्टनर सदस्यता सं. 39461 (CA Srikanth Jilla) Partner Membership No. 39461	(सीए पी एस पंडा) पार्टनर सदस्यता सं. 51092 (CA P S Panda) Partner Membership No. 51092	(सीए एम एन वेंकटेशन) पार्टनर सदस्यता सं. 22993 (CA M N Venkatesan) Partner Membership No. 22993	(सीए चन्दन चट्टोपाध्याय) पार्टनर सदस्यता सं. 51254 (CA Chandan Chattopadhyay) Partner Membership No. 51254	(सीए मीनाक्षी गुप्ता) पार्टनर सदस्यता सं. 92834 (CA Meenakshi Gupta) Partner Membership No. 92834

स्थान / Place : कोलकाता/Kolkata
दिनांक / Date : 30.04.2010

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010

विवरण / Particular	अनुसूची SCHEDULE	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
I आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	83,692,002	73,647,279
अन्य आय / Other income	14	15,159,023	11,419,242
कुल / Total :		98,851,025	85,066,521
II व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	57,187,209	52,060,613
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	16,178,316	13,994,384
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		13,422,229	11,325,543
कुल / Total :		86,787,754	77,380,540
III निवल लाभ / Net Profit		12,063,271	7,685,981
अग्रानीत शेष / Balance brought forward		960,926	998,746
कुल / Total :		13,024,197	8,684,727
IV विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		3,050,000	1,930,000
राजस्व प्रारक्षिति को अन्तरण / Transfer to Revenue Reserve		5,500,000	2,100,285
प्रारक्षिति पूंजी-अन्य को अंतरण / Transfer to Capital Reserve - Others		97,821	2,286,974
विशेष प्रारक्षिति को अंतरण (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (I)(viii) के अनुसार) Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(I)(viii) of I.T. Act 1961)		250,000	100,000
आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		Nil	Nil
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		2,456,850	1,116,750
लाभांश पर कर / Tax on Dividends		417,542	189,792
तुलन पत्र में अग्रानीत शेष / Balance carried to Balance Sheet		1,251,984	960,926
कुल / Total :		13,024,197	8,684,727
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (रु.) / Earnings per share (Rs.)			
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग है		27.01	17.21
The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI
श्री मोहम्मद ताहिर / SHRI MOHAMMAD TAHIR

श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA

श्री डी के कपिला / SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA

डॉ. पी. बी. कोजलगी / DR. VASANT BABURAO KAUJALGI

श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR

श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY

डॉ. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी / DR. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI

जे. पी. दुआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(J. P. DUA)
Chairman & Managing Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
(D. SARKAR)
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा)
(A. B. BHATTACHARJEE)
General Manager
(Finance & Account)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा)
(S. L. JAIN)
Assistant General Manager
(Finance & Account)

**सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date**

कृते मे. वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
For M/S. Venkat & Ranga
Chartered Accountants

(सीए एस मणिशेखरन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 26400
(CA S. Manisekaran)
Partner
Membership No. 26400

कृते मे. सुदित के पारेख एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. Sudit K Parekh & Co.
Chartered Accountants

(सीए श्रीकान्त जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं. 39461
(CA Sri Kant Jilla)
Partner
Membership No. 39461

कृते मे. पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For M/S. PA & Associates
Chartered Accountants

(सीए पी एस पंडा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51092
(CA P S Panda)
Partner
Membership No. 51092

कृते मे. एम. आर. नारायण एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. M. R. Narain & Co.
Chartered Accountants

(सीए एम एन वेंकटेशन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 22993
(CA M N Venkatesan)
Partner
Membership No. 22993

कृते मे. एस. घोष एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. S. Ghosh & Co.
Chartered Accountants

(सीए चन्दन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51254
(CA Chandan Chattopadhyay)
Partner
Membership No. 51254

कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. K.M. Agarwal & Co.
Chartered Accountants

(सीए मीनाक्षी गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता सं. 92834
(CA Meenakshi Gupta)
Partner
Membership No. 92834

स्थान / Place : कोलकाता/Kolkata

दिनांक / Date : 30.04.2010

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र Cash Flow Statement

(रु. हजार में)(Rs. in thousand)

विवरण / Particulars	2009-10		2008-09	
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	83,692,002		73,647,279	
अन्य आय / Other Income	15,112,202	98,804,204	11,369,958	85,017,237
घटाएं / Less:				
वर्ष के दौरान जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposit	-53,424,137		-48,855,948	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय Operating Expenses including Provisions & Contingencies	-29,600,545	-83,024,682	-25,319,927	-74,175,875
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		626,962		563,187
परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		16,406,484		11,404,549
b. देयताओं में वृद्धि / कमी : Increase / Decrease in Liabilities : जमा राशियां / Deposit	210,839,654		133,554,056	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	3,097,106		5,774,870	
		213,936,760		139,328,926
c. आस्तियों में कमी / वृद्धि : Decrease / Increase in Assets : अग्रिम / Advances	-128,031,084		-90,812,973	
विनिधान / Investments	-87,775,742		-62,507,997	
अन्य आस्तियां / Other Assets	694,617	-215,112,209	2,563,642	-150,757,328
क. परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) A. Net Cash Flow from Operating activities (a+b+c)		15,231,035		-23,853
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities				
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान Sale/disposal of fixed assets	7,870		5,078	
स्थिर आस्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets	-720,060		-951,108	

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

विवरण / Particulars	2009-10		2008-09	
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह B. Net Cash Flow from Investing Activities		-712,190		-946,030
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities				
उधार / Borrowings	4,865,384		-8,549,620	
उधार पर प्रदत्त ब्याज / Interest Paid on Borrowings	-3,763,072		-3,204,665	
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	-1,306,542		-1,829,159	
शेयरों का सार्वजनिक निर्गम / Public issue of Shares	NIL		NIL	
टियर II बांड का निर्गम एवं बेमियादी ऋण Issue of Tier II Bonds & Perpetual Debt	11,000,000		10,500,000	
गौण ऋण का शोधन / Redemption of Sub Debt	NIL		NIL	
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी C. Net cash generated from Financing Activities		10,795,770		-3,083,444
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow during the year (A+B+C)		25,314,615		-4,053,327
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य D. Cash & Cash equivalent at the beginning of the year				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा अतिशेष Cash & Balances with RBI	51,153,786		62,888,552	
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	15,213,849		7,532,410	
कुल / Total	66,367,635		70,420,962	
ङ वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य E. Cash and Cash equivalent at the end of the year :				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष Cash and Balances with RBI	71,837,784		51,153,786	
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	19,844,466		15,213,849	
कुल / Total	91,682,250		66,367,635	
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ङ-घ) / Total Cash Flow during the year (E-D)	25,314,615	25,314,615	-4,053,327	-4,053,327

जे. पी. दुआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(J. P. DUA)
Chairman & Managing Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
(D. SARKAR)
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा
(A. B. BHATTACHARJEE)
General Manager
(Finance & Account)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा
(S. L. JAIN)
Assistant General Manager
(Finance & Account)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मे. वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
For M/S. Venkat & Rangaa
Chartered Accountants

कृते मे. सुदित के पारेख एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. Sudit K Parekh & Co.
Chartered Accountants

कृते मे. पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For M/S. PA & Associates
Chartered Accountants

कृते मे. एम. आर. नारायण एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. M. R. Narain & Co.
Chartered Accountants

कृते मे. एस. घोष एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. S. Ghosh & Co.
Chartered Accountants

कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
For M/S. K.M. Agarwal & Co.
Chartered Accountants

(सीए एस मणिशेखरन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 26400
(CA S. Manisekaran)
Partner
Membership No. 26400

(सीए श्रीकान्त वी. जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं. 39461
(CA Srikanth Jilla)
Partner
Membership No. 39461

(सीए पी एस पंडा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51092
(CA P S Panda)
Partner
Membership No. 51092

(सीए एम एन वेंकटेशन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 22993
(CA M N Venkatesan)
Partner
Membership No. 22993

(सीए चन्दन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51254
(CA Chandan Chattopadhyay)
Partner
Membership No. 51254

(सीए मीनाक्षी गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता सं. 92834
(CA Meenakshi Gupta)
Partner
Membership No. 92834

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.04.2010
Place : Kolkata
Date : 30.04.2010

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL	30,000,000	15,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 24,67,00,000 इक्विटी शेयर 24,67,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each held by Central Government	2,467,000	2,467,000
जनता एवं अन्य द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public & Others	2,000,000	2,000,000
कुल /Total :	4,467,000	4,467,000
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	13,223,871	11,293,871
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3,050,000	1,930,000
कुल / Total :	16,273,871	13,223,871
II. पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves		
A) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां / Revaluation Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	8,733,709	8,782,993
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	Nil	Nil
iii) वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	Nil	Nil
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण / Transfer to Profit & Loss Account	(46,821)	(49,285)
कुल / Total :	8,686,888	8,733,708
B) स्थिर आस्तियाँ / Reserve out of sale of Fixed Assets		
i) अथशेष / Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	Nil	Nil
iii) वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	Nil	Nil
कुल /Total :	103,251	103,251
C) अन्य / Others		
i) अथशेष / Opening Balance	3,311,632	1,024,657
ii) लाभ एवं हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	97,821	2,286,975
कुल / Total :	3,409,453	3,311,632
कुल / Total (A+B+C)	12,199,592	12,148,591

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
III. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue & Other Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	19,532,478	17,432,193
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	5,500,000	2,100,285
iii) वर्ष के दौरान कटौतियां / Deduction during the year	Nil	Nil
कुल / Total :	25,032,478	19,532,478
IV. विशेष प्रारक्षितियां / Special Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	900,000	800,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	250,000	100,000
कुल / Total	1,150,000	900,000
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षिति / Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	5,765	26,913
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	Nil	11,200
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन / Deduction/Adj. during the year	(132,031)	(32,348)
कुल / Total:	(126,266)	5,765
VI. आई आर एस प्रारक्षिति / I R S RESERVE		
i) अथशेष / Opening Balance	80,865	80,865
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	Nil	Nil
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ समायोजन / Deduction during the year	Nil	Nil
कुल / Total :	80,865	80,865
VII. शेयर प्रीमियम / Share Premium		
i) अथशेष / Opening Balance	7,200,000	7,200,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	Nil	Nil
कुल / Total :	7,200,000	7,200,000
VIII. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	1,251,984	960,926
कुल / Total : (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	63,062,524	54,052,496

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)

अनुसूची 3 - निक्षेप

SCHEDULE - 3 DEPOSITS

I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	571,433	1,082,601
ii) अन्य से / From Others	82,584,031	65,149,020
कुल / Total :	83,155,464	66,231,621
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	282,711,836	227,743,903
III. मियादी निक्षेप / Term Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	9,129,294	10,563,107
ii) अन्य से / From Others	685,560,946	545,179,256
कुल / Total :	694,690,240	555,742,363
कुल / Total : (I+II+III)	1,060,557,540	849,717,887
i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	1,057,736,587	848,103,370
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	2,820,953	1,614,517
कुल / Total :	1,060,557,540	849,717,887

अनुसूची 4 - उधार

SCHEDULE - 4 BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	Nil	Nil
ii) अन्य बैंक / Other Banks	Nil	Nil
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	128,437	741,921
IV) गौण नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument.	3,000,000	1,500,000
V) गौण ऋण-अपर टियर II पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	10,000,000	5,000,000
VI) गौण ऋण-टियर II पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	27,119,000	22,619,000
कुल / Total :	40,247,437	29,860,921
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	14,107,314	8,628,446
कुल / Total : (I+II)	54,354,751	38,489,367
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	Nil	Nil

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
--	--	--

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. संदेय बिल / Bills Payable	3,942,742	2,821,908
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustment (Net)	1,853,914	2,047,534
III. उपचित ब्याज / Interest Accrued	4,107,615	3,241,705
IV आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities	239,214	128,655
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	24,406,829	21,513,526
कुल / Total :	34,550,314	29,753,328

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. रोकड़ शेष / Cash in hand	3,798,799	3,598,070
(विदेशी करेंसी नोट सहित) (including foreign currency notes)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष / Balances with Reserve Bank of India		
- चालू खाते में / - in Current Account	68,038,984	47,555,716
- अन्य खातों में / - in Other Accounts	Nil	Nil
कुल / Total :	71,837,783	51,153,786

अनुसूची 7 - बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. भारत में / In India

i. बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	3,392,147	3,863,823
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	2,949,650	200,000
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / with Banks	Nil	Nil
b) अन्य संस्थाओं में / with Other Institutions	Nil	Nil
कुल / Total : (i + ii)	6,341,797	4,063,823

II. भारत के बाहर / Outside India

i. बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	4,298,178	4,759,000
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	Nil	Nil
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / With Banks	9,204,491	6,391,026
b) अन्य संस्थाओं में / With Other Institutions	Nil	Nil
कुल / Total : (i + ii)	13,502,669	11,150,026
कुल /Total : (I+II)	19,844,466	15,213,849

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I. भारत में विनिधान / Investments in India in		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	309,829,425	213,832,542
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	1,382,736	2,931,273
iii. शेयर / Shares	4,690,410	2,539,737
iv. डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures & Bonds	16,242,940	22,499,941
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उपक्रमों में विनिधान Investments in Subsidiaries and / or Joint Ventures	1,172,204	876,205
vi. अन्य (म्युचुअल फंड, यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc.)	50,968,524	53,830,799
कुल / Total :	384,286,239	296,510,497
II. सकल विनिधान / Gross Investments		
अवक्षय हेतु प्रावधान को घटाकर / Less: Provision for Depreciation	2,518,037	4,303,042
निवल विनिधान / Net Investments	384,286,239	296,510,497
III. भारत के बाहर विनिधान / Investments Outside India		
कुल / Total :(I+III)	NIL	NIL
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE - 9 ADVANCES		
A. i. क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	21,841,484	18,319,011
ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण / Cash credits, Overdrafts and loans repayable on demand	298,053,178	242,985,154
iii. मियादी ऋण / Term Loans	396,154,056	326,713,469
कुल / Total :	716,048,718	588,017,634
B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	575,987,521	458,386,177
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	17,057,949	19,095,088
iii) अप्रतिभूत / Unsecured	123,003,248	110,536,369
कुल / Total :	716,048,718	588,017,634
C. I. भारत में अग्रिम / Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	242,793,500	204,350,201
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	91,478,586	68,314,454
iii. बैंक / Banks	Nil	2,078,114
iv. अन्य / Others	373,320,079	308,405,593
कुल / Total :	707,592,165	583,148,362
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
a) बैंक से देय / Due from Bank	3,736,156	Nil
b) अन्य से देय / Due from others		
i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल / Bills Purchased & Discounted	680,390	435,935
ii) सामूहिक ऋण / Syndicated Loan	3,342,096	Nil
iii. अन्य / Others	697,911	4,433,337
कुल / Total :	8,456,553	4,869,272
कुल / Total :(CI+CII)	716,048,718	588,017,634

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS		
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित) / Premises (including Revalued Premises)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकित राशि पर At cost / Revalued amount as on 31st March of the preceding year	9,968,693	9,798,010
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	Nil	Nil
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	14,521	170,683
	9,983,214	9,968,693
iv. वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deductions/ Adjustment during the year	Nil	Nil
	9,983,214	9,968,693
v. बही मूल्य की तिथि को मूल्यहास / Depreciation to date on book value	255,242	230,034
	9,727,972	9,738,659
vi. पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्यहास / Depreciation to date on revaluation	394,800	347,979
कुल / Total	9,333,172	9,390,680
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) *		
Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	5,808,033	5,027,792
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	705,538	785,318
	6,513,571	5,813,110
iii. वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	7,870	5,078
	6,505,701	5,808,032
iv. तिथि को मूल्यहास / Depreciation to date	4,656,127	4,101,193
कुल / Total:	1,849,574	1,706,839
कुल / Total :(I+II)	11,182,746	11,097,519

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS		
i. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustment (Net)	Nil	Nil
ii. उपचित ब्याज / Interest Accrued	4,923,149	4,683,078
iii. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	2,361,894	3,166,645
iv. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and Stamps	82,787	86,545
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	323	323
vi. अन्य (विविध देनदार एवं उचंचत) / Others (Sundries and Suspense)	6,424,024	6,550,203
कुल / Total :	13,792,177	14,486,794
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित) Claims against the bank, not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	9,372,748	9,723,572
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	370,658,925	368,889,046
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(i) भारत में / - In India	44,293,428	34,590,491
(ii) भारत के बाहर / - Outside India	4,466,326	2,174,509
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	61,628,228	52,598,771
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	386,651	619,309
कुल / Total :	490,807,906	468,597,298

अनुसूची	SCHEDULE	
	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances / bills	63,984,654	54,943,881
II) निवेशों पर आय / Income on investments	19,447,617	18,493,570
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	251,737	107,415
IV) अन्य / Others	7,993	102,413
कुल / Total :	83,692,001	73,647,279
अनुसूची 14 - अन्य आय		
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I) कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange & brokerage	6,489,377	4,793,905
II) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ / Profit on sale of investments	7,633,362	6,863,377
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि / Less: Loss on Revaluation of Investment	-1,867,904	-1,136,410
III) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets	276	450
घटाएं: भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Land, Building and Other Assets	-5,883	-34
V) विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions	581,252	452,852
घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less : Loss on exchange transaction	-96,427	-8,971
VI) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उपक्रमों इत्यादि से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries/ companies and / or joint ventures etc. in India.	135,073	56,783
VII) विविध आय / Miscellaneous Income	2,289,897	397,291
कुल / Total :	15,159,023	11,419,243
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I) जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	53,424,137	48,855,948
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	397,333	642,833
III) अन्य / Others	3,365,739	2,561,832
कुल /Total :	57,187,209	52,060,613

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति As on 31.03.2010 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2009 (रु. हजार में) (Rs. in thousand)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	10,113,792	8,739,384
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	1,765,438	1,359,285
III) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	207,640	190,474
IV) विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	216,379	142,287
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय / Depreciation on Bank's property	626,962	563,187
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	9,838	10,290
VII) लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय / Auditors' fees and expenses (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / (including branch auditors)	161,429	143,488
VIII) विधि प्रभार / Law charges	69,022	84,900
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc	236,265	227,799
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	243,667	245,325
XI) बीमा / Insurance	789,081	753,113
XII) अन्य व्यय / Other expenditure	1,738,803	1,534,852
कुल / Total :	16,178,316	13,994,384

1. लेखा का आधार :

- (i) वित्तीय विवरणों को, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया और प्रस्तुत किया गया है।
- (ii) वित्तीय विवरणियाँ भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप भी हैं।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन :

2.1 भारत के बाहर शाखाओं/कार्यालयों हेतु :

- (i) विदेशी शाखाओं को 'नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :
 - मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकस्मिक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
 - राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती हैं।
 - सभी परिणामी विनियम अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व' में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को 'इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनियम दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनियम दर पर आँकी जाती हैं।
 - राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनियम दर पर की जाती है।
 - सभी परिणामी विनियम अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

2.2 भारत में शाखाओं हेतु

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमाराशियों सहित) और बकाया वायदा विनियम संविदाओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाएगा।

1. Basis of Accounting:

- (i) The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their financial statements are translated as follows:
 - Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - All resulting exchange difference is accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:
 - All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
 - Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
 - All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.
- (iii) Advances will be classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

2.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पुनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम रूलिंग दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

3. निवेश :

- (i) बैंक का निवेश संविभाग भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन प्रवर्गों यथा 'परिपक्वता तक धारित', 'विक्रय हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) उपर्युक्त समस्त तीनों प्रवर्गों में किए गए निवेशों के प्रकटीकरण को छह समूहों यथा (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयरों, (iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड, (v) अनुषंगी संस्थाओं/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश तथा (vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि में युनिट) में वर्गीकृत किया जाता है।
- (iii) 'परिपक्वता तक धारित' (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इतर) के रूप में वर्गीकृत निवेश प्राप्ति लागत पर लिए जाते हैं। यदि प्राप्ति लागत अंकित मूल्य से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है और इसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :
 - अग्रिमों के लिए प्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करते हुए अग्रिम स्वरूप के डिबेंचरों/बॉन्डों के मूल्य में अवक्षय।
 - अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में हास, अस्थायी के अलावा।
- (iv) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार स्क्रिप-वार चिह्नित किया जाता है तथा परिणामी निवल अवक्षय को अभिज्ञात किया जाता है और यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए हुए पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (v) 'व्यापार हेतु धारित' रूप में वर्गीकृत निवेशों को स्क्रिप-वार मासिक अंतराल पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा परिणामी निवल हास को अभिज्ञात किया जाता है, यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए अनुसार पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (vii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामले में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

3. Investments:

- (i) The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading".
- (ii) The disclosure of investments under all the three categories mentioned above is made under six groups viz. (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Investment in Subsidiaries/Associates/joint ventures and (f) Others (commercial paper, units in Mutual Funds etc).
- (iii) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity and provision is made for:
 - Depreciation in the value of debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.
 - Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries / joint ventures.
- (iv) Investments classified as "Available for Sale" are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly interval and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vi) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- (vii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.

(viii) निवेशों की प्राप्ति की लागत :

- ◆ सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
- ◆ कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।

(ix) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के समतुल्य राशि को पहले लाभ एवं हानि लेखा में लाया जाता है तत्पश्चात इसे 'पूँजी आरक्षित खाता' में विनियोग किया जाता है।

(x) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशनों/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर किया जाता है।

(xi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।

● हेज स्वैप

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

● ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

4. अग्रिम

- (i) अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य एवं अनुपयोग्य अग्रिमों में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाए जाते हैं।
- (ii) तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोग्य) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है।

5. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

- (i) कतिपय परिसरों के अलावा, जिन्हें उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है, अन्य परिसरों और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी पूर्ववर्ती लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन हेतु आस्तियों का चयन प्रणालीबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर्याप्त नियमितता से किया जाता है ताकि इस प्रकार प्राप्त रकम और तुलन पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। बैंक के कुछ परिसरों के उचित मूल्य में सार्थक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। अतएव, बार-बार मूल्यन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तथापि, परिसरों की उन मदों हेतु पुनर्मूल्यन बार-बार नहीं किया जाता, जिनके उचित मूल्य में केवल नगण्य परिवर्तन होते हैं।

- (ii) निर्माण अवधि के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय को 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(viii) Cost of acquisition of investments:

- is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed, and
- excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.

(ix) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter, appropriated to the "Capital Reserve Account".

(x) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.

(xi) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

● Hedge Swaps

Interest rate swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

● Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

4. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.
- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

5. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain premises, which are stated at their revalued amount. Selection of assets for revaluation is based on systematic basis. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the market value at the Balance Sheet date. Some of the Premises of the Bank experience significant and volatile changes in the fair value, thus necessitating frequent valuation. However, such frequent valuation is not done for items of Premises where the changes in fair value are insignificant.

- (ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under 'Other Assets'.

- (iii) अवक्षय का प्रावधान, एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों को छोड़कर, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी पद्धति 33.33% की दर से अवक्षय का प्रावधान है, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर हासमान शेष पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त अवक्षय की राशि को आरक्षित पूंजी से लाभ व हानि लेखे में अंतरित किया जाता है।
- (v) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
- (vi) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

6. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाएगा।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत रु. 10.00 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

7. कर्मचारी लाभ :

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- (ii) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

क. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचाटों/सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

ख. पेंशन (नई)

बैंक इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 को या इसके बाद आए हैं। इस

- (iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates and the manner prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs and Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per RBI guidelines.
- (iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.
- (v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.
- (vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

6. Intangible Assets (Computer Software)

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

7. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year-end by using Projected Unit Credit method as per policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Gratuity, which is conducted by approved actuary every quarter.

b. Pension (New):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank' Service on or after 29.09.1995. The plan provides for a pension / family

योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

ग. पेंशन (पुरानी)

बैंक अपनी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत अवार्ड स्टाफ के उन सदस्यों को भी पेंशन का भुगतान करता है जो 29.09.1995 से पहले बैंक में भर्ती हुए हैं और वे अधिकारी जो 01.07.1979 को अथवा उससे पहले भर्ती अथवा पदोन्नत हुए हैं और जिन्होंने एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत पेंशन का विकल्प नहीं दिया है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत पेंशन देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। यह भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है। पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त पात्र कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है जिन्हें पेंशन (पुरानी) लेने हेतु ग्रेच्युटी की राशि लौटानी अपेक्षित होती है।

घ. अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

ड. अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

च. बीमारी छुट्टी

बैंक किसी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा आधार पर बीमारी छुट्टी पर चले जाने से उत्पन्न किसी आकस्मिकता हेतु अपनी देयताओं के लिए प्रावधान करता है जो प्रचलित सेवा शर्तों/नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इसका प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. Employees covered under ABEPR – 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect New Pension, which is conducted by approved Actuary every quarter.

c. Pension (Old):

The Bank also pays pension under its own Old Pension Scheme to members of Award Staff who were recruited before 29.09.1995 and those Officers who were recruited or promoted on or before 01.07.1979 and not opted for pension under ABEPR-1995. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its pension liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary every quarter. Payment is made through Profit and Loss Account of the Bank. The Pension is paid against specific request from retired eligible employees, who are required to refund the amount of gratuity to avail of Pension (Old).

d. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary every quarter. Payment in respect of LFC facility is made through the Profit and Loss Account.

e. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days' leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary every quarter. Payment of such leave encashment is made through the Profit and Loss Account.

f. Sick Leave:

The Bank maintains a provision for its liability on account of any contingent arising out of employees going on sick leave on medical ground, which is permissible in terms of prevailing service conditions / rules. It is a non-funded scheme and the Bank maintains the provision on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary every quarter.

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

8. आय और व्यय का अभिज्ञान

निम्नलिखित के अलावा आय-व्यय का हिसाब उपचय आधार पर किया जाता है

- i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- ii) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।
- iii) फालो-ऑन पब्लिक आफर पर व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है तथा उसे पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

9. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 “प्रति शेयर अर्जन” के अनुसार की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर बेसिक अर्जन की गणना अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निवल आय को भाग करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

11. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ तब तक अभिज्ञात नहीं की जाती जब तक कि यह ‘वास्तव में निश्चित’ न हो जाए कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि कंपनी आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.

- (iv) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

8. Recognition of Income and Expenditure:

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.
- (iii) Expenditure on Follow on Public Offer is considered as Deferred Revenue Expenditure and is amortized over a period of five years.

9. Lease

Rentals received by the Bank are recognized in the profit and loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account.

10. Earnings Per Share

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings per share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

11. Taxation

- (i) Provision is made for both current tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.
- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act 1961.

अनुसूची-18 लेखा टिप्पणियाँ

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- (ii) बैंक के वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 31.03.2010 को सकल अनुपयोग्य अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से अधिक रु. 48.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 48.00 करोड़) का अतिरिक्त विवेक सम्मत चल प्रावधान किया गया।
2. (i) अंतर शाखा समाधान के अंतर्गत प्रविष्टियों का आरंभिक मिलान 31.03.2010 तक किया गया है। शाखा समायोजन खाते में शेष के साथ तथा प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं सहित शाखाओं की आपस में बेमेल प्रविष्टियों का समाधान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 30.09.2009 तक की अवधि की अंतर शाखा लेखा की नामे तथा जमा प्रविष्टियों के पृथक्करण तथा 31.03.2010 तक के शेष बकाया का परिणाम निवल जमा के रूप में रहा, अतः कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
- (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं नोस्ट्रो खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है।

उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा।

3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु (आस्थगित कर सहित) बैंक द्वारा रु. 1315.35 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 750.05 करोड़) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) (क) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः रु. 125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), रु. 370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा रु. 298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के कारण रु. 4.68 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 4.93 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं. 14 (मद vii) में 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नांकित सम्पत्तियों हेतु पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं :-
- क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत रु. 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 0.86 करोड़) है।

SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. (i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- (ii) Prudential Floating Provision of Rs. 48.00 Crores (Previous Year Rs. 48.00 Crores) is held as at 31.03.2010 in respect of gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthen the financial stability of the Bank.
2. (i) Under Inter-Branch reconciliation, initial matching of entries has been done upto 31.03.2010. Reconciliation of unmatched entries with the balance in Branch Adjustment account and transactions between Head Office and branches including branches inter-se is in progress. Further, in terms of RBI's circular, segregation of debit and credit entries in Inter Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2009 and remaining outstanding as on 31.03.2010 have resulted in net credit, hence no provision is required.
- (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress.

Since substantial progress has been made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.

3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to Rs. 1315.35 Crores (previous year Rs. 750.05 Crores) held is considered adequate by the Bank after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to Rs. 125.99 Crores (commercial and residential), Rs. 370.08 Crores (commercial and residential) and Rs. 298.32 Crores (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of Rs. 4.68 Crores (previous year Rs. 4.93 Crores) due to revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (vii).
- (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
- a. 2 residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of Rs. 0.86 Crores (Previous year Rs. 0.86 Crores).

ख. आनंद लोक, नई दिल्ली में एक पट्टाधारित संपत्ति जिसकी मूल लागत रु.0.23 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.31 करोड़ आनंदलोक, नई दिल्ली और डिफेंस कालोनी नई दिल्ली में स्थिति दो संपत्तियों से संबंधित था)

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है

b. 1 leasehold property at Anandlok, New Delhi with original cost amounting to Rs. 0.23 Crores (previous year Rs.0.31 Crores pertaining to 2 properties situated at Anand lok, New Delhi & Defence Colony, New Delhi).

(v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under.

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars	2009-10	2008-09
अथ शेष / Opening Balance	12.38	12.85
वर्ष के दौरान जोड़ / Additions during the year	10.04	2.73
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	2.37	3.20
इति शेष / Closing Balance	20.05	12.38

5. (i) रु.0.44 करोड़ (विगत वर्ष रु.0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।

(ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश रु. 849.82 करोड़ (विगत वर्ष रु. 657.24 करोड़) रहा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 9.78 करोड़ (विगत वर्ष रु. 228.70 करोड़) की राशि, जो कि “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।

(iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(iii) में उल्लिखित है, “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर रु. 112.32 करोड़ (विगत वर्ष रु.91.30 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि लेखा के “निवेश से आय” शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।

6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।

7. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी प्राधिकृत पूंजी को रु.1500 करोड़ से बढ़ाकर रु.3000 करोड़ किया है। यह कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने के संबंध में दिनांक 10 नवम्बर 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार किया गया। वृद्धि के अनुसरण में वर्तमान प्राधिकृत पूंजी में रु.10/- प्रति शेयर मूल्य के 150 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं और शेष प्राधिकृत पूंजी का वर्गीकरण प्रबंधन द्वारा यथासमय निर्धारित किया जाएगा।

8. वर्ष के दौरान, बैंक ने 8.45% प्र.व. की दर से 120 माह की अर्थात् 4 अगस्त 2019 को परिपक्व होने वाली अवधि हेतु रु.450 करोड़ के अप्रतिभूत गौण ऋण टियर II सीरीज IX बांड, 8.58% प्रति वर्ष की दर से 15 वर्ष अर्थात् 10 वर्ष के बाद मांग विकल्प के साथ 18 दिसम्बर 2024 को परिपक्व होने वाली अवधि हेतु रु. 500 करोड़ के अपर टियर II सीरीज बांड, और 9.08% प्रति वर्ष की दर से रु. 150 करोड़ के इन्वोवेटिव पेरपेच्युअल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट (आईपीडीआई) सीरीज II जुटाए हैं। पिछले वर्ष बैंक ने 9.28% प्रति वर्ष की दर से रु. 500 करोड़ के अप्रतिभूत अपर टियर II सीरीज बांड, 9.23% प्रति वर्ष की दर से रु. 400 करोड़ का गौण ऋण सीरीज VIII बांड और 9.20% प्रति वर्ष की दर से रु. 150 करोड़ के इन्वोवेटिव पेरपेच्युअल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट (आईपीडीआई) सीरीज I जुटाए थे।

5. (i) In respect of Investments of face value of Rs.0.44 Crore (Previous year Rs.0.44 Crore) the Bank is yet to receive scrips / certificates.

(ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregated to Rs.849.82 Crores (Previous year Rs. 657.24 Crores).

(iii) As per RBI guidelines, an amount of Rs.9.78 Crores (Previous Year Rs.228.70 Crores) being an amount equivalent to post Tax profit on sale of ‘Held to Maturity’ category securities is transferred to ‘Capital Reserve Account’.

(iv) In respect of ‘Held to Maturity’ category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (iii), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounts to Rs.112.32 Crores (Previous year Rs.91.30 Crores) has been netted off from Income on Investment shown under the head “Interest Earned” of Profit and Loss Account in terms of RBI guidelines.

6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.

7. During the year, Bank has increased its authorized capital from Rs. 1,500 Crores to Rs. 3,000 Crores. This has been pursuant to Govt. of India notification dated 10th November, 2009 enhancing the authorized capital of certain nationalized banks. Pursuant to the enhancement, the current authorized capital includes 150 Crores of equity shares of Rs. 10/- each and the classification of the balance authorized capital will be determined by the management in due course.

8. During the year, the bank has raised unsecured subordinated debt Tier II Series IX Bond of Rs. 450.00 Crores @ 8.45% for a period of 120 months i.e. maturing on 4th August 2019, Upper Tier II Series Bonds of Rs. 500.00 Crores @ 8.58% for a period of 15 years i.e. maturing on 18th December 2024 with Call Option after 10 years and Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series II of Rs. 150.00 Crores @ 9.08%. Previous year Bank raised Unsecured Upper Tier II Series I Bond to the tune of Rs. 500 Crores @ 9.28%, Subordinated Debt Series VIII Bond of Rs. 400.00 Crore @9.23% and Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series I of Rs.150.00 Crore @ 9.20%.

9. अग्रिमों में अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र के कारण रु. शून्य करोड़ (विगत वर्ष रु. 480.00 करोड़) की राशि शामिल है।
10. भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण :
- 10.1 पूंजी

9. Advances include Rs. NIL Crores (Previous year Rs. 480.00 Crores) on account of Inter Bank Participation Certificates.
10. Disclosure in terms of RBI guidelines:
- 10.1 Capital

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars	Current Year	Previous Year
i) सीआरएआर (%) /CRAR (%)	13.62%	13.11%
ii) सीआरएआर - टीयर-I पूंजी (%) /CRAR – Tier I Capital (%)	8.12%	8.01%
iii) सीआरएआर - टीयर-II पूंजी (%) /CRAR – Tier II Capital (%)	5.50%	5.10%
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता Percentage of the shareholding of the Government of India	55.23%	55.23%
v) आईपीडीआई जारी करके उगाही गई राशि Amount raised by issue of IPDI	150.00	150.00
vi) अपर टीयर-II जारी कर उगाही गई राशि Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	500.00	500.00

10.2 निवेश / Investments

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1) निवेशों के मूल्य / Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य /Gross Value of Investments		
(क) भारत में / (a) In India	38680.43	30081.35
(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान / Provisions for Depreciation		
(क) भारत में / (a) In India	251.80	430.30
(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India,	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
(क) भारत में / (a) In India	38428.63	29651.05
(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India,	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष / Opening balance	430.30	322.03
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / Add: Provisions made during the year	0.00	112.06
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	178.50	3.79
(iv) इति शेष /Closing balance	251.80	430.30

10.2.1 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	यथास्थिति 31.03.2010 As on 31.03.2010
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repos	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repos	100.00	2100.00	194.05	2100.00

10.2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन दिनांक 31.3.2010 को यथास्थिति / Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2010

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	“बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities	“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities	“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू / PSUs	934.30	881.93	शून्य / NIL	शून्य / NIL	58.44
(ii)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	403.38	53.25	शून्य / NIL	शून्य / NIL	31.83
(iii)	बैंक / Banks	212.14	35.08	शून्य / NIL	शून्य / NIL	5.00
(iv)	प्राइवेट कारपोरेट Private Corporate	728.62	332.50	शून्य / NIL	16.22	123.46
(v)	अनुषंगी संस्थाएं संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	117.22	0.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(vi)	अन्य/Others	5113.36	0.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	उपकुल/Sub-total	7509.02	1302.76	शून्य / NIL	16.22	218.73
	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	(201.61)	0.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	कुल / Total	7307.41	1302.76	शून्य / NIL	16.22	218.73

i)	शेयर / Shares	539.35
ii)	डिबेंचर एवं बॉन्ड / Debentures and Bonds	1739.10
iii)	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and Joint Ventures	117.22
iv)	अन्य / Others	5113.35

कुल /Total **7509.02**

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश / Non performing Non-SLR investments

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
अथ-शेष /Opening balance	6.04	10.56
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year since 1 st April	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	2.00	4.52
इति-शेष /Closing balance	4.04	6.04
धारित कुल प्रावधान /Total provisions held	4.04	6.04

10.3. डिराइवेटिव / Derivatives

10.3.1. फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वेप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(रु. करोड़ में / Rs in Crores)

मर्दे / Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) स्वेप करारों का नोशनल मूलधन		
ii) Notional principal of swap agreements	500	1000
अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) स्वेप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	Banking	Banking
iv) स्वेप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
v) स्वेप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	(43.69)	(88.03)

10.3.2 एक्सचेंज पर ट्रेडेड ब्याज दर डिराइवेटिव : शून्य

10.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: —Nil—

10.3.3 डिराइवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

10.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

गुणात्मक प्रकटीकरण :

Qualitative Disclosure:

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officer with defined responsibilities and back up roles.

बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डिराइवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजीशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग पोजीशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टु बैंक कवरिंग के अध्वधीन डिराइवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customer subject to back to back covering by the Bank.

फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and modified durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वेप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वेप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वेप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वेप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कारपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडआई एवं एफआईएमएमडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. Gain or Losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

मात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

क्र.सं.	विवरण	करेन्सी डिराइवेटिव Currency derivatives	ब्याज दर डिराइवेटिव Interest rate derivatives
Sl.No	Particulars		
(i)	डिराइवेटिव (नोशनल मूल राशि)/Derivatives (Notional Principal Amount)		
	क) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य / NIL	500
	ख) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ii)	मार्केड टू मार्केट पोजीशन (1)/Marked to Market Positions (1)		
	क) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	ख) देयता (-) / b) Liability (-)	शून्य / NIL	(43.69)
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2)/Credit Exposure (2)	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	क) हेजिंग डिराइवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य / NIL	(0.26)
	ख) ट्रेडिंग डिराइवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	क) हेजिंग पर / a) on hedging	शून्य / NIL	(0.26)
	ख) ट्रेडिंग पर / b) on trading	शून्य / NIL	शून्य / NIL

10.4 आस्ति गुणवत्ता /Asset Quality
10.4.1 अनुपयोज्य आस्ति / Non-Performing Asset

मद / Items	31.03.10	31.03.09
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	0.66	0.72
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	1078.25	1010.51
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	1238.15	846.06
(ग) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	(1094.60)	(778.32)
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	1221.80	1078.25
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	422.11	399.81
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	407.94	67.74
(ग) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	(359.90)	(45.44)
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	470.15	422.11
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	641.64	591.69
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	830.21	313.23
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (c) Write-off / write-back of excess provisions	(720.20)	(263.28)
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	751.65	641.64

डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त एवं अन्य देयताओं में धारित कतिपय राशि के रूप में रु.-शून्य- (विगत वर्ष रु.14.50 करोड़) की राशि को सकल अग्रिम के साथ जोड़ दिया गया है।

10.4.2 प्रावधान कवरेज अनुपात

भारिबे के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2010 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 78.95% है।

A sum of Rs. -Nil- (Previous Year Rs.14.50 Crores) has been netted with gross advances on account of receipts from DICGC / ECGC and certain amounts held in other liabilities.

10.4.2 Provision Coverage Ratio

The provision coverage ratio of the bank in terms of RBI guidelines as on 31.03.2010 is 78.95%

10.4.3 ऋण पुनर्गठन
पुनर्गठित आस्तियों का ब्योरा :

10.4.3 Loan Restructuring:
Particulars of Accounts Restructured:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

		सीडीआर CDR तंत्र Mechanism	एसएमई ऋण SME Debt पुनर्गठित Restructuring	अन्य Others	कुल Total पुनर्गठित Restructuring
पुनर्गठित मानक अग्रिम Standard Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	11 417.22 40.73	2966 218.71 3.41	26960 2580.86 36.65	29937 3216.79 80.79
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम Sub-standard Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	शून्य/Nil शून्य/Nil शून्य/Nil	562 54.33 1.34	1733 123.84 2.16	2295 178.17 3.50
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम Doubtful Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	शून्य/Nil शून्य/Nil शून्य/Nil	86 19.65 0.92	438 5.75 0.23	524 25.40 1.15
कुल / Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice(diminution in the fair value)	11 417.22 40.73	3614 292.69 5.67	29131 2710.45 39.04	32765 3420.36 85.44

10.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण

10.4.4 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

मद / Items	2009-10	2008-09
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	101	21
ii) एससी / आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	0.00	0.11
iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	84.79	20.00
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि / Aggregate gain /(loss) over net book value	84.79	19.89

10.4.5 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण

10.4.5 Details of non-performing financial assets purchased/ sold:

क. खरीदी गई अनुपयोज्य वित्तीय आस्तियां: शून्य
ख. बेची गई अनुपयोज्य आस्तियों का विवरण :

A. Non-performing financial assets purchased : Nil
B. Details of non-performing financial assets sold:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण /Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खाते / No. of accounts sold	101	21
2. सकल बकाया / Aggregate Outstanding	0.00	0.11
3. प्राप्त सकल प्रतिफल / Aggregate consideration received	84.79	19.89

10.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions on Standard Asset

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	2.85	20.01

11. व्यवसाय अनुपात / Business Ratios:

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	8.02%	8.67%
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.45%	1.34%
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.44%	2.24%
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	1.16%	0.90%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि तथा अग्रिम) (रु. करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (Rs. In Crore)	8.45	7.06
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में) / Profit per employee (Rs. In Crore)	0.0576	0.0375

12. आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न 31.03.2010

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2010

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमा राशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1 दिन Day 1	1066.28	1573.53	20.00	102.64	0.00	0.00
2 से 7 दिन 2 to 7 days	3531.62	499.98	9.91	4.56	0.00	0.00
8 से 14 दिन 8 to 14 days	3385.44	675.35	39.92	0.00	551.91	560.31
15 से 28 दिन 15 to 28 days	3230.73	2112.16	540.61	44.90	208.17	63.72
29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	17681.54	6052.55	3908.36	496.08	565.56	418.58
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months and up to 6 months	11112.64	7405.66	331.78	579.54	488.30	447.54
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year	14191.82	4774.82	306.32	103.86	13.47	95.19
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year and up to 3 years	45268.68	23078.06	2100.33	200.00	0.00	56.63
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years and up to 5 years	3940.59	7069.72	3385.74	492.00	244.99	388.98
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	2646.41	18363.04	27785.66	3411.90	147.53	134.45
कुल Total	106055.75	71604.87	38428.63	5435.48	2219.93	2165.40

13. एक्सपोजर / Exposures

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

13.1 भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector:

श्रेणी / Category	Current Year	Previous Year
(क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / (i) Residential Mortgages -		
उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	3197.75	3173.14
- जिसमें से रु.20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण -of which individual housing loans upto Rs. 20 lacs	2981.31	2972.00
(ii) वाणिज्यिक भू-संपदा / (ii) Commercial Real Estate -		
- उधार वाणिज्यिक भू-संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	2312.28	2568.59
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतकृत एक्सपोजरों में निवेश -		
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
क. रिहायशी / a. Residential	6.36	8.42
ख. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	4.49	5.99
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / B) Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	1130.67	1029.42
पूँजी बाजार में एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	6651.55	6785.56

13.2 पूँजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

क्रम सं.	मद / Item	31.03.10	31.3.09
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	696.74	492.63
ii)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	शून्य / NIL	0.02
iii)	अन्य किसी प्रयोजन , जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv)	शेयरों की संपादिक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं। Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	151.58	160.84

v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ । Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	129.00	87.85
vi)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कारपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण । Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	शून्य / NIL	शून्य / NIL
vii)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
viii)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनितों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण / Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
x)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	1.50	3.75
	पूँजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market	978.82	745.09

13.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2010 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at 31.03.2010	31.03.2010 को धारित प्रावधान Provision held as at 31.03.2010	31.03.2009 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at 31.03.2009	31.03.2009 को धारित प्रावधान Provision held as at 31.03.2009
नगण्य / Insignificant	1090.44	शून्य / NIL	1237.81	शून्य / NIL
कम / Low	739.09	शून्य / NIL	999.54	शून्य / NIL
मध्यम / Moderate	195.89	शून्य / NIL	40.48	शून्य / NIL
अधिक / High	0.54	शून्य / NIL	2.19	शून्य / NIL
बहुत अधिक / Very High	25.28	शून्य / NIL	1.04	शून्य / NIL
प्रतिबंधित / Restricted	1.47	शून्य / NIL	0.00	शून्य / NIL
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	8.84	शून्य / NIL	0.00	शून्य / NIL
कुल / Total	2061.55	शून्य / NIL	2281.06	शून्य / NIL

13.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण - शून्य

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank – NIL

13.5 Unsecured Advance:

Particulars	Current Year	Previous Year
a) कुल अप्रतिभूत अग्रिम /Total Unsecured Advances	12300.32	11053.64
b) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञापितियाँ, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	691.68	579.69
c) अमूर्त संपाश्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य /Estimated value of intangible collaterals	NA	NA

13.6 विविध / Miscellaneous

13.6.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year:

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars	Current Year	Previous Year
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	554.24	297.00
आस्थगित ऋण हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	11.05	3.39
अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान / Provision for Fringe Benefit Tax	शून्य / NIL	6.78

13.6.2 भारिबैंक द्वारा लगाए गए दंड : शून्य (विगत वर्ष : शून्य) / Penalties imposed by RBI : —Nil— (Previous Year: Nil)

14.1 जमा राशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits:

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि Total Deposit of twenty largest depositors	7810.08
बैंक की कुल जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	7.36%

14.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण / Concentration of Advances:

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	18335.09
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	25.61

14.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	18335.09
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	23.23

14.4 एनपीए का संकेन्द्रण Concentration on NPAs

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) / Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	217.16
--	--------

14.5 क्षेत्रवार एनपीए Sector-wise NPAs

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture & Allied activities	1.86
2	उद्योग(माइक्रो, लघु, मध्यम और बृहद) / Industry (Micro, Small, Medium and Large)	1.49
3	सेवा / Services	4.60
4	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	3.37

14.6 एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण/ Particulars	
1 अप्रैल 2009 को सकल एनपीए (अथशेष) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए) Gross NPAs as on 1st April 2009 (Opening Balance)	1078.25
अवयव (Fresh NPAs) during the year	1238.15
उप जोड़ (क) घटाएं / Sub- Total (A)	2316.40
घटाएं / Less:-	
(i) उन्नयन Upgradations	210.51
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	241.44
(iii) राइट-ऑफ/Write-offs	642.65
उप जोड़ (ख) / Sub- Total (B)	1094.60
31 मार्च 2010 को यथास्थिति सकल एनपीए (इतिशेष) (क-ख) Gross NPAs as on 31st March 2010 (closing balance) (A-B)	1221.80

14.7 विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण/Particulars	Amount(in Rupees Crores)
कुल आस्तियां / Total Assets	1815.08
कुल एनपीए / Total NPAs	0.95
कुल राजस्व / Total Revenue	49.06

14.8 तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है): शून्य **14.8 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms) : NIL**

15. वर्ष के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय से प्राप्त आय : **15. Income from Bancassurance business during the year:**
जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय पर प्राप्त कमीशन: रु. 16.49 करोड़
Commission received on life & non-life insurance business: Rs. 16.49 Crores

16. अतिरिक्त प्रकटीकरण / Additional Disclosures:
16.1 Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण/Particulars	2009-10	2008-09
(a) निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान/Provision for Depreciation on Investment	(102.44)	357.49
(b) एनपीए हेतु प्रावधान/Provision toward NPA	830.21	313.23
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision towards Standard Assets	2.85	20.01
(d) आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	554.24	297.00
(e) आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं/ Deferred Tax Assets / Liabilities	11.05	3.39
(f) अनुषंगी लाभ कर/Fringe Benefit Tax	0.00	6.78
(g) अन्य/Others	46.31	134.65
कुल/Total	1342.23	1132.55

16.2 अस्थिर प्रावधान /Floating Provisions:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण/Particulars	2009-10	2008-09
(a) अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष / Opening Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00
(b) वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Floating Provision made during the year	NIL	NIL
(c) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and amount of draw down during the year	NIL	NIL
(d) अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष Closing Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00

17. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है और ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

17. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards:

17.1 लेखा मानक 5 “अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन”:

Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

विवरण/Particulars	2009-10	2008-09
आय Income	(9.34)	1.26
व्यय Expenditure	3.03	8.09
निवल/Net	(12.37)	(6.83)

17.2 राजस्व अभिज्ञान के संबंध में एएस 9 के अंतर्गत नकदी आधार पर अभिज्ञात आय मदें या तो तात्त्विक नहीं थीं या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

17.2 Income items recognised on cash basis were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

17.3 बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) को अपनाया है। इन निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों के लेखा संबंधी बैंक की देयताओं को (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) में निर्धारित सिद्धांतों और (ख) भारतीय बीमांक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों जीएन26 के अनुसार अनुमोदित बीमांक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

17.3 The Bank has adopted Accounting Standard 15(R)-Employee Benefits, issued by Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension (New), Pension (Old), Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave w.e.f. 1st April 2007. Bank's liabilities on account of these funded/ non-funded employee benefits are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per (a) Principles laid down in AS 15 (R) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and (b) guidelines GN 26 issued by Institutes of actuaries of India.

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
	पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
रियायती दर / Discount Rate	8%	8%	8%	8%	8%	8%
वेतन की बढ़ती दर - 20 वर्ष की सेवा तक Salary Escalation Rate -service up to 20 years	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	0.00	7.5%
- उसके बाद की सेवा - service thereafter	5%	5%	5%	5%	0.00	5%
ह्रास दर / Attrition Rate(p.a)	1%	1%	1%	1%	1%	1%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	8%	8%	0.00	0.00	0.00	0.00

क) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

A) Change in the present value of Obligation:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
		पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) वर्ष के आरंभ में पीवीओ PVO at the beginning of the year	C.Y. P.Y.	614.69 544.37	390.75 354.95	142.45 118.38	97.68 95.73	11.47 8.52	19.81 16.66
b) ब्याज लागत Interest cost	C.Y. P.Y.	47.60 39.46	30.12 25.80	11.00 8.57	7.05 6.61	0.37 0.28	1.58 1.25
c) चालू सेवा लागत Current Service Cost	C.Y. P.Y.	66.30 62.85	15.51 10.25	7.83 5.55	3.70 7.97	0.00 0.00	1.80 2.03
d) प्रदत्त लाभ Benefits Paid	C.Y. P.Y.	(39.34) (36.60)	(28.43) (21.99)	(9.80) (8.11)	(19.23) (15.10)	(13.64) (9.52)	0.00 0.00
e) बाध्यता पर बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	C.Y. P.Y.	(2.43) 4.61	11.78 21.74	11.02 18.06	14.30 2.47	15.94 12.19	(1.69) 0.13
f) वर्ष के अंत में पीवीओ/ PVO at the close of the year	C.Y. P.Y.	686.82 614.69	419.72 390.75	162.51 142.45	103.49 97.68	14.14 11.47	21.51 19.81

ख) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

B) Changes in the Fair Value of Plan Assets:

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
		पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	C.Y. P.Y.	614.69 530.45	390.75 337.42	- -	- -	- -	- -
b) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल Expected return of Plan Assets	C.Y. P.Y.	49.17 42.44	31.26 26.99	- -	- -	- -	- -
c) कर्मचारी का अंशदान Employer's Contribution	C.Y. P.Y.	50.78 76.88	21.58 30.43	- 8.11	- 15.10	- 9.52	- -
d) प्रदत्त लाभ Benefits Paid	C.Y. P.Y.	(39.34) (36.60)	(28.43) (21.99)	- (8.11)	- (15.10)	- (9.52)	- -
e) बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Actuarial (Loss)/Gain	C.Y. P.Y.	11.52 1.53	4.57 (17.90)	- -	- -	- -	- -
f) आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the close of year	C.Y. P.Y.	686.82 614.69	419.72 390.75	- -	- -	- -	- -
g) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets	C.Y. P.Y.	53.08 46.56	31.91 29.29	- -	- -	- -	- -

ग) निवल बीमांकक हानि / (अभिलाभ) / **C Net Actuarial Loss / (Gain)**

(रु. करोड़ में) / (Rs. In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
		पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (अभिलाभ) (ख)							
a) Actuarial loss / (gain) on obligation (B)	C.Y. P.Y.	(2.43) 4.61	11.78 21.74	11.02 18.06	14.30 2.47	15.94 12.19	(1.69) (0.13)
ख) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(अभिलाभ)	C.Y. P.Y.	(11.52) (1.53)	(4.57) (17.90)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
b) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (C)	C.Y. P.Y.	(13.95) (3.09)	7.21 (3.84)	11.02 (18.06)	14.30 (2.47)	15.94 (12.19)	(1.69) (0.13)
ग) निवल बीमांकक (हानि)/अभिलाभ	C.Y. P.Y.	(13.95) (3.09)	7.21 (3.84)	11.02 (18.06)	14.30 (2.47)	15.94 (12.19)	(1.69) (0.13)
c) Net Actuarial loss / (gain)	C.Y. P.Y.	(13.95) (3.09)	7.21 (3.84)	11.02 (18.06)	14.30 (2.47)	15.94 (12.19)	(1.69) (0.13)
घ) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/अभिलाभ	C.Y. P.Y.	(13.95) (3.09)	7.21 (3.84)	11.02 (18.06)	14.30 (2.47)	15.94 (12.19)	(1.69) (0.13)
d) Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y. P.Y.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
च) अनअभिज्ञात बीमांकक हानि	C.Y. P.Y.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
e) Unrecognised actuarial loss	C.Y. P.Y.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

D) तुलनपत्र में मान्य राशि / Amount recognized in Balance Sheet:

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
		पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	C.Y.	686.82	419.72	162.51	103.49	14.14	21.51
a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	P.Y.	614.69	390.75	142.45	97.68	11.47	19.81
घटाएं :/Less:							
ख) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	C.Y.	686.82	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	P.Y.	614.69	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता /(आस्ति)	C.Y.	0.00	0.00	29.86	25.04	16.31	1.70
c) Unfunded Net Liability / (Asset) recognized in Balance Sheet	P.Y.	0.00	0.00	142.45	97.68	11.47	19.81

ड) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय :
E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
		पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) चालू सेवा लागत	C.Y.	66.30	15.51	7.83	3.70	0.00	1.80
a) Current service cost	P.Y.	62.85	10.25	5.55	7.97	0.00	2.03
ख) ब्याज लागत	C.Y.	47.60	30.12	11.00	7.05	0.37	1.58
b) Interest Cost	P.Y.	39.46	25.80	8.57	6.61	0.28	1.25
ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	C.Y.	49.17	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Expected return on Plan Assets	P.Y.	(42.44)	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ)	C.Y.	13.95	(7.21)	(11.02)	(14.30)	(15.94)	1.69
d) Net actuarial loss / (gain) recognized in the year	P.Y.	3.09	3.84	18.06	2.47	12.19	(0.13)
ड) निवल लाभ व्यय	C.Y.	50.78	21.58	29.86	25.04	16.31	1.70
e) Net Benefit Expense	P.Y.	62.96	12.90	32.18	17.05	12.47	3.15

च) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन :

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN					
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded			
		पेंशन (नया) Pension (New)	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन (पुराना) Pension (Old)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) अथ निवल देयता	C.Y.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Opening Net Liability	P.Y.	13.92	17.53	118.38	95.73	8.52	16.66
ख) निवल लाभ व्यय	C.Y.	50.78	21.58	29.86	25.05	16.31	1.70
b) Net Benefit Expense	P.Y.	62.96	12.90	32.18	17.05	12.47	3.15
घटाएं : / Less:							
ग) प्रदत्त अंशदान	C.Y.	(50.78)	(21.58)	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Contribution paid	P.Y.	(64.38)	(28.87)	(8.11)	(15.10)	(9.52)	0.00
घ) इति निवल देयता	C.Y.	0.00	0.00	29.86	25.05	16.31	1.70
d) Closing Net Liability	P.Y.	12.50	1.56	142.45	97.68	11.47	19.81

छ) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत :

(in %)

G) Investment percentage maintained by the Trust:

विवरण Particulars	पेंशन (नई) Pension (New)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	33.97	33.00	36.58	33.43
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	23.37	23.00	20.89	22.43
उच्च स्तरीय कारपोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	40.34	42.00	41.72	43.94
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Scheme	1.57	2.00	0.17	0.20
अन्य निवेश / Other Investment	0.75	0.00	0.64	0.00

17.4 वेतन संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने तक वेतन बकाया की अनुमानित देयता हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन बकाया हेतु रु. 153 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 122 करोड़) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विवेकपूर्ण नीति के रूप में पेंशन देयता हेतु रु. 47 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है।

17.5 सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखा मानक (एएस) 17 "सेगमेंट रिपोर्टिंग"। सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में मानक के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।

17.6 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

17.4 Pending finalisation of wage revision, a provision of Rs. 153 Crores during the financial year 2009-10 (previous year Rs. 122 Crores) towards estimated liability of wage arrears has been made. Further, as a prudent policy, an ad-hoc provision of Rs. 47 Crore has been made towards pension liability.

17.5 Segment Reporting – Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting" Segment information is given in the Consolidated Financial Statements in terms of para 4 of the Standard.

17.6 Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18 List of Related Parties and Transactions

क) संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन :

a) The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected: (रु. लाखों में) / (Rs. In Lacs)

क्रम सं. No. Sl.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धिया Remuneration	
			2009-10	2008-09
31.03.2010 को यथास्थिति मौजूदा निदेशक / Existing Directors as on 31.3.2010				
1	श्री जे.पी. दूआ Shri J. P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	21.70	8.39
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	2.48	NIL
3	श्री एम. आर. नायक Shri M. R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director	1.92	NIL
पूर्व निदेशक / Ex Directors				
1	श्री के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	17.69	5.42
2	श्री ए. सी . महाजन Shri A. C. Mahajan	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	6.69	12.83
3	श्री ओ. एन. सिंह Shri O. N. Singh	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	1.37	0.91
4	श्री एस. के. गोयल Shri S. K. Goel	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-Executive Director	3.53	3.20
5	श्री के. के. अग्रवाल Shri K K Agarwal	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-Executive Director	14.31	8.39

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

ख) अनुषंगी कंपनी :

i) ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

b) **Subsidiary:**

i) All Bank Finance Limited (wholly owned)

ग. संयुक्त उद्यम :

ii) एसआरआईसी(इंडिया) लि.

c) **Joint Venture:**

i) ASREC(India) Ltd.

घ) एसोसिएट्स :

i) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

d) **Associates:**

i) Allahabad U.P. Gramin Bank*

ii) शारदा ग्रामीण बैंक

ii) Sharda Gramin Bank

iii) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि. उपर्युक्त सहयोगी

iii) Universal Sampo General Insurance Company Limited.

* वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समामेलित कर “इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक” के नाम से एक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गठित किया गया।

*During the financial year 2009-10, two Regional Rural Banks namely Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Triveni Kshetriya Gramin Bank amalgamated to form a new RRB named “Allahabad U P Gramin Bank”.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35% के शेयर हैं और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी में 30% के शेयर हैं।

The Bank is holding 35% shares of the above Associated Regional Rural Banks and 30% shares of Universal Sampo General Insurance Company limited.

अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ लेनदेन का खुलासा (एसएस) — 18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा भी नियंत्रित हैं।

The transactions with the subsidiaries and Regional Rural Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

e) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड के सहायक कंपनियों के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

Transactions with associated company namely Universal Somp General Insurance Company Limited are as follows:

(राशि करोड़ में) / (Amount in Crores)

विवरण / Particulars	2009-10	2008-09
अर्जित आय /Income Earned	5.49	1.90
प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid	2.98	0.54

17.7 पट्टा प्रकटीकरण

क) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग :

31.03.2010 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

17.7 Lease Disclosure:

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2010

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	Amount Payable	
	2009-10	2008-09
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	36.11	33.75
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	94.66	78.59
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	37.13	23.78

ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य

iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : रु. 60.75 करोड़

iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त(अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य

ख) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date: Nil

iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs.60.75 Crores.

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Nil

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

17.8 प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (एएस) 20 : / Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वर्ष 2009-10 हेतु For the year 2009-10	वर्ष 2008-09 हेतु For the year 2008-09
क. A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share	Rs. 27.01	Rs. 17.21

प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वर्ष 2009-10 हेतु For the year 2009-10	वर्ष 2008-09 हेतु For the year 2008-09
क. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ Net Profit for the year attributable to Equity Share holders	1206.33 Cr.	768.60 Cr.
ख. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	44.67 Cr.	44.67 Cr.
ग. C	प्रति शेयर मूल अर्जन (क/ख) (रु.) Basic Earning per Share (A/B) (Rs.)	Rs. 27.01	Rs. 17.21
घ. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य Nominal Value per share	Rs. 10/-	Rs. 10/-

17.9 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में रु. 11.06 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे रु. 3.39 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

17.9 Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of Rs. 11.05 Crores (Net) (Previous year net debit Rs.3.39 Crores) has been debited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण Particulars	At the beginning of the Year		Adjustment Add / (Less)		At the close of the Year	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
आस्थगित कर आस्तियाँ						
Deferred Tax Assets						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान						
Provision for Leave Encashment	शून्य/NIL	2.61	शून्य/NIL	(2.61)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान						
Provision for Sick Leave	0.65	0.00	0.58	0.66	1.23	0.65
पेंशन हेतु प्रावधान (पुरानी)						
Provision for Pension(old)	6.99	1.59	(3.33)	5.40	3.66	6.99
एलएफसी हेतु प्रावधान						
Provision for LFC	2.12	0.00	(2.12)	2.12	Nil	2.12
कुल / Total	9.76	4.20	(4.87)	5.57	4.89	9.76
आस्थगित कर देयताएँ						
Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास						
Depreciation of Fixed Assets	1.34	1.07	(1.34)	0.27	0.00	1.34
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर						
उपचित किंतु अदेय ब्याज						
Interest Accrued but not due on securities						
held as Investments	21.29	12.61	7.52	8.69	28.81	21.29
कुल / Total	22.63	13.68	6.18	8.96	28.81	22.63
आस्थगित कर देयताएँ(निवल)						
Deferred Tax Assets (Net)	12.87	9.48	11.05	3.39	23.92	12.87

17.10 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2010 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

17.10 A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2010 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

17.11 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ' के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

17.11 Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) : / **Movement of Provision and Contingencies (Closing balance):**

(रु. करोड़ में)/(Rs. In Crore)

विवरण Particulars	यथास्थिति 31.03.2010 As on 31.03.2010	यथास्थिति 31.03.2009 As on 31.03.2009
(क) एनपीए हेतु प्रावधान / (a) Provision toward NPA	751.65	502.27
(ख) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / (b) Provision for Depreciation on Investment	251.80	430.30
(ग) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / (c) Provision towards Standard Assets	280.98	277.01
(घ) आयकर हेतु प्रावधान / (d) Provision towards Income Tax	1291.42	737.18
(च) अनुषंगी लाभ कर / (e) Deferred Tax (Assets) / Liabilities	23.92	12.87
(च) अनुषंगी लाभ कर / (f) Fringe Benefit Tax	26.04	26.04
(छ) अन्य / (g) Others	641.76	620.07
कुल / Total	3267.57	2605.74

18. Customer Complaints:

विवरण / Particulars	2009-10
(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the beginning of the year	108
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Received during the year	2279
(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Redressed during the year	2302
(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the end of the year	85

19. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman :

विवरण /Particulars	2009-10
(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/No. of unimplemented awards at the beginning of the year	Nil
(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	6
(c) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या / No. of awards implemented during the year	4
(d) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/No. of unimplemented awards at the end of the year	2

- | | |
|---|---|
| <p>20. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी): रु.1294.90 करोड़ (पिछला वर्ष : रु.3689.17 करोड़)।</p> <p>21. आकस्मिक देयताएँ : तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/ आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।</p> <p>22. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)रु. 38.67 करोड़ (पिछला वर्ष 61.93 करोड़)</p> <p>23. अनुप्रयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।</p> <p>24. कृषि ऋण राहत योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा बकाया अंश के 75% का भुगतान करने की तिथि 30.06.2010 तक बढ़ाई गई है। पात्र अन्य किसानों को एक या अधिक किस्तों में 30.06.2010 तक बकाया को चुकाने की अनुमति दी गई है। अतः योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के ऋण खातों को मानक आस्ति माना गया है।</p> <p>25. जहाँ आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित अथवा पुनःवर्गीकृत किया गया है।</p> | <p>20. Letters of Comfort (LoC's) issued during the Current Financial Year: Rs.1294.90 Crores (Previous Year: 3689.17 Crores).</p> <p>21. Contingent Liabilities: Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.</p> <p>22. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) Rs.38.67 Crores (Previous Year Rs. 61.93 Crores).</p> <p>23. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.</p> <p>24. Under Agriculture Debt Relief Scheme, the last date for payment of 75% of the overdue portion by the farmers has been extended up to 30.06.2010. The eligible other farmers are allowed to repay the amount in one or more instalments up to 30.06.2010. Hence, the loan accounts of other farmers, who are eligible under the scheme, have been considered as standard assets.</p> <p>25. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.</p> |
|---|---|

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में.

भारत के राष्ट्रपति

1. हमने इलाहाबाद बैंक के 31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र, उस तारीख को संलग्न लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है, जिनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं 46 मंडलीय कार्यालयों, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1825 शाखाओं, स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित एक विदेशी शाखा तथा चीन स्थित एक प्रतिनिधि कार्यालय की अलेखापरीक्षित विवरणी शामिल है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में ऐसी 441 शाखाओं की विवरणी शामिल है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 1.50% अग्रिम, 4.96% जमा राशि, 0.90% ब्याज आय तथा 4.53% ब्याज व्यय निहित है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरणी की भी लेखा परीक्षा की है।

2. इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।

4. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' तथा 'ख' फॉर्म में तैयार किए गए हैं।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन हम नोट संख्या 2(i) और 2(ii) (अनुसूची-18) के अनुसार अंतर शाखा खातों में बेमेल प्रविष्टियों के मिलान/समाधान और बैंकों तथा नोस्ट्रो खातों में अतिशेष के मिलान और समाधान के संबंध में;

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of ALLAHABAD BANK as at 31st March 2010, the Profit and Loss Account for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the Returns of 20 branches, 46 zonal offices audited by us, 1825 branches audited by other auditors, one overseas branch audited by local auditor and one unaudited representative office in China. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 441 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.50% of advances, 4.96% of deposit, 0.90% of interest income and 4.53% of interest expenses. We have also audited the cash flow statement annexed to the Balance Sheet for the year ended on that date.

2. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.

3. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

5. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein, and subject to Notes No.2 (i) & 2(ii) (Schedule 18) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in inter branch accounts and balancing/ reconciliation of Balances with Banks and NOSTRO accounts;

We report that:

(a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

(ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की बहियों में यथादर्शित :

(i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि यह बैंक के 31 मार्च, 2010 के कामकाज की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत कर सके।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित वर्ष हेतु लाभ का सही शेष दर्शाता है।

(iii) नकदी प्रवाह विवरण, विवरणी द्वारा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करता है।

(c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

(d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

(e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank:

(i) The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(ii) The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and notes thereon, shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account.

(iii) The Cash Flow Statement shows a true and fair view of the cash flow for the year ended on that date.

कृते मे. वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
For **M/S. Venkat & Rangaa**
Chartered Accountants

(सीए एस. मणिशेखरन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 26400
(CA S. Manisekaran)
Partner
Membership No. 26400
Firm ICAI Reg.No : 004597S

कृते मे. एम. आर नारायण एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. M. R. Narain & Co.**
Chartered Accountants

(सीए एम. एन. वेंकटेशन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 22993
(CA M.N. Venkatesan)
Partner
Membership No. - 22993
Firm ICAI Reg.No : 002330S

कृते मे. सुदित के पारेख एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. Sudit K Parekh & Co.**
Chartered Accountants

(सीए श्रीकान्त जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं. 39461
(CA Srikant Jilla)
Partner
Membership No. 39461
Firm ICAI Reg.No : 110512W

कृते एस. घोष एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. S Ghose & Co.**
Chartered Accountants

(सीए चन्दन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51254
(CA Chandan Chattopadhyay)
Partner
Membership No. - 51254
Firm ICAI Reg.No : 302184E

कृते मे. पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For **M/S. PA & Associates**
Chartered Accountants

(सीए पी. एस. पंडा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51092
(CA P S Panda)
Partner
Membership No. 51092
Firm ICAI Reg.No : 313085E

कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
For **M/S. K.M. Agarwal & Co.**
Chartered Accountants

(सीए मीनाक्षी गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता सं. 92834
(CA Meenakshi Gupta)
Partner
Membership No. 92834
Firm ICAI Reg.No : 0853N

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2010 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2010

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

विवरण Particulars	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति / As on 31.03.2010	यथास्थिति / As on 31.03.2009
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	446.70	446.70
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	6517.27	5590.12
अल्पसंख्यक ब्याज / Minorities Interest	2A	Nil	Nil
जमा राशियाँ / Deposits	3	106050.74	84966.53
उधार / Borrowings	4	5435.48	3848.94
अन्य देयताएं और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	3457.10	2977.21
कुल / Total		121907.29	97829.50
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	7183.78	5115.38
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1994.99	1521.38
विनिधान / Investments	8	38613.33	29825.34
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	9	71607.75	58801.80
स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets	10	1124.40	1111.46
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	1383.04	1454.14
समेकन पर साख / Goodwill on Consolidation		Nil	Nil
लाभ एवं हानि खाते का नामा शेष			
Debit Balance of Profit and Loss A/C		Nil	Nil
कुल / Total		121907.29	97829.50
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	49080.79	46037.46
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		2944.37	1,726.42

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

निदेशक / Directors:	जे. पी. दुआ	डी. सरकार	एम. आर. नायक	ए. बी. भट्टाचार्य	एस. एल. जैन
श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	सहायक महाप्रबंधक (लेखा एवं लेखा परीक्षा)
श्री मोहम्मद ताहिर / SHRI MOHAMMAD TAHIR	J. P. DUA	D.SARKAR	M. R. NAYAK	A. B. Bhattacharjee	S. L. JAIN
श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA	Chairman & Managing Director	Executive Director	Executive Director	General Manager	Assistant General Manager
श्री डी. के. कपिला / SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA				(Finance & Accounts)	(Accounts & Audit)
डॉ. वी. बी. कौजलगी / DR. VASANT BABURAO KAUJALGI	कृते मे. वेकंट एंड रंगा / For M/s Venkat & Rangaa	कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं. / For M/s Sudit K Parekh & Co.	कृते मे. पी ए एंड एसोसिएट्स / For M/s PA & Associates	सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date	
श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सीए सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सीए सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY	सीए एस. मणिशेखरन / CA. S. Manisekaran	सीए श्रीकान्त जिल्ला / CA. Srikant Jilla	सीए श्रीकान्त जिल्ला / CA. Srikant Jilla	सीए पी एस पंडा / CA. P S Panda	सीए पी एस पंडा / CA. P S Panda
डॉ. शकील-उज्जमान अंसारी / DR. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner
	सदस्यता सं. / M.No. 26400	सदस्यता सं. / M.No. 39461	सदस्यता सं. / M.No. 39461	सदस्यता सं. / M.No. 51092	सदस्यता सं. / M.No. 51092
	कृते मे. एम. आर. नारायण एंड कं. / For M/S M. R. Narain & Co.	कृते मे. एस घोष एंड कं. / For M/S S Ghose & Co.	कृते मे. एस घोष एंड कं. / For M/S S Ghose & Co.	कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं. / For M/S K.M. Agarwal & Co	कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं. / For M/S K.M. Agarwal & Co
	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
	सीए एम. एन. वेकंटेशन / CA. M N Venkatesan	सीए चन्दन चट्टोपाध्याय / CA. Chandan Chattopadhyay	सीए चन्दन चट्टोपाध्याय / CA. Chandan Chattopadhyay	सीए मीनाक्षी गुप्ता / CA. Meenakshi Gupta	सीए मीनाक्षी गुप्ता / CA. Meenakshi Gupta
	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner	पार्टनर / Partner
	सदस्यता सं. / M.No. 22993	सदस्यता सं. / M.No. 51254	सदस्यता सं. / M.No. 51254	सदस्यता सं. / M.No. 92834	सदस्यता सं. / M.No. 92834

स्थान / Place : कोलकाता/Kolkata
दिनांक / Date : 30.04.2010

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2010

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crores)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्षान्त / Year ended 31.03.2010	वर्षान्त / Year ended 31.3.2009
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	8371.95	7364.81
अन्य आय / Other income	14	1526.39	1151.25
कुल / Total		9898.34	8516.06
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	5718.16	5205.87
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	1620.94	1400.12
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		1345.10	1132.05
कुल / Total		8684.20	7738.04
अनुष्णियों से आय/हानि का अंश			
Share of earnings/loss in Associates		14.32	12.45
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि)			
Consolidated Net profit/(loss)			
for the year before deducting Minorities' Interest		1228.46	790.47
घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज / Less: Minorities' Interest			
समूह से संबद्ध वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) /			
Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		1228.46	790.47
जोड़ें: समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि) अग्रानीत			
Add: Brought forward consolidated profit/(loss)			
attributable to the group		217.72	192.46
कुल / Total		1446.18	982.93
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		305.00	193.00
अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Other Reserves		591.97	441.55
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)			
Interim / Proposed Dividend (Including Tax on Dividend)		287.44	130.66
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष			
Balance carried over to consolidated Balance Sheet		261.77	217.72
कुल / Total		1446.18	982.93
प्रति शेयर अर्जन / Earnings per Share		27.50	17.70

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI
श्री मोहम्मद ताहिर / SHRI MOHAMMAD TAHIR
श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA
श्री डी. के. कपिला /
SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA
डॉ. वी. बी. कौजलगी /
DR. VASANT BABURAO KAUJALGI
श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR
श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY
डॉ. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी /
DR. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI

जे. पी. दुआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUA
Chairman & Managing
Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
D.SARKAR
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
M. R. NAYAK
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक (लेखा एवं लेखा परीक्षा)
S. L. JAIN
Assistant General Manager
(Accounts & Audit)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते मे. वेकट एंड रंगा /
For M/s Venkat & Rangaa
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए एस. मणिशेखरन / CA. S. Manisekaran
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 26400

कृते मे. एम. आर. नारायण एंड कं.
For M/S M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए एम. एन. वेकटेशन / CA. M N Venkatesan
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 22993

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं./
For M/s Sudit K Parekh & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए श्रीकान्त जिल्ला / CA. Srikant Jilla
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No.39461

कृते मे. एस घोष एंड कं.
/ For M/S S Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए चन्दन चट्टोपाध्याय / CA. Chandan Chattopadhyay
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 51254

कृते मे. पी. ए. एंड एसोसिएट्स
/ For M/s PA & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए पी एस पंडा / CA. P S Panda
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 51092

कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं.
/ For M/S K.M. Agarwal & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए मीनाक्षी गुप्ता / CA. Meenakshi Gupta
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 92834

स्थान / Place : कोलकाता/Kolkata
दिनांक / Date : 30.04.2010

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK
समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement

(रु. करोड़ में)(Rs. in Crore)

विवरण / Particulars	2009-10		2008-09	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
A. Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज				
Interest received during the year from Advances, Investments etc.	8371.95		7364.81	
अन्य आय / Other Income	1521.71	9893.66	1146.32	8511.13
घटाएं: / Less:				
वर्ष के दौरान जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid during the year on Deposits	5341.86		4885.40	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय				
Operating Expenses including Provisions & Contingencies	2966.04	8307.90	2532.17	7417.57
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets		62.78		56.33
परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)				
a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		1648.54		1149.89
ख. देयताओं में वृद्धि (कमी)				
b. Increase / Decrease in Liabilities				
जमाराशियां / Deposits	21084.21		13350.83	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	337.98	21422.19	577.48	13928.31
ग. आस्तियों में कमी (वृद्धि)				
c. Decrease / Increase in Assets				
अग्रिम / Advances	(12805.95)		(9080.79)	
निवेश / Investments	(8802.31)		(6255.55)	
अन्य आस्तियां / Other Assets	71.10	(21537.16)	255.77	(15080.57)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)				
Net Cash Flow from Operating Activities (a+b+c)		1533.57		(2.37)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Cash Flow from Investing Activities				
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	0.94		1.00	
स्थिर आस्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets	(72.08)		(95.61)	

समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Consolidated Cash Flow Statement (Contd....)

विवरण / Particulars	2009-10	2008-09
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		
B Net Cash Flow from Investing Activities	(71.14)	(94.61)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Cash Flow from Financing Activities		
उधार / Borrowings	486.54	(854.97)
उधार पर ब्याज / Interest on Borrowings	(376.30)	(320.47)
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	(130.66)	(182.92)
टायर-ii बांड का निर्गम एवं बेमियादी बांड / Issue of Tier-II Bonds & Perpetual Bonds	1100.00	1050.00
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी		
C Net Cash generated from Financing Activities	1079.58	(308.36)
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		
Total Cash Flow during the year (A+B+C)	2542.01	(405.34)
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D Cash and Cash equivalent at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष		
Cash and Balances with RBI	5115.38	6288.86
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1521.38	753.24
कुल / Total	6636.76	7042.10
ङ वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E Cash and Cash equivalent at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		
Cash and Balances with RBI	7183.78	5115.38
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1994.99	1521.38
कुल / Total	9178.77	6636.76
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ङ-घ)		
Total Cash Flow during the year (E-D)	2542.01	(405.34)

निदेशक / Directors:

श्रीमती सुकृति लिखि / SMT. SUKRITI LIKHI
श्री मोहम्मद ताहिर / SHRI MOHAMMAD TAHIR
श्री के. के. डोगरा / SHRI K. K. DOGRA
श्री डी. के. कपिला / SHRI DEVESH KUMAR KAPILA
डॉ. वी. बी. कौजलमी / DR. VASANT BABURAO KAUJALGI
श्रीमती जोगिन्दर कौर / SMT. JOGINDER KAUR
श्री पी. वी. गुडिरेड्डी / SHRI P. V. GUDIREDDY
डॉ. शकील-उज़्ज़मान अंसारी / DR. SHAKEEL-UZ-ZAMAN ANSARI

जे. पी. दुआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUA
Chairman & Managing Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
D.SARKAR
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
M. R. NAYAK
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक (लेखा एवं लेखा परीक्षा)
S. L. JAIN
Assistant General Manager
(Accounts & Audit)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते मे. वेकंट एंड रंगा /
For M/s Venkat & Rangaa
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए एस. मणिशेखरन / CA. S. Manisekaran
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 26400

कृते मे. एम. आर. नारायण एंड कं.
For M/S M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए एम. एन. वेंकटेशन / CA. M N Venkatesan
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 22993

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं./
For M/s Sudit K Parekh & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए श्रीकान्त जिल्ला / CA. Srikant Jilla
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No.39461

कृते मे. एस घोष एंड कं.
For M/S S Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए चन्दन चट्टोपाध्याय / CA. Chandan Chattopadhyay
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 51254

कृते मे. पी ए एंड एसोसिएट्स
/ For M/s PA & Associates
सीए सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए पी एस पंडा / CA. P S Panda
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 51092

कृते मे. के. एम. अग्रवाल एंड कं.
/ For M/S K.M. Agarwal & Co
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
सीए मीनाक्षी गुप्ता / CA. Meenakshi Gupta
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./ M.No. 92834

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी <i>Authorised Capital</i>	3000.00	1500.00
निर्गमित पूँजी (44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10) <i>Issued Capital (44,67,00,000 Shares of Rs.10.each)</i>	446.70	446.70
अभिदत्त पूँजी (44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10) <i>Subscribed Capital (44,67,00,000 Shares of Rs.10 each)</i>	446.70	446.70
मांगी गई पूँजी (44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10) <i>Called-up Capital (44,67,00,000.Shares of Rs.10 each)</i>	446.70	446.70
घटाएं: अदत्त मांगें / <i>Less: Calls unpaid</i>	0.00	0.00
जोड़ें: जब्त शेयर / <i>Add: Forfeited shares</i>	0.00	0.00
कुल / Total	446.70	446.70
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves	1627.39	1322.39
पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves	1219.96	1214.86
समेकन पर पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves on Consolidation	70.31	70.31
शेयर प्रीमियम / Share Premium	720.00	720.00
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue and other Reserves	2617.84	2052.02
लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit and Loss Account	261.77	210.54
कुल / Total	6517.27	5590.12
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक ब्याज		
SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध के अस्तित्व में आने की तिथि को अल्पसंख्यक ब्याज Minority interest at the date on which the parent subsidiary relationship came into existence	NIL	NIL
परवर्ती वृद्धि / कमी / Subsequent increase / decrease	NIL	NIL
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक ब्याज / Minority interest on the date of Balance Sheet	NIL	NIL
अनुसूची 3 - निक्षेप		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क/ A. I. मांग निक्षेप / <i>Demand Deposits</i>		
(I) बैंक से / From banks	57.14	108.26
(ii) अन्य से / From others	8258.40	6514.64
II. बचत बैंक निक्षेप / <i>Savings Bank Deposits</i>	28271.18	22774.39
III. मीयादी निक्षेप / <i>Term Deposits</i>		
(I) बैंक से / From banks	912.93	1056.31
(ii) अन्य से / From others	68551.09	54512.93
कुल / Total (I, II, III)	106050.74	84966.53
ख/ B. (i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	105768.64	84805.08
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	282.10	161.45
कुल / Total (I and II)	106050.74	84966.53

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 4 - उधार		
SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	0.00	0.00
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	12.84	74.19
(iv) गौण नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument.	300.00	150.00
(v) गौण ऋण- अपर टियर-II पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	1000.00	500.00
(vi) गौण ऋण- टियर-II पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	2711.90	2261.90
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	1410.74	862.85
कुल / Total (I + II)	5435.48	3848.94
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above	0.00	0.00
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. संदेय बिल / Bills payable	394.27	282.19
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments (net)	185.39	204.75
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	410.07	323.99
VI. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	23.97	12.87
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	2443.40	2153.42
कुल / Total	3457.10	2977.22
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित)/Cash in hand (including foreign currency notes)	379.88	359.81
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	6803.90	4755.57
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	0.00	0.00
कुल / Total (I & II)	7183.78	5115.38
अनुसूची - 7 बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / In India		
(i) बैंकों में अतिशेष / Balances with banks		
(a) चालू खातों में / In Current accounts	340.76	386.38
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	303.96	20.00
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at call and short notice		
(a) बैंकों में / With banks	0.00	0.00
(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions	0.00	0.00
कुल / Total (i & ii)	644.72	406.38
II. भारत के बाहर / Outside India		
(a) चालू खातों में / In Current account	429.82	475.90
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	0.00	0.00
(c) मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at call and short notice	920.45	639.10
कुल / Total	1350.27	1115.00
कुल योग / Grand Total (I & II)	1994.99	1521.38

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 8 - विनिधान SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में विनिधान / Investment in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	30982.94	21383.25
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	138.27	293.13
(iii) शेयर / Shares	469.21	264.31
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	1643.29	2250.00
(v) अनुषंगियों में विनिधान / Investment in Associates	252.47	235.05
(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)	5127.15	5399.60
कुल / Total	38613.33	29825.34
II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	0.00	0.00
(ii) अनुषंगियों में विनिधान Investment in Associates	0.00	0.00
(iii) अन्य विनिधान / Other Investments	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00
कुल योग / Grand Total (I) & (II)	38613.33	29825.34
III. भारत में विनिधान / Investment in India		
(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments	38869.25	30258.54
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	255.93	433.20
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	38613.32	29825.34
(iv) भारत के बाहर विनिधान / Investment outside India		
(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments	0.00	0.00
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	0.00	0.00
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	0.00	0.00
अनुसूची 9 - अग्रिम SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क/A. (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted		
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	2184.15	1831.90
(iii) मीयादी ऋण / Term loans	29805.32	24298.52
कुल / Total	39618.28	32671.38
ख/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by tangible assets	57598.75	45838.62
(बही ऋण पर अग्रिम सहित) / (includes advances against book debts)		
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees	1705.80	1909.51
(iii) बेज़मानती / Unsecured	12303.20	11053.67
कुल / Total	71607.75	58801.80
ग/C. I. भारत में अग्रिम / Advances in India		
(I) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	24279.35	20435.02
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	9147.86	6831.45
(iii) बैंक / Banks	0.00	207.81
(iv) अन्य / Others	37334.89	30840.59
कुल / Total	70762.10	58314.87

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
ग/C. II. भारत के बाहर अग्रिम / <i>Advances outside India</i>		
(I) बैंक से देय / Due from banks	373.62	0.00
(ii) अन्य से देय / Due from others		
(अ/अ) खरीदे और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	68.04	43.59
(आ/ब) सिंडिकेट ऋण / Syndicated Loans	334.21	0.00
(इ/क) अन्य / Others	69.78	443.34
कुल / Total	845.65	486.93
कुल योग / Grand Total	71607.75	58801.80
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / <i>Premises</i>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	999.93	979.80
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1.45	17.07
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	0.00	0.00
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	65.00	57.80
कुल / Total I	936.38	939.07
IA. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction	1.11	0.00
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) / <i>Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)</i>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	581.03	503.01
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	70.63	78.53
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	0.83	0.51
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	465.58	410.30
कुल / Total II	185.25	170.73
IIA. पट्टे पर दी गई आस्तियाँ / <i>Leased Assets</i>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	1.66	4.93
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.00	0.00
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	0.11	0.00
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	-0.10	3.27
कुल / Total IIA	1.65	1.66
कुल / Total (I, IA, II & IIA)	1124.40	1111.46
III. पूंजी - प्रगतिशील कार्य (पट्टे पर दी गई आस्तियाँ) प्रावधान का निवल Capital- Work - in - progress (Leased Assets) net of Provisions	0.00	0.00
कुल / Total (I, IA, II, IIA & III)	1124.40	1111.46
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-Office Adjustments (net)	0.00	0.00
II. उपचित ब्याज / Interest accrued	492.82	468.31
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	238.35	321.31
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and stamps	8.28	8.66
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0.03	0.03
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax assets	0.00	0.00
VII. अन्य / Others	643.57	655.83
कुल / Total	1383.04	1454.14

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	937.27	984.12
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	37065.89	36888.90
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
(a) भारत में / In India	4429.34	3459.05
(b) भारत के बाहर / Outside India	446.63	217.45
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	6162.82	5259.88
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	38.68	84.12
कुल /Total	49080.79	46893.68
संग्रहण हेतु बिल / Bill for collection	2944.37	1726.42
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	6397.91	5494.47
II. निवेशों पर आय / Income on investments	1946.55	1849.36
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	25.17	10.74
IV. अन्य / Others	2.32	10.24
कुल /Total	8371.95	7364.81
अनुसूची 14 - अन्य आय		
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange and brokerage	655.46	480.92
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	0.03	0.04
घटाएँ: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	-0.59	0.00
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions	58.13	45.28
घटाएँ: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	-9.64	-0.90
IV. विनिधानों (निवल) के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments(net)	764.97	687.13
घटाएँ: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	-186.79	-113.82
V. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / Profit on revaluation of investments	0.00	0.00
घटाएँ : विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि/ Less: Loss on revaluation of investments	-0.01	0.00
VI. a) पट्टा-वित्त से आय / Lease finance income	0.00	0.00
b) पट्टा प्रबंधन शुल्क / Lease management fee	0.00	0.00
c) अतिदेय प्रभार / Overdue charges	0.00	0.00
d) पट्टा किराया प्राप्य राशि पर ब्याज / Interest on lease rent receivables	0.00	0.00
VII. विविध आय / Miscellaneous income	244.83	52.60
कुल / Total	1526.39	1151.25

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2009 (रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	5341.86	4885.40
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	39.73	64.28
III. अन्य / Others	336.57	256.19
कुल /Total	5718.16	5205.87
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1012.29	874.28
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	176.76	135.97
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	20.78	19.06
IV. विज्ञापन और प्रचार /Advertisement and publicity	21.65	14.23
V.(क) पट्टा आस्तियों से इतर बैंक की परिसंपत्तियों पर अवक्षय (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	62.78	56.33
V.(ख)(b) पट्टा आस्तियों पर अवक्षय/Depreciation on Leased Assets	0.00	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.05	1.07
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय/Auditors' fees and expenses (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) / (including branch auditors' fees and expenses)	16.16	14.37
VIII. विधि प्रभार / Law charges	6.99	8.51
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones, etc.	23.66	22.80
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	24.43	24.57
XI. बीमा / Insurance	78.91	75.31
XII. साख का परिशोधन, यदि कोई हो/Amortisation of Goodwill, if any	0.00	0.00
XIII. अन्य व्यय /Other expenditure	175.48	153.62
कुल /Total	1620.94	1400.12
अनुसूची 17 - आय का अंश /		
SCHEDULE 17 - Share of Earnings		
अनुषंगियों में हानि / अनुषंगियों का ब्योरा		
Loss in Associates / Details of Associates		
नाम /Name		
शारदा ग्रामीण बैंक / Sharda Gramin Bank	7.37	10.83
* लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / *Lucknow Kshetriya Gramin Bank	36.03	30.27
* त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / *Triveni Kshetriya Gramin Bank	20.69	6.56
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक / Allahabad UP Gramin Bank	13.82	0.00
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. Universal Sompo General Insurance Company Ltd	-44.79	-13.00
कुल / TOTAL	33.12	34.66
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share	13.83	12.78
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन / Adjustment relating to earlier years	0.48	-0.33
वर्ष के दौरान समायोजित / Considered during the year	14.32	12.45
* इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन से / * Since amalgamated with Allahabad UP Gramin Bank		

समेकित लेखाओं से संबंधित प्रासंगिक मुख्य लेखा नीतियां

1. सामान्य

- (क) वित्तीय विवरण, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया और प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) वित्तीय विवरण आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों में समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों की भी पुष्टि करता है।

2. लेखाओं को तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरण प्रयोज्य सांविधिक विनियामक प्रावधानों, लेखा मानकों तथा अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का वास्तविक रूप में अनुपालन करके बनाया गया है।

3. समेकन प्रक्रिया:

- (i) बैंक, इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी निदेशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- (ii) निम्नलिखित अनुषंगी को लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित किया गया है:

कंपनी का नाम Name of the Company	देश / निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड AllBank Finance Limited	भारत India	अनुषंगी Subsidiary	100% 100%

- (iii) निम्नलिखित एसोसिएट और संयुक्त उद्यम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" एवं लेखा मानक 27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार समेकित किए गए हैं।

Relevant Principal Accounting Policies on the Consolidated Accounts

1. General:

- (i) The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters.

2. Basis of preparation

The accompanying financial statements have been prepared to comply, in all material aspects, with applicable Statutory / Regulatory provisions, Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles and practices prevailing in India except as otherwise stated.

3. Consolidation procedure:

- (i) The Consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary and its associates has been prepared in accordance with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, guidelines issued by the respective regulatory authorities and generally accepted accounting principles
- (ii) The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements"

- (iii) The following associates and Joint ventures has been consolidated as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidate Financial Statements" and Accounting Standard 27, "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively:

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
शारदा ग्रामीण बैंक Sharda Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad UP Gramin Bank.	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	भारत India	एसोसिएट Associate	30%
एसएसआरईसी (इंडिया) लि ASREC (India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	27.04 % 27.04 %

4. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण

उल्लिखित बैंकिंग नीतियां मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक अनुषंगी है जो जो क्लास I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में सेबी में पंजीकृत है और एक एसोसिएट कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है। अनुषंगी और एसोसिएट कंपनी उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित

4. Disclosure of significant accounting policies

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has a subsidiary which is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker and an associate company which is in the business of non-life insurance. The subsidiary and associate company follow accounting policies prescribed

लेखा नीतियों का पालन करती हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में ये निवेश महत्वपूर्ण नहीं हैं।

5. निवेश

- (i) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप तीन वर्गों, यथा, “परिपक्वता हेतु रखा गया”, “विक्रय हेतु उपलब्ध” तथा “व्यापार हेतु रखा गया” में वर्गीकृत किया गया है।
- (ii) उक्त वर्णित तीनों वर्गों के अन्तर्गत निवेशों का प्रकटन छह समूहों, यथा: (क) सरकारी प्रतिभूतियों (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों (ग) शेयरों (घ) डिबेन्चरों एवं बॉण्डों (ङ) अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश तथा (च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड की यूनिट आदि) के अंतर्गत किया गया है।
- (iii) ‘परिपक्वता हेतु रखा गया’ के अंतर्गत वर्गीकृत (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) निवेश अधिग्रहण लागत पर लाए गए हैं। अगर अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है एवं निम्नोक्त के लिए प्रावधान किया जाता है :
 - डिबेन्चरों / बॉण्डों के मूल्य के ह्रास जो अग्रिमों के रूप में समझे जाते हैं आस्ति वर्गीकरण के भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों तथा अग्रिमों हेतु प्रयोज्य प्रावधानीकरण का प्रयोग करते हुए।
 - अनुषंगी / संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में अस्थायी को छोड़कर ह्रास।
- (iv) “विक्रय हेतु उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर मार्केट स्क्रिपवार अंकित किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।
- (v) “व्यापार हेतु रखा गया” के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मासिक अंतराल पर स्क्रिपवार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है एवं निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।
- (vi) अनुत्पादक प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज / मूल 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है) के संबंध में आय की पहचान नहीं की जाती तथा प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं तथा ऐसे मूल्यह्रास की अन्य उत्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती।
- (vii) निवेशों के अधिग्रहण की लागत:
 - (क) अभिदत्त प्रतिभूतियों के मामले में प्राप्त प्रोत्साहन / कमीशन तथा प्रारंभिक शुल्क का निवल है।
 - (ख) कमीशन, दलाली तथा स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर।
- (viii) लाभ-हानि लेखा में निवेश की बिक्री पर लाभ-हानि की पहचान की जाती है। “परिपक्वता हेतु रखे हुए” वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ के बराबर की राशि को पहले लाभ-हानि खाते में लिया जाता है तथा तत्पश्चात “पूँजी प्रारक्षित खाते” में विनियोग किया जाता है।

by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

5. Investments

- (i) The investment portfolio of the Bank is classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading”.
- (ii) The disclosure of investments under all the three categories mentioned above is made under six groups viz. (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Investment in Subsidiaries/joint ventures and (f) Others (commercial paper, units in Mutual Funds etc).
- (iii) Investments classified as ‘Held to Maturity’ (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity, and provision is made for:
 - Diminution in the value of debentures/bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.
 - Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/joint ventures.
- (iv) Investments classified as “Available for Sale” are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (v) Investments classified as “Held for Trading” are revalued scrip-wise at monthly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vi) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (vii) Cost of acquisition of investments:
 - a. Is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed.
 - b. Excludes commission, brokerage and stamp duty.
- (viii) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under “Held to Maturity” category, is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the “Capital Reserve Account”.

(ix) निवेशों के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन अथवा एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा दी गई दरों को अपनाया जाता है। इस प्रकार के कोटेशनों / दरों के अभाव में एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा यथानिर्धारित 'परिपक्वता पर प्रतिफल' का समुचित प्रयोग करते हुए बाजार दर का पता लगाया जाता है।

(x) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के स्वैप का मूल्य निम्नानुसार किया जाता है:

- **हेज स्वैप**

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणियों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है। उपरि आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

स्वैप के निरसन से होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों / देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

- **ट्रेडिंग स्वैप**

ट्रेडिंग स्वैप लेन-देनों को वित्तीय विवरणियों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

6. स्थिर आस्तियाँ / मूल्यहास

(i) पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे पर लिए गए परिसरों सहित अन्य अचल आस्तियों की परंपरागत लागत बताई गई है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनकी पुनर्मूल्यांकन राशि बताई गई है। पुनर्मूल्यन हेतु आस्तियों का चयन प्रणालीबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर्याप्त नियामन से किया जाता है ताकि इस प्रकार प्राप्त रकम और तुलन पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। बैंक के कुछ परिसरों के उचित मूल्य में सार्थक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। अतएव, बार-बार मूल्यन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तथापि, परिसरों की उन मदों हेतु पुनर्मूल्यन बार-बार नहीं किया जाता, जिनके उचित मूल्य में केवल अमहत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

(ii) "अन्य आस्तियों" के अन्तर्गत निर्माण अवधि के दौरान लिए गए पूंजीगत व्यय को शामिल किया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर घटते शेष प्रणाली के अनुसार ह्रास का प्रावधान किया गया है, सिवाय एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों से संबंधित ह्रासमान के, जहां भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 33.33% की दर पर सीधी रेखा पद्धति में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

(iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से लाभ-हानि खाते में अन्तरित की गई है।

(v) पट्टे वाली भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि तक किया गया है।

(vi) विदेशी शाखा की स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान उस देश में प्रचलित प्रयोज्य कानूनों के अनुसार किया गया है।

7. अगोचर आस्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)

(i) कम्प्यूटर हेतु साफ्टवेयर जो विशेष साफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता संबंधित हार्डवेयर का एक अगोचर अंश है तथा उसे

(ix) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.

(x) As per the RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

- **Hedge Swaps**

Interest rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.

Gain or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

- **Trading Swaps**

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

6. Fixed Assets and Depreciation

(i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain Premises, which are stated at their revalued amount. Selection of assets for revaluation is based on a systematic basis. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the market value at the Balance Sheet date. Some of the premises of the Bank experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating frequent valuation. However, such frequent valuation is not done for items of premises with only insignificant changes in fair value.

(ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under 'Other Assets'.

(iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs & Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per RBI guidelines.

(iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.

(v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.

(vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

7. Intangible Assets (Computer Software)

(i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an intangible part of related hardware

अचल आस्ति समझा गया है। जहां साफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, कम्प्यूटर साफ्टवेयर को अगोचर आस्ति समझा गया है।

- (ii) विक्रेता से लिए गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर को केवल तभी अगोचर आस्ति के रूप में समझा गया है, जब साफ्टवेयर का मूल्य / लागत रु. 10 लाख से अधिक है। ऐसी अगोचर आस्तियों का परिशोधन 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन, उसकी प्रभावी आयु तक किया जाता है।

8. राजस्व अभिज्ञान :

निम्नलिखित को छोड़कर आय तथा व्यय का लेखा उपचित आधार पर किया गया है:

- (i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली सीमा तक माना गया है।
- (ii) आय कर तथा ब्याज कर की वापसी राशि पर ब्याज से आय को, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के वर्ष हेतु लेखा में शामिल किया गया है।
- (iii) फोलोऑन सार्वजनिक निर्गम को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इसे पांच वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन :

9.1 भारत से बाहर शाखाएं / कार्यालय

- (i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।
 - मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकिस्मक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पोर्ट दरों पर।
 - राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपिपरवर्तित की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व’ में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पोर्ट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।
 - राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि लेखा में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, Computer software is recognised as an Intangible Asset.

- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

8. Revenue Recognition :-

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.
- (iii) Expenditure on Follow on Public Offer is considered as Deferred Revenue Expenditure and is amortised over a period of five years.

9. Transactions involving Foreign Exchange:

9.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as “Non-integral Foreign Operations” and their financial statements are translated as follows:
 - Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - All resulting exchange difference is accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as “Integral Foreign Operations” and their financial statements are accounted for as follows:
 - All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
 - Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
 - All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.
- (iii) Advances will be classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

9.2 भारत में शाखाएं

- (i) विदेशी मुद्रा शेष चाहे आस्ति अथवा देयता (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना आदि के अन्तर्गत संग्रहित जमा राशियों सहित) हो तथा बकाया वायदा विनिमय संविदा को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा यथा सूचित तिमाहि अंत दरों पर परिवर्तित किया गया है।

वायदा विनिमय संविदा के पुनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ /हानि तथा नोस्ट्रो खाते एफ ई डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व में लिए गए हैं।

- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय और व्यय की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को प्रयोग कर संपरिवर्तित किया जाता है।
- (iii) स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और गारंटियों सहित अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडआई द्वारा सूचित प्रचलित दर पर आंका जाता है।

10. अग्रिम :

- (i) भा.रि.बैंक द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों को अर्जक तथा अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें अनर्जक अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल रूप में दिखाया गया है।
- (ii) तथापि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उत्पादक) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएं एवं प्रावधान" में शामिल किया गया है।

11. कर्मचारी लाभ :

- (i) कर्मचारियों के लाभ के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) कर्मचारी लाभ का प्रयोग किया है।
- (ii) दीर्घकालिक निर्धारित कर्मचारी लाभ की देयता - पेंशन (नई), पेंशन(पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अवकाश किराया रियायत, बीमारी छुट्टी का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा बीमांकिक मूल्यन पर निकाला जाता है। इस प्रकार निर्धारित देयता पेंशन(नई) के मामले में निधिक है और अन्य मामलों में इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- (iii) भविष्य निधि के संबंध में अवधि हेतु किए गए अंशदान को व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को, सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ हानि लेखा में, गैर-बट्टाकृत राशि पर व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।
- (iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के तहत ग्रेच्युटी तथा पेंशन से संबंधित अनुग्रह राशि तथा अतिरिक्त अंशदान हेतु व्यय को भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

9.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

10. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.
- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

11. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits - Pension (New), Pension (Old), Gratuity, Leave Encashment, Leave Fare Concession and Sick Leave are determined on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Credit method. Liability so determined is funded in the case of Pension (New) and Gratuity, and provided for in other cases.
- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.
- (iv) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.
- (iv) Expenditure towards ex-gratia and additional contribution in respect of gratuity and pension under Voluntary Retirement Scheme (VRS) is treated as Deferred Revenue Expenditure amortized over a period of five years in terms of RBI guidelines.

12. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 “प्रति शेयर अर्जन” के अनुसार की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर बेसिक अर्जन की गणना अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निवल आय को भाग करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

14. आय पर कर

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर-मैट सहित) और आस्थगित कर, दोनों हेतु किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दर और कर कानूनों का प्रयोग करके किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बनाए जाने वाले कर कानूनों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्तियों का अभिज्ञान तब तक नहीं किया जाता जब तक कि “वास्तव में निश्चित” हो कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्तियों पर केवल तब ही एवं उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जब ऐसा ठोस प्रमाण हो कि कंपनी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

12. Lease

Rentals received by the Bank are recognized in the profit and loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings per share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14. Taxes on Income

- (i) Provision for tax is made both current Tax (including Minimum Alternate Tax – MAT) and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.
- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as assets only when there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period.

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
 - (ii) बैंक के वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 31.03.2010 को सकल अनुपयोग्य अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से अधिक रु. 48.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 48.00 करोड़) का अतिरिक्त विवेक सम्मत चल प्रावधान किया गया।
 2. (i) अंतर शाखा समाधान के अंतर्गत प्रविष्टियों का आरंभिक मिलान 31.03.2010 तक किया गया है। शाखा समायोजन खाते में शेष के साथ तथा प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं सहित शाखाओं की आपस में बेमेल प्रविष्टियों का समाधान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 30.09.2009 तक की अवधि की अंतर शाखा लेखा की नामे तथा जमा प्रविष्टियों के पृथक्करण तथा 31.03.2010 तक के शेष बकाया का परिणाम निवल जमा के रूप में रहा, अतः कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
 - (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं नोस्ट्रो खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा।
- उपर्युक्त क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति को देखते हुए प्रबंधन का मन है कि बैंक की खातों पर समाधान का प्रभाव, यदि हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा।
3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु बैंक द्वारा रु.1322.93 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 753.18 करोड़) (आस्थगित कर सहित) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
 4. (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः रु. 125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), रु. 370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा रु. 298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण रु. 4.68 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 4.93 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 मद (vii) में "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
 - (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
 - (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
 - (iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं :
- क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियां जिनकी मूल लागत रु. 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष रु.0.86 करोड़) है।
 - ख. आनंद लोक, नई दिल्ली में एक पट्टाधारित संपत्ति जिसकी मूल लागत रु.23 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 0.31 करोड़ कीराशि आनंदलोक, नई दिल्ली और डिफेंस कालोनी नई दिल्ली में स्थिति दो संपत्तियों से संबंधित थी)

NOTES ON ACCOUNT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. (i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
 - (ii) Prudential Floating Provision of Rs.48.00 Crores (Previous Year Rs.48.00 Crores) is held as at 31.03.2010 in respect of gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthen the financial stability of the Bank.
 2. (i) Under Inter-Branch reconciliation, initial matching of entries has been done upto 31.03.2010. Reconciliation of unmatched entries with the balance in Branch Adjustment account and transactions between Head Office and branches including branches inter-se is in progress. Further, in terms of RBI's circular, segregation of debit and credit entries in Inter Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2009 and remaining outstanding as on 31.03.2010 have resulted in net credit, hence no provision is required.
 - (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress.
- Since substantial progress has made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to Rs.1322.93 Crores (previous year Rs. 753.18 Crores) held is considered adequate after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
 4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to Rs. 125.99 Crores (commercial and residential), Rs.370.08 Crores (commercial and residential) and Rs. 298.32 Crores (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of Rs.4.68 Crores (previous year Rs.4.93 Crores) due to revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (vii).
 - (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where cost of land is not available.
 - (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
 - (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
- a. 2 residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneshwar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of Rs.0.86 Crores (Previous year Rs.0.86 Crores).
 - b. 1 leasehold property at Anandlok, New Delhi with original cost amounting to Rs. 0.23 Crores (previous year Rs.0.31 Crores) pertaining to 2 properties situated at Anand lok, New Delhi & Defence Colony, New Delhi).

(iv) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नवत है :-

(v) Other Assets include intangible assets, details of which are as under :

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

विवरण / Particulars	2009-10	2008-09
अथ शेष \ Opening Balance	12.38	12.85
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Additions during the year	10.04	2.73
वर्ष के दौरान परिशोधित \ Amortized during the year	2.37	3.20
इति शेष \ Closing Balance	20.05	12.38

5. (i) रु.0.44 करोड़ (विगत वर्ष रु.0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश रु. 849.82 करोड़ (विगत वर्ष रु. 657.24 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 9.78 करोड़ (विगत वर्ष रु. 228.70 करोड़) की राशि, जो कि “हेल्ड टू मैच्युरिटी” श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(C)(i), में उल्लिखित है, “हेल्ड टू मैच्युरिटी” श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर रु. 112.32 करोड़ (विगत वर्ष रु.91.30 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भारि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के “निवेश से आय” शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।
6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।
7. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी प्राधिकृत पूंजी को रु.1500 करोड़ से बढ़ाकर रु.3000 करोड़ किया है। यह कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने के संबंध में दिनांक 10 नवम्बर 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार किया गया। वृद्धि के अनुसरण में वर्तमान प्राधिकृत पूंजी में रु.10/- प्रति शेयर मूल्य के 150 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं और शेष प्राधिकृत पूंजी का वर्गीकरण प्रबंधन द्वारा यथासमय निर्धारित किया जाएगा।
8. वर्ष के दौरान, बैंक ने 8.45% प्र.व. की दर से 120 माह की अर्थात् 4 अगस्त 2019 को परिपक्व होने वाली अवधि हेतु रु.450 करोड़ के अप्रतिभूत गौण ऋण टियर II सीरीज IX बांड जुटाए हैं, 8.58% प्रति वर्ष की दर से 15 वर्ष अर्थात् 10 वर्ष के बाद मांग विकल्प के साथ 18 दिसम्बर 2024 को परिपक्व होने वाली अवधि हेतु रु. 500 करोड़ के अपर टियर II सीरीज बांड, और 9.08% प्रति वर्ष की दर से रु. 150 करोड़ के इन्नोवेटिव पेरपेच्युअल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट (आईपीडीआई) सीरीज II। पिछले वर्ष बैंक ने 9.28% प्रति वर्ष की दर से रु. 500 करोड़ के अप्रतिभूत अपर टियर II सीरीज बांड, 9.23% प्रति वर्ष की दर से रु. 400 करोड़ का गौण ऋण सीरीज VIII बांड और 9.20% प्रति वर्ष की दर से रु. 150 करोड़ के इन्नोवेटिव पेरपेच्युअल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट (आईपीडीआई) सीरीज I जुटाए।
9. अग्रिमों में अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र के कारण रु. शून्य (विगत वर्ष रु. 480.00 करोड़) की राशि शामिल है।
5. (i) In respect of Investments of face value of Rs.0.44 Crores (Previous year Rs.0.44 Crores) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs.849.82 Crores (Previous year Rs. 657.24 Crores).
- (iii) As per RBI guidelines, an amount of Rs. 9.78 Crores (Previous Year Rs.228.70 Crores) being an amount equivalent to post tax profit on sale of ‘Held to Maturity’ category securities is transferred to ‘Capital Reserve Account’.
- (iv) In respect of ‘Held to Maturity’ category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (C)(i), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounts to Rs.112.32 Crores (Previous year Rs.91.30 Crores) has been netted off from interest on investments and shown under “Income from Investments” in Profit and Loss Account in terms of RBI direction.
6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.
7. During the year, Bank has increased its authorized capital from Rs. 1,500 Crores to Rs. 3,000 Crores. This has been pursuant to Govt. of India notification dated 10th November, 2009 enhancing the authorized capital of certain nationalized banks. Pursuant to the enhancement, the current authorized capital includes 150 Crores of equity shares of Rs. 10/- each and the classification of the balance authorized capital will be determined by the management in due course.
8. During the year, the bank has raised unsecured subordinated debt Tier II Series IX Bond of Rs. 450.00 Crores @ 8.45% for a period of 120 months i.e. maturing on 4th August 2019, Upper Tier II Series Bonds of Rs. 500.00 Crores @ 8.58% for a period of 15 years i.e. maturing on 18th December 2024 with Call Option after 10 years and Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series II of Rs. 150.00 Crores @ 9.08%. Previous year Bank raised Unsecured Upper Tier II Series I Bond to the tune of Rs. 500 Crores @ 9.28%, Subordinated Debt Series VIII Bond of Rs. 400.00 Crore @9.23% and Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series I of Rs.150.00 Crore @ 9.20%.
9. Advances include Rs.NIL (Previous year Rs. 480.00 Crores) on account of Inter Bank Participation Certificates.

10. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।

10.1 लेखा मानक 5 : अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व वर्ष की मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

10. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

10.1. Accounting Standard 5 : Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies.

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

विवरण \ Particulars	2009-10	2008-09
आय \ Income	(9.34)	5.27
व्यय \ Expenditure	3.03	8.09
निवल / Net	(12.37)	(2.82)

10.2 वेतन संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने तक वेतन बकाया की अनुमानित देयता हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन बकाया हेतु रु. 153 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 122 करोड़) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विवेकपूर्ण नीति के रूप में पेंशन देयता हेतु रु.47 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है।

10.2. The Bank has accounted for Employees' benefits as per Accounting Standard (AS)-15 (Revised). Pending Finalisation of wage revision, a provision of Rs. 153 Crores during the financial year 2009-10 (previous year Rs. 122 Crores) towards estimated liability of wage arrears has been made. Further, as a prudent policy, an ad-hoc provision of Rs. 47 Crore has been made towards pension liability.

10.3 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

10.3 Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18: List of Related Parties and Transactions

क) संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

a) The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lacs)

क्रमांक Sl.No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration 2009-10	2008-09
Existing Directors as on 31.3.2010				
1	श्री जे. पी. दूआ Shri J. P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	21.70	8.39
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यालय निदेशक Executive Director	2.48	NIL
3	श्री एम. आर. नायक Shri M. R. Nayak	कार्यालय निदेशक Executive Director	1.92	NIL
4	श्री प्रसाद अकोलकर Shri Prasad Akolkar	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आल बैंक फाइनेंस लि. Managing Director and CEO of AllBank Finance Ltd.	11.62	15.96
भू. पू. निदेशक \ Ex Directors				
1	श्री के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	17.69	5.42
2	श्री ए. सी. महाजन Shri A. C. Mahajan	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	6.69	12.83
3	श्री ओ. एन. सिंह Shri O. N. Singh	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	1.37	0.91
4	श्री एस. के. गोयल Shri S. K. Goel	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-Executive Director	3.53	3.20
5	श्री के. के. अग्रवाल Shri K K Agarwal	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-Executive Director	14.31	8.39

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

ख) अनुषंगी कंपनी : युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंसन कं. लि. के साथ किए गए लेनदेन का विवरण निम्नांकित है :

विवरण \ Particulars	2009-10	2008-09
अर्जित आय \ Income Earned	5.49	1.90
प्रदत्त बीमा प्रीमियम \ Insurance Premium Paid	2.98	0.54

ग) अनुषंगी कंपनी :

i) ऑल बैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

घ) संयुक्त उद्यम :

i) एसएसआईसी(इंडिया) लि.

ङ) एसोसिएट्स :

i) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।

ii) शारदा ग्रामीण बैंक

iii) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.

* वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समामेलित कर "इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक" के नाम से एक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गठित किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35% के शेयर हैं और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी में 30% के शेयर हैं।

अनुषंगियों एवं एसोसिएट्स के साथ लेनदेन का खुलासा (एसएस) - 18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा भी नियंत्रित हैं।

10.4 पट्टा प्रकटीकरण

क) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग :

31.03.2010 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

मौजूदा पट्टा अवधि \ Existing Lease period	Amount Payable	
	2009-10	2008-09
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	36.11	33.75
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	94.66	78.59
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	37.13	23.78

इसकी अनुषंगी के संबंध में, पट्टा लेखा मानक प्रयोज्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने 01.04.2001 के बाद कोई पट्टा संस्वीकृत नहीं किया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

b) Transactions with associate company Universal Sampo General Insurance Company Limited. are as follows:

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

c) Subsidiary:

i) All Bank Finance Limited (wholly owned)

d) Joint Venture:

i) ASREC (India) Ltd.

e) Associates:

i) Allahabad U P Gramin Bank*

ii) Sharda Gramin Bank

iii) Universal Sampo General Insurance Company Limited

*During the financial year 2009-10 two Regional Rural Banks namely Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Triveni Kshetriya Gramin Bank amalgamated to form a new RRB named "Allahabad U P Gramin Bank".

The Bank is holding 35% shares of the above Associated Regional Rural Banks and 30% shares of Universal Sampo General Insurance Company limited.

The transactions with the subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

10.4. Lease Disclosure:

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

i) The total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2010

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

- ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)
- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टा भुगतान : रु. 60.75 करोड़ (पिछले वर्ष रु.48.58 करोड़)
- iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त(अथवा प्राप्य) उप-पट्टे का भुगतान :शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

- ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancelable subleases at the balance sheet date: Nil (Previous Year: Nil)
- iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs.60.75 Crores (Previous Year: Rs.48.58 Crores)
- iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Nil (Previous Year: Nil)

ख) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है ।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

10.5. प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (एएस) 20:

10.5. Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2009-10 हेतु	वर्ष 2008-09 हेतु
SI No.	Particulars	For the year 2009-10	For the year 2008-09
A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share	Rs. 27.50	Rs. 17.70

10.6 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

10.6. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में रु. 11.10 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे रु. 8.58 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

During the year, an amount of Rs. 11.10 Crores (Net) (Previous year net debit Rs.8.58 Crores) has been debited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़/(घटाव) Adjustment Add/(Less)		वर्ष के अंत में At the close of the Year	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
आस्थगित कर आस्तिया / Deferred Tax Assets						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	Nil	2.61	Nil	(2.61)	Nil	Nil
बीमारी छुट्टी हेतु प्रावधान / Provision for Sick Leave	0.65	0.00	0.58	0.66	1.23	0.65
पेंशन (पुरानी) हेतु प्रावधान / Provision for Pension(old)	6.99	1.59	(3.33)	5.40	3.66	6.99
एलएफसी हेतु प्रावधान / Provision for LFC	2.12	0.00	(2.12)	2.12	Nil	2.12
अन्य / Others	0.54	0.53	0.00	0.01	0.54	0.54
कुल / Total	10.30	4.73	(4.87)	5.58	5.43	10.30
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास / Depreciation of Fixed Assets	1.34	1.07	(1.34)	0.27	0.00	1.34
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	21.29	12.61	7.52	8.69	28.81	21.29
अन्य / Others	0.54	0.53	0.05	0.01	0.59	0.54
कुल / Total	23.17	14.21	6.23	8.97	29.40	23.17
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	12.87	9.48	11.10	3.39	23.97	12.87

10.7 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2010 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

10.8 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) :

10.7. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2010 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

10.8. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

Movement of Provision for Liabilities (Closing Balance):

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2010	को यथास्थिति As on 31.03.2009
(a) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	751.65	502.27
(b) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	251.80	430.30
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Assets	280.98	277.01
(d) आयकर हेतु प्रावधान / Provision towards Income Tax	1294.24	740.31
(e) आस्थगित कर आस्ति / देयता / Deferred Tax (Assets) / Liabilities	23.22	12.87
(f) अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax	26.04	26.04
(g) अन्य / Others	641.76	621.97
कुल / Total	3269.69	2610.77

10.9. खंडवार सूचना : लेखा मानक (एएस) 17

10.9. Segment Information: Accounting Standard (AS) 17

(रु. करोड़ में) / (Rs. in Crore)

विवरण \ Description	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2010 समेकित \ Consolidated (लेखापरीक्षित) \ (Audited)	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2009 समेकित \ Consolidated (लेखापरीक्षित) \ (Audited)
---------------------	--	--

भाग क . व्यवसाय खंड / PART - A Business Segment

a) राजस्व खंड / Segment Revenue

i) ट्रेजरी / Treasury	2608.47	2482.87
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	4276.43	3213.16
iii) रिटेल बैंकिंग / Retail Banking	2766.23	2760.60
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय / Other Banking Business	261.53	71.88
कुल / Total	9912.66	8528.51

घटाएँ: अंतर राजस्व खंड / Less : Inter Segment Revenue 0.00 0.00

निवल बिक्री/परिचालन से आय / Net Sales/Income from Operation 9912.66 8528.51

b) खंड परिणाम (लाभ) / Segment Results (Profit)

i) ट्रेजरी / Treasury	140.30	431.43
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	1080.39	691.43
iii) रिटेल बैंकिंग / Retail Banking	1114.57	732.98
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय / Other Banking Business	238.30	67.18
कुल (परिचालन लाभ) / Total (Operating Profit)	2573.56	1923.02

घटाएँ: / Less :

i) ब्याज / Interest	0.00	0.00
ii) आबंटित न किए जा सकने वाले अन्य व्यय / Other Un-allocable Expenditure	777.32	824.18
iii) आबंटित न की जा सकने वाली अन्य आय / Other Un-allocable income	0.00	0.00

कर पूर्व कुल लाभ / Total Profit Before Tax 1796.24 1098.84

आयकर / Income Taxes 567.78 308.37

निवल लाभ / Net Profit 1228.46 790.47

विवरण \ Description	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2010 समेकित \ Consolidated (लेखापरीक्षित) \ (Audited)	को समाप्त वर्ष \ Year ended 31-03-2009 समेकित \ Consolidated (लेखापरीक्षित) \ (Audited)
c) खंड आस्तियां-खंड देयताएं / Segment Assets/ Liabilities		
खंड आस्तियां / Segment Assets		
i) ट्रेजरी / Treasury	39911.79	30141.74
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	53803.56	43829.84
iii) रिटेल बैंकिंग / Retail Banking	26865.95	22566.68
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय / Other Banking Business	208.08	181.49
vi) अनाबंटित आस्तियां / Unallocated Assets	1117.91	1109.75
कुल आस्तियां / Total Assets	121907.29	97829.50
खंड देयताएं / Segment Liabilities		
i) ट्रेजरी / Treasury	38046.62	28661.11
ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	51289.19	41676.80
iii) रिटेल बैंकिंग / Retail Banking	25607.51	21454.77
iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय / Other Banking Business	0.00	0.00
कुल / Total	114943.32	91792.68
पूंजी एवं आरक्षित निधि / Capital & Reserves	6963.97	6036.82
कुल देयताएं / Total Liabilities	121907.29	97829.50
भाग ख . भौगोलिक खंड / PART - B Geographic Segment		
a. राजस्व / Revenue		
i. घरेलू / Domestic	9863.60	8512.75
ii. अंतरराष्ट्रीय / International	49.06	15.76
iii. कुल / Total	9912.66	8528.51
b. आस्तियां / Assets		
i. घरेलू / Domestic	120092.21	96690.10
ii. अंतरराष्ट्रीय / International	1815.08	1139.40
iii. कुल / Total	121907.29	97829.50

खंड सूचना पर टिप्पणी :

- समेकित खंड रिपोर्टिंग में अनुषंगी कंपनी, एक गैर-बैंकिंग संस्था के व्यवसाय को अवशेष व्यवसाय के रूप में माना गया है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एसए17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुरूप सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्
 - ट्रेजरी परिचालन
 - कारपोरेट/थोक बैंकिंग
 - रिटेल बैंकिंग
 - अन्य बैंकिंग व्यवसाय
- भौगोलिक खंड को (क) घरेलू और (ख) अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकृत किया गया है।
- सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन में निवेश माना गया है।

Notes to Segment Information:

- The business of the subsidiary company, a non-banking entity has been considered as residual business in consolidated segment reporting.
- For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into four segments, viz.
 - Treasury Operations,
 - Corporate / Wholesale Banking
 - Retail Banking
 - Other Banking business
- Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International.
- Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations.

- किसी खंड विशेष से सीधे जुड़े व्यय, आस्तियों और देयताओं को संबंधित खंड को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे खंड को प्रस्तावित नहीं करती हैं उन्हें प्रबंधित व्यवसाय के अनुपात में आबंटित किया गया है।

11 आकस्मिक देयताएँ:

- तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं। आल बैंक फाइनेंस लि. की आकस्मिक देयताओं से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं
- विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में विवादित आयकर जहां कंपनी को रु.12.09 करोड़ (पिछले वर्ष 22.19 करोड़) की रकम प्राप्त होने की संभावना है। 31.03.2010 को यथास्थिति रु.9.87 करोड़ (पिछले वर्ष रु.7.80 करोड़) की राशि अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर और प्राप्त आयकर रिफंड के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि करनिर्धारण और अपील के विभिन्न चरणों में समायोजन हेतु लंबित है।
- कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए दावे: रु.11.76 करोड़ (पिछले वर्ष रु.11.76 करोड़)
- 11.1 आल बैंक फाइनेंस लि. के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार, मे. वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को आल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को बैंक के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से बैंक शेयरों का स्वामी बन गया है और उसके बाद उन शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया।
- 11.2 पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम छोड़कर) रु.38.67 करोड़ (विगत वर्ष रु.61.93 करोड़) है।
- 11.3 अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलनपत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
- 11.4 कृषि ऋण राहत योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा बकाया अंश के 75% का भुगतान करने की तिथि 30.06.2010 तक बढ़ाई गई है। पात्र अन्य किसानों को एक या अधिक किस्तों में 30.06.2010 तक बकाया को चुकाने की अनुमति दी गई है। अतः योजना के अंतर्गत पात्र अन्य किसानों के ऋण खातों को मानक आस्ति माना गया है।

जहाँ आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित या पुनःवर्गीकृत किया गया है।

- Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed.

11. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively. Additional comments in respect of contingent liabilities of AllBank Finance Limited are as follows:

- Disputed Income Tax in respect of matters pending before various appellate authorities where the Company expects to succeed amounts to Rs. 12.09 Crores (Previous Year Rs. 22.19 Crores). As on 31.03.2010, Rs. 9.87 Crores (Previous Year Rs. 7.80 Crores) have been shown as advance income tax, tax deducted at source, and income tax refund receivable. This amount is pending adjustment at various stages of assessment and appeal.
- Claims against the Company not acknowledged as Debts : Rs.11.76 Crores (Previous Year Rs. 11.76 Crores)
- 11.1 In respect of AllBank Finance Limited, as per the order of Hon'ble Special court, the delivery of shares on 13.05.1992 by M/s V. B Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Bank. Accordingly, the Bank became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the above-mentioned order, the acquisition of the shares has been considered as long term investment.
- 11.2 Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) Rs. 38.67 Crores (Previous Year Rs. 61.93 Crores).
- 11.3 Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
- 11.4 Under Agriculture Debt Relief Scheme, the last date for payment of 75% of the overdue portion by the farmers has been extended up to 30.06.2010. The eligible other farmers are allowed to repay the amount in one or more instalments up to 30.06.2010. Hence, the loan accounts of other farmers, who are eligible under the scheme, have been considered as standard assets.

Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी तथा इसके हित वाले एसोसिएट्स की समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इलाहाबाद बैंक

1. हमने यथास्थिति 31 मार्च, 2010 को इलाहाबाद बैंक (बैंक), इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स (समूह) के संलग्न तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित लेखा।
 - ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित एक अनुषंगी और दो एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित लेखा और एक संयुक्त उद्यम तथा एक एसोसिएट कंपनी के अलेखापरीक्षित लेखा।

इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है और इन्हें प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणों तथा इसके संघटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

2. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा करें कि क्या ये वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि को समर्थित करने वाले साक्ष्यों की जांच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्राक्कलनों के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
3. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:
 - i) एक अनुषंगी जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2010 को रु. 52.60 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 10.69 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।
 - ii) एसोसिएट्स में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरबीबी) शामिल हैं, जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2010 को रु. 6280.92 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 394.86 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है। एक एसोसिएट कंपनी, जो बीमा कंपनी है अलेखापरीक्षित है जिसकी कुल आस्तियां रु. 332.26 करोड़ और कुल राजस्व 26.51 करोड़ है।
 - iii) एक संयुक्त उद्यम जो एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और यथास्थिति 31 मार्च 2010 को रु. 115.45 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 11.44 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।
4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” और लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा” तथा लेखा मानक 27 “संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” की अपेक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
5. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने तथा लेखा टिप्पणियों के अध्यक्षीन अर्थात् नोट सं. 2(i) और 2(ii), अंतर शाखा खातों की बेमेल प्रविष्टियों के तुलन/समाकलन, उक्त नोट में यथावर्णित विभिन्न लेखाशीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के तुलन/समाकलन और समाशोधन के लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखकर हमारा अभिमत है कि:
 - (i) समेकित तुलनपत्र यथास्थिति 31 मार्च 2010 को समूह की समेकित स्थिति की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है; एवं
 - (ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह के प्रचालनों के समेकित परिणामों की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।
 - (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र, विवरण-पत्र की अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।

कृते मे.वेंकट एंड रंगा
सनदी लेखाकार
(एस. मणिशेखरन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 26400
फर्म पंजीकरण संख्या 004597S

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं.
सनदी लेखाकार
(श्रीकान्त जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं 39461
फर्म पंजीकरण संख्या 110512w

कृते मे. पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(पी.एस.पंडा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51092
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E

कृते मे. एम.आर. नारायण एंड कं.
सनदी लेखाकार
(एम.एन. वेंकटेशन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 22993
फर्म पंजीकरण संख्या 002330S

कृते मे. एस.घोष एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(चंदन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51254
फर्म पंजीकरण संख्या 302184E

कृते मे. के.एम. अग्रवाल एंड कं
सनदी लेखाकार
(मीनाक्षी गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता सं. 92834
फर्म पंजीकरण संख्या 0853N

स्थान : कोलकाता
दिनांक : अप्रैल 30, 2010

Auditors' Report on the Consolidated Financial statements of Allahabad Bank, its subsidiary and its interests in associates and Joint Ventures

To,

The Board of Directors

Allahabad Bank

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Allahabad Bank (the Bank), its subsidiary, associates and joint venture (the Group) as at 31st March 2010 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date in which are incorporated:

- i. Audited accounts of the Bank audited by us
- ii. Audited accounts of one subsidiary, two associates audited by other auditors and unaudited accounts of one joint venture and one associate company.

These financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material mis-statements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We did not audit the financial statements of:

- i. One subsidiary, whose financial statements reflect total assets of Rs. 52.60 Crore as at 31st March 2010 and total revenues of Rs. 10.69 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary, is based solely on the report of the said auditor.
- ii. Associates that included two Regional Rural Banks (RRBs) whose financial statements reflect total assets of Rs. 6280.92 crore as at 31st March 2010 and total revenues of Rs. 394.86 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of these associates, is based solely on the report of the said auditors. The financial statements of one associate company, which is an insurance company is un audited, whose total asset is Rs 332.26 Crore and revenue of Rs 26.51 crore.
- iii. One joint venture which is an asset reconstruction company, whose financial statements are unaudited and reflect total assets of Rs. 115.45 Crore as at 31st March 2010 and total revenues of Rs. 11.44 Crore for the year ended on that date

4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 "Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.

5. Based on our audit and consideration of reports of other auditors on separate financial statements and also subject to Notes on Accounts i.e. Note No. 2(i) & 2(ii) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in Inter Branch Accounts, balancing / reconciliation and clearance of outstanding entries in various head of accounts as stated in the said notes, we are of the opinion that:

- i. The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the consolidated state of affairs of the Group as at 31st March 2010;
- ii. The Consolidated Profit and Loss Account gives a true and fair view of the consolidated results of operations of the Group for the year ended on that date; and
- iii. The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of cash flows of the Group for the period covered by the statement.

For **M/S. Venkat & Rangaa**
Chartered Accountants
(S. Manisekaran)
Partner
Membership No. – 026400
Firm ICAI Reg.No:004597S

For **M/S. Sudit K. Parekh & Co.**
Chartered Accountants
(Srikant Jilla)
Partner
Membership No. 39461
Firm ICAI Reg.No: 110512W

For **M/S. P.A. & Associates**
Chartered Accountants
(P.S.Panda)
Partner
Membership No. – 51092
Firm ICAI Reg.No:313085E

For **M/S. M. R. Narain & Co.**
Chartered Accountants
(M.N. Venkatesan)
Partner
Membership No. - 22993
Firm ICAI Reg.No:002330S

For **M/S. S Ghose & Co.**
Chartered Accountants
(Chandan Chattopadhyay)
Partner
Membership No. – 51254
Firm ICAI Reg.No: 302184E

For **M/S. K.M. Agarwal & Co.**
Chartered Accountants
(Meenakshi Gupta)
Partner
Membership No. – 92834
Firm ICAI Reg.No: 0853N

Place: Kolkata
Date: April 30, 2010

ऑलबैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकगण एतद्वारा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष में अर्जित रु. 9,41,70,706/- के करपश्चात लाभ के सापेक्ष रु. 7,14,92,466/- का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार हैं :

	31.03.2010	31.03.2009
सकल राजस्व \ Gross Revenue	10,69,33,627	11,83,79,563
कुल व्यय \ Total Expenses	1,06,25,793	1,22,57,857
कर पूर्व लाभ \ Profit Before tax (PBT)	9,63,07,834	10,61,21,706
कर हेतु प्रावधान \ Provision for tax	2,48,00,000	1,19,51,000
कर पश्चात लाभ \ Profit after tax	7,14,92,466	9,41,70,706

लाभांश

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशकों ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

जनरल रिजर्व में अंतरण

कंपनी(ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिजर्व) नियम, 1975 के अनुसार निदेशकगण चालू वित्तीय वर्ष के लाभ में से रु. 7,14,92,466/- की रकम जनरल रिजर्व में अंतरित करने का प्रस्ताव करते हैं।

परिचालन

वर्ष में अधिकांश समय तक प्रमुख बाजारों में मंदी का दौर रहा। तथापि, वर्ष के अंत में इसमें सुधार के संकेत मिले थे। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों द्वारा बड़े आकार के इश्यू लाने से ऋण बाजार अधिक सक्रिय बना रहा। संस्थागत निवेशकों में कर मुक्त बांड भी लोकप्रिय बने रहे। इस परिदृश्य की पृष्ठभूमि में आपकी कंपनी ने ऋण समूहन पर ध्यान केंद्रित किया और रु.70,00,000/- का राजस्व अर्जित किया।

आपकी कंपनी ने रु.3,42,42,648/- की निवेश जनित आय प्राप्त की जिसका मुख्य श्रेय स्थिर आय प्रतिभूतियों पर ब्याज और लाभांश को जाता है। अनुकूल बाजार परिदृश्य का लाभ उठाते हुए आपकी कंपनी ने इक्विटी निवेश के निपटान द्वारा रु.1,63,49,564/- की मुनाफा वसूल भी की।

कंपनी के राजस्व का पर्याप्त अंश ब्रोकरेज आय(एमएफ यूनिट) अर्थात् रु.5,81,60,085/- है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने फरवरी 2010 में सेबी से 'डिबेंचर ट्रस्टीशिप' गतिविधियों हेतु रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है। आपकी कंपनी नई गतिविधि से राजस्व अर्जित करने का प्रयास करेगी।

वर्तमान वर्ष की संभावनाएँ

अनुकूल शेयर बाजार परिस्थितियों और समस्त क्षेत्रों में समग्रतः आर्थिक विकास की संभावनाओं के चलते आपकी कंपनी को शुल्क आधारित गतिविधियों से काफी अधिक आय प्राप्त होने की संभावना है। इक्विटी और ऋण बाजार दोनों क्षेत्रों में गतिशीलता के साथ आपकी कंपनी इश्यू प्रबंधन, ऋण समूहन और हाल ही में शुरू की गई ट्रस्टीशिप गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

DIRECTORS' REPORT

The Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2010.

FINANCIAL RESULTS

During the year under review, your company earned profit after tax of Rs. 7,14,92,466/- as against Rs.9,41,70,706/- in the previous year. The summary of the financial results is as follows:

DIVIDEND

Directors do not recommend any dividend for the year ended 31st March, 2010.

TRANSFER TO GENERAL RESERVE

Directors propose to transfer a sum of Rs. 7,14,92,466/- to general reserve out of the current year profits in accordance with the company's (transfer of profit reserve) Rules, 1975.

OPERATIONS

Primary markets remained dull for major part of the year. However, towards the fag end of the year, there were signs of revival. On the other hand, Debt markets remained more active with many large size issues by Public Sector Undertakings and Banks. Tax free bonds were also popular amongst institutional investors. On the back drop of this scenario, your company focused on Debt syndication activities and earned revenue of Rs. 70, 00,000/-

Your company reported investment income of Rs. 3,42,42,648/- - which is largely attributed to interest on fixed income securities and dividends. Your company also resorted to profit booking amounting to Rs.1,63,49,564/- by disposed off equity investments taking advantage of favourable market conditions.

Brokerage income (MF units) constituted substantial portion of the revenue of the company viz, Rs 5,81,60,085/-.

During the year your company obtained registration for 'De-benture Trusteeship' activities from SEBI in February 2010. Your company will endeavor to generate revenue from the new activity.

OUTLOOK FOR THE CURRENT YEAR

Favourable stock market conditions and the expectations of overall economic growth across sectors are likely to provide opportunity to generate much higher revenues from the fee based activities of your company. With the momentum for both equity and debt market segment to continue, your company will play active role towards Issue Management, Debt Syndication and newly started Trusteeship activities.

सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन

आपकी कंपनी मर्वेन्ट बैंकिंग और अन्य प्रयोज्य पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी विभिन्न निदेशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन कर रही है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारी विवरण), नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की द्वाारा 217 (2ए) के तहत नहीं आता है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकीय अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं बहिर्गमन

इस शीर्ष के अंतर्गत कंपनी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

निदेशकगण

श्री के.आर. कामत द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का प्रभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप श्री जे.पी. दूआ, अप्रनि, इलाहाबाद बैंक ने ऑलबैंक फाइनेंस लि. के अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान श्री के.के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक भी 31.07.2009 को इलाहाबाद बैंक से सेवानिवृत्ति के कारण बोर्ड सेवानिवृत्त हो गए।

श्री ए.आर. नागप्पन, श्री डी.पी. खुल्लर और डा. सत्यदेव सिंह, बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकगण तीन वर्ष की अवधि पूरी करने पर 30 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री के.आर. कामत, श्री ए.आर. नागप्पन, श्री डी.पी. खुल्लर, डा. सत्यदेव सिंह और श्री के.के. अग्रवाल द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल में प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

श्री पी.के. गुप्ता, श्री आर.जी. शर्मा और श्री डी. सेनगुप्ता को 30 जुलाई 2009 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इलाहाबाद बैंक के नव नियुक्त कार्यपालनक निदेशक श्री डी. सरकार को 23 फरवरी 2010 से बोर्ड में शामिल किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 धारा 274(i)(जी) के अंतर्गत कंपनी के किसी निदेशक को अयोग्य नहीं पाया गया है।

कारपोरेट गवर्नेन्स

(क) बोर्ड बैठकें

वर्ष 2009-10 के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें हुईं और जिनमें बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया

COMPLIANCE OF SEBI GUIDELINES

Your company has complied with various guidelines, directives, circulars issued by SEBI pertaining to Merchant Banking and other applicable Capital Market related activities.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employees are covered under section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (particulars of Employees) Rules 1975.

COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS RULES 1988 CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGOINGS

The company has nothing to report under this head.

BOARD OF DIRECTORS

Consequent upon Shri K. R. Kamath taking over as CMD of Punjab National Bank, Shri J.P. Dua, CMD Allahabad Bank assumed charge of AllBank Finance Limited as its Chairman. Further during the year Shri K. K. Agarwal, Executive Director also retired on 31.07.2009 pursuant to his retirement from the services of Allahabad Bank.

Shri A. R. Nagappan, Shri D. P. Khullar and Dr. Satyadev Singh, Independent Directors on the Board, having completed the term of three years, retired on 30th July, 2009. The Board placed on record its appreciation for the services rendered by Shri K. R. Kamath, Shri A. R. Nagappan, Shri D. P. Khullar and Dr. Satyadev Singh and Shri K.K. Agarwal during their tenure as Directors of the Company.

Shri P. K. Gupta, Shri R. G. Sharma and Shri D. Sengupta were appointed as Independent Director w.e.f. 30th July, 2009. Shri D. Sarkar, newly appointed Executive Director of Allahabad Bank was inducted on the Board w.e.f. 23rd February, 2010.

No Director of the Company has been disqualified under section 274(i)(g) of the Companies Act, 1956.

CORPORATE GOVERNANCE

(a) Board Meetings:

During the year 2009-10 five Board meetings were held and attendance by Board members:

निदेशक Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	उपस्थिति Meetings attended
श्री के.आर. कामत (27.10.2009 को सेवानिवृत्त) / Shri K. R. Kamath (retired on 27.10.2009)	2	2
श्री जे. पी. दूआ (01.08.2009 को नियुक्त) / Shri J. P. Dua (appointed on 01.08.2009)	4	4
श्री के.के. अग्रवाल (31.07.2009 को सेवानिवृत्त) / Shri K. K. Agarwal (retired on 31.7.2009)	1	1
श्री ए.आर. नागप्पन (30.07.2009 को सेवानिवृत्त) / Shri A. R. Nagappan (retired on 30.7.2009)	1	1
श्री डी.पी. खुल्लर (30.07.2009 को सेवानिवृत्त) / Shri D., P. Khullar (retired on 30.7.2009)	1	1
डा. सत्यदेव सिंह (30.07.2009 को सेवानिवृत्त) / Dr. Satyadev Singh (retired on 30.7.2009)	1	-
श्री पी. के. गुप्ता / Shri P. K. Gupta	4	4
श्री डी. सेनगुप्ता / Shri D. Sengupta	4	2
श्री आर. जी. शर्मा / Shri R. G. Sharma	4	4
श्री डी. सरकार / Shri D. Sarkar	2	2
श्री एस. के. चक्रवर्ती / Shri S. K. Chakraborty	5	5
श्री ए. बी. भट्टाचार्य / Shri A. B. Bhattacharjee	5	4
श्री प्रसाद अकोलकर / Shri Prasad Akolkar	5	5

(ख) लेखापरीक्षा समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों से लेखापरीक्षा समिति गठित की है जिसमें श्री पी.के. गुप्ता, श्री आर.जी.शर्मा और श्री ए.बी. भट्टाचार्य शामिल हैं। वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के अनुसार है।

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) की अपेक्षानुसार निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में विचलन संबंधी समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं इन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है एवं निर्णय व प्राक्कलन किए हैं जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं समीक्षाधीन वर्ष हेतु कंपनी की सही एवं निष्पक्ष झलक एवं इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- निदेशकों ने धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए तथा कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रखरखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- निदेशकों ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु और सतत प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के उपबंध कंपनी पर लागू होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वर्ष 2009-10 हेतु मैसर्स डे. एंड बोस, सनदी लेखाकार कोलकाता को लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा कोई विनिर्दिष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

सामान्य

आपके निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सेबी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन हेतु उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के बैंकरों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और इलाहाबाद बैंक एवं इसके कर्मचारियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन हेतु उनकी सराहना करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से।

(प्रसाद अकोलकर) (जे.पी. दूआ)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

अध्यक्ष

स्थान: कोलकाता

दिनांक : 26 अप्रैल, 2010

(b) Audit Committee:

Your Company constituted Audit Committee of the members of the Board viz. Shri P. K. Gupta, Shri R. G. Sharma and Shri A. B. Bhattacharjee. Three meetings were held during the year. The scope of Audit Committee is as per Section 292A of the Companies Act, 1956.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors Responsibility Statement, it is hereby confirmed that:

- In the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2010, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to departures.
- The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for the year under review.
- The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The Directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March 2010 on a going concern basis.

AUDITORS

The provisions of Section 619(2) of the Companies Act, 1956 being applicable to the Company, the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. De & Bose, Chartered Accountants, Kolkata as Statutory Auditors of the Company for the year 2009-10.

MANAGEMENT'S REPLY TO THE AUDITORS REPORT

The Auditors made no specific qualification during the course of their audit.

GENERAL

Your Directors wish to place on record their gratitude to the Ministry of Finance, Government of India, SEBI, Comptroller and Auditor General of India for their valuable guidance.

Your Directors also wish to place on record their thanks to the Bankers of the Company and their appreciation for the assistance, support and guidance received from Allahabad Bank and its Employees.

Your Directors express their appreciation for the contribution made by the Company's Employees.

For on and behalf of the Board of Directors

(Prasad Akolkar)
MD & CEO

(J.P. Dua)
Chairman

Place: Kolkata

Date: 26th April, 2010

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2010

अनुसूची / Schedule		31.03.2010 (Rs)	31.03.2009 (Rs)
I. निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
I. शेयरधारकों की निधियां / Shareholders' Funds			
पूंजी / Capital	A	150,000,000	150,000,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves and Surplus	B	295,890,615	224,398,149
कुल / Total		445,890,615	374,398,149
II. निधियों का निवेश / APPLICATION OF FUNDS			
1 स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	C		
सकल ब्लॉक / Gross Block		50,963,265	51,714,268
घटाएं : मूल्यहास / Less : Depreciation		33,238,120	34,563,181
निवल ब्लॉक / Net Block		17,725,145	17,151,087
2 निवेश / Investments	D	334,240,825	268,577,078
3 चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
Current Assets, Loans & Advances			
विविध देनदार / Sundry Debtors	E	-	653,562
नकद एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	F	56,164,475	52,646,574
अन्य चालू आस्तियां / Other Current Assets	G	17,043,656	6,071,070
ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	H	100,864,115	79,924,087
		174,072,246	139,295,293
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान			
Less : Current Liabilities & Provisions			
चालू देयताएं / Current Liabilities	I	6,534,534	1,373,104
प्रावधान / Provisions	J	73,613,067	49,252,205
		80,147,601	50,625,309
निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets		93,924,645	88,669,984
कुल / Total		445,890,615	374,398,149
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	P		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	Q		

उपरोक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलनपत्र का अभिन्न अंग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.
यह तुलन-पत्र सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है
This is the Balance Sheet referred to in our report of even data.

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No. 54962

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / M D & CEO

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata
दिनांक / Dated : 26.04.2010

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010

	अनुसूची Schedule	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009 Rs.
आय /INCOME			
मर्चेन्ट बैंकिंग आय / Merchant Banking Income		7,000,000	13,533,290
म्युचुअल फंड वितरण ब्रोकरेज / MF Distribution Brokerage		58,160,085	17,034,417
निवेश आय / Investment Income	K	34,216,288	23,265,367
प्राप्त ब्याज / Interest Received	L	5,696,482	1,947,329
अन्य आय / Other Income	M	1,860,772	62,599,160
		106,933,627	118,379,563
व्यय / EXPENDITURE			
कार्मिकों पर व्यय / Personnel Expenses	N	3,403,627	3,412,793
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय / Administration & Other Expenses	O	7,058,497	8,730,197
अवक्षय/ Depreciation	C	163,669	114,867
		10,625,793	12,257,857
कर पूर्व लाभ / Profit Before Tax		96,307,834	106,121,706
कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation			
चालू कर / - Current Tax		24,800,000	11,900,000
अनुषंगी लाभ कर / - Fringe Benefit Tax		—	51,000
आय कर समायोजन / Income Tax Adjustment		(15,368)	—
कर पश्चात लाभ / Profit After Tax		71,492,466	94,170,706
अग्रानीत शेष / Balance Brought Forward		223,337,896	129,167,190
अग्रानीत शेष / Balance Carried Forward		294,830,362	223,337,896
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	P		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	Q		
आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य प्रति रु. 100) Earnings per Share [Face value Rs.100 each]			
मूल एवं डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर (अनुसूची क्यू के नोट 5 का संदर्भ लें) Basic and Diluted Earnings per Share [Refer to Note 5 on Schedule Q]			
		47.66	62.78

यह लाभ-हानि लेखा सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है।

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

This Schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस
For De & Bose

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No. 54962

जे.पी. दुआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / M D & CEO

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata
दिनांक / Dated : 26.04.2010

ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31 st March, 2010

	2009-10	2008-09
	रु. / Rs.	रु. / Rs.
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ		
Net Profit before Tax	96,307,834	106,121,706
समायोजन / Adjusted for :		
मूल्यहास / Depreciation	163,669	114,867
ब्याज आय / Interest Income	(16,673,832)	(2,743,704)
लाभांश आय-म्युचुअल फंड/Dividend Income - Mutual Fund	(6,558,693)	(16,172,775)
लाभांश आय-शेयर /		
Dividend Income - Shares	(278,500)	(1,419,096)
एनपीए हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं /		
Provision for NPA no longer required	(1,278,142)	(744,332)
व्यय हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं /		
Provision for Expenses no longer required	(6,750)	(5,636)
निवेश में अल्पहास हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं /		
Provision for Diminution in Investment no longer required	(26,809)	(21,142,704)
पूर्व अवधि की आय / Prior Period Income		(38,384,239)
एनपीए और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान /		
Provision for NPA and Doubtful debts		3,373,541
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad Debt written off	428,841	122,327
निवेश में अल्पहास हेतु प्रावधान /		
Provision for diminution in Investment	165,075	868
ओटीएस पर हानि / Loss on OTS		19,000
निवेश में अल्पहास की बिक्री पर लाभ /		
Profit on sale of Investments	(16,349,564)	(7,903,713)
निवेश के मूल्य में अल्पहास / Diminution in value of Investments		1,346,233
निवेश की बिक्री पर हानि / Loss on sale of Investments	26,360	1,765,018
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई आस्तियां		
Loss on sale of Fixed Assets/Assets written off	105,307	(40,283,038)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		
Operating Profit before Working Capital Changes	56,024,796	24,370,069
समायोजन / Adjusted for :		
ट्रेड और अन्य प्राप्य राशियाँ / Trade and Other Receivables	(2,440,410)	(915,245)
ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	(1,891,634)	(650,542)
ट्रेड एवं अन्य देय राशियाँ / Trade and Other Payables	4,729,408	397,364
परिचालन से अर्जित नकदी / Cash generated from Operations	56,422,160	25,264,919
घटाएं : भुगतान किया गया कर / Less : Tax paid	19,063,762	11,643,670
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी /		
Net Cash from Operating Activities (A)	37,358,398	13,621,249

ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

स्थिर आस्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	(843,034)	(58,030)
स्थिर आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आगम		
Proceeds from Sale of Fixed Assets		3,000
म्यूचुअल फंड में निवेश / Investments in Mutual Fund	(142,500,000)	(125,500,000)
निवेश की बिक्री से प्राप्त आगम		
Proceeds from Sale of Investments	184,795,925	240,975,171
शेयरों में निवेश / Investment in Shares	(1,687,575)	
बैंक की सावधि जमा में निवेश		
Investment to Fixed Deposit with Bank		(50,000,000)
गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश		
Investment in Non-Convertible Debentures	(40,000,000)	(50,000,000)
कर मुक्त बांड में निवेश / Investment in Tax Free Bond	(50,000,000)	(50,000,000)
ब्याज आय / Interest Income	9,644,153	249,627
लाभांश आय- शेयर / Dividend Income - Shares	278,500	1,419,096
लाभांश आय- म्यूचुअल फंड /		
Dividend Income - Mutual Funds	6,471,533	15,091,495
Net Cash (used in) Investing Activities (B)	(33,840,498)	(17,819,641)

ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी		
Net Cash from Financing Activities (C)	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल(कमी)/वृद्धि		
Net(Decrease)/Increase-Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	3,517,900	(4,198,392)
जोड़ें : नकदी और नकदी समतुल्य (अथ शेष)		
Add :Cash and Cash Equivalents (Opening Balance)	2,646,574	6,844,966
नकदी और नकदी समतुल्य (इति शेष)		
Cash and Cash Equivalents (Closing Balance)	6,164,474	2,646,574
नोट: / Note- 1 :		
नकदी और नकदी समतुल्य में निम्न शामिल है:		
Cash and Cash Equivalents include		
शेकड़ शेष / Cash in hand	5,675	1,028
अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष (चालू खाते में)		
Balance with Schedule Banks (Current Account)	6,158,800	2,645,546
	6,164,475	2,646,574

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित नकदी प्रवाह विवरण है

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No. 54962

स्थान : कोलकाता / Place : Kolkata
दिनांक / Dated : 26.04.2010

जे.पी. दुआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / M D & CEO

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ए' - पूँजी SCHEDULE 'A' – CAPITAL	31.03.2010 (रु.)(Rs.)	31.03.2009 (रु.)(Rs.)
* शेयर पूँजी / *SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत / Authorised		
100/- रु. प्रत्येक के 15,00,000 साधारण शेयर		
15,00,000 Ordinary Shares of Rs 100/- each	150,000,000	150,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं संदत्त		
Issued, Subscribed and Paid Up		
100/- रु. प्रत्येक के 15,00,000 साधारण शेयर		
15,00,000 Ordinary Shares of Rs 100/- each	150,000,000	150,000,000
(समस्त शेयर इलाहाबाद बैंक एवं इसके नामितियों के पास हैं)		
(All the Shares are held by Allahabad Bank and its nominees)	150,000,000	150,000,000
अनुसूची 'बी' - प्रारक्षितियां एवं अधिशेष SCHEDULE 'B' – RESERVES AND SURPLUS	31.03.2010 (रु.)(Rs.)	31.03.2009 (रु.)(Rs.)
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS		
सामान्य प्रारक्षितियां / General Reserve	1,060,253	1,060,253
लाभ एवं हानि लेखा Profit and Loss Account	294,830,362	223,337,896
	295,890,615	224,398,149

अनुसूची 'सी' - स्थिर आस्तियां
Schedule - 'C' FIXED ASSETS

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक / GROSS BLOCK				मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल ब्लॉक / NET BLOCK	
	01.04.2009 को As at 01.04.2009	परिवर्धन Additions	समायोजन Adjustments	31 मार्च 2010 को As at 31.03.2010	31.03.2009 को As at 31.03.2009	अवधि For the Period	समायोजन Adjustments	31.03.2010 को As at 31.03.2010	31.03.2010 को As at 31.03.2010	31.03.2009 को As at 31.03.2009
मूल्य आस्तियां TANGIBLE ASSETS										
लीज के अतिरिक्त अन्य आस्तियां ASSETS OTHER THAN ON LEASE										
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture and Fixtures	530,705	86,858	136,778	480,785	363,235	22,408	123,231	262,412	218,373	167,470
कार्यालय उपकरण Office Equipments	1,816,528	119,133	342,105	1,593,556	1,440,012	102,880	317,750	1,225,142	368,414	376,516
मोटर वाहन Motor Vehicles		595,043		595,043		29,581		29,581	565,462	-
	2,347,233	801,034	478,883	2,669,384	1,803,247	154,869	440,981	1,517,135	1,152,249	543,986
लीज पर प्रदत्त आस्तियां ASSETS GIVEN ON LEASE										
प्लांट एवं मशीनरी Plant and Machinery	30,346,679			30,346,679	28,103,899			28,103,899	2,242,780	2,242,780
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture and Fixtures	609,308			609,308	574,310			574,310	34,998	34,998
कार्यालय उपकरण Office Equipments	17,295,894			17,295,894	3,033,976			3,033,976	14,261,918	14,261,918
मोटर वाहन Motor Vehicles	1,115,154		1,115,154	-	1,047,749		1,047,749	-	-	67,405
	49,367,035	-	1,115,154	48,251,881	32,759,934	-	1,047,749	31,712,185	16,539,696	16,607,101
(A + B)	51,714,268	801,034	1,594,037	50,921,265	34,563,181	154,869	1,488,730	33,229,320	17,691,945	17,151,087
अमूल्य आस्तियां INTANGIBLE ASSETS										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software		42,000		42,000		8,800		8,800	33,200	-
	-	42,000	-	42,000	-	8,800	-	8,800	33,200	-
	51,714,268	843,034	1,594,037	50,963,265	34,563,181	163,669	1,488,730	33,238,120	17,725,145	17,151,087
पूर्व वर्ष / Previous Year	51,717,238	58,030	61,000	51,714,268	34,483,606	114,867	35,292	34,563,181	17,151,087	

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	
	As at 31.03.2010	As at 31.03.2009	As at 31.03.2010 रु. (Rs.)	As at 31.03.2009 रु. (Rs.)	As at 31.03.2010 दर / Rate रु. (Rs.)	मूल्य / Value रु. (Rs.)
वर्तमान निवेश अनकोटेड / CURRENT INVESTMENT - Unquoted						
1. म्यूचुअल फंड यूनिट / MUTUAL FUNDS UNITS						
बिरला सनलाइफ लिक्विड प्लस Birla sunlife Liquid Plus-						
दैनिक लाभांश / Daily Dividend		2,539,120.224		25,408,468		
ओपन एंडेड / Open ended						
2. एचडीएफसी इंकम फंड HDFC Income Fund		2,424,771.465		48,653,767		
विकास कोष / Growth Fund						
ओपन एंडेड - डेब्ट / Open Ended - Debt						
3. एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट- HDFC Floating Rate -						
एसटी प्लान / ST Plan	496,349.963	1,504,418.866	5,003,654	15,165,896	10.0809	5,003,654
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
4. आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल ICICI Prudential -						
फ्लेक्सिबल इंकम प्लान Flexible Income plan	189,274.698	3,405,392.344	20,012,960	36,006,916	105.7350	20,012,960
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
5. बिरला सनलाइफ तिमाही अंतराल Birla Sunlife Qtlly Interval- Dividend Payout	2,000,000.000		20,000,000		10.0069	20,013,800
सीरीज़-4 / Series 4						
6. टेम्पलेटन इंडिया अल्ट्रा Templeton India Ultra Short Bond Fund	999,751.871		10,008,616		10.0111	10,008,616
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
7. कोटक फ्लोटर लांग टर्म Kotak Floater Long Term	744,420.041		7,503,605		10.0798	7,503,605
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
8. रिलायंस मनी मैनेजर फंड Reliance Money Manager Fund	19,986.861		20,013,621		1,001.3389	20,013,621
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
9. यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड UTI Treasury Advantage Fund	1,270.086		19,074		15.0180	19,074
तिमाही लाभांश / Quarterly Dividend						
10. यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड UTI Treasury Advantage Fund	30,006.905		30,013,330		1,000.2141	30,013,330
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
11. आईडीएफसी मनी मैनेजर फंड IDFC Money Manager Fund	1,000,000.000		10,012,300		10.0487	10,048,701
मासिक लाभांश / Monthly Dividend						
कुल चालू निवेश / Total Current Investment			122,587,160	125,235,047		

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	
	As at 31.03.2010	As at 31.03.2009	As at 31.03.2010 रु. (Rs.)	As at 31.03.2009 रु. (Rs.)	As at 31.03.2010 दर / Rate रु. (Rs.)	मूल्य / Value रु. (Rs.)
दीर्घावधि निवेश-अनकोटेड शेयर / LONG TERM INVESTMENT - Unquoted Shares						
विक्रम प्रोजेक्ट लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त (प्रत्येक का प्रीमियम रु. 25/-)						
Vikram Projects Ltd	85,500	85,500	2,992,500	2,992,500	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid (Premium of Rs.25/- each)						
हरप्रताप स्टील लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Harpatap Steel Ltd	380,923	380,923	3,809,230	3,809,230	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
मौलिक फाइनेंस एंड रिसोर्ट लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Moulik Finance & Resorts Ltd	119,700	119,700	1,197,000	1,197,000	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
रितेश पालीमर्स लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त (प्रत्येक का प्रीमियम रु. 5/-)						
Ritesh Polymers Ltd	58,300	58,300	874,500	874,500	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid (Premium of Rs.5/- each)						
कलिंग सीमेंट लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Kalinga Cements Ltd	150,000	150,000	1,500,000	1,500,000	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
जुआरी एग्रो कैमिकल लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Zuari Agro Chemicals Limited	25	25	250	250	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
दीवान सुगर्स लिमि.						
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Dewan Sugars Limited	650,000	650,000	6,500,000	6,500,000	-	1
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
दिव्या कैम / Divya Chem						
50 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 30.76)	50	50	1,538	1,538	-	1
50 Equity Shares (Cost - Rs. 30.76 each)						
निर्मल मेटल / Nirmal Metal						
10,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 85.19)	10,000	10,000	851,900	851,900	-	1
10,000 Equity Shares (Cost - Rs. 85.19 each)						
न्यू सेंचुरी लीजिंग / New Century Leasing						
106,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 23.66)	106,000	106,000	2,507,960	2,507,960	-	1
106,000 Equity Shares (Cost - Rs. 23.66 each)						
न्यू इरा अर्बन / New Era Urban						
40,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 18.93)	40,000	40,000	757,200	757,200	-	1
40,000 Equity Shares (Cost - Rs. 18.93 each)						
रीजेंट कैमिकल्स / Regent Chemicals						
28,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 28.40)	28,000	28,000	795,200	795,200	-	1
28,000 Equity Shares (Cost - Rs. 28.40 each)						
गुजरात फिलामेंट / Gujrat Filaments						
25,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 40.76)	25,000	25,000	1,017,500	1,017,500	-	1
25,000 Equity Shares (Cost - Rs. 40.76 each)						

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची

Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.

AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	
	As at 31.03.2010	As at 31.03.2009	As at 31.03.2010 रु. (Rs.)	As at 31.03.2009 रु. (Rs.)	As at 31.03.2010 दर / Rate रु. (Rs.)	मूल्य / Value रु. (Rs.)
सोलर विसीफार्म्स / Solar Busiforms	126,200	126,200	4,181,006	4,181,006	-	1
126,200 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 33.13)						
126,200 Equity Shares (Cost - Rs. 33.13 each)						
निवास स्पिनिंग्स लिमि.						
1,400 इक्विटी शेयर (बोनस)						
Niwas Spinnings Ltd.	1,400	1,400	-	-	-	1
1,400 Equity Shares (Bonus)						
म्युचुअल फंड यूनिट						
MUTUAL FUND UNITS						
बिरला सनलाइफ एम एफ						
एफटीपी आईएनएसटी सीरीज़ ए एन-ग्रोथ						
Birla Sunlife MF		1,000,000	-	10,000,000		
FTP Inst Series AN - Growth						
फ्रेंकलिन टेम्पलेटन इंडिया एमएफ						
फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान						
Franklin Templeton India MF		1,000,000	-	10,000,000		
Fixed Maturity Plan						
कोटक एमएफ						
Kotak MF		1,500,000	-	15,000,000		
फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान / Fixed Maturity Plan						
सुंदरम परिवस एम एफ						
एफटीपी स्कीम ई इंस्ट्रूशनल						
Sundaram Paribas MF		500,000	-	5,000,000		
FTP Scheme E Institutional						
एचडीएफसी 13 एम - ग्रोथ						
HDFC 13M - Growth	2,000,000		20,000,000		10.0316	20,063,200
फिक्स्ड मैच्यूरिटी प्लान / Fixed Maturity Plan						
उप-योग / Sub-Total			46,985,784	66,985,784		
दीर्घावधि निवेश-अनकोटेड शेयर						
LONG TERM INVESTMENT - Quoted SHARES						
बीसीएल फाइनेंसियल सर्विसेस लिमि.						
BCL Financial Services Ltd	6,400	6,400	64,000	64,000	-	1
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Equity Shares of Rs.10/- each, fully paid						
मालविका स्टील लिमि.						
Malvika Steels Ltd	48,600	48,600	1,944,000	1,944,000	-	1
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Equity Shares of Rs.10/- each, partly paid						
(प्रत्येक का प्रीमियम रु. 30/-) / (Premium of Rs.30/- each)						
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमि.						
Exide Industries Limited		11,200		56,000		
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Equity Shares of Rs.10/- each, Fully paid						
एसीसी लिमि./ ACC Ltd	20	20	1,100	1,100	951.05	19,021
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Equity Shares of Rs.10/- each						
एसीसी लिमि./ ACC Ltd.		6,000		3,151,860		
रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त						
Equity Shares of Rs. 10/- each						

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची

Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.

AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाज़ार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2009
	As at 31.03.2010	As at 31.03.2009	As at 31.03.2010 रु. (Rs.)	As at 31.03.2009 रु. (Rs.)	As at 31.03.2010 दर / Rate रु. (Rs.)	मूल्य / Value रु. (Rs.)
टाटा टी / Tata Tea रु. 567.90 प्रत्येक के 229 इक्विटी शेयर 229 Equity Shares at cost of Rs. 567.90 each	229	9,229	130,049	130,049	979.60	224,328
नाहर स्पिनिंग लिमि. / Nahar Spinings Ltd. रु. 5/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Equity Shares of Rs. 5/- each		70		29,815		
नाहर कैपिटल लिमि. / Nahar Capital Ltd. रु. 5/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Equity Shares of - Rs. 5/- each		70				
एनएचपीसी लिमि. / NHPC Ltd. रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर Equity Shares of Rs. 10/- each	50,000		1,687,575		30.45	1,522,500
डिबेंचर / DEBENTURES						
टाटा कैपिटल लि. / Tata Capital Ltd. रु. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी NCDs of Rs.1,00,000/-each	500	500	50,000,000	50,000,000	-	Not Quoted
रिलायंस कैपिटल लिमि रु. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी Reliance Capital Ltd. NCDs of Rs.1,00,000/-each	30		30,000,000		-	Not Quoted
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कं. लिमि Sriram Transport Finance Co. Ltd. NCDs of Rs.1,00,000/-each	100		10,000,000		-	Not Quoted
बॉन्ड / BONDS						
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लिमि. रु. 1,00,000/- प्रत्येक के करमुक्त बॉन्ड India Infrastructure Finance Co.Ltd. Tax Free Bonds of Rs.1,00,000/-each	500	500	50,000,000	50,000,000	-	Not Quoted
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन रु. 1,00,000/- प्रत्येक के करमुक्त बॉन्ड Indian Railway Finance Corporation Tax Free Bonds of Rs.1,00,000/-each	500		50,000,000		-	Not Quoted
उप-योग / SUB TOTAL			193,826,724	105,376,824		
कुल लम्बी अवधि का निवेश / Total Long Term Investment			240,812,508	172,362,608		

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	बही मूल्य / B O O K V A L U E	
	को यथास्थिति / As at 31.03.2010	को यथास्थिति / As at 31.03.2009
	रु. / (Rs.)	रु. / (Rs.)
चालू निवेश अनुद्धरित / Current Investment Un-Quoted	122,587,161	125,235,047
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान / Less Provision for Diminution in Investment	-	-
उप योग / Sub Total	122,587,161	125,235,047
दीर्घावधि निवेश अनुद्धरित / Long Term Investment Un-Quoted	46,985,784	66,985,784
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान / Less Provision for Diminution in Investment	26,985,771	26,985,771
उप योग / Sub Total	20,000,013	40,000,013
दीर्घावधि निवेश उद्धरित / Long Term Investment Quoted	193,826,724	105,376,824
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Less Provision for Diminution in Investment	2,173,073	2,034,806
उप योग / Sub Total	191,653,651	103,342,018
पूर्ण योग / Grand Total	334,240,825	268,577,078

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ई' - विविध देनदार SCHEDULE 'E' - SUNDRY DEBTORS	यथास्थिति / As on 31.03.2010 रु. / Rs.	यथास्थिति / As on 31.03.2009 रु. / Rs.
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS		
विविध देनदार / Sundry Debtors		
a) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण Debts outstanding for a period exceeding six months		
अप्रतिभूत एवं अच्छे माने गए Unsecured and considered good	-	428,842
संदिग्ध माने गए Considered doubtful	6,162,896	7,162,896
b) अन्य ऋण / Other Debts	-	-
	6,162,896	7,591,738
घटाएं : संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान Less : Provision for doubtful debts	6,162,896	6,938,176
	-	653,562
अनुसूची 'एफ' - नकदी एवं बैंक शेष SCHEDULE 'F' - CASH AND BANK BALANCES	यथास्थिति / As on 31.03.2010 रु. / Rs.	यथास्थिति / As on 31.03.2009 रु. / Rs.
रोकड़ शेष / Cash In Hand	5,675	1,028
अनुसूचित बैंको के पास शेष Balances with Scheduled banks		
चालू खाते में / In Current Accounts	6,158,800	2,645,546
मीयादी जमा खाते में / In Fixed Deposits Accounts	50,000,000	50,000,000
	56,164,475	52,646,574
अनुसूची 'जी' - अन्य चालू आस्तियां SCHEDULE 'G' - OTHER CURRENT ASSETS	यथास्थिति / As on 31.03.2010 रु. / Rs.	यथास्थिति / As on 31.03.2009 रु. / Rs.
किराए पर स्टॉक / Stock-On-Hire	13,435,519	13,995,076
घटाएं : अतिदेय वित्तीय प्रभार Less : Overdue Finance charges	2,720,908	2,777,968
	10,714,611	11,217,108
घटाएं : किराए पर संदिग्ध स्टॉक हेतु प्रावधान/ Less : Provision on doubtful stock -on-hire	10,714,611	-
निवेश पर उपचित ब्याज / Interest accrued on Investment	2,655,822	686,095
मीयादी जमा पर उपचित ब्याज / Interest accrued on Fixed Deposit	6,867,934	1,807,982
प्राप्य ब्रोकरेज / Brokerage Receivable	7,468,900	3,529,493
अन्य / Others	51,000	47,500
	17,043,656	6,071,070

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'एच' - ऋण एवं अग्रिम SCHEDULE 'H' - LOANS AND ADVANCES	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
नकद अथवा पण्य में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूले जाने वाले अग्रिम Advance recoverable in cash or in kind or for value to be received	1,467,370	664,720
अंतर-कारपोरेट जमा Inter-corporate Deposit	200,000	200,000
घटाएं : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान Less : Provision on doubtful deposit	200,000	-
अग्रिम आयकर, स्रोत पर काटा गया कर Advance Income Tax , Tax Deducted at Source	96,836,338	77,794,344
अग्रिम अनुषंगी लाभ कर / Advance Fringe Benefit Tax	97,033	90,633
अग्रिम सेवा कर / Advance Service Tax	1,671,500	
प्राप्य ब्याज कर रिफंड / Interest Tax Refund Receivable	101,372	101,372
पूंजीगत माल हेतु प्रदत्त अग्रिम/Advance Paid for Capital Goods	1,464,000	1,464,000
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान Less : Provision on doubtful advance	1,464,000	-
अधिकारियों को ऋण एवं ऋणों का उपचित ब्याज Loan to Officers and Interest Accrued on Loans	690,502	1,273,018
	100,864,115	79,924,087

अनुसूची 'आई' - चालू देयताएं SCHEDULE "I" - CURRENT LIABILITIES	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
चालू देयताएं / CURRENT LIABILITIES		
विविध लेनदार (व्यय एवं अन्य) Sundry Creditors (Expenses and Others)	6,473,703	1,312,273
प्रतिभूति जमा / Security Deposit	60,831	60,831
	6,534,534	1,373,104

अनुसूची 'जे' - प्रावधान SCHEDULE "J" - PROVISIONS	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
प्रावधान / PROVISIONS		
सेवानिवृत्ति लाभ \ Retirement Benefits -		
छुट्टी नकदीकरण \ Leave Encashment	220,882	201,102
ग्रेच्युटी \Gratuity	808,459	1,068,671
एमडी एवं सीईओ को देय प्रोत्साहन Incentive Payable to MD & CEO	-	332,402
अनुषंगी लाभ कर \ Fringe Benefit Tax	51,000	51,000
आय कर \ Income Tax	56,053,862	31,253,862
अनर्जक आस्ति \ Non Performing Assets	16,478,864	16,546,270
	73,613,067	49,252,205

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'के' - निवेश आय SCHEDULE 'K' - INVESTMENT INCOME	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
निवेश आय / INVESTMENT INCOME		
बांड एवं डिबेंचर पर ब्याज Interest on Bonds and Debentures	11,055,891	881,034
लाभांश आय-शेयर Dividend Income - Shares	278,500	1,419,096
आभांश आय Dividend Income - म्यूचुअल फंड यूनिट (व्यापार निवेश) Mutual Fund Units (Trade Investments)	6,558,693	16,172,775
निवेशों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Investments 16,349,564		7,903,713
निवेश की बिक्री पर हानि Loss on sale of Investment (26,360)	16,323,204	(1,765,018)
म्यूचुअल फंड के मूल्य में ह्रास Diminution in value of Mutual Fund	-	(1,346,233)
	34,216,288	23,265,367
अनुसूची 'एल' - प्राप्त ब्याज SCHEDULE 'L' - INTEREST RECEIVED	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
ब्याज आय / INTEREST INCOME		
मीयादी जमा पर ब्याज (सकल) Interest on Fixed Deposit(Gross)	5,617,941	1,862,670
[टीडीएस-54,688 (गत वर्ष-शून्य)] [TDS - Rs.557,989/- (Pre. Yr. - Rs. 54,688/-)]		
स्टाफ ऋण पर ब्याज / Interest on Staff Loan	78,541	84,659
	5,696,482	1,947,329
अनुसूची 'एम' - अन्य आय SCHEDULE 'M' : OTHER INCOME	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
अन्य आय / OTHER INCOME		
रिटन बैक किया गया प्रावधान / Provision written back for अनुपयोज्य आस्तियों हेतु Non Performing Assets	1,278,142	744,332
व्यय / Expenses	6,750	5,636
निवेश में अल्पह्रास/Diminution in Investment	26,809 (165,075)	21,142,704 (868)
	(138,266)	21,141,836
विविध आय / Miscellaneous Income	103,804	635,000
पूर्ववर्ती अवधि की मद / Prior Period Item	610,342	40,072,356
	1,860,772	62,599,160
अनुसूची 'एन' - कार्मिकों पर व्यय SCHEDULE 'N' : PERSONNEL EXPENSES	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
कार्मिक लागत / PERSONNEL COST		
वेतन / Salaries	2,552,094	2,501,756
भविष्य निधि अंशदान एवं प्रशासनिक प्रभार Provident Fund Contribution and Admn. Charges	236,091	178,959
चिकित्सा व्यय / Medical Expenses	321,771	72,614
एमडी एवं सीईओ को देय प्रोत्साहन/ Incentive to MD & CEO	-	332,402
अन्य /Others	293,671	327,062
	3,403,627	3,412,793

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ओ' - प्रशासनिक एवं अन्य व्यय SCHEDULE 'O' : ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 रु. / Rs.	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2009 रु. / Rs.
यात्रा एवं वाहन / Travelling and Conveyance	470,794	300,290
प्रकाश एवं विद्युत / Light and Electricity	273,515	326,217
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं / Books and Periodicals	50,671	47,558
मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and Stationery	110,552	88,531
व्यवसाय संवर्धन व्यय / Business Promotion Expenses	9,573	-
डाक खर्च एवं टेलीफोन / Postage and Telephone	237,950	156,206
कर्मचारी प्रशिक्षण / Staff Training	66,202	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण / Repair and Maintenance		
- संयंत्र एवं मशीनरी / - Plant and Machinery	40,035	37,264
- अन्य / - Others	383,684	364,541
मर्चेन्ट बैंकिंग खर्च / Merchant Banking Expenses	-	776,944
बीमा प्रभार / Insurance Charges	12,440	5,374
विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and Publicity	92,459	16,188
अभिदान एवं सदस्यता शुल्क / Subscription and Membership Fee	1,112,029	446,071
निदेशकों की बैठक का शुल्क / Directors Sitting Fees	62,500	12,500
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / Auditors Remuneration		
- लेखापरीक्षा शुल्क / - Audit Fee	27,575	22,060
- कर लेखापरीक्षा शुल्क / - Tax Audit Fee	7,721	7,721
- लेखापरीक्षकों की यात्रा एवं अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क - Auditors Travelling and Others	100,209	65,972
व्यवसाय एवं परामर्श शुल्क / Internal Audit Fees	22,151	22,060
व्यवसाय एवं परामर्श शुल्क / Profession & Consultancy Fee	342,968	48,495
विधिक व्यय / Legal Expenses	273,694	145,878
निदेशकों की यात्रा / Directors Travelling	604,046	328,127
[एमडी के यात्रा व्यय रु. 136,623 सहित (गतवर्ष-137,195)] [includes MD's travel - Rs.247,681/- (Pre.Yr. - Rs. 136,623/-)]		
बैंक प्रभार / Bank Charges	2,736	8,284
विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	17,957	27,741
बोर्ड बैठक व्यय / Board Meeting Expenses	183,656	98,576
कार्यालय खर्च / Office Expenses		
अपलेखित लीज्ड आस्ति Leased Assets Written Off	273,038 67,405	80,678 -
चत्त आस्तियों की बिक्री पर हानि Loss on disposal of Fixed Assets	37,902	22,708
ओटीएस पर हानि/ Loss on OTS	-	19,000
दर एवं कर/ Rates and Taxes	1,746,193	1,759,345
एनपीए हेतु प्रावधान / Provision for NPA	-	2,561,604
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान / Provision for Doubtful Debts	-	811,937
अशोध्य ऋण अपलेखित / Bad Debts written off	428,842	122,327
	7,058,497	8,730,197

अनुसूची 'पी' महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण स्वीकार्य लेखा मानकों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और परंपरागत लागत परिपाटियों पर आधारित हैं। लेखा नीतियां, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुकूल हैं और समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। देय और प्राप्य सीमा तक माने गए सभी व्यय और आय का लेखा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उपचित आधार पर किया गया है।

(ख) प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो ऐसे अनुमान और प्राक्कलन करते हैं जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को प्रभावित करते हैं और तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयताओं तथा आस्तियों और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि से संबंधित प्रकटीकरण हैं।

आकस्मिकताओं को तब दर्ज किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि देयता उपगत होगी और उस राशि का समुचित प्राक्कलन किया जा सकता है। जिस वर्ष परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं उस वर्ष वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के अंतर को अभिज्ञात किया जाता है।

(ग) राजस्व अभिज्ञान

(i) पट्टा वित्तपोषण:

1.4.2001 को या इसके पश्चात प्रारंभ लेखा अवधि के दौरान समस्त पट्टे की अस्तियों के संबंध में प्रभाव में आई लीज पर लेखा मानक 19 (एएस-19) लागू है। चूंकि कंपनी ने 1.4.2001 को अथवा इसके पश्चात कोई लीज संस्वीकृत नहीं की अतः एएस-19 कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

लीज करार के अनुसार देय तिथि को लीज किराए पर विचार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विवेकसम्मत मानदंडों के अंतर्गत जहाँ हाँ लीज्ड आस्तियां अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत हों वहाँ लीज किराए पर विचार नहीं किया गया।

तथापि कंपनी अब श्रेणी-1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत हो गई है तथा चूंकि कंपनी अब कोई एचपी एवं लीजिंग कारोबार नहीं कर रही है, अतएव उसने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में अपना लाइसेंस वापस कर दिया है।

(ii) ब्याज आय का अभिज्ञान बकाया राशि तथा प्रयोज्य दर के आधार पर वसूली योग्य मानी जाने वाली रकम की सीमा तक समय अनुपात आधार पर किया जाता है।

(iii) लाभांश आय को तब अभिज्ञात किया जाता है जब इसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) अचल आस्तियां

कंपनी द्वारा स्थापना पर किए गए व्यय सहित अचल आस्तियों का पूंजीकरण लागत पर होता है।

(ङ) पट्टे पर ली गई आस्तियां

क्रय की गई एवं पट्टे पर दी गई आस्तियों का पूंजीकरण स्थापना लागत एवं स्थापना व्यय पर किया गया है।

Schedule 'P' Significant Accounting Policies:

(a) Basis of preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and relevant provisions of the Companies Act, 1956 and are based on the historical cost conventions. Accounting policies unless specifically stated to be otherwise, are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles. All expenses and income to the extent considered payable and receivable, unless stated otherwise, have been accounted for on accrual basis.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements require management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities and assets as at the Balance Sheet date and the reported amounts of income and expenses during the year.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which the results are known / materialized.

(c) Revenue Recognition

(i) Lease Finance

The Accounting Standard 19 (AS-19) on Leases came into effect in respect of all assets leased during accounting periods commencing on or after 1.4.2001. Since the Company has not sanctioned any lease on or after 1.4.2001, the AS-19 is not applicable to the Company.

Lease Rentals are considered on the due dates in terms of lease agreements.

Lease Rentals are not considered where Leased Assets have been classified as Non-Performing Assets (NPA) under the Prudential Norms announced by Reserve Bank of India.

However, the Company has now Registered itself as a Category I Merchant Banker and has surrendered NBFC license since the Company is not doing any HP and Leasing business.

(ii) Interest income is recognized on a time proportion basis depending upon the amount outstanding and the rate applicable and to the extent considered realizable.

(iii) Income on account of dividend is recognized when the right to receive is established.

(d) Fixed Assets

Fixed Assets are capitalized at cost inclusive of installation expenses as incurred by the Company.

(e) Leased Assets

Assets purchased and given on lease are capitalized on installation at cost and installation expenses.

(च) मूल्यहास

(i) लीज पर दी गई आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां :
कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों को पांच वर्षों की अवधि में अथवा यदि उपयोगी अवधि पांच वर्ष से कम हो तो अपेक्षाकृत कम अवधि में सीधी रेखा प्रणाली से परिशोधित किया जाता है।

(ii) पट्टे पर दी गई आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एकाउण्टिंग फॉर लीजिंग' पर गाइडेंस नोट के अनुसार लीज पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है। गाइडेंस नोट द्वारा निर्धारण के अनुसार पट्टा समकरण लेखा एवं पट्टा समायोजन खाते का निर्माण किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर समस्त आस्तियां (पट्टे पर दी गई उन आस्तियों को मिलाकर जिन्हें अनुपयोज्य राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(छ) निवेश

दीर्घ अवधि के निवेश का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर निवेश के मूल्य में हास हेतु प्रावधान ऐसे निवेश के मूल्य में कमी होने पर किया जाता है।

वर्तमान निवेश का मूल्यांकन न्यूनतर लागत एवं बाजार मूल्य पर किया जाता है।

जहां निवेश सूचीबद्ध कर लिया हो परंतु बाजार कोटेशन उपलब्ध न हो ऐसे मामले में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी लिया जाएगा।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेन-देन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुम्बई के आदेश के अनुसरण में मे० वी.बी. देसाई खाता के निपटान से अर्जित शेयरों के मामले में इस प्रकार अर्जित शेयरों की लागत को ऐसे निर्णय से पूर्व मे० वी.बी. देसाई से बकाया निवल राशि पर लिया गया है। इस निवेश को दीर्घकालिक निवेश माना गया है।

विभिन्न म्युचुअल उत्पादों जिनमें योजनावधि एक वर्ष से अधिक है, में निवेश को दीर्घकालीन निवेश माना गया है।

(ज) विवेकपूर्ण मानदंड

यद्यपि कंपनी किराया-खरीद एवं लीजिंग व्यवसाय नहीं करती, फिर भी जहां-कहीं प्रयोज्य हो आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(झ) विविध देनदार :

देय/प्राप्य राशि लेकिन जिसे लीज, किराया खरीद, तृतीय पक्ष आदि के कारण वर्ष की समाप्ति पर अभी प्राप्त होना है, को विविध देनदार खाते में नामे डालते हुए संबंधित आय/आस्ति खातों में जमा करना है।

(ञ) अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान :

किराया खरीद, लीज आदि से 12 माह से अधिक किस्तें देय होने के मामले में और अंतर कारपोरेट जमा से 6 माहों से अधिक अवधि हेतु ब्याज देय रहता है तो आस्ति अनुपयोज्य मानी जाएगी और खातों में कोई आय नहीं मानी जाएगी।

(f) Depreciation

(i) Assets other than given on Lease:

Depreciation is provided under Straight Line Method at the rates and in the manner as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

Intangible Assets are amortised over a period of five years or in lesser period if useful life is lower than five years on straight line basis.

(ii) Assets given on Lease:

Depreciation on Leased Assets is provided as per the Guidance Note on 'Accounting for Leases' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Lease Equalisation Account and Lease Adjustment Account have been created as prescribed by the Guidance Note.

Depreciation on all the fixed assets (including Leased Assets classified as Non Performing Assets) has been provided on straight line method at the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

(g) Investment

Long Term Investments are valued at cost. Provision for diminution in value of investment is made for decrease in value of such investments if permanent in nature as at the end of the year.

Current Investments are valued at the lower of cost and market value.

In cases where Investments are listed but market quotations are not available, the value of the investment has been taken at Re. 1/- per Company.

In the case of shares acquired in settlement of M/s V B Desai A/c pursuant to the Order of The Special Court, Mumbai, constituted under The Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the cost of acquisition of the Shares so acquired have been taken at the net amount due from M/s V B Desai, prior to such ruling. This investment has been considered as Long Term Investment.

Investments made in various Mutual Funds where duration of scheme exceeds one year have been considered as Long Term Investment.

(h) Prudential Norms

Although the Company is not doing Hire Purchase and Leasing business yet the Directions issued by the Reserve Bank of India regarding prudential norms for Non-Banking Financial Companies for income recognition, asset classification and provisions have been followed, wherever found applicable.

(i) Sundry Debtors

Amount due/ receivable but yet to receive at the end of the year on account of Lease, Hire Purchase, third parties etc. are debited to Sundry Debtors Account and credit to respective income/ assets account.

(j) Provision for Non Performing Assets

In case of Installments due for more than 12 months from Hire Purchase, Lease, etc and in case of interest remained due for more than 6 months from Inter Corporate Deposit, the assets is treated as Non Performing Assets and no income is considered in the accounts.

लाभ एवं हानि खाते के नामे डालकर अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

(ट) अपरिपक्व वित्त प्रभार :

प्राप्य कुल राशि और उस उद्देश्य हेतु निवेशित राशि के अंतर की रकम अपरिपक्व वित्त प्रभार में जमा की जाएगी। देय और/अथवा वसूली गई राशि आय मानी जाएगी। आस्ति के अनुपयोज्य आस्ति हो जाने की तिथि से संविदा की समाप्ति तक प्राप्य आय देयों के अंतिम समझौते की तिथि तक प्राप्य राशि यथावत रहेगी।

(ठ) लीज समायोजन खाता और लीज समकरण खाता :

लीज आस्तियों के मामले में प्रधान वसूली तथा खाते में प्रभारित मूल्य ह्रास के अंतर को लीज समकरण खाते के नामे डालते हुए लीज समायोजन खाते में अंतरित किया जायेगा। कुल लीज समायोजन खाता लीज आय के मूल्य को कम करता है। आस्ति के अनुपयोज्य आस्ति में परिवर्तित होने अथवा लीज की समाप्ति की तिथि तक लीज समायोजन खाता सृजित किया जाता है।

(ड) आस्तियों का अनर्जक होना

किसी आस्ति को तब अनर्जक माना जाता है जब उस आस्ति को रखने की लागत वसूली योग्य मूल से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष आस्ति को अनर्जक के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है उस वर्ष अनर्जक हानि को लाभ एवं हानि लेखा से प्रभारित किया जाता है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में परिवर्तन हो गया हो तो पूर्व लेखा वर्ष अवधि में अभिज्ञात अनर्जक हानि को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(ढ) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में उपचित होते हैं। निर्धारित अंशदान योजनाओं यथा भविष्य निधि में अंशदान का अभिज्ञान अंशदान देने पर किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ बीमाकिक तकनीक का प्रयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाता है।

(ण) आय पर कर

वर्तमान और आस्थगित कर दोनों हेतु कर का प्रावधान किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया जाता है। समय में अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं, जिन्हें परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, का अभिज्ञान अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर को तब तक अभिज्ञात नहीं किया जाता जब तक भावी वर्षों में इसके प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्याप्त आश्वासन न हो।

(त) प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक आस्तियां

मापन में पर्याप्त रूप से किए गए प्राक्कलन वाले प्रावधानों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब पिछली किसी घटना के लिए वर्तमान में देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा देयता की राशि के संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो अभिज्ञात किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और उन्हें टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

Provision for a Non-Performing Asset is made by debiting Profit & Loss Account.

(k) Unmatured Finance charges

The difference amount between total amount receivable and amount invested for that purpose is credited to Unmatured Finance charges. Amount due and/ or realized is treated as income. Amount receivable from the date of Assets becoming Non Performing Assets upto the date of expiry of the contract will remain as it is till the date of final settlement of the dues.

(l) Lease Adjustment Account and Lease Equalisation Account

The difference between principal recovery in case of lease assets and depreciation charged in the accounts is transferred to lease adjustment Account by debiting Lease Equalisation Account. Total of Lease Equalisation Account reduces the value of lease income. Lease Adjustment Account is created upto the date of assets becoming Non Performing Assets or termination of lease.

(m) Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to profit and loss account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

(n) Employee Benefits

Employee benefits accrued in the year for services are rendered by the employees. Contribution to defined contribution schemes such as Provident fund is recognized as and when incurred.

Long term employee benefits under defined benefits scheme such as gratuity and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using accrual techniques.

(o) Taxes on Income

Provision for tax is made for both current and deferred tax. Current Tax is provided on the taxable income using the applicable tax rates and tax laws. Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing difference which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using tax rates and tax laws which have been enacted or substantively enacted. Deferred tax are not recognized unless there is sufficient assurance with respect to the reversal of the same in the future years.

(p) Provisions , Contingencies and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statement. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

अनुसूची 'क्यू' : लेखों पर टिप्पणियां
Schedule 'Q' – Notes on Accounts :

1. आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : / Contingent liabilities not provided for :
विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों, जहां कंपनी सफलता की अपेक्षा करती है, के संबंध में विवादित आयकर एवं ब्याज कर देयताएं।
Disputed Income Tax liability in respect of matters pending before various Appellate authorities where the Company expects to succeed.

मूल्यांकन वर्ष Assessment Year	31.03.2010 आयकर Income-Tax	31.03.2009 आयकर Income-Tax
2002-03	344.18	344.18
2003-04	620.55	554.69
2004-05	109.79	1,252.16
2005-06	38.06	38.06
2006-07	29.99	29.99
2007-08	66.47	
कुल / Total	1,209.04	2,219.08

कर निर्धारण वर्ष 2003-04 और 2004-05 हेतु कर देयता के आंकड़ों में परिवर्तन अधिमार्ग अपील पर एबीएफएल और असंतुष्ट पक्षकार के पक्ष में अथवा विरुद्ध पारित आदेश के कारण हुआ है।

(क) कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे: ₹ 1175.76 लाख (पूर्व वर्ष ₹. 1175.76 लाख)

(ख) कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा वेतन संशोधन हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। तथापि उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि उसका पक्ष मजबूत है। इसके अतिरिक्त रकम भी नगण्य है।

(ग) कंपनी ने अगस्त 2008 में आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि. के आईपीओ इश्यू हेतु लीड मैनेजर का कार्य किया। उक्त कंपनी के एक निकट प्रतिस्पर्धी ने कंपनी और इसके प्रमोटर्स के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दिया तथा मर्चेंट बैंकर, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षकों तथा सालिसिटर्स को पार्टी बना दिया। इस संबंध में आल बैंक फाइनेंस के विरुद्ध कोई विशेष क्षतिपूर्ति अथवा रकम नहीं बनती है।

(घ) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उन्हें उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कं. लि. के शेयरों की बिक्री किए जाने हेतु एक मामला दाखिल किया गया है। कानूनी राय के अनुसार कंपनी का विश्वास है कि मामला अनुसंधानीय नहीं है।

2. माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार मे.वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को ऑल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को कंपनी के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से कंपनी शेयरों की स्वामी बन गई है और उसके बाद उन शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया।

3. अग्रिम आयकर, स्रोत पर कर कटौती तथा प्राप्य आयकर वापसी यथास्थिति 31.03.2010 को 779.86 लाख (31.03.2009 को ₹. 664.60 लाख) रही। यह राशि मूल्यांकन एवं अपीलों के विभिन्न स्तरों पर समायोजन हेतु लंबित है।

The change in the figure of the tax liability for the assessment year 2003-04 & 2004-05 is due to order passed against or in favour of ABFL and the party aggrieved, preferred appeal.

(a) Claims against the Company not acknowledged as Debts: Rs.1,175.76 lakh. (Previous Year Rs.1,175.76 lakh)

(b) A writ Petition has been filed by some employees of the Company in Delhi High Court for Salary revision. However, the same has not been provided for as the management feels that it has a good case. Moreover, the amount remains un-quantified.

(c) The Company had acted as lead manager of Austral Coke & Projects Limited IPO issue in August,2008. A close competitor of the said company filed civil suits against the company and its promoters and also made Merchant Bankers, Independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit. There is no quantification of any compensation or amount against ALLBank Finance Ltd.

(d) A case has been filed by a private limited company for effecting sale of The Orissa Minerals Development Company Ltd's share to them. According to legal opinion, the Company believes that the case is not maintainable.

2. As per the order of the Hon'ble Special Court, the delivery of shares on 13.05.1992, by M/s V B Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Company. Accordingly, the Company became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the abovementioned order, the acquisition of the shares has been considered as Long Term Investment.

3. Advance income tax, tax deducted at source, income tax refund receivable, interest tax refund receivable and advance fringe benefit tax amounted to Rs. 779.86 lakhs as on 31.03.2010(Rs. 664.60 lakhs as on 31.03.2009) are pending adjustment at various stages of assessments and appeals.

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

4. “अन्य आय” के अंतर्गत पिछली अवधि की मदों का विवरण \ Details of Prior Period Items under “Other Income”

(रु. में) (In Rs.)

	2009-10	2008-09
ब्रोकरेज आय / Brokerage Income	6,10,342	8,29,812
रिटन बैक निवेश हेतु प्रावधान / Provision for Investment Written Back		3,83,53,487
रिटन बैक एनपीए हेतु प्रावधान / Provision for NPA Written Back		30,752
म्युचुअल फंड निवेश पर लाभांश / Dividend on Mutual Fund Investment		11,35,821
शेयरों की बिक्री पर लाभ / Profit on Sale of Share		(-) 2,77,516
कुल / Total	6,10,342	4,00,72,356

5.

	2009-10	2008-09
कर पश्चात लाभ (न्यूमेरेटर के रूप में प्रयुक्त) / Profit after Tax (used as Numerator)	7,14,92,466	9,41,70,706
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the beginning of the year	15,00,000	15,00,000
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the end of the year	15,00,000	15,00,000
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनामिनेटर के रूप में प्रयुक्त) Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year (used as denominator)	15,00,000	15,00,000
इक्विटी शेयरों का सामान्य मूल्य / Nominal value of Equity Share – Rs.	100	100
प्रतिशेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन / Basic and diluted earnings per Share – Rs.	47.66	62.78

6. चूंकि कंपनी की व्यवसाय गतिविधि एक प्रमुख व्यवसाय खंड अर्थात् पूंजी बाजार और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं और ये भौगोलिक खंड के अंतर्गत हैं अतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस -17) “खंड रिपोर्टिंग” में अपेक्षित खंड रिपोर्ट का प्रकटीकरण प्रयोज्य नहीं है।

6. As the company's business activity falls within a single primary business segment viz. dealing in Capital Markets and allied activities and in a single geographical segment, the disclosure requirements of Accounting Standard (AS – 17) “ Segment Reporting “ issued by The Institute of Chartered Accountants of India are not applicable.

7. क. प्रबंध निदेशक की परिलब्धियां / 7.a) Managing Director's Remuneration

(रु. में) (In Rs.)

	2009-10	2008-09
वेतन / Salary	6,00,000	6,00,000
मकान किराया / House Rent	2,40,000	2,40,000
भविष्य निधि में अंशदान / Contribution to Provident Fund	72,000	72,000
प्रोत्साहन / Incentive	—	3,32,402
अन्य लाभ / Other Benefits	2,21,592	3,23,042
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान / Provision for Gratuity	28,846	28,846
कुल / Total	11,62,438	15,96,290

ख) चूंकि कंपनी के लाभ का अधिकांश होल्डिंग कंपनी के कैप्टिव व्यवसाय से अर्जित किया गया था और कोर व्यवसाय महत्वपूर्ण नहीं रहा अतः एमडी एंड सीईओ ने संविदा की शर्तों के अनुसार देय रु.1,70,263- के प्रोत्साहन को स्वेच्छा से छोड़ने का निर्णय लिया।

b) Since the majority of the profits of the Company are earned through captive business of the Holding Company and core business has not been significant, MD & CEO has voluntary decided to forgo incentive of Rs. 1,70,263/- payable as per the terms of contract.

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 “आय पर कर हेतु लेखा” के अनुसार कंपनी ने आस्थगित कर का हिसाब रखा है। कंपनी की एनपीए और संदिग्ध आस्तियों पर प्रावधान से उत्पन्न बड़ी मात्रा में आस्थगित कर आस्तियां हैं। तथापि विवेकपूर्ण ढंग से आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही आस्थगित कर आस्तियों को अभिज्ञात किया गया है और इस प्रकार इसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

8. In accordance with Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Company has accounted for deferred tax. The Company has significant amount of deferred tax assets arising out of provisions made on NPA and doubtful debts. However as a matter of prudence, deferred tax assets have been recognized to the extent of deferred tax liability and as such there is no impact of the same in these accounts. The component of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	31.03.2009 को यथास्थिति / As on 31.03.2009	वर्ष हेतु ऋण (प्रभार) / (Charge) Credit for the year	31.03.2010 को यथास्थिति As on 31.03.2010
मूल्यहास के कारण आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability on account of depreciation	53,68,730	33,900	5,402,630
एनपीए और अशोध्य ऋणों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets on account of provision on NPA and doubtful debts	53,68,730	33,900	5,402,630
आस्थगित कर आस्ति/देयताएँ (निवल) Deferred Tax Assets / Liabilities (Net)	—	—	—

9. माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए अभिनिर्धारण में माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित कोई मेक्रो और लघु उद्यम नहीं हैं।

9. To the extent identified from the information available from suppliers of goods and services, there are no macro and small enterprises being a supplier as defined under Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 2006.

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-28) “इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स” के अनुसार कोई अनर्जक हानि नहीं है।

10. There is no impairment loss in terms of the Accounting Standard (AS 28) – “ Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-18) “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

11. Related Party disclosures as required in terms of Accounting standard (AS 18) – “ Related Party Disclosures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

होलडिंग कंपनी- इलाहाबाद बैंक / Holding Company – Allahabad Bank

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- श्री प्रसाद अकोलकर, प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ
Key Management Personnels - Mr. Prasad Akolkar, Managing Director & CEO

	होलडिंग कंपनी Holding Company		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
स्थिर जमा पर ब्याज / Interest on Fixed Deposit	56,17,941	18,62,670		
प्रबंधन संविदाएं / Management Contracts	2,35,546	8,98,687		
सेवा प्राप्ति / Receiving of Services	2,62,111	2,68,165		
परिलब्धियां / Remuneration			11,62,438	15,96,290
मियादी जमा / Term Deposit	5,00,00,000	5,00,00,000		
चालू जमा / Current Deposit	61,58,800	26,45,546		
ऋणी / Debtors		4,28,842		
लेनदार / Creditors	59,511	21,000		

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

उपर्युक्त संबंधित पार्टी की सूचना उस सीमा तक ही प्रकट की गई है जितना उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

The above related party information is disclosed to the extent such parties have been identified by the management on the basis of information available. This is relied upon by the auditors.

12. एक चालू खाते में शेष बैंक की पुष्टि के अधधीन है।

12. Balance of one current account is subject of confirmation from Bank.

13. प्रबंधन की राय में, कंपनी के सामान्य व्यवसाय में चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूलीगत मूल्य है जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के बराबर है।

13. In the opinion of the Management, current assets, loans & advances have a value on realization in the ordinary course of the Company's business which is at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

14. तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति पट्टाकृत समूह के प्रत्येक पट्टा समायोजन खाते के शेष को संचित मूल्यहास के सदृश्य शेष में मिलाया गया है।

14. As on balance sheet date, the balance of lease adjustment account of each group of leased assets is merged with the corresponding balance of accumulated depreciation.

15. वर्ष 2008-09 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार निवेशों की होल्डिंग जैसे टाटा मोटर्स-3,408 इक्विटी शेयर और विनसम यार्न -78,000 इक्विटी शेयर, के संबंध में इलाहाबाद बैंक फोर्ट शाखा डिपॉजिटरी में विधिवत एक पृथक डिपॉजिटरी खाता क्लाइंट आईडी-10123882 के साथ खोला गया (शेयर चालू वर्ष में प्राप्त किए गए)।

15. As per the audit observation made in audit report of the year 2008-09, separate depository account vide client ID - 10123882 with Allahabad Bank, Fort Branch Depository, has been duly opened in regard to the holding of investments, such as Tata Motors - 3,408 equity shares & Winsome Yarns - 78,000 equity shares (shares received during the current year)

16. यह बात ध्यान में लाई गई कि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कं. लि. के 6,600 इक्विटी शेयर पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि. द्वारा रखे गए हैं। चूंकि मूल इक्विटी शेयर अभिरक्षा में नहीं थे अतः कंपनी ने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के नाम से डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त किए क्योंकि आरओसी के अभिलेख के अनुसार इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि. का नाम बदल कर कंपनी का नाम कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि कंपनी शेयरों की वास्तविक धारक है और इस प्रकार इससे संबंधित सभी कारपोरेट लाभों की हकदार है। तथापि लाभांश को राजस्व के रूप में अभिज्ञात नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एक कानूनी प्रश्न उठता है कि क्या आस्तियां और संपत्तियां अनन्य रूप से कंपनी द्वारा धारित की जानी हैं।

16. It was brought to the notice that 6,600 equity shares in The Orissa Mineral Development Co. Ltd. were held by erstwhile Allahabad Bank Nominees Ltd. Since the original equity shares were not in the custody, the Company through the process of law obtained duplicate share certificates in the name of the Company because of the fact that the name of Allahabad Bank Nominees Ltd. was changed to the Company as per the records of ROC. It is believed that the Company is a bonafide holder of the shares and as such entitled to all the corporate benefits there to. However the dividend is not recognized as revenue, as it involves question of law whether the assets and properties are to be exclusively held by the Company.

17. विगत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनर्व्यवस्थित और पुनर्समूहित किया गया है जिससे वर्तमान वर्ष के सदृश्य आंकड़ों से तुलना की जा सके।

17. Previous year's figures have been rearranged / regrouped wherever necessary, to make those comparable with the corresponding figures for the current year.

अनुसूची ए से क्यू के हस्ताक्षरकर्ता

Signatories to the Schedules A to Q

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के द्वारा

कृते डे एंड बोस

सनदी लेखाकार

Vide our Report of even date

For De & Bose

Chartered Accountants

सुब्रत दे

Subrata De

पार्टनर

Partner

सदस्यता सं. / Membership No. 54962

जे. पी. दूआ

J. P. Dua

अध्यक्ष

Chairman

प्रसाद अकोलकार

Prasad Akolkar

एम डी एंड सी ई ओ

MD & CEO

पी. के. गुप्ता

P. K. Gupta

निदेशक

Director

अभिजीत पाशिने

कंपनी सचिव

Abhijit Pashine

Company Secretary

स्थान / Place : कोलकाता / Kolkata

दिनांक / Dated : 26.04.2010

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार सूचना
Information Pursuant to Part IV of Schedule VI of Companies Act, 1956.

तुलनपत्र सार एवं कंपनी की सामान्य व्यवसाय रूपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

कंपनी का नाम / Name of the Company : ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड / ALLBANK FINANCE LTD

I. पंजीकरण ब्योरा / Registration Details

पंजीकरण सं. / Registration No. U67120WB1951GOI020023 राज्यकूट / State Code : 21
तुलनपत्र तिथि / Balance Sheet Date 31.03.2010

II. वर्ष के दौरान अभिवृद्ध पूंजी (रु. हजार में) / Capital Raised during the year (Amount in Thousand)

पब्लिक इश्यू / Public Issue : शून्य / Nil राइट इश्यू / Right Issue : शून्य / Nil
बोनस शेयर / Bonus Share : शून्य / Nil प्राइवेट आबंटन / Private Placement : शून्य / Nil

III. निधियों के संग्रहण एवं विनियोजन की स्थिति (रु. हजार में)

Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousand)

कुल देयताएं / Total Liabilities : 526,038 कुल आस्तियां / Total Assets : 526,038

निधियों का स्रोत / Source of Funds :

प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital (Rs.) : 150,000 आरक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus : 295,891
प्रतिभूत ऋण / Secured Loans (Rs.) : शून्य / Nil अप्रतिभूत ऋण / Unsecured Loans : शून्य / Nil

निधियों का प्रयोग / Application of Funds :

निवल अचल आस्तियां / Net Fixed Assets (Rs.) : 17,725 निवेश / Investments : 334,241
निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets (Rs.) : 93,925 विविध व्यय / Misc. Expenditure : शून्य / Nil
संचयी हानियां / Accumulated Losses (Rs.) : शून्य / Nil

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (रु. हजार में) / Performance of the Company (Amount in Rs. Thousand)

टर्न ओवर / Turn Over (Rs.) : 106,934 कुल व्यय / Total Expenditure (Rs.) : 10,626
कर से पूर्व लाभ/(हानि)
Profit/(Loss) Before Tax : (+) 96,308
कर के बाद लाभ/(हानि)
Profit/(Loss) After Tax : (+) 71,492 लाभांश / Dividend Rate % : शून्य / Nil
प्रति शेयर आय (रु. में)
Earning Per Share (in Rs.) : 47.66

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक शब्द के अनुसार)

Generic Name of Three Principal Products/Services of Company (as per monetary terms)

कंपनी सेबी में श्रेणी-I मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकृत है / The Company is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

जे. पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Managing Director & CEO

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड,

- हमने 31 मार्च, 2010 को यथास्थिति ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड के तुलन पत्र, और उसके साथ संलग्न उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। जिन पर हमने रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्ध विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार, भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के द्वारा यथासंशोधित, में यथापेक्षित तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच, जिसे हमने उपयुक्त समझा है, के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुबंध के रूप में इसके साथ संलग्न करते हैं।
- कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से मर्चेन्ट बैंकर हेतु 25.07.2008 से तीन वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीकृत किया है जिसे अपेक्षित शुल्क देकर पुनः नवीकृत कराया जा सकता है। इससे पूर्व कंपनी 11.05.2005 तक भारतीय रिजर्व बैंक में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत थी। हालांकि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के अंतर्गत गतिविधियां बंद कर दी गई थीं किंतु पिछली गतिविधियों से संबंधित कुछ खाते अभी भी चल रहे हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2000” द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई क्योंकि कंपनी 25.07.2005 से मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनी बन गई है।
- उपर्युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 3, 4, 5 और 6 में हमारी टिप्पणी के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS

AllBank Finance Limited.

- We have audited the attached Balance Sheet of **AllBank Finance Limited** as at 31st March, 2010, the related Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto, which we have signed under reference to this report. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- As required by the Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditor's Report) Order, 2004, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
- The Company has got renewed certificate of registration as a Merchant Banker from Securities and Exchange Board of India effective from 25.07.2008 for three years subject to renewal against payment of required fees. Earlier to this, the Company was registered with Reserve Bank of India as Non Banking Finance Company upto 11.05.2005. Though the activities under Non Banking Finance Companies had been discontinued, but some accounts of past activities are still continuing.
- As required by “Non Banking Financial Companies Auditors Report (Reserve Bank) Directions, 2000”, issued by the Reserve Bank of India, no report is made as the Company became Merchant Banking Company with effect from 25.07.2005.
- Further to our comments in paragraphs 3, 4, 5 and 6 above, we report that :
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

- ख) हमारी राय में, जहाँ तक बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है, कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षा के अनुरूप समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं।
- ग) इस रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट के संबंध में तुलन पत्र, लाभहानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार हैं, केवल लेखा मानक एएस-15 (कर्मचारी लाभ) को छोड़कर जहाँ ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण जैसी परिभाषित लाभार्थ योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का निर्धारण बीमाकिक पद्धति के स्थान पर उपचय पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।
- ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च, 2010 को यथास्थिति कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।
- च) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय लेखे तथा उनकी टिप्पणियाँ जो संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करती हैं एवं सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करती हैं:
- तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च 2010 को कंपनी की स्थिति;
 - लाभ-हानि लेखा के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का लाभ; तथा
 - नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह।
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- c) The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by these report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 except in case of Accounting Standard AS - 15 (Employee Benefits) where long term employee benefits under defined benefit schemes such as gratuity and leave encashment are determined using accrual method.
- e) On the basis of written representations received from the Directors and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on March 31, 2010 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956;
- f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements together with notes thereon and attached thereto give in the prescribed manner the information required by the Companies Act, 1956, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- in the case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2010;
 - in the case of Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date ; and
 - in the case of the Cash Flow Statement , of the cash flows for the year ended on that date.

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 26.04.2010

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार

Place : Kolkata
Date: 26.04.2010

Subrata De
Partner.
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants

**समितिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में
संदर्भित अनुबंध**

सं. आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं अचल आस्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्योरा दिखाने के लिए समुचित रिकार्ड का रखरखाव किया है।
(ख) यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समस्त आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, परन्तु सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम प्रचलित है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार एवं इसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए तर्कसंगत है। बहियों के अभिलेख और भौतिक इन्वेंटरी के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई।
(ग) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी अचल सम्पत्ति के बड़े भाग का निपटान नहीं किया है।
2. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामानों की सूची की आवश्यकता नहीं है।
3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी प्रतिष्ठान या पार्टी को/से न कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण दिया है न ही उनसे लिया है।
(ख) ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी ने किराया खरीद अथवा पट्टा करार के अंतर्गत अग्रिम दिया है, ब्याज दर एवं अन्य शर्तें एवं अनुबंध, प्रथम दृष्ट्या कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।
(ग) मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान की वसूली कंपनी द्वारा की जाती है। चूक के मामलों में अनुपयोज्य आस्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कंपनी द्वारा पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
(घ) ऐसे मामलों में जहाँ अतिदेय राशि रुपया एक लाख से अधिक है, कंपनी द्वारा मूल एवं ब्याज की वसूली हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, बहियों और कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने न तो आंतरिक नियंत्रण में बड़ी खामियों को सुधारने में लगातार विफल रहने का कोई मामला पाया है और न ही हमें इसकी सूचना दी गई है।
5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में अभिलिखित करने की आवश्यकता हो।
6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए, 58एए अथवा अन्य संगत उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

**Annexure referred to in paragraph 3 of our
report of even date**

Re: AllBank Finance Limited

1. a. The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situations of its fixed assets.
b. It has been explained that all the assets have not been physically verified by the management during the year, but there is a regular program of verification which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. No material discrepancies between the book records and the physical inventory have been noticed.
c. In our opinion and according to the information and explanations given to us, any substantial part of the fixed assets has not been disposed of by the Company during the year.
2. The nature of business of the Company does not warrant holding of inventory.
3. a. The Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured, to / from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
b. In cases where the Company has made advances under Hire Purchase, Leases Agreements or Inter Corporate Deposit, the rate of interest and other terms and conditions are, prima facie, not prejudicial to the interests of the Company.
c. Payments of the principal amount and interest are being recovered by the Company. In cases of default, adequate provisions have been made by the Company, in accordance with norms laid down by the Reserve Bank of India, in the matter of Non Performing Assets.
d. In cases where the overdue amount is more than Rupees one lakh, reasonable steps have been taken by the Company for the recovery of the principal and interest.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business. Further, on the basis of our examination of the books and the records of the Company and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have been informed of any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control system.
5. According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into transactions which require to be recorded in a register in pursuance of Section 301 of the Companies Act.
6. The Company has not accepted any deposit from the public under Sections 58A, 58AA or any other relevant provision of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder.

7. हमारी राय में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कंपनी के पास सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म से लेखा परीक्षा कराने की एक आंतरिक प्रणाली है।
8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत कंपनी को लागत रिकार्ड एवं लेखा रखने हेतु निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उप कर तथा अन्य तात्त्विक सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय को समुचित प्राधिकारियों को जमा करने के मामले में नियमित है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2010 को यथास्थिति देय सांविधिक बकाया का विवरण निम्नानुसार है जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गए।
- 7 The Company has an internal audit system by an outside firm of Chartered Accountants which is in our opinion commensurate with its size and nature of business.
- 8 The Central Government has not prescribed maintenance of cost records and accounts under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956, to the Company.
9. a. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities.
- b. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the details of statutory dues as on 31st March, 2010, not deposited on account of dispute, are as under:

संविधि का नाम Name of the Statute	देय राशि का स्वरूप Nature of the Dues	किस मंच पर विवाद लंबित है Forum where the dispute is pending	राशि (रु. लाख में) Amount (Rs. in lacs)
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2002-03 Income Tax A.Y. 2002-03	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	334.18
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2003-04 Income Tax A.Y. 2003-04	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	620.55
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2004-05 Income Tax A.Y. 2004-05	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	109.79
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2005-06 Income Tax A.Y. 2005-06	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	38.06
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2006-07 Income Tax A.Y. 2006-07	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	29.99
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2007-08 Income Tax A.Y. 2007-08	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	66.47

10. कंपनी का 31 मार्च 2010 को कोई संचयी घाटा नहीं है और उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष में उससे तत्काल पूर्व के वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है
- 10 The Company has no accumulated losses as at 31st March, 2010 and it has not incurred any cash losses in the financial year ended on that date and in the immediately preceding financial year.
11. हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों के पास कंपनी का कोई बकाया नहीं है।
- 11 According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has no dues towards financial institutions , banks and debenture holders.

12. ऐसे मामलों में जहाँ किराया खरीद एवं पट्टा करार के अंतर्गत अग्रिम दिए गए हैं, कंपनी ने पर्याप्त अभिलेख एवं दस्तावेज का रखरखाव किया है।
13. कंपनी पर चिटफंड या निधि/म्युचुअल बेंचिफिट फंड/सोसाइटी पर प्रयोज्य विशेष संविधि के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
14. कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर एवं अन्य निवेशों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग नहीं करती है। कंपनी ने शेयर निर्गम की अंडरराइटिंग तथा विगत वर्षों में विशेष अदालत मुम्बई के निर्देशों के अंतर्गत एक दावे का निपटारा करने पर शेयर अधिगृहीत किए हैं और दीर्घावधि निवेश के रूप में भी बांड और डिबेंचर अर्जित किए हैं। कंपनी ने ऐसे लेनदेनों का समुचित रिकार्ड रखा है तथा कंपनी अपने नाम से शेयर, बांड और डिबेंचर रखती है।
15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतएव, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड-4 (xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
16. अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल वर्ष में कोई मीयादी ऋण नहीं किया है। अतएव, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड-4 (xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच करने पर हमारी राय है कि अल्पकालिक आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं उगाही गई है जिसका प्रयोग दीर्घकालिक निवेश हेतु किया गया हो।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है।
19. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 4(xix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए धन की उगाही नहीं की है।
21. भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों और बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कंपनी में या कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने की घटना हमारे सामने आई, न इसकी जानकारी मिली, न ऐसी कोई रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसी किसी घटना की सूचना दी गई है।
- 12 The Company has maintained adequate records and documents where advances have been made under hire purchase and leases agreements.
- 13 The provisions of any special statute applicable to chit fund or a nidhi / mutual benefit fund / societies are not applicable to the Company.
- 14 The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments. The Company has acquired shares on account of underwriting share issue and also in settlement of a claim under directions of The Special Court, Mumbai in the previous years and has also acquired debentures and bonds as long term investments. The Company has maintained proper records of such transactions and the shares, debentures and bonds are held by the Company in its own name.
- 15 According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others, from banks or financial institutions and therefore the provisions of Clause 4 (xv) of the Order are not applicable to the Company.
- 16 As per records, the Company has not taken any term loan during the year covered under audit and therefore the provisions of Clause 4 (xvi) of the Order are not applicable to the Company.
- 17 Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, in our opinion, there are no funds raised on a short term basis which have been used for long term investment.
- 18 The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the year.
- 19 The Company has not issued any debentures. Accordingly, the provisions of Clause 4 (xix) of the Order are not applicable to the Company.
- 20 The company has not raised any money by public issue during the year.
- 21 During the course of our examination of books and records of the Company, carried out in accordance with generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any incidence of fraud on or by the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management.

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.04.2010

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार

Place : Kolkata
Date: 26.04.2010

Subrata De
Partner.
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001

Allahabad Bank

Head Office: 2, N. S. Road
Kolkata 700 001

अष्टम वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
दिनांक : 10 जून 2010
स्थान : ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर
भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स
आईबी-201, सेक्टर III, सॉल्ट लेक सिटी
कोलकाता 700 106

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

Date : 10th June, 2010
Place : Eastern Zonal Cultural Centre
Bharatiyam Cultural Multiplex
IB-201, Sector III, Salt Lake City
Kolkata 700 106

उपस्थिति पर्चा

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में /NAME IN BLOCK LETTERS सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative	फोलियो/क्लाइंट आईडी सं. FOLIO/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholders/Proxy/Representative present

✂ ----- ✂

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में /NAME IN BLOCK LETTERS सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative	फोलियो/क्लाइंट आईडी सं. FOLIO/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

बैठक हाल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक - सह - प्रवेश पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश, यदि आवश्यक समझा गया तो आगे सत्यापन/जाँच के अधीन होगा। किसी भी हालत में, बैठक हाल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्रक की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

टिप्पणी : बैठक के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ ले कर आएं।

Shareholders/Proxy/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representative, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verifications/checks as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance –slip-cum Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

Note : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting .
Please bring your copy of the enclosed Annual Report.

**सूचीबद्धता करार के खंड 49V के
अनुसरण में प्रमाणपत्र**

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इलाहाबाद बैंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) हमने वर्ष 2009-2010 हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
- ii) ये विवरण बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन की उन विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-

- (i) वर्ष 2009-10 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।
- (ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (iii) धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ए. बी. भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(जे. पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.04.2010

CERTIFICATE PURSUANT TO CLAUSE 49V
OF THE LISTING AGREEMENT

To
The Board of Directors
Allahabad Bank

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2009-2010 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls of which we are aware and the steps we have taken to rectify the deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - (i) that no significant changes in internal control over financial reporting has been made during the year 2009-10;
 - (ii) that no significant changes in accounting policies has taken place during the year;
 - (iii) the instances of significant fraud of which we become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(A. B. Bhattacharjee)
General Manager (F & A)

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

Place: Kolkata
Date: 30.04.2010

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता : 700 001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं एएलबी
(यदि डिमैटीरियलाइज नहीं है)
डी.पी.आई.डी सं.
क्लाइंट आई.डी सं.
(यदि डिमैटीरियलाइज है)

मैं/हम राज्य के जिले में स्थित
..... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयर/शेयरों के धारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के
जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उसकी अनुपस्थिति में
..... राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती
का गुरुवार 10 जून 2010 को 10.30 बजे पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201,
सेक्टर III सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700 106 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की अष्टम वार्षिक सामान्य बैठक में और
उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित बैठक में मेरे/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना मुख्तारी (प्रॉक्सी) नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

इस पर 2010 के दिन हस्ताक्षर किये।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाएं

.....
मुख्तारी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- मुख्तारी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति अष्टम वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 5 जून, 2010 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी मुख्तारी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
- जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी मुख्तारी (प्रॉक्सी) तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

ALLAHABAD BANK
H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"
Form of Proxy
(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No.. ALB_____

(If not dematerialised)

DPID No. _____

Client ID No. _____

(If dematerialized)

I/We _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____
_____ being a share holder(s) of Allahabad Bank,, hereby appoint Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district of _____
_____ or failing him/her. Shri/Smt _____
_____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____
_____ as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Eighth Annual General
Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on Thursday, the 10th June 2010 at 10.30 a.m. Purbashree
Auditorium at Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106,
and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2010

Please affix
One Rupee
Revenue
Stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name
Address

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her attorney duly authorized in writing.
 - (b) In case a joint holder, shall be signed by the shareholder whose names appeared first in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) In case of body corporate, shall be signed by its officer duly authorised in this behalf and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of assurance or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority , certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office, Allahabad Bank, not later than **FOUR** days before the date of Eighth Annual General Meeting, i.e. on or before the close of business hours on Saturday, 5th June, 2010.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Share Transfer Agent , the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and signed.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

ईसीएस मॅडेट हेतु फार्म/बैंक खाता विवरण (भौतिक शेयरधारको हेतु)

मैं/हमएतद्वारा मेरा लाभांश ईसीएस द्वारा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करने हेतु इलाहाबाद बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/हैं:

मेरा/हमारा फालियो सं. एएलबी :

शेयरों की संख्या :

बैंक खाते का विवरण

क. बैंक का नाम :

ख. शाखा का नाम (केवल सीबीएस शाखा) :
पता(केवल अधिदेश हेतु)

ग. एमआईसीआर चेक पर उल्लिखित :
बैंक और शाखा की 9 अंकों की कूट सं

घ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) :

ड. चेकबुक में उल्लिखित खाता संख्या :

च. शेयरधारक का एसटीडी कोड और टेलीफोन संख्या :

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि गलत और अधूरी सूचना देने के कारण लेनदेन में विलम्ब होता है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता है तो मैं इलाहाबाद बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

सेवा में

मे० एमसीएस लिमिटेड
यूनिट: इलाहाबाद बैंक
77/2ए, हाजरा रोड
कोलकाता-700 029

शेयरधारक के हस्ताक्षर

कोड संख्या की सटीकता के सत्यापन हेतु कृपया अपने उक्त खाते से संबंधित चेक पत्रों की फोटोप्रति अथवा निरस्त किया गया कोरा चेक संलग्न करें।

यदि आप डिमेट फार्म में शेयर धारण कर रहे हैं तो कृपया अपना ईसीएस मॅडेट संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को उसके द्वारा निर्धारित फार्मेट में भेजें।

*ईसीएस के माध्यम से लाभांश जमा करने हेतु बैंक शाखा सीबीएस के तहत होनी चाहिए।

FORM FOR ECS MANDATE/BANK ACCOUNT PARTICULARS (FOR PHYSICAL HOLDERS)

I / We do hereby authorize Allahabad Bank to credit my dividend amount directly to my bank account by ECS.

My/Our Folio No. ALB :

No. of Shares :

Particulars of Bank Account

A	Bank Name	:	_____
B.	Branch Name (only CBS Branch)	:	_____
	Address (for mandate only)	:	_____
C	9 Digit Code No. of the Bank & Branch Appearing on the MICR Cheque	:	_____
D.	Account Type (Saving/Current)	:	_____
E.	Account No. as appearing in the Cheque Book	:	_____
F.	STD Code & Telephone No. of shareholder	:	_____

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold Allahabad Bank responsible.

Mail to

M/S MCS Limited
Unit: Allahabad Bank
77/2A, Hazra Road
Kolkata-700 029

Signature of the shareholder

Please attach a photocopy of a ' Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

In case you are holding shares in demat form, kindly send the ECS Mandate to the concerned Depository Participant directly, in the format prescribed by the DP.

*** The Bank Branch should be under CBS for credit of Dividend through ECS**